खण्ड–35, अंक–04
मंगलवार, 20 अग्रहायण, शक संवत्, 1934
(11 दिसम्बर, 2012 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा
की
कार्यवाही

— : 0 : —

(अधिकृत विवरण)
(तृतीय विधान सभा)
(तृतीय सत्र, 2012)

(खण्ड 35 में 07 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2013

मूल्य–

विषय–सूची

11–12–2012

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति..	'क'
प्रश्नोत्तर..	1–152
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं..	153
नगर निगम देहरादून में कतिपय वार्डों की जनसंख्या की त्रुटियों को ठीक करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना......................	153–154
जनपद देहरादून के डी0एल0 रोड से करनपुर राजेश रावत कालोनी, डालनवाला, नेहरू कालोनी, प्रगति विहार, अजबपुर होते हुए क्लेमेन्टाउन तक सीवर लाइन बिछाए जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना..	154
विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा पोलिंग नहर जो विगत दो वर्षों से बन्द पड़े होने के कारण अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम के काश्तकारों की भूमि की सिंचाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना............................	154
विधान सभा क्षेत्रबागेश्वर में गैस की किल्लत होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना..	155
जनपद ऊधमसिंह नगर के मुख्यालय रूद्रपुर में तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना........................	155–156
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा पर रखे गये कार्मिकों की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना..	156
विधान सभा क्षेत्र नानक मत्ता के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सरौजा के तोक रनसाली गाँव को राजस्व ग्राम घोषित करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना..	156
नियम–310 के अन्तर्गत दिये गये विषयों पर चर्चा कराये जाने की माँग..	156–157
गन्ना मूल्य की घोषणा के सम्बन्ध में वक्तव्य................................	158–160
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद अल्मोड़ा के सल्ला सल्ट में दिनांक 04 जून, 2012 को बौड़ ग्राम के किसान अपने बैलों को चराने व विक्रय कराने ले जा रहे थे तथा उन पर झूठा मुकदमा लगाने एवं बैलो को छीनने के सम्बन्ध में तथा श्री राजेश शुक्ला, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर के पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय के छात्रावास में गैस सिलेण्डर फटने से मृत एवं घायल सैनिकों को सदन में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सहायता राशि घोषणा किये जाने के उपरान्त भी सहायता राशि न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न..	161

श्री किशोरी लाल सकलानी, पूर्व सदस्य, उत्तर प्रदेश, विधान सभा के निधन पर शोकोद्गार..	162–166
"भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के "राज्य सरकार के वित्त" पर प्रतिवेदन तथा अवधि के उत्तराखण्ड सरकार से सम्बन्धित लेखा परीक्षक प्रतिवेदन..	167
"भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2011–12 के विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे.........	167
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिशे..	168–170
जनपद देहरादून के हर्रावाला नामक स्थान को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकटतम स्थान तक सीधे रेल मार्ग से जोड़ने के लिए एक नये रेल मार्ग की स्वीकृति के सम्बन्ध में नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव..	170
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं..	170–197
हिमालयन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012........(पारित)......................	197
आई0एम0एस0 यूनिसन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012...(पारित)......	197
उत्तरांचल विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 (पारित)............................	197
डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय विधेयक, 2012...........(पारित)............	197–334
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं..	335
नत्थियॉ	336–349

उपस्थिति

1. श्री अजय टम्टा
2. श्री अजय भट्ट
3. डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्री अरविन्द पाण्डेय
6. श्री आदेश चौहान
7. श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8. श्री गणेश गोदियाल
9. श्री गणेश जोशी
10. श्री चन्दन राम दास
11. श्री चन्द्र शेखर
12. डा0 जीत राम
13. श्री तीरथ सिंह
14. श्री दलीप सिंह रावत
15. श्री दान सिंह भण्डारी
16. श्री दिनेश अग्रवाल
17. श्री हेमेश खर्कवाल
18. श्री नवप्रभात
19. श्री नारायणराम आर्य
20. श्री पुष्कर सिंह धामी
21. श्री पूरन सिंह फर्त्याल
22. श्री कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
23. श्री प्रदीप बत्रा
24. श्री प्रीतम सिंह
25. श्री प्रीतम सिंह पंवार
26. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
27. श्री प्रेम सिंह
28. श्री फुरकान अहमद
29. श्री बंशीधर भगत
30. श्री भीमलाल आर्य
31. श्री मदन कौशिक
32. श्री मदन सिंह बिष्ट
33. श्री मनोज तिवारी
34. श्री मयूख सिंह
35. श्री महावीर सिंह
36. श्री माल चन्द
37. श्री मन्त्री प्रसाद नैथानी
38. श्री यतीश्वरानन्द
39. श्री यशपाल आर्य
40. श्री उमेश शर्मा (काऊ)
41. श्री राजकुमार
42. श्री राजकुमार ठुकराल
43. श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
44. श्री राजेश शुक्ला
45. श्री ललित फर्स्वाण
46. श्री विक्रम सिंह नेगी
47. श्री विजयपाल सिंह सजवाण
48. श्रीमती विजया बड़थ्वाल
49. श्री श्री बिशन सिंह चुफाल
50. श्रीमती शैला रानी रावत
51. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
52. श्री संजय गुप्ता
53. श्री सरवत करीम अंसारी
54. श्रीमती सरिता आर्य
55. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
56. श्री सुबोध उनियाल
57. श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
58. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
59. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
60. श्री सुरेन्द्र राकेश
61. श्री हरक सिंह रावत
62. श्री हरबन्स कपूर
63. श्री हरभजन सिंह चीमा
64. श्री हरिदास
65. श्री हरीश धामी
66. श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल

मंगलवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित प्रश्न

जनपद ऊधमसिंह नगर के नन्दीगा क्षेत्र में गन्ने की फसल जलने से किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा

**1. श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा के नन्दीगा क्षेत्र में 10–12 एकड़ भूमि में आग लगने से गन्ने की फसल जलकर राख हो गयी है, जिससे किसानो को नुकसान हुआ है ?

क्या सरकार उक्त किसानो को मुआवजा दिये जाने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

जी हाँ।

दिनांक 25–11–2012 को 06 कृषकों के गन्ने के खेत में आग लगने से 31 बीघा गन्ना जल गया है। जो कि चीनी मिल सितारगंज क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

कृषकों का जला गन्ना चीनी मिल चलने पर चीनी मिल की सहमति के आधार पर 24 घण्टे के अन्दर चीनी मिल को आपूर्ति करने का प्राविधान है, किन्तु दुर्घटना की तिथि के समय सम्बन्धित चीनी मिल कार्यशील नहीं थी, दुर्घटना से हुई क्षतिपूर्ति का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री पुष्कर सिंह धामी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिस समय में गन्ना जला था, यदि उस समय चीनी मिल कार्यशील नहीं थी तो निश्चित रूप से यह कहीं न कहीं प्रबन्धन की कमी है, यह बहुत बड़ा नुकसान इन किसानों का हुआ है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं मानवता को आधार बनाकर क्या उन किसानों को कोई क्षतिपूर्ति दी जायेगी ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, जैसे कि मैंने अभी इस प्रश्न के उत्तर में बताया कि चीनी मिलों का संचालन जब होता है तो उस दौरान अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसके 24 घण्टे के अन्दर चीनी मिल बाध्य है कि उस गन्ने की आपूर्ति कराये और टॉप प्रायोरिटी पर उसकी क्रशिंग भी करे, लेकिन इसमें चूँकि पहले यह घटना घट गयी है इस पर मुझे दुख भी है कि 06 किसानों का गन्ना जल कर राख नहीं हुआ, लेकिन कहीं न कहीं इससे इस गन्ने से क्षति कृषकों को हुई है। जब मैंने गन्ना समिति, खटीमा से पूछा कि इस गन्ने का कहाँ फेंका गया, कहां इस समय वर्तमान में है, मुझे बताया गया कि जो जला हुआ गन्ना था वो शत–प्रतिशत कोल्हू में भेज दिया गया, वहां उसे क्रय करते हुए उसका भुगतान कोल्हू मालिकों के द्वारा कर दिया गया है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, यह ठीक है कि यह प्रावधान नहीं है, 24 घण्टे में मिल में आ जाना चाहिए था, लेकिन मिल उस समय नहीं चल रही थी। जब मिल नहीं चल रही थी तो कोल्हू कहाँ से चलें माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि यह लगभग सीजन एक होता है कोल्हू और मिल का, तो इसका मतलब गन्ना जला मिल और कोल्हू चलने से पहले। जब कोल्हू चले तो उन्होंने कोल्हू में जो भी आधा–अधूरा होगा, उसे डाला तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से, कि मानवता के नाते हमारे पास बीमा भी होता है या समिति के पास इस तरह का प्राविधान है कि इसमें कहीं न कहीं कुछ आप घोषणा करें, किसानों को जो भी सरकार की तरफ से हो सके मदद मिल जाय, जो भी यथासम्भव हो सके।

श्री पुष्कर सिंह धामी–

मान्यवर, इस डेट तक वैसे मिल चल जाती थी, पूर्व में ये मिलें नहीं चल पायी। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, यह बात सही है कि ये बहुत ही दुःखद घटना जो घटी है कृषक, जो रात और दिन बहुत ही मेहनत करता है और उनकी उपज इस प्रकार अगर बरबाद हो जाती है तो क्षतिपूर्ति किये जाने के निश्चित रूप से प्राविधान किये जाने चाहिए। चूँकि यहाँ पर ये पूरी गाईड लाईन के तहत चीनी मिलें चलती हैं, किसानों का भुगतान किया जाता है। जो प्रक्रिया है वो मैंने आपको बता दी है। मैं ये भी आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो जानकारी मैंने प्राप्त की है, उस जानकारी के आधार पर कोल्हू काफी समय पहले चल पड़े थे और जितना भी जला हुआ गन्ना था उसे कोल्हू में भेज कर क्रय कर दिया गया था।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में जब भी कभी आते हैं, कभी–कभी ही आते हैं, यदि उस समय भी ऐसे प्रश्न पर कोई घोषणा न हो, सहायता की, तो निश्चित रूप से सारा सदन सोचेगा कि कुछ न कुछ घोषणा आप जरूर कर देंगे।

मा० मुख्यमंत्री (श्री विजय बहुगुणा)–

मान्यवर, किसानों का जो नुकसान हुआ है, उनके प्रति हम लोगों की जो सहानुभूति है, मैं शासन से इसकी सूचना मांगता हूँ कि कितना नुकसान हुआ है, जितना नुकसान हुआ है, उसका 30 परसेन्ट हम देंगे। (मेजों की थपथपाहट)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि इसको 50 परसेन्ट कर दीजिए।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, आप बहुत दयालु हैं, इसको 50 परसेन्ट कर दीजिए।

श्री विजय बहुगुणा–

मान्यवर, अगर मैं 50 कहता तो आप 75 कहते, इसलिए मैंने इसको 30 परसेन्ट का 50 परसेन्ट कर दिया। (मेजों की थपथपाहट)

बिना जिले में पंजीकृत कराये शस्त्र रखने पर कार्यवाही के सम्बन्ध में

**2. श्री आदेश चौहान–

क्या गृह मंत्री अवगत हैं कि हरिद्वार जनपद में अनेकों ऐसे व्यक्ति निवास कर रहे हैं, जिन्होंने अन्य राज्यों से शस्त्र लाईसेन्स प्राप्त कर उन शस्त्रों को बिना जिले में पंजीकृत कराये रखा हुआ है ?

क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनका जिले में भी पंजीकरण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री विजय बहुगुणा–

सम्प्रति कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री आदेश चौहान–

मान्यवर, यह विषय पूरे प्रदेश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और बहुत गम्भीर है, कानून व्यवस्था का विषय है, इस पर जो जवाब आया है कि इससे ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने कोई सम्पर्क नहीं किया और कोई जॉच पड़ताल नहीं की गई, यह पूरी तरह से असत्य है अभी ऊधमसिंह नगर का उदाहरण आपके सामने है, वहाँ पर जॉच के बाद 328 लाइसेंस रद्द किये गये।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, आपने हरिद्वार से सम्बन्धित प्रश्न किया है, यह उत्तर हरिद्वार का है, ऊधमसिंह नगर में आप मत जाइये।

श्री आदेश चौहान–

मान्यवर, इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि हरिद्वार जिले के अन्दर मेरे भी संज्ञान में है कि सैकड़ों से ज्यादा ऐसे शस्त्र लोगों के पास है, जो जम्मू–कश्मीर से राजस्थान से या अन्य जगहों से उन्होंने लाइसेन्स लिया हुआ है और जिले के अन्दर उनका कहीं पंजीकरण नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप ऐसे विषय संज्ञान में लायेंगे तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री आदेश चौहान–

मान्यवर, मैंने यह प्रश्न इसीलिए लगाया था, आपको इसकी जॉच करानी चाहिए थी, आपने तो इसकी जॉच ही नहीं कराई।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप ऐसे उदाहरण देंगे, गृह विभाग ने मुझे पूरे कागजात पकड़ा रखे हैं। अगर आप कोई ऐसा उदाहरण देंगे, गलत सूचना पर भी और आपकी सूचना को सत्य मानते हुए, आधार मानते हुए तुरन्त जॉच कराई जायेगी और दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय सदस्य यह सूचना नहीं दे सकते, चूँकि यह मैटर तो लाइसेन्स का है, ये तो यहॉ से जनप्रतिनिधि हैं। यह एक गम्भीर मामला है। जैसे ऊधमसिंह नगर जिले में एकदम किया गया। यहॉ भी इसकी पूरी जॉच हो जाय। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, गृह विभाग ने पूरी जिम्मेदारी से बताया है। हरिद्वार में इस तरह का कोई प्रकरण नहीं है।

श्री राजकुमार ठुकराल–

मान्यवर, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि गेहूँ के साथ घुन को क्यों पिसा जा रहा है। अगर कोई असाजक तत्व है तो उसने कहीं से शस्त्र लाइसेन्स बना लिया, उसका लाइसेन्स जिला प्रशासन निरस्त करे तो समझ में आता है। लेकिन जिनकी जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेन्स बनाया गया, उनके 389 शस्त्र लाइसेन्स ऊधमसिंह नगर में बिना संज्ञान के, बिना चार्ज के क्यों रद्द कर दिये गये। यह बहुत घोर अन्याय है, जिन्होंने अपनी सम्पत्ति की रक्षा के लिए शस्त्र लाइसेन्स बनाये थे, जिनका कोई आपराधिक रिकार्ड भी नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस पर अलग से प्रश्न पूछ लीजिए। केवल हरद्विार के बाहर का अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, क्या प्रदेश सरकार ने नीति बना दी है कि अन्य राज्यों में जिन लोगों के लाइसेन्स जारी हुए हैं यदि इस राज्य में भी उनका कारोबार या निवास है तो क्या उन सबके लाइसेन्स निरस्त कर दिये जायेंगे ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, नीति का सवाल नहीं होता, यदि किसी के पास लाइसेन्स है तो उसकी सूचना देगा और यहाँ से लाइसेन्स के लिए अधिकृत करायेगा। यह नियम है, यह सार्वभौमिक नियम है।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, ऊधमसिंह नगर में बिना जाँच के एक साथ 300 लाईसेन्स निरस्त कर दिये गये। क्या अपराधियों को इंगित करना है या किसी के भी लाईसेन्स निरस्त कर देंगे। नीति क्या है ? मैं यह जानना चाहता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जो लोग शस्त्र के लाईसेन्स लेते हैं, उनको नियम की जानकारी होती है, उनको खुद पता होता है कि वह अवैध रूप से शस्त्रों को रखे हुए हैं।

श्री आदेश चौहान–

मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार जिन लोगों ने अन्य प्रदेशों से लाईसेन्स लिये हुए हैं। उनका उस जिले में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिस जिले के वे रहने वाले हैं। मेरा कहना है कि जो आपका उत्तर है वह गलत है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इसकी विधिवत् जाँच करा लें और मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसकी जाँच कब तक करा लेंगे ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जाँच कराने की आवश्यकता तो तब पड़ेगी जब कोई बिन्दु सामने आयेगा। शस्त्र लाईसेन्सों के लिए स्पष्ट निर्देश है कि एडज्वाइनिंग स्टेट के, जैसे उत्तराखण्ड है, उसके अड़ोस–पड़ोस के स्टेट, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उन तीन तक वह वैलिड माना जाता है, शेष नहीं माना जाता है। इसके अतिरिक्त भी भारत सरकार का आदेश है दिनांक 31 मार्च, 2010 का, कि केन्द्रीय मंत्री, सांसद, सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलों के कार्मिक, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, ऐसे अधिकारी, जो भारत में कहीं भी सेवा कर सकते हैं तथा स्वीकृत शस्त्र लाईसेंसों की वैधता सम्पूर्ण भारत वर्ष एवं उक्त श्रेणी से भिन्न व्यक्तियों को स्वीकृत अप्रतिषेधित शस्त्र अनुज्ञप्तियों की क्षेत्रीय वैधता राज्य की सीमा से लगे अधिकतम तीन राज्यों तक, अधिकतम 03 वर्ष के लिए अनुमन्य कर सकती है। उत्तराखण्ड राज्य की सीमाएँ मात्र दो राज्यों उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश से सटी है। (कई माननीय सदस्यों क एक साथ बैठे–बैठे बोलने पर व्यवधान) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री आदेश चौहान–

मान्यवर, आप ठीक कह रहे है। मै यह कह रहा हूँ कि जिन व्यक्तियों ने लाईसेंस अन्य प्रदेशों से लिये हैं और यहाँ पर पंजीकरण नही करा रखा है और उसका अवैध रूप से प्रयोग कर रहे है। मेरा आपसे निवेदन है कि उनकी जॉच करेंगे ? (घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं इस बारे मे जवाब दे चुकी हूँ। ऐसी सूचना हरिद्वार जनपद मे नहीं हैं, फिर भी आप जिस रूप से सूचना देना चाहते हैं, यह सूचना दे सकते हैं। (कई माननीय सदस्यों क एक साथ बैठे–बैठे बोलने पर व्यवधान) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री आदेश चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल यह चाह रहा हूँ कि सरकार उन सैकड़ों लाईसेंसों की जॉच करेगी। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सरकार किस बात की जॉच करायेगी, जॉच से ही तो यह उत्तर आया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपने जॉच में कहा कि कोई भी नही है। यदि माननीय सदस्य दो या चार मामले दे देते हैं तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगी ? (घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अगर आप सदन में ही बता दे तो मैं जवाब दे दूँगी।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जिन्होंने यह उत्तर भेजा है उनके खिलाफ क्या सरकार कार्यवाही करेगी ? (घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कार्यवाही क्यो नहीं होगी ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, ठीक है। धन्यवाद। (कइ माननीय सदस्यो के एक साथ खडे होकर बोलने पर व्यवधान) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मीणा जी, आप बैठ जायें। प्रश्न का जवाब आ गया है। (व्यवधान के मध्य)

<u>तारांकित प्रश्न</u>

राज्य में वृद्धावस्था, विकलांग व विधवा पेंशन की अनुमन्य राशि को बढ़ाने पर विचार

*1. **श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–**

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में वृद्धावस्था, विकलांग व विधवा पेंशन की अनुमन्य राशि ₹ 400 प्रति माह देश के दिल्ली राज्य से बहुत कम है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त राशि को दिल्ली राज्य के बराबर या वर्तमान मूल्य वृद्धि की परिस्थितियों में तर्क संगत ढंग से बढ़ाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक और कितनी ?

यदि नही, तो क्यों ?

समाज कल्याण एवं परिवहन मंत्री (श्री सुरेन्द्र राकेश)–

जी हाँ।

प्रदेश में वृद्धावस्था, विकलांग व विधवा पेंशन की अनुमन्य राशि दिल्ली राज्य की अपेक्षाकृत कम है। वर्तमान में प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत पेंशन योजनाओं में अनुमन्य राशि निम्नवत् है :–

वृद्धावस्था पेंशन :–	
60 वर्ष से 79 बी0पी0एल0	400/–
80 वर्ष से अधिक	700/–
विधवा पेंशन :–	
18 वर्ष से ऊपर	400/–
विकलांग पेंशन	
18 वर्ष से ऊपर (40 प्रति0 न्यूनतम विकलांगता)	600/–
कुष्ठरोग मुक्त (कुष्ठरोग उपचारित) विकलांग	1000/–

भारत सरकार के शासनादेश संख्या–J11051/1/2012NSAP, दिनांक 08 नवम्बर, 2012 के द्वारा माह अक्टूबर, 2012 से इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा

पेंशन की केन्द्रांश की धनराशि ₹ 200 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹ 300 प्रतिमाह तथा विकलांग पेंशन योजना में केन्द्रांश की धनराशि ₹ 200 से बढ़ाकर ₹ 300 प्रतिमाह की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा भी उक्त दोनों पेंशन योजनाओं में दिनांक 01 अक्टूबर, 2012 से ₹ 100 प्रतिमाह केन्द्रांश की वृद्धि करते हुए भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि देश की राजधानी दिल्ली में पेंशन बहुत कम है। पहले मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि कितनी कम है यानी प्रतिमाह कितनी पेंशन दी जाती है ? दूसरा, मैं पूछना चाहता हूँ और उनका जवाब था कि 60 वर्ष से 79 वर्ष तक बी0पी0एल0, यह बी0पी0एल0 क्या है ? तीसरा, जब केन्द्र सरकार 400 रुपये में से 200 रुपये देती थी और 200 रुपये हमारे प्रदेश का लगता था। जब केन्द्र सरकार ने विधवा एवं विकलांग में 100 रुपये बढ़ा दिये हैं तो क्या राज्य सरकार भी 100 रुपये बढ़ायेगी ? यदि नहीं बढ़ायेगी तो क्यों नहीं बढ़ायेगी ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूँ, आपका पहला सवाल है कि दिल्ली में कितनी पेंशन दी जा रही है और हमारे यहाँ कितनी दी जा रही है, तो हमारे यहाँ कितनी दी जा रही है, उसके बारे में मैंने बता दिया है और मैं दिल्ली राज्य के बारे में बताना चाहता हूँ कि वहाँ 60 वर्ष से 70 वर्ष की आयु तक के वृद्धों को एक हजार रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मेरा पूरा जवाब आया नहीं, मैंने तीन प्रश्न पूछे थे आप तो एक का ही जवाब देकर बैठ गये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, एक–एक करके पूछें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, ठीक है, माननीय नेता सदन बैठे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो वहाँ पर एक हजार और हमारे यहाँ पर चार सौ है और मैं यह जानना चाहता हूँ कि 60 वर्ष से 79 वर्ष तक बी0पी0एल0 क्या है ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, बी०पी०एल० यह है कि जो भारत सरकार के द्वारा एक सर्वे कराया गया और जो लोग गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उन्हे बी०पी०एल० कहा जाता है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, यहाँ बी०पी०एल० का क्या अर्थ है, 60 से 79 वर्ष तक के सभी लोगो को मिल रहा है। गलत जवाब दे रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, बी०पी०एल० में जो केन्द्र का अंश होता है, वह 200 रुपये है और जो हमारा अंश बी०पी०एल० का है, वह 200 रुपये है, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग है वे बी०पी०एल० हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, यह तो सभी को मिल रही है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मैं बता रहा हूँ कि जिसकी आय एक हजार रुपये तक है, उन अन्य लोगो को भी पेंशन दी जा रही है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, यह बी०पी०एल० क्या है, जब एक हजार से कम सभी लोगों को पेंशन मिल रही है, तो मैं स्पष्ट जानकारी चाह रहा हूँ कि यह 60 से 79 वर्ष तक बी०पी०एल० क्या है ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, बी०पी०एल० के पात्रों को भी छात्रवृत्ति दी जाती है और उसमे दो सौ रुपये भारत सरकार देती है और दो सौ रुपये राज्य सरकार देती है और जिनकी आय एक हजार रुपये तक है, उन्हे भी राज्य सरकार और भारत सरकार राशि देती है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, जवाब गलत है, तो इसमे बी०पी०एल० हटवा दें, इससे तो लग रहा है कि सिर्फ बी०पी०एल० वालों को ही मिलेगा।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं बता तो रहा हूँ कि बी०पी०एल० के पात्र को भी दिया जाता है और जिनकी आय एक हजार रुपये से कम है, उन्हें भी दिया जाता है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मेरा जवाब नहीं आया है।

श्री नारायण राम आर्य–

मान्यवर, जो लोग सौ प्रतिशत विकलांग हैं, उन लोगों के लिए क्या पेंशन की धनराशि बढ़ाने का काम सरकार करेगी ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, पहले उनका जवाब आ जाने दीजिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, जवाब में लिखा है कि 60 वर्ष से 79 वर्ष तक बी0पी0एल0 का चार सौ रुपये, तो क्या केवल बी0पी0एल0 वालों को मिलेगा, जवाब गलत है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य उत्तर समझना नहीं चाह रहे हैं, मैं बार–बार बता रहा हूँ कि बी0पी0एल0 के पात्र को पेंशन दी जाती है और एक हजार से कम आय वालो को भी पेंशन दी जाती है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मेरा जवाब नहीं आया।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं बता तो रहा हूँ आप सुनिये तो सही, बी0पी0एल0 वालो को सौ प्रतिशत दिया जाता है और जिनकी आय एक हजार से कम है, उनको भी दिया जाता है। मान्यवर, और जो एक हजार रु0 से कम आय के लोग हैं, उनको भी दिया जाता है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी चिल्लाकर मेरी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी का जवाब गलत है, उन्होंने केवल बी0पी0एल0 लिखा हुआ है, आप खुद ही देख लीजिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की कोई तैयारी नहीं है, इनके पास पूछने के लिए कोई सवाल नहीं हैं। (व्यवधान) मैं कह रहा हूँ, कोई सवाल तो पूछिये, मैं जवाब दे रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय जीना जी, मंत्री जी ने आपके सवाल का स्पष्ट जवाब दे दिया है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आज की परिस्थितियों में एक हजार रु0 का आय प्रमाण–पत्र बना लेना, चूंकि इतनी महंगाई हो गयी और यह बहुत पुराना शासनादेश भी है। मान्यवर, इसके कारण बहुत से पात्र और असहाय लोगो को पेंशन का लाभ नही मिल पा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार, जो यह एक हजार रु0 का मानक रखा हुआ है, इसको बढ़ाये जाने पर विचार करेगी ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, माननीय सिंघल साहब ने बहुत ही गम्भीर सवाल किया है, इस सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य द्वारा भी एक सवाल लगाया गया है। मैं बताना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में पूरा विचार करने के बाद, इस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो ये तीनो पेंशनधारक हैं, इनके लिए क्या–क्या मानक है। दूसरा प्रश्न है वृद्धावस्था पेंशन के सम्बन्ध में, इसमें अभी यह जानकारी मिली कि जिन लोगों को यह पेंशन मिलती है, जिस वृद्ध के बच्चे बालिग हो गये तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। क्या यह भी एक मानक है ? मेरा तीसरा प्रश्न है क्या सरकार पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि वृद्धावस्था पेंशन के बारे में मानक तो यह है कि जो बी0पी0एल0 का पात्र है, उसे पेंशन दी जाती है, जिसकी आय एक हजार से कम वर्ष से ऊपर की विधवाए हैं और 60 वर्ष तक की है, वे बी0पी0एल0 की पात्र हैं, उन्हें शत–प्रतिशत पेंशन दी जाती है और जिनकी आय एक हजार से कम है उन्हे यह पेंशन दी जाती है। मान्यवर, इसी तरह से विकलांग के पेंशन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि जो बी0पी0एल0 के पात्रों को पेंशन दी जाती है और जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं, उन्हें पेंशन राज्य सरकार द्वारा दी जाती है और जो 80 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं, उन्हे भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा पूरा विषय नही आया है। मैंने कहा कि जो वृद्धावस्था पेंशनधारक हैं, ऐसी जानकारी पिछले दिनो मालूम हुई है कि जिनके बच्चे बालिग हैं तो उन्हे पेंशन नही मिल पा रही है।

श्री सुरेन्द्र राकेश—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूँ कि इसमें पहले जी0ओ0 भी जारी हो चुका है और निर्देश भी जारी हो चुके हैं कि जिस विधवा के बच्चे बालिग हो चुके हैं, वे बालिग बच्चे उस विधवा का पालन–पोषण नहीं करते हैं और वे अलग रहते हैं तो उन्हें पेंशन दी जाती है।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल—

मान्यवर, यह बिल्कुल ही अव्यवहारिक है चूंकि यदि 60 साल का बुढ्ढा होगा उसका 18 साल का बच्चा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है।

श्री सुरेन्द्र राकेश—

मान्यवर, पहले माननीय सदस्य जवाब तो सुन लें। मान्यवर, यदि बालिग बच्चे हैं, वे उनका पालन–पोषण नहीं कर रहे हैं और उनसे अलग रह रहा है। (व्यवधान)

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल—

मान्यवर, उसका पैमाना क्या है ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश—

मान्यवर, तहसीलदार रिपोर्ट देता है, उसकी रिपोर्ट पर होता है। तहसीलदार की रिपोर्ट पैमाना निर्धारित है। (व्यवधान)

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल—

मान्यवर, रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला—

मान्यवर, आज सदन में माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि 1000 रुपये का आय प्रमाण–पत्र आवश्यक है। यह विरोधाभासी बातें आ रही हैं। एक बात यह आ रही है कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से शासनादेश हो गया है कि अब तहसीलदार की आख्या ही पर्याप्त होगी। पेंशन में अलग से 1000 रुपये के आय प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी और आज सदन में आपका जवाब यह है, तो इसमें से कौन सा सही है, यह जानना चाहते हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश—

माननीय शुक्ला जी, एक तो आपकी जानकारी अधूरी है। (व्यवधान) मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। (व्यवधान) आपको पूरा ज्ञान हो जाना चाहिए। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया है।

श्री राजेश शुक्ला—

मान्यवर, फिर माननीय सिंघल साहब अखबार में क्या कह रहे थे ?

श्री सुरेन्द्र राकेश—

मान्यवर, पहले आप पूरी बात सुन तो लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा

शासनादेश संशोधित किया गया है। इसमें संशोधन यह किया गया है कि अब जो पात्र लोग होंगे, उनके फार्म पर रिपोर्ट लगेगी न कि उसको अलग से प्रमाण–पत्र बनवाने की जरूरत पड़ेगी। इसमें जो 1000 रुपये वाली बाध्यता है, वह रहेगी।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, क्या समाज कल्याण विभाग मुख्यमंत्री से अलग होता है ? माननीय मुख्यमंत्री जी के अण्डर में तो सारे विभाग होते हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई शासनादेश जारी नहीं किया है। (व्यवधान) विभाग ने शासनादेश संशोधित किया है। (व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, क्या संशोधित आदेश, शासनादेश नहीं माना जाता ?

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न था। मान्यवर, जैसा मैंने पहले भी कहा था, केन्द्र 100 रुपये बढ़ा रहा है। गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है, बहुत जनहित से जुड़ा मामला है। माननीय नेता सदन भी यहाँ पर उपस्थित हैं। जब केन्द्र 100 रुपये बढ़ा रहा है, तो राज्य सरकार भी 100 रुपये बढ़ा दे। माननीय अध्यक्ष जी मेरा माननीय नेता सदन से प्रश्न के माध्यम से एक निवेदन भी है इसमे केन्द्र सरकार ने सिर्फ विधवा और विकलांग को 100 रुपये बढ़ाने की बात कही है। मान्यवर, वृद्ध जो गाँव में रहते हैं, जिनकी आय 1000 रुपया भी नहीं है, उनके लिए भी बढ़ना चाहिए और केन्द्र सरकार 100 रुपया बढ़ा रही है, तो राज्य सरकार को भी 100 रुपया बढ़ाना चाहिए। (व्यवधान) माननीय मुख्यमंत्री जी, सविनय निवेदन है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं जवाब दे रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय जीना जी, आपका प्रश्न आ गया। कृपया बैठिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं जवाब दे तो रहा हूँ। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के जवाब देने की आवश्यकता होगी तो मैं उनसे अनुरोध कर लूँगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय जीना जी, आपका प्रश्न आ गया। कृपया बैठिए। (व्यवधान) प्रश्न संख्या–2।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, इसका जवाब दे दूँ। जवाब इसलिए दे दूँ क्योंकि जानकारी जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, विशेषकर विपक्ष के लिए यह जानकारी जरूरी है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, यह पूरी जनता का मामला है। भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मान लिया कि जनता का ध्यान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, एक छोटा सा अनुरोध करना चाह रहा हूँ। दिल्ली में तो 1000 रुपया है। हिमाचल प्रदेश में 300 रुपया है और उत्तर प्रदेश में 300 रुपया है, जो हमसे बड़ा राज्य है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड देवभूमि है। हिमाचल प्रदेश कहाँ चले गये। उत्तराखण्ड प्रदेश की बात करनी चाहिए। (व्यवधान) मान्यवर, इनको हिमाचल प्रदेश का मंत्री बना दिया जाय।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पाँच साल में कुछ नहीं किया।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

श्री तीरथ सिंह रावत–

मान्यवर, इस प्रदेश को भी हिमाचल जैसा बनाने की कोशिश करो, मत जाओ आस्ट्रेलिया, हिमाचल जाओ।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, हमारी सरकार प्रदेश को हिमाचल से भी अच्छा बनायेगी और पूरे हिन्दुस्तान में सबसे अच्छा राज्य बनायेगी।

श्री तीरथ सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार जनता के हितों की बात करती है, लेकिन वास्तव में वह उसका शोषण कर रही है।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी इतने गुस्से में क्यों रहते हैं, यह इतने नाराज क्यों रहते हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इतना जोर से क्यों बोल रहे हैं।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिये बता दूँ कि उत्तर प्रदेश में जब मायावती की सरकार थी तो उन्होंने 300 रुपये किया था।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि वे माननीय मंत्री जी को बी0पी0 की एक गोली लाकर खिला दें। (हँसी)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय कौशिक जी, आप चिन्ता मत करो, आपको तो आजकल भारी आयोग के कारण नींद नहीं आती है, आपको तो सपने में भी भारी जी ही दिखाई देते है, यह आयोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिठाया है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

प्रदेश में असहाय महिलाओं के भरण पोषण हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत लाभान्वित पात्र

*2. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत है कि प्रदेश में परित्यक्त विवाहित महिला, निराश्रित महिला एवं मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की पत्नी एवं

निराश्रित अविवाहित महिलाओं के भरण–पोषण हेतु अनुदान योजना प्रत्येक जिले में माह अप्रैल, 2012 से लागू होनी थी ?

यदि हॉ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त योजना का लाभ पात्र लोगों को दिया जा रहा है ?

यदि हॉ, तो कितना ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी हॉ।

प्रथम चरण में सांप्रति विभागाध्यक्ष स्तर पर प्रत्येक जनपद से अधिकतम पात्र 50 अभ्यर्थियों का चयन किया जा रहा है।

प्रश्नगत योजना के दिशा–निर्देशानुसार पात्र महिलाओं हेतु भरण–पोषण अनुदान ₹ 400 प्रतिमाह निर्धारित है।

प्रश्न नही उठता।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–2</u>

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह अप्रैल, 2012 से लागू हुई है और दूसरे जवाब में आया ह कि 50 अभ्यर्थियो का चयन किया जा रहा है। मात्र 400 रुपये पेंशन है और अप्रैल से अभी तक सिर्फ चयन ही किया जा रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि यह चयन कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूँ कि प्रत्येक जनपद में 50 पात्र निर्धारित किये गये हैं। (व्यवधान) मान्यवर, कृपया सुन तो लें, मैं अभी जीना जी के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, यदि आपको भी प्रश्न पूछना है तो कृपया अपना प्रश्न लगाये। मान्यवर, चमोली जनपद में अभी 61 प्रार्थना–पत्र आये हैं, रूद्रप्रयाग में 08 आये है, हरिद्वार मे 18 आये हैं, बागेश्वर मे 77 आये हैं, चम्पावत मे 33 आये है, ऊधमसिंह नगर मे 01 आया है, देहरादून में 65 आये है, पिथौरागढ मे 03 आये हैं, अल्मोड़ा में 36 आये है, नैनीताल मे 171 आये है, टिहरी मे 02 आये हैं, उत्तरकाशी से कोई प्रार्थना–पत्र अभी नही आया हैं टोटल 475 प्रार्थना–पत्र इस योजना में हमारी सरकार को प्राप्त हुए है, उनका परीक्षण किया जा रहा है कि जो पात्र हैं, उनकी पात्रता को देख कर उन्हें तत्काल जारी कर दी जायेगी।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न पूछा, मैंने कहा कि अप्रैल से अभी तक खाली जॉच ही हो रही है। लगभग 10 महीने हो गये हैं। (व्यवधान) परीक्षण होने में

7–8 महीने का समय लगेगा। यह गरीब लोगों का 400 रुपये का मामला है, कब तक देना चालू कर देंगे। अप्रैल से केवल परीक्षण ही हो रहा है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, जैसे ही परीक्षण हो जायेगा तत्काल जारी कर दिया जायेगा, परीक्षण के उपरान्त। (व्यवधान) मान्यवर, अतिशीघ्र इसी वित्तीय वर्ष में। (व्यवधान)

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, अभी जो माननीय मंत्री जी ने ऑकड़े दिये हैं, यह योजना अप्रैल, 2012 को लागू हुई है। माननीय मंत्री जी, कृपया इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जिन जिलों से 50 के कम आवेदन आये हैं, उनकी स्वीकृति तुरन्त जारी कर दी जाय और मैं समझता हूँ कि टिहरी जिले को छोड़कर अन्य जिलों से जो आवेदन आये हैं वो भी ज्यादा नहीं हैं, ऐसी स्थिति में पात्र नाम निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी को यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी जिसने कोई सीमा नही रखी थी। ऐसा भी समय था, पिछली सरकारों मे ऐसी व्यवस्था थी कि जब इन्तजार किया जाता था कि जब एक व्यक्ति मरेगा तब दूसरे को पेंशन मिलेगी परन्तु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही कहा था कि जितने आवेदन–पत्र पात्र व्यक्तियों के आयेंगे, उन सबको पेंशन दी जायेगी।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह कॉंग्रेस की सरकार ने वर्ष 2006 मे माननीय एन0डी0 तिवारी के समय मे किया था। यह वर्ष 2006 का डिसीजन है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सीधे प्रश्न करिये, क्या पूछना चाह रहे हैं ?

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, 50 तक जिनकी संख्या है, उनकी लिस्ट जारी कर दी जाय। क्या माननीय मंत्री जी इसके लिए कोई समय–सीमा निर्धारित करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, माननीय कपूर साहब ने जो सवाल किया, जो चिंता व्यक्त की, मेरा इसमें यह कहना है कि चाहे 50 से कम आवेदन हो या 50 से अधिक हों, उनका परीक्षण करना अनिवार्य है कि वो पात्र है या नहीं। पात्रता निर्धारित होने के बाद तत्काल जारी कर दी जायेगी। इसके सम्बन्ध में यह भी बताना चाहता हूँ कि यह तो इस साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए अनुपूरक बजट में पैसा भी रखा गया है, जो कल पारित हुआ है। अगर किसी जनपद में किसी ब्लॉक में अधिक मिलेंगे तो उन्हें भी दिया जायेगा।

श्री चन्दन राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि जो 50–50 का लक्ष्य इन्होंने प्रत्येक जिले में रखा है, उसमें अभी तक जनपदों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैंने अभी बताया कि अनुपूरक बजट में ही बजट रखा गया है, इसलिए धनराशि आवंटित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, जब 10 महीने में आपका परीक्षण ही नहीं हो पाया तो एक साल में पैसा मिल पायेगा या नहीं मिल पायेगा। इन 50–50 महिलाओं को इस वित्तीय वर्ष में पैसा मिल पायेगा या नहीं मिल पायेगा, जबकि अब मात्र दो महीने रह गये हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, 50–50 महिलायें हैं, प्रत्येक जनपद में निश्चित रूप से उनको दिया जायेगा।उसके लिए हमने बजट में व्यवस्था कर दी है और लक्ष्य निर्धारित कर दिया है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, हर जिले का क्षेत्रफल अलग–अलग है जैसे अल्मोड़ा जिले में 06 विधान सभायें हैं, बागेश्वर जिले में दो विधान सभायें हैं। मान्यवर, अल्मोड़ा जिले में सिर्फ 50 लोगों को और बागेश्वर में भी 50 लोगों को। माननीय अध्यक्ष जी, सभी पात्र लोगों को दिया जाना चाहिए, जो बहुत कम संख्या में होंगे। मान्यवर, इसमें 'पहले आओ, पहले पाओ' वाला हिसाब तो है नहीं, इसमें अगर एक पात्र को मिल रहा है तो दूसरे पात्र को भी मिलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि सभी पात्र लोगों को सरकार देगी, यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, हमारे विपक्षीगण, अगर मैं कोई बात कहूँगा तो बोलेंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर चर्चा करा ली जाये।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि यह 50–50 का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का करा हुआ है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री जीना जी, मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, यह शासनादेश में स्पष्ट है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जीना जी का सवाल है, मैं बता दूँ कि मैंने पता करवाया है कि इनके विधान सभा क्षेत्र से एक भी एप्लीकेशन नहीं आई है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, वो एप्लीकेशन मैंने खुद भेजी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी के जवाब में अधिकारियों की लापरवाही स्पष्ट सामने आ रही है।

प्रदेश में रिक्त पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति एवं चिकित्सालयों में स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का जनपदवार विवरण

*3. **श्री दलीप सिंह रावत–**

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के अधिकांश चिकित्सालयों में एक लम्बी अवधि से चिकित्सकों की तैनाती न होने के कारण क्षेत्रीय जनमानस को चिकित्सा सुविधाएँ नहीं मिल पा रही है ?

यदि हाँ, तो राज्य में एलोपैथिक/आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का जनपदवार विवरण क्या है तथा अब तक रिक्त पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही और उसके परिणाम क्या है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

प्रदेश के चिकित्सालयों हेतु लोक सेवा आयोग एवं प्रत्येक मंगलवार को आयोजित वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से प्रयास करने पर भी नियमित/संविदा के आधार पर चिकित्सक उपलब्ध न होने पर तैनाती सम्भव नहीं हो पा रही है।

स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का जनपदवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	जनपद	एलोपैथिक चिकित्सालय			आयुर्वेदिक चिकित्सालय		
		स्वी0	कार्य0	रिक्त	स्वी0	कार्य0	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पौड़ी	298	143	155	88	51	37
2.	रूद्रप्रयाग	93	37	56	46	13	33
3.	उत्तरकाशी	110	45	65	71	39	32
4.	चमोली	149	48	101	81	29	52

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	देहरादून	348	257	91	71	63	08
6.	टिहरी	182	74	108	90	58	32
7.	हरिद्वार	177	104	73	33	33	00
8.	पिथौरागढ़	159	62	97	83	48	35
9.	बागेश्वर	80	39	41	29	11	18
10.	चम्पावत	90	33	57	25	15	10
11.	अल्मोड़ा	274	117	157	70	38	32
12.	ऊधमसिंह नगर	168	117	51	22	22	00
13.	नैनीताल	294	164	130	50	39	11

क्र0 सं0	जनपद	एलोपैथिक चिकित्सालय		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5
1.	पौड़ी	09	07	02
2.	रूद्रप्रयाग	05	04	01
3.	उत्तरकाशी	06	02	04
4.	चमोली	07	06	01
5.	देहरादून	15	14	01
6.	टिहरी	11	09	02
7.	हरिद्वार	11	11	00
8.	पिथौरागढ़	07	04	03
9.	बागेश्वर	05	04	01
10.	चम्पावत	03	01	02
11.	अल्मोड़ा	11	08	03
12.	ऊधमसिंह नगर	07	07	00
13.	नैनीताल	10	08	02

एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने हेतु कार्यवाही/परिणाम निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजने का वर्ष	अधियाचित पद	लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों की संख्या	कार्यभार ग्रहण करने वाले चिकित्सकों की संख्या
1.	2002–03	430	311	205
2.	2003–04	515	282	178
3.	2004–05	611	132	114
4.	2007–08	875	254	114
5.	2010–11	583	67	34

इसके अतिरिक्त प्रत्येक मंगलवार को वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से भी संविदा पर चिकित्सकों की नियुक्ति का प्रयास किया जा रहा है।

आयुर्वेदिक चिकित्सकों हेतु लोक सेवा आयोग से संस्तुत 457 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति/तैनाती की कार्यवाही गतिमान है।

इसी प्रकार होम्योपैथिक चिकित्सकों के चयन सम्बन्धी अधियाचन भी लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, स्वास्थ्य का बहुत गम्भीर मसला है, इसे हँसी में नहीं लेना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार ने इस 10 महीने में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए था, वह नहीं किया है। दूसरी बात हमारा पूरा पर्वतीय क्षेत्र बंगाली डॉक्टरों पर निर्भर हो गया है। उनसे जान-माल का खतरा हमारे पर्वतीय क्षेत्र को हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप प्रश्न करें।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, क्या सरकार उन बंगाली डॉक्टरों, जो पहाड़ में आज मरीजों का इलाज करा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? आज पहाड़ों में डॉक्टर नहीं है तो उसका फायदा वे उठा रहे हैं। दूसरा क्या आशा कार्यकर्त्रियों को इतना प्रशिक्षण दिया जाय कि जो इस भरपाई को पूरा कर सकें ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, वास्तव में यह बहुत ही संवेदनशील विषय है। राज्य बनने के उपरान्त हम लोग डॉक्टरों की नियुक्ति पहाड़ों पर अधिक रूप में नहीं कर पाये हैं। इस सम्बन्ध में, मैं एक चार्ट आपको बताना चाहता हूँ कि जिसके माध्यम से प्रयास किये गये। किन्हीं कारणों से हम लोग इसमें सफल नहीं हो पाये हैं और उन स्थानों पर डॉक्टरों को उपलब्ध नहीं करा पाये। इसकी स्पष्ट जानकारी आपको मिल जायेगी। वर्ष 2002–03 में 430 पद हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग में भेजा गया। जिसमें से 311 लोग आये और 205 लोगों की नियुक्ति हुई। वर्ष 2003–04 में 178 नियुक्ति हुई और वर्ष 2004–05 में 114 डॉक्टरों की नियुक्तियां हुईं। मान्यवर, जैसे ही वर्ष 2006 समाप्त होता है, वर्ष 2007–08 में 875 लोगों के लिए लोक सेवा आयोग में अधियाचन भेजा गया, जिसमें 254 लोग आये और 114 लोगों की नियुक्ति हुई। अब आप देखेंगे कि सीधे वर्ष, 2006 के बाद वर्ष 2007–08 में पद आये और इसके बाद वर्ष 2010–11 में यानी यह चार-पाँच सालों का जो गैप रहा, जो चयन की प्रक्रिया होनी चाहिए थी वह नहीं हुई है इस कारण हम लोगों को बहुत बड़ा गैप मिला। वर्ष 2010–11 में

583 लोगो के लिए लोक सेवा आयोग में अधियाचन भेजी गयी। वर्ष 2012 में हम लोगों ने डॉक्टरो के नियुक्ति के प्रयास किये। मान्यवर, मैं माननीय नेता सदन का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनके प्रयास से इन प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा किया गया।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार उन झोला छाप डॉक्टरो का क्या कर रही हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं उस बिन्दु पर भी आता हूँ। पूरे प्रदेश मे डॉक्टरो की कमी, एक बहुत गम्भीर समस्या बनी हुई हैं। मेरे लिए उसकी जानकारी देना बहुत जरूरी है। इसमें कही न कहीं उस बीच का समय, यानी मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि उस समय क्या परिस्थिति होगी ? लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, उसके बारे मे स्पष्ट करना चाहता हूँ। हम लोगो ने होम्योपैथिक के लिए लोक सेवा आयोग मे 457 डॉक्टरों का हजरो अधियाचन भेजा था। उसमे से 400 डॉक्टर हम लोगों को मिल गये है, शासन स्तर पर लोक सेवा आयोग से यह सूची प्राप्त हो गयी है। मान्यवर, डी0जी0, हेल्थ उनकी नियुक्तियां करने जा रहे हैं और डी0जी0, आयुष को स्पष्ट रूप से निर्देश दिये गये हैं कि जहॉ–जहॉ पर रिक्तियॉ है, यानी जिन अस्पतालो में वर्षो से डॉक्टर नहीं है और आयुष विभाग से हमको जो 400 डॉक्टर प्राप्त हुए हैं। उन स्थानों पर नियुक्ति की जाय, जहॉ पर डॉक्टरो की कमी है। मान्यवर, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी हो जायेगी। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बिन्दु जिसको बहुत पहले कर लिया जाना चाहिए था यानी वह नही किया गया। हम लोग जो वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से संविदा डॉक्टरो की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ करते है। मान्यवर, अगर आप इस बात को देखेंगे तो महसूस होगा कि इसी नवम्बर माह में संविदा डॉक्टरो का मानदेय बढ़ाया है। मान्यवर, जबकि पूरे साल में, पिछले साल में मात्र 43 डॉक्टर मिले, तो मै समझता हूँ कि हमारा शासनादेश थोड़ा विलम्ब से जारी हुआ, लेकिन इसमे बहुत ज्यादा लोगो के अन्दर आकर्षण पैदा हुआ, अभी ये तमाम डॉक्टर जो एम0बी0बी0एस0 है, वो यू0पी0 क्षेत्र के हैं, अब हम लोगो ने प्रयास किया है कि विभिन्न प्रदेशो मे भी इसकी विज्ञप्ति जारी करेंगे और वहॉ से भी हम लोगों को बहुत बड़ी संख्या में संविदा पर डॉक्टर मिलने प्रारम्भ हो जायेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग बहुत जल्द ही काफी हद तक उन स्थानों पर डॉक्टरों को उपलब्ध करा पायेंगे, जहॉं पर डॉक्टर नहीं है। दूसरा बिन्दु, जो सम्मानित सदस्य ने बंगाली डॉक्टरों के बारे में उठाया है तो मैं किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि कोई स्पेसिफिक केस हमको बतायें, हमारे डी0जी0 को बतायें, शासन स्तर पर बतायें, निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

आशा कार्यकत्रियों के बारे में बता दें।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, आशा कार्यकत्रियों के बारे में भी आपने बताया तो मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण रोल आशा कार्यकत्रियों के द्वारा किया जा रहा है और अभी भारत सरकार मे केन्द्रीय मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद के सम्मुख यहाँ का प्रस्तुतिकरण करने का अवसर मुझे मिला, तो मैंने यह कहा था कि ग्रास रूट पर यानी धरातल पर, यानी ग्राम स्तर पर कई कार्यकत्रियाँ काम कर रही हैं तो आशा कार्यकत्रियाँ कर रही है, उनको कैसे हम सुसज्जित करे, कैसे हम उनको शार्ट पीरियड में एक ऐसी ट्रेनिंग दे कि जो कुछ हद तक तात्कालिक प्रभाव से लोगो की सेवा करने में सामर्थ हो और उनके मानदेय या इन्सेन्टिव को बढ़ाये जाने के लिए भी हमने माँग की थी। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही केन्द्र सरकार के द्वारा निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इन डॉक्टरों को ढूँढने में असमर्थ है, अगर असमर्थ हैं तो इस काम को हम करें, क्या सरकार की कोई मशीनरी ऐसी नहीं है, जो इनको ढूँढ सके, तो पहला मेरा प्रश्न यह है, इसका स्पष्ट जवाब होना चाहिए और दूसरा एक प्रश्न आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से है कि जिस तरह से शिक्षा विभाग में दुर्गम और सुगम का एक मानक रखा गया है, स्थानान्तरण के लिए, तो क्या वो मानक हमारे स्वास्थ्य विभाग में भी लागू हो रहा है और दूसरा ध्यानाकर्षण और सुझाव भी है, मैं सुझाव दे रहा हूँ क्योंकि प्रश्न के साथ सुझाव का मौका नहीं मिलता है कि यह बिल्कुल भी व्यवहारिक नही है कि जिस तरह से शिक्षा विभाग म सुगम और दुर्गम के आधार पर नियुक्ति होती है या उनकी पोस्टिंग होती है, यह मानक स्वास्थ्य विभाग में नही चल सकता है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां हैं, कि अगर कोई बुजुर्ग चिकित्सक है तो उसको हम पर्वतीय क्षेत्र मे रख सकते हैं, क्योंकि उसको ज्यादा आवश्यकता नहीं है, वह अपने अनुभवों का ज्यादा फायदा क्षेत्र में उठा सकता है या लोगो को दे सकता है, लेकिन नौजवान चिकित्सक को अगर आपने उसके सीखने वाली अवधि में पहाड़ मे रख दिया।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न पर आयें।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश के लिए बहुत फायदेमन्द चीज है कि अगर नौजवान चिकित्सक को पर्वतीय क्षेत्र मे रख दिया जाये तो वह अपनी प्रैक्टिस में पोलियो की ड्राप देने के अलावा और काबिल नही होगा, इसलिए मेरा निवेदन है कि क्या सरकार सुगम और दुर्गम की जो नीति है उसके ऊपर कोई व्यवहारिक कदम उठाना चाह रही है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

मान्यवर, जो पहला प्रश्न माननीय सदस्य के द्वारा किया गया, यह झोला छाप डॉक्टर के बारे में है। मैं स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि इसके लिए तमाम जो सी0एम0ओ0 हमारे हैं उनको निर्देशित किया गया है और उनको यह इन्स्ट्रक्शन दिये गये हैं कि कहीं भी अगर झोला छाप डॉक्टर काम करते हुये पकड़ा जाता है तो उन पर दण्डात्मक कार्यवाही करने की एफ0आई0आर0 लॉज करने की व्यवस्था है, इसके बावजूद भी हो सकता है कि इसकी जानकारी कुछ सी0एम0ओ0 के संज्ञान में न आये तो मैंने प्रश्न किया था कि यदि कोई स्पेसिफिक जगह पर कोई झोला छाप डॉक्टर काम कर रहा है तो उसकी जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से दण्डात्मक कार्यवाही होगी और एफ0आई0आर0 लॉज उनके खिलाफ की जायेगी और दूसरी बात आपने कहा कि दूरस्थ और अतिदुर्गम यहाँ पर व्यवहारिक नहीं है, तो मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप एम0सी0आई0 की प्रक्रिया को देखना चाहेंगे, उसमें समझेंगे तो प्रत्येक डॉक्टर को एम0बी0बी0एस0 करने के उपरान्त एक इन्टर्नशिप करने के लिए अधिकृत किया जाता है, एक साल की ट्रेनिंग दी जाती है। मान्यवर, इनर्जी का इंजेक्शन उन पर लगा रखा है। मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि आखिर इन पर कौन सा इनर्जी का इंजेक्शन लगा रखा है, तो ये दवाईयों की क्वालिटी और क्वान्टिटी 100 प्रतिशत है, इसलिए इनकी इनर्जी बरकरार है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक—

माननीय अध्यक्ष जी, यह निश्चित रूप से बहुत गम्भीर विषय है कि 12 साल में इधर की सरकार भी रही और उधर की सरकार भी रही और हम पूरे डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं कर पा रहे है। यह एक चुनौती भी है और यह समस्या केवल यहा पर ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो वॉकर्स इण्टरव्यू के द्वारा आपने एक मानदेय तय किया है, चूंकि उसमें आयुर्वेद के डॉक्टर्स पूरे नही आ पा रहे हैं, इन दोनो मे कुछ समानताएं भी हैं। मान्यवर, जो आपने एलोपैथ मे किया है, उसे आप कब तक करेंगे और जो एलोपैथ की पोस्ट पर आयुर्वेद के डॉक्टर्स कार्य कर रहे है, क्या उनका मानदेय बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है ? मेरा दूसरा प्रश्न है जो मेडिकल कॉलेज सरकार के नियंत्रण मे है या जो प्राईवेट कॉलेज अपने यहां पर हैं। इनसे जो एक एग्रीमेंट हुआ था कि जो स्टूडेंट्स आयेंगे वे पॉच साल तक हमारे दुर्गम क्षेत्रों में सेवा करेंगे। मान्यवर, क्या अब भी वही प्रोसीजर कंटीन्यू जारी है या कही पर वह रिप्लेसमेंट हुआ है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है कि पिछले 12 सालो में हम लोग बहुत कुछ नही कर पाये हैं, डॉक्टरो के बारे में। यह

बात रही है चूंकि भौगोलिक परिस्थितियां कुछ जटिल हैं, कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं ऐसी हैं। चूंकि बहुत सारे डाक्टर्स प्राईवेट क्लीनिकों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मान्यवर, इस बीच में बहुत सारे नर्सिंग होम और बहुत सारे क्लीनिक खुले हैं, जहां पर इन डॉक्टरों को बहुत अधिक कठिनाई का सामना भी नहीं करना पड़ता है, इनको मानदेय भी बेहतर मिल जाता है। यह बहुत ही गम्भीर समस्या है और इस समस्या के निदान के लिए बहुत सारे विकल्पों को हम लोगों ने तलाशा है। हम लोग बहुत जल्दी इन विकल्पों को एग्जीक्यूट करने वाले हैं और भारत सरकार का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन्होंने भी एन0आर0एच0एम0 के माध्यम से तमाम योजनाओं को स्वीकृत करने के लिए हम लोगों को सुविधा दी है। (व्यवधान) मान्यवर, यदि आप सुन लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यह बहुत अच्छा सवाल है और मैं समझता हूँ कि आम जन से जुड़ा हुआ सवाल है। हमारे पूर्व मंत्री जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है। मेरा कहना है कि इस दिशा में बहुत सकारात्मक कदम सरकार द्वारा उठाये गये हैं। हम कह सकते हैं कि जो हमारे नेता सदन हैं, जब-जब भी इस प्रकार की समस्याएं उन तक जाती हैं तो उनका निदान करने में कोई देर नहीं लगती है। अभी एक महीने के अन्दर आप लोगों को बहुत आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे और एक साल के अन्दर में जो बहुत भारी डॉक्टरों की कमी है, इससे हमारा जनमानस बहुत ही प्रभावित है, जो यह पूरी की पूरी व्यवस्था पूरी तरह से अव्यवस्थित है, इसको दूर करने में हम लोग सफल हो जायेंगे यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) मान्यवर, माननीय कौशिक जी का जो दूसरा सवाल था, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने एक बात कही थी कि डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं। आयुर्वेद के नहीं आ रहे हैं, एलोपैथ के नहीं आ रहे हैं। चूंकि उन्होंने विसंगति महसूस की। मान्यवर, अभी लगभग 457 डॉक्टर्सों का अधियाचन लोक सेवा आयोग भेजा था और इसमें 400 डॉक्टर्सों का रिजल्ट भी घोषित हो गया है और यह शासन को भी प्राप्त हो गया है। इसमें लगभग सौ प्रतिशत डॉक्टर्स मिल जायेंगे। मान्यवर, इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि बहुत सारी विसंगति की वजह से यह दिक्कतें हैं। यह हम स्वीकार करते हैं कि जो पे स्केल आयुर्वेद, होम्योपैथ और एलोपैथ का है, उसके अन्दर कुछ सामन्जस्य बैठाना होगा ताकि इन लोगों के अन्दर अच्छी भावना पैदा हो और वे बेहतर सेवा कर सकें। मान्यवर, स्वास्थ्य सेवाओं में, मैं समझता हूँ जीवन की रक्षा करने वाले लोग हैं, उनके अन्दर कोई निराशा या हीन भावना पदा न हो, निश्चित रूप से इस दिशा में प्रयास किये जाएंगे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, एलोपैथी को 48000 से 54000 और आयुर्वेदिक को 2000 से 23000 है। यह एक बहुत बड़ी विसंगति हो गयी हैं पिछले 10–12 साल में यह विसंगति नही थी, केवल 3000 का अन्तर था। वर्तमान में जो शासनादेश हुआ है, इससे विसंगति पैदा हुई है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने बता दिया है कि कुछ समय बाद इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह कब तक हो जाएगा ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा था कि इसमें कहीं न कहीं कुछ परिस्थितियाँ रही होंगी, जिसकी वजह से दिक्कतें आयी होंगी। मैं कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, जैसे कि हम लोगों का यह मुख्य लक्ष्य है, स्वास्थ्य सेवाएं दूरस्थ क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाने का। स्वाभाविक रूप से जो प्रश्न आपके द्वारा किया गया है, वैकन्सी सिचुएशन जो एलोपैथिक में, आयुर्वेदिक में और होम्योपैथिक में है, इसको बहुत जल्दी दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय कौशिक जी ने एक सवाल किया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जिन्होंने एम0बी0बी0एस0 किया है, उनके साथ सरकार ने जो अनुबन्ध किया था, क्या सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में, प्रदेश में उनकी सेवाएं ली हैं ? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से 103 बच्चों ने मेडिकल की डिग्री ली थी, लेकिन जो अनुबन्ध था, उसमें कुछ त्रुटियाँ थीं, कुछ खामियां थी और उन त्रुटियों तथा खामियों का फायदा उठाकर इन बच्चों ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान नहीं दिया। क्योंकि उन्होंने बहुत कम फीस पर मेडिकल की शिक्षा ली है। इसलिए सरकार विधिक कार्यवाही उन विद्यार्थियों के खिलाफ कर रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और सदन को बताना चाहता हूँ कि अब हमारी सरकार ने जो बच्चे हमारे राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर और राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ हमने, विधिक राय लेकर, कानूनी राय लेकर ऐसा अनुबन्ध किया है, भले ही हमने 5 साल का घटाकर 3 साल किया है लेकिन हमने इस तरह का पुख्ता अनुबन्ध किया है, जिससे कि कोई भी खामी का फायदा उठाकर ये विद्यार्थी प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान करने से वंचित न रहे या योगदान न दे पाएं। इस तरह का कानून हम बना रहे हैं। दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में अभी तक हमारे पास 27 पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें हैं और इस बार एम0सी0आई0 का निरीक्षण हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हमको पी0जी0 की 40 सीटें हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में मिल जाएंगी और निश्चित रूप से इसी तरह 2014 में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भी क्लीनिकल और कुछ फैकल्टीज में पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें शुरू कर पाएंगे। निश्चित रूप से यह अनुबन्ध होने से और पी0जी0 की सीटें बढ़ने से हमें लाभ

होगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी देहरादून मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज और रूद्रपुर मेडिकल कॉलेज में काम चल रहा है, उसी तरह का अनुबन्ध इन विद्यार्थियों के साथ भी होगा। जो इस प्रदेश के स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी चिन्ता है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 3–4 वर्षों में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारी सरकार चिकित्सकों की भर्ती का एक अभियान चला रही है, साथ ही साथ एजुकेशन भी सपोर्ट में ऐसा काम कर रहा है, जिससे कि पर्वतीय क्षेत्रमें, दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सक इस प्रदेश को मिल सकें। यह हम सब की चिन्ता है, हमारी सरकार की चिन्ता है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उसमें कुछ टेक्निकली खामियां थी, कुछ ऐसे ग्वाइंट्स थे, जिसका उन्होंने लीगली उपयोग किया, अब हम भी लीगली कार्यवाही उन पर कर रहे हैं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 4 पुकारे जाने पर)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर व्यवधान)

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण सवाल सदन में करना चाहता हूँ कि देहरादून अस्पताल, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां अनुबन्ध के आधार पर विशेषज्ञ डॉक्टर रखे गये थे। विशेषकर न्यूरो सर्जन, क्योंकिय एक्सीडेंट के केस पहाड़ से भी देहरादून में आते हैं। उनका अनुबन्ध समाप्त हो गया तो आज वहां पर न्यूरो सर्जन नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करिये, समय कम है।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, इससे गरीब लोगों को इलाज के लिये जौलीग्रांट या इन्दरेश हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। मेरा प्रश्न यह है कि जो अनुबन्ध समाप्त हुये हैं उनको फिर से सरकार रखने का प्रयास करेगी।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, संविदा पर जो डॉक्टर्स नियुक्त होते थे, उनके रिन्यूवल की पहले एक लम्बी प्रक्रिया हुआ करती थी, इनके विषय को कैबिनेट की बैठक में लाना पड़ता था। चूंकि इसमें बहुत समय लगता था, इसलिये माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया कि इसे विभागीय स्तर पर ही किया जाय। माननीय सदस्य डा0 पंकज अरोड़ा की बात को लेकर इस प्रश्न को कर रहे हैं, वह एक

बहुत कांपीटेंट ऑफिसर और बहुत अच्छे डॉक्टर दून हॉस्पिटल में थे। लेकिन इस प्रक्रिया ने कहीं न कहीं उनको रोक दिया, बाधित कर दिया और उनको सेवा समाप्त करने के लिये मजबूर होना पड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, इस बारे मे हम लोगों ने कैबिनेट में बात उठाई, चूंकि उन्होंने तीन महीने काम किया था, हम इस बात पर भी सहमत थे कि उनको तीन महीने का भी भुगतान कर दिया जाय। इसी बीच हमको सौभाग्यवश एक नौजवान व्यक्ति डा0 तिवारी मिले, जो बहुत अच्छे न्यूरो सर्जन का काम कर रहे हैं और डा0 पंकज अरोड़ा से भी हमने कहा था कि यदि वे चाहे तो वह भी अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने देखा कि यहां पर एक न्यूरो सर्जन काम कर रहे हैं, सम्भवतः वे भी कहीं और योगदान दे रहे होंगे। हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, भविष्य मे संविदा कर्मचारी या डॉक्टरों की निरन्तरता को बनाये रखने के लिये यह तय किया गया है कि विभागीय स्तर पर ही निर्णय ले लिया जाय। सी0एम0ओ0 के कन्सर्न से उसके कार्यकाल को बढ़ाये जाने का निर्णय लिया है, अब इसके लिये उन्हें कैबिनेट मे नहीं जाना पड़ेगा।

श्री ललित फर्स्वाण–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बागेश्वर जनपद में तीन तहसीलें है और तीनों तहसीलों में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है, तीनों ही जगह महिला चिकित्सक नियुक्त नही है। अति दुर्गम क्षेत्र होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो जिन लोगो की नियुक्ति वहा पर हुई है, वे यहां पर योगदान देगें या नहीं।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, माननीय सदस्य की चिन्ता स्वाभाविक रूप से बहुत जायज है। अभी तक इन इंटरव्यू के माध्यम से डॉक्टरों की नियुक्ति को हम देख रहे हैं, उसमें महिलाओं की संख्या नगण्य है, जिसकी वजह से असुविधा का सामना हमकों करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक इन इंटरव्यू के माध्यम से हमारे पास 31 डॉक्टर और लोक सेवा आयोग के माध्यम से 34 डॉक्टर आये है, हमारी यह कोशिश रही है कि दूरस्थ क्षेत्रों में, जैसे कपकोट है, बागेश्वर है मान्यवर, चम्पावत है, पिथौरागढ़ है, टिहरी है, रूद्रप्रयाग है, चमोली हैं, उत्तरकाशी है, जिन स्थानो को हमने वरीयता दी है और इसमें काफी मशक्कत मैंने करवाने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी जैसे ही हमको महिला डॉक्टर मिलेंगी, निश्चित रूप से उनकी तैनाती की जायेगी। (व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजो से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश म जो चिकित्सालय हमारे चिकित्सकविहीन हैं, वहा पर हमारे फार्मेसिस्ट कार्यरत हैं और वहा पर वे शिड्यूल–क की दवाई दे सकते हैं और

शिड्यूल-एच की दवाईयां नहीं दे सकते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो शिड्यूल-एच की दवाईयां नहीं दे सकते हैं जिसकी वजह से अति दुर्गम क्षेत्रों में वहां पर क्या व्यवस्था की गयी है और किस तरीके से उनका उपचार किया जाता है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी-

मान्यवर, यह बहुत अच्छा प्रश्न माननीय तिवारी जी ने किया और इस पर विचार किया जाना चाहिए और हम लोग गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। यह महसूस किया गया कि फार्मेसिस्ट जो बहुत लम्बे अनुभव से 10-10, 15-15, 20-20 वर्षों से अपनी नौकरी कर रहे हैं, कहीं-कहीं पर डॉक्टर से बेहतर अनुभव उनको हो जाता है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी और जिसके लिए मैंने विभागीय विभागाध्यक्ष से, प्रमुख से, विधायी से राय लेने का प्रयास किया है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश निर्गत किया है, कुछ राज्यों ने इसे अंगीकृत भी किया है कि इन द अफसेन्स ऑफ द डॉक्टर, वो प्रेसक्राईब कर सकते हैं दवाईयों को, तो मैं समझता हूँ कि अगर इसमें हम लोग सफल हो जाते हैं तो बहुत बड़ी राहत मैं समझता हूँ कि मिलेगी और उनकी यह मांग भी है फार्मेसिस्ट की। मैं तो सदन के माध्यम से यह आश्वासन भी देना चाहता हूँ कि इसको कर लिया जायेगा।

श्री दलीप सिंह रावत-

मान्यवर, मैं केवल आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कब तक इंतजार करना पड़ेगा, नई तैनाती के लिए चिकित्सकों की। मैं केवल यह आश्वासन चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से, सरकार से कि कब तक पर्वतीय क्षेत्रों मे लोगो को चिकित्सकों के लिए इन्तजार करना पड़ेगा ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी-

मान्यवर, यह मैंने मूल प्रश्न जो लिखित है उसमें सुनाया, जो आपके पास भी प्राप्त है कि जैसे ही लोक सेवा आयोग से, वॉक इन इन्टरव्यू से या किसी दूसरे माध्यम से हमको डॉक्टर मिलेंगे, वैसे ही तत्काल एक मैं (व्यवधान), हमारी मंशा को मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहली बार हुआ है कि लोक सेवा आयोग ने तत्काल रिजल्ट घोषित किया, तीसरे दिन शासन को भेजा और 15 दिन मे हम लोगों ने निस्तारित करने का प्रयास किया, जबकि पिछले कार्यकाल में, मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि किसका था, ढाई साल लोक सेवा आयोग मे लगा, डेढ साल शासन मे लगा और बाद में जब डॉक्टरों की नियुक्ति का वक्त आया तो डॉक्टर गायब थे, क्योंकि वो कहीं न कहीं चले गये थे। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

जनपद हरिद्वार में टिहरी विस्थापितों हेतु आवंटित भूमि पर चिकित्सालय निर्माण में की गई कार्यवाही

*4. **श्री यतीश्वरानन्द–**

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के आदर्श नगर टिहरी में विस्थापितों को चिकित्सकीय सुविधा हेतु चिकित्सालय के लिये भूमि आवंटन की गयी थी ?

यदि हाँ, तो चिकित्सालय निर्माण के सम्बन्ध में सरकार कोई ठोस कार्यवाही कर रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

भूमि आरक्षित है, किन्तु स्वास्थ्य विभाग के नाम हस्तान्तरित नहीं है।

प्रश्नगत स्थल उपकेन्द्र की स्थापना हेतु जनसंख्या मानकों को पूर्ण नहीं करता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

श्री यतीश्वरानन्द–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूँ, यह बात तो स्वीकार कर ली कि भूमि वहां पर आरक्षित है, लेकिन उस भूमि का उपयोग कब तक किया जायेगा। टिहरी विस्थापितों को वहा पर रहते हुए लगभग 30 वर्ष का समय हो गया है और कब तक यह जमीन स्वास्थ्य विभाग के नाम ट्रान्सफर की जायेगी, इसमें क्या कार्यवाही की गयी ? यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यह टिहरी विस्थापितों से सम्बन्धित है। टिहरी विस्थापितों की भूमि को मैं समझता हूँ कि पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है, उन्होंने अपने खेत, खलिहान, पूरे घर सब कुछ राष्ट्र की सेवा में लगा दिया और इस बात को देखते हुए निश्चित रूप से इसमें संज्ञान लेते हुए, लेकिन मानक कहीं न कहीं बाधक है। पहली बात जो आपने कही कि ये भूमि आरक्षित है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह भूमि आरक्षित हो सकती है, लेकिन तहसीलदार और उप जिलाधिकारी के स्तर पर आरक्षित हो। यह भूमि स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर आरक्षित नहीं है। विभाग के नाम पर हस्तान्तरण हो जाये, रजिस्ट्री हो जाये। यह भूमि स्वास्थ्य विभाग के

स्तर पर आरक्षित होती तो निश्चित रूप से इस पर विचार कर लिया जाता। चूँकि उप केन्द्र को खोलने के लिए मानक हैं, मैदानी क्षेत्र में 5000 की आबादी पर एक उपकेन्द्र खुलता है और 3000 की आबादी पर पर्वतीय क्षेत्र में एक उप केन्द्र खुलता है। ये क्षेत्र जिसका जिक्र आपने अभी किया, उसमें 4400 की संख्या है जो मानक पूरा नहीं करता, जिसकी वजह से दिक्कतें हमारे सामने हैं। लेकिन टिहरी विस्थापितों का एक मामला है, उन लोगों को कुछ न कुछ सहूलियत देनी चाहिए। मैं अलग से भी जो हमारे यहाँ पर उप जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी हैं, उनसे इसको दिखवा लूँगा। अगर इस बीच में 600 की संख्या आकर बढ़ गई होगी तो निश्चित रूप से वहाँ पर खुलवाने के आदेश कर देंगे।

श्री यतीश्वरानन्द–

मान्यवर, इसमें कोई समय सीमा दे दें।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैंने जैसे आपको बताया कि यह मानक तो पूरा करता नहीं है, लेकिन हम मानवीय मूल्यों को रखते हुए, क्षेत्र की जनता की भावना को रखते हुए, उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पूरा देश, लेकिन एक बार पहले यह दिखवा ले कि 600 की संख्या बढ़ने में ज्यादा देर नहीं लगती है, रोज मकान बन रहे हैं। इसको देखते लेंगे और खोल दिया जायेगा।

परिवहन कार्मिकों को विभाजन विषयक भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार तैनाती तिथि से न दिये जाने के कारण तथा वर्ष, 2011 को जारी विनियमितीकरण अधिसूचना के अनुसार विनियमितीकरण

***5. श्री राजेश जुवांठा–**

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि "परिवहन कार्मिकों के विभाजन विषयक भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार जिन कार्मिकों के नियुक्ति प्राधिकारी क्षेत्रीय (मण्डलीय) एवं डिपो स्तर पर हैं, वे स्वतः ही जिस राज्य में तैनात हैं वे उस राज्य के परिवहन निगम के कार्मिक समझे जायेंगे", व्यवस्थान्तर्गत परिवहन निगम के गठन से पूर्व के चालक/परिचालक एवं अन्य समकक्षीय कार्मिकों की भांति दिनांक 01–11–2001 तक दैनिक वेतनभोगी/संविदा/अंशकालिक कार्मिकों को उत्तराखण्ड परिवहन निगम के अन्तर्गत कार्यरत माने जाने के बावजूद, ऐसे कर्मचारियों की सेवा अवधि की गणना उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में दैनिक वेतनभोगी/संविदा/अंशकालिक कार्मिकों के रूप में तैनाती की तिथि से न किये जाने के क्या कारण है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि परिवहन निगम के गठन से पूर्व के चालक/परिचालक एवं अन्य समकक्षीय कार्मिकों की भाँति 14 वर्ष तक की सेवावधि वाले दिनांक 01–11–2001 तक के दैनिक वेतनभोगी/संविदा/अंशकालिक कार्मिको को उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 21 नवम्बर, 2011 को जारी विनियमितीकरण सम्बन्धी अधिसूचना के प्राविधानानुसार विनियमित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

उत्तराखण्ड परिवहन निगम ऐसे कार्मिको को निगम का दैनिक वेतनभोगी/संविदा/अंशकालिक कार्मिक मान रहा है।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1412/XXX/(2)/2011–3(3)(1)/2006, दिनाक 21–11–2011 शासकीय कार्मिकों पर लागू है। इस अधिसूचना के प्राविधानो से निगम के कार्मिक आच्छादित नही हो रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

श्री पुष्कर सिंह धामी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने मेरे प्रश्न के पहले उत्तर मे कहा कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम ऐसे कार्मिकों को निगम का दैनिक वेतनभोगी/संविदा/अंशकालिक कार्मिक मान रहा है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि कब से मान रहा है ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, उत्तराखण्ड परिवहन निगम का गठन 31–10–2003 को किया गया। मान्यवर, ऐसा क्षेत्र कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी विद्यमान निगम में क्षेत्र या जोन या डिपो के अधिकारी हैं, सम्बन्धी निगम द्वारा आमेलित किये जायेंगे, जिसमे जोन या क्षेत्र का डिपो अवस्थित है। इसके साथ–साथ मैं माननीय सदस्य जी को जानकारी देना चाहता हूँ।

श्री पुष्कर सिंह धामी–

मान्यवर, यह स्पष्ट अवस्थित क्या हुआ ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, जो कर्मचारी उत्तर प्रदेश के समय मे निगम में यहाँ आये हैं, उसमें 342 कर्मचारी हैं। संविदा चालक 157 हैं, संविदा परिचालक 17 है, दैनिक वेतन परिचालक 4 हैं, दैनिक वेतन मजदूर 01 है, अन्य 04 है। कुल 342 कर्मचारी हैं।

श्री पुष्कर सिंह धामी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री से जानना चाहा कि हम कब से मान रहे हैं। जब से उत्तराखण्ड परिवहन निगम का गठन हुआ तब से या उत्तर प्रदेश के समय से जो हमारा पुनर्गठन विधेयक है, उसके अनुसार मान रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, 31–10–2003 को निगम का गठन हुआ था, तब से अभी तक के माने जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में हमने एक फाइल कार्मिक विभाग को भेजी थी, कार्मिक विभाग ने यह कहा कि जिसमें हमारा शासनादेश लागू हुआ है, यह उस पर लागू नहीं होता है। इसलिए इसे निगम के गठन के उपरान्त माना जाये।

श्री पुष्कर सिंह धामी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का जो जवाब है, वह दोनों अलग–अलग है। एक तरफ तो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उत्तराखण्ड गठन से माना जा रहा है। कार्मिकों के विभाजन का विषय के सम्बन्ध में भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार यह व्यवस्था दी गई है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

जनपद नैनीताल में सी0एच0सी0 पदमपुरी में डॉक्टर, टेक्निशियन एवं पैथोलॉजी के रिक्त पदों को भरने हेतु अधियाचन

***6. श्री दान सिंह भण्डारी–**

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत सी0एच0सी0 पदमपुरी में एक्सरे की मशीन लगायी गयी है परन्तु न तो उक्त चिकित्सालय में डॉक्टर/टैक्निशियन है और न ही ब्लड टैस्ट, यूरीन टैस्ट की कोई व्यवस्था है, जबकि यहॉं, 60 से भी अधिक गॉंव के लोग उपचार हेतु आते हैं ?

यदि हॉं, तो क्या सरकार सी0एच0सी0 पदमपुरी में डॉक्टर, टैक्निशियन एवं पैथोलॉजी हेतु कोई कदम उठा रही है ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हॉं। जनपद नैनीताल के पदमपुरी में संयुक्त चिकित्सालय स्थापित है,

---

तारांकित प्रश्न संख्या–5 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

जिसमें 03 चिकित्साधिकारी कार्यरत है, परन्तु एक्सरे टैक्निशियन एवं डार्क रूम सहायक का पद रिक्त हैं जबकि लैब टैक्निशियन का पद रिक्त है। जबकि लैब टैक्निशियन का पद सृजित नहीं है।

मानको के अनुरूप चिकित्सको की तैनाती, संविदा/लोक सेवा आयोग के माध्यम से उपलब्धता पर निर्भर करेगी। पैरामेडिकल कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने हेतु अधियाचन प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की को भेजा गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

*7. विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में सचल चिकित्सा वाहन योजना द्वारा उपचारित मरीजों के सम्बन्ध में

*8. श्री मदन कौशिक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवायें मुहैया कराने हेतु हैल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के तहत सचल चिकित्सा वाहन योजना शुरू की गई थी ?

क्या सचल चिकित्सा वाहन योजना सुचारू रूप से चल रही है ?

यदि हाँ, तो क्या दूरदराज एवं दुर्गम इलाको में जनमानस को योग्य चिकित्सकों द्वारा उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ?

यदि हाँ, तो अभी तक कितने रोगियों का इलाज किया जा चुका है ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

माह अप्रैल, 2009 से सितम्बर, 2012 तक कुल 5,67,728 मरीजों का इलाज किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में परिवहन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों के औचक निरीक्षण में पायी गयी अनियमितता/लापरवाही के कारण किये गये स्थानान्तरण

*9. श्री मदन कौशिक–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश मे परिवहन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयो के औचक निरीक्षण में अनियमितता पायी गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

क्या यह सत्य है कि परिवहन विभाग में विभिन्न जनपदों में निरीक्षण के दौरान ड्यूटी में अनियमितता/लापरवाही के कारण विभागीय अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये है ?

यदि हाँ, तो कितने ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी हाँ।

दिनांक 11–04–2012 को सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून के औचक निरीक्षण के दौरान कार्यालय के रिकार्ड रूम में एक लावारिस बैग पाया गया तथा उक्त कार्यालय द्वारा रजिस्ट्रेशन हेतु काटी गयी रसीदो का मिलान उपलब्ध कैश से करने पर धनराशि में कमी पायी गयी।

दिनांक 18–08–2012 को नारसन चैकपोस्ट का निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि अनाधिकृत व ओवरलोड में चल रही वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही थी।

देहरादून कार्यालय में औचक निरीक्षण मे पायी गयी अनियमितताओं के लिये, देहरादून कार्यालय के सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) एवं लेखाकार को सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून से परिवहन आयुक्त कार्यालय में सम्बद्ध किया गया।

नारसन चैकपोस्ट पर कार्यरत/तैनात 02 परिवहन कर अधिकारियों का अन्यत्र स्थानान्तरण किया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में चिकित्सकविहीन चिकित्सालयों में फार्मासिस्टों द्वारा दवाई दिये जाने के सम्बन्ध में

***10. श्री मनोज तिवारी–**

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के चिकित्सकविहीन दुर्गम चिकित्सालयों में चिकित्सक की अनुपस्थिति मे फार्मासिस्टो द्वारा सामान्य उपचार हेतु सभी दवाईया दी जा सकती है अथवा नहीं ?

यदि हाँ, तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी नहीं।

फार्मासिस्ट द्वारा केवल शिड्यूल–'के' की औषधि दी जा सकती है।

ऐसे स्थानों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सचल चिकित्सा वाहनों के चिकित्सकों, आरोग्य रथ, सेहत की सवारी व 108 सेवा के माध्यम से निदान व उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है।

जनपद अल्मोड़ा में अन्तर्राजकीय बस अड्डे के निर्माण हेतु मई, 2012 को की गई मुख्यमंत्री की घोषणा पर अद्यतन स्थिति

*11. **श्री मनोज तिवारी–**

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र, अल्मोड़ा में अन्तर्राज्यीय बस अड्डा के निर्माण हेतु दिनांक 05 मई, 2012 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गयी थी ?

यदि हाँ, तो अद्यतन स्थिति क्या है तथा कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी हाँ।

अल्मोड़ा में अन्तर्राज्यीय बस अड्डा के निर्माण हेतु अल्मोड़ा स्थित परिवहन निगम डिपो से लगी हुई लोक निर्माण विभाग की 21 नाली 11 मुट्ठी तथा तीव्र ढाल वाली 10 नाली 02 मुट्ठी भूमि परिवहन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित की गयी है। परिवहन निगम के प्रस्तावित 08 बस टर्मिनल को पी0पी0पी0 मोड के अन्तर्गत अल्मोड़ा में बहुउद्देशीय बस अड्डे का निर्माण कराया जाना सम्मिलित है। इस परियोजना के अन्तर्गत परिवहन निगम द्वारा उत्तराखण्ड अवस्थापना विकास कम्पनी लि0 (U-DEC) देहरादून को कन्सलटेन्ट नियुक्त करते हुए परियोजना के R.F.P. डाक्यूमेन्ट तैयार कराये गये हैं। जिस पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

मसूरी वि0स0 क्षेत्र के अन्तर्गत परिवहन विभाग द्वारा हल्के मोटर वाहन चलाने हेतु जारी परमिट

*12. **श्री गणेश जोशी–**

क्या परिवहन मंत्री अवगत है कि मसूरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत साई मन्दिर–कैनाल रोड–किशनपुर–साकेत कॉलोनी–ग्रेट वैल्यू होटल, सचिवालय–ई0सी0रोड–आराघर–रिस्पना–केदारपुरम–दून विश्व विद्यालय–मोथरोवाला के लिए परिवहन विभाग द्वारा टाटा मैजिक संचालित किये जाने हेतु सर्वे कराया गया ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त मार्ग पर टाटामैजिक संचालित किये जाने हेतु परमिट जारी किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी नहीं।

उक्त मार्ग पर हल्के मोटर वाहनों का संचालन हेतु सर्वे कराया गया है।

आवेदन करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा मार्ग परमिट जारी करने पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर में युवा कल्याण विभाग को धन आवंटित न होने के कारण सेवा से हटाये गये पी0आर0डी0 जवानों का पुनः सेवायोजना

*13. **श्री ललित फर्स्वाण–**

क्या युवा कल्याण मंत्री अवगत है कि जनपद बागेश्वर में युवा कल्याण विभाग को धन आवंटित न होने के कारण पी0आर0डी0 के पंजीकृत 144 जवानों को सेवा से हटा दिया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा पंजीकृत पी0आर0डी0 जवानो को पुनः सेवायोजित किये जाने हेतु धन आवंटित किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

नियोजन, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री (श्री दिनेश अग्रवाल)–

जी हाँ, 144 जवानों को नहीं बल्कि 123 पी0आर0डी0 के जवानों को सेवा से पृथक किया गया है।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य बढ़ाये जाने पर विचार

*14. **हाजी सरवत करीम अंसारी–**

क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार गन्ने का मूल्य बढाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कितने रु0 प्रति कुन्तल और कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

राज्य सरकार द्वारा गन्ना मूल्य निर्धारण परामर्शी समिति का गठन अक्टूबर, 2012 को किया गया है परामर्शी समिति की संस्तुतियॉं प्रतीक्षित हैं। परामर्शी समिति की संस्तुति के आलोक में गन्ना मूल्य के निर्धारण पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

<u>स्थगित अतारांकित प्रश्न</u>

प्रदेश में परिवहन विभाग की बसों द्वारा प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या व अन्य राज्यों में संचालित बसों का विवरण

1. **श्री मदन कौशिक–**

क्या परिवहन मंत्री बताने को कष्ट करेंगे कि प्रदेश की परिवहन निगम की बसों में कुल कितने व्यक्ति रूटवार प्रतिदिन यात्रा करते हैं ?

प्रदेश परिवहन से अभी तक कितनी बसो का आवागमन अन्य राज्यो में होता है ?

यात्रियों की सुविधाओ हेतु सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

परिवहन निगम की बसों में प्रतिदिन यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या घटती–बढ़ती रहती है औसतन प्रतिदिन यात्रारत व्यक्तियो की संख्या रूटवार की सूचना संलग्न है।†

अन्य राज्यों में संचालित बसों का विवरण निम्नवत् है :–

1. उत्तर प्रदेश में 564
2. हरियाणा में 60
3. हिमाचल प्रदेश में 22

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 336–349 पर)

4. राजस्थान प्रदेश में 10
5. दिल्ली मे 297
6. चण्डीगढ़ में 29
7. पंजाब प्रदेश में 25
8. मध्य प्रदेश मे 01
9. जम्मू एण्ड कश्मीर मे 02

योजनान्तर्गत यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएं :–

1. बस स्टेशन पर स्वच्छ हवा/पानी के लिए पंखे, वॉटर कूलर, स्वच्छ टॉयलेट, यात्री शैड, यात्रियो के बैठने हेतु बैंच, पूछताछ काउन्टर, बाह्य स्रोतों से फल स्टाल, बुक स्टाल, जनरल मर्चेन्ट, बार, कैन्टीन आदि।
2. मार्ग मे स्वच्छ एवं उत्तम खाने के लिए अनुबन्धित ढाबे।
3. आधुनिक वोल्वो बस सेवाएं।
4. ई–टिकटिंग मशीन के द्वारा कम्प्यूटराईज टिकट।
5. बसो के अन्दर अधिकारियो के मोबाईल नम्बर अंकित कराये गये हैं ताकि यात्रियो को असुविधा होने पर तत्काल अपनी समस्या से परिवहन निगम के अधिकारियों को अवगत कराया जा सके।
6. मुख्यालय मे कन्ट्रोलरूम स्थापित किया गया है तथा उसका हैल्पलाईन नम्बर है, जो सभी बसों मे अंकित कर दिया गया है। ताकि यात्री उन नम्बरों पर बात कर सके।
7. पी0पी0पी0 मोड पर कुछ नये आधुनिक सुविधा से युक्त बस स्टेशनो के निर्माण की कार्यवाही गतिशील है।
8. कुछ स्थानो पर एजेन्ट के माध्यम से बुकिंग की कार्यवाही की जा रही है।
9. ऑन लाईन टिकट बुकिंग प्रस्तावित है।

प्रश्न नही उठता।

उपरोक्तानुसार।

<u>अतारांकित प्रश्न</u>

असहाय महिलाओं के भरण पोषण हेतु प्रत्येक जिले में सभी पात्र लोगों को योजना का लाभ देने पर विचार

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या समाज कल्याण मंत्रि अवगत है कि परित्यक्ता विवाहित महिला, निराश्रित महिला एवं मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की पत्नी एवं निराश्रित

अविवाहित महिला को भरण–पोषण हेतु प्रत्येक जिले में 50 चयनित व्यक्तियों के स्थान पर प्रत्येक जिले में सभी पात्र लोगों को योजना का लाभ देने पर विचार करेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्नगत योजना प्रथम बार प्रारम्भ की गयी है और प्रथम चरण में राज्य के प्रत्येक जनपद हेतु अधिकतम लाभार्थियों का लक्ष्य 50 निर्धारित किया गया है।

जनपद अल्मोड़ा के वि0स0 क्षेत्र सल्ट में प्राथमिक स्वा0 केन्द्र व उच्च प्रा0 स्वा0 केन्द्रों की संख्या व मानकों के अनुसार चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के सम्बन्ध में

2. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है तथा उनमें मानकों के अनुसार चिकित्सको एव अन्य कर्मचारियों के चिकित्सालयवार कुल कितने पद स्वीकृत है तथा उनके सापेक्ष कुल कितने चिकित्सक एवं कर्मचारी कार्यरत है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि चिकित्सालयों में सरकार मानकों के अनुसार चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियो की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में वर्तमान में 01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 03 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। स्थापित चिकित्सालयों में चिकित्सकों/कर्मचारियो के स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	स्वा0 केन्द्र का नाम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत
1.	प्रा0स्वा0के0, साल्ट	चिकित्सक	03	02
2.	अति0 प्रा0स्वा0के0, मानिला	चिकित्सक	14	09
3.	अति0 प्रा0स्वा0के0, भौनखाल	चिकित्सक	02	—
		कर्मचारी	05	03
4.	अति0 प्रा0स्वा0के0, सौंणमानुर	चिकित्साधिकारी	01	—
		कर्मचारी	04	04

मानकों के अनुरूप चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों की तैनाती, संविदा/लोक सेवा आयोग/प्राविधिक शिक्षा परिषद् से उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत तया (काली गावँ) में आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन के निर्माण में विलम्ब के दोषियों के खिलाफ कार्यवाही

*3. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा जिले के साल्ट विधान सभा क्षेत्र के तया (कालीगाँव) में आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन का निर्माण 2006 से आज तक अपूर्ण है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार शीघ्र भवन निर्माण कराकर भवन निर्माण कार्य मे विलम्ब के दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्नगत भवन का आधा कार्य पूर्ण हो चुका है कार्य विलम्ब हेतु सम्बन्धित निर्माण इकाई/ठेकेदार द्वारा विलम्ब करने हेतु निर्माण इकाई द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार का अनुबन्ध 10 प्रतिशत अर्थदण्ड के साथ निरस्त कर दिया है तथा नया अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है और कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वृद्धा पेंशन हेतु ₹ 1000/ मासिक आय के मानक को बढ़ाने पर विचार

*4. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके गरीब व्यक्ति, जिनकी सभी स्रोतों से मासिक आय ₹ 1000 तक हो, वह मासिक पेंशन के पात्र हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार महंगाई के इस समय में ₹ 1000 मासिक आय के मानक को बढ़ाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी हाँ।

जी हाँ।

अतिशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के घनसाली में पिलखी व बालेश्वर के स्वास्थ्य केन्द्रों में मानक अनुरूप चिकित्सक व स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराये जाने पर विचार

*5. श्री भीमलाल आर्य–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र घनसाली (टिहरी गढ़वाल) के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिलखी व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालेश्वर में मानकों के अनुरूप चिकित्सक व स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक व स्वास्थ्य, सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

राज्य में चिकित्सकों की कमी के कारण मानकों के अनुरूप सृजित पदों के सापेक्ष चिकित्सक तैनात नहीं हैं, किन्तु अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं प्रश्नगत

चिकित्सालयों में उपलब्ध है। चिकित्सकों की कमी को यथासम्भव दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

मानकों के अनुरूप चिकित्सकों की तैनाती, संविदा/लोक सेवा आयोग से यथासम्भव सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत स्थित ऐसे राजकीय चिकित्सालयों में आवासीय भवन तथा उनमें चिकित्सकों की तैनाती करने पर विचार

*6. श्री दलीप सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसे राजकीय चिकित्सालय कौन–कौन से हैं, जिनमें चिकित्साधिकारी के लिए आवासीय भवन निर्मित हैं किन्तु उक्त चिकित्सालयों मे चिकित्साधिकारी तैनात नहीं है और ये आवासीय भवन अनुपयोगी पड़े–पड़े क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं ?

क्या सरकार आवासीय सुविधायुक्त चिकित्सालयो मे चिकित्सकों की तैनाती प्राथमिकता के आधार पर करने की दशा मे सरकार की क्या योजना है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के 82 चिकित्सालयों में आवासीय भवन निर्मित है, तथा जिनमें से 77 आवासीय भवनों में चिकित्साधिकारी निवास कर रहे हैं। अवशेष अनुपयोगी आवासीय भवनों की मरम्मत वार्षिक रूप से समय–समय पर की जा रही है।

आवासीय सुविधायुक्त चिकित्सालयों मे चिकित्सकों की तैनाती, संविदा/लोक सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सकों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता वि0स0 क्षेत्र में परिवहन विभाग द्वारा डिपो की स्थापना

*7. श्री प्रेम सिंह राना–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि जनपद ऊधमसिंह नगर के 69 नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत परिवहन विभाग द्वारा नानकमत्ता में बस डिपो की स्थापना की गयी थी ?

यदि हाँ, तो अभी तक वहां से बसें संचालित न होने और कर्मचारी एवं अधिकारी नियुक्त न होने का क्या कारण है ?

क्या सरकार उक्त डिपों में कर्मचारियों एवं अधिकारियों की व्यवस्था कराने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नानकमत्ता में स्थापित बस स्टेशन पर बसों को रूकवा कर यात्रियों को बैठाया जाता है। यह बसें अधिकांशतः नानकमत्ता के समीप टनकपुर में स्थापित डिपो से संचालित की जाती है। टनकपुर डिपो में बस स्टेशन एवं कार्यशाला दोनों स्थापित है तथा वहां पर कर्मचारी एवं अधिकारी तैनात हैं। नानकमत्ता में बस स्टेशन की देख–रेख एवं यात्रियों को बसों की जानकारी देने हेतु एक कर्मचारी तैनात है।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत लैंसडाउन में निर्मित मोटर मार्गों पर बस संचालन हेतु की गई कार्यवाही

***8. श्री दलीप सिंह रावत–**

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैंन्सडाउन के अन्तर्गत ऐसे कौन–कौन से निर्मित मोटर मार्ग हैं, जिन पर अभी तक बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ नहीं किया गया है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त मोटर मार्गों पर बस सेवाओं के संचालन हेतु की गई कार्यवाही का विवरण क्या है तथा कब तक उक्त मोटर मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ किया जायेगा ?

तथा विधान सभा क्षेत्र लैंन्सडाउन के अन्तर्गत ऐसे कौन–कौन से निर्मित मोटर मार्ग हैं, जिन्हें बस सेवाओं के संचालन हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया है ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

लैंन्सडाउन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निम्न मोटर मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ नहीं हुआ है :–

1. चखुलियाखाल–ताड़केश्वर मोटर मार्ग।

2. स्योलीखान्द–चौखम्भ सम्पर्क मार्ग।

3. किल्बोखाल–खाल्यूडाण्डा मोटर मार्ग।

1. चखुयलियाखाल–ताड़केश्वर मोटर मार्ग :

उक्त मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, उपजिलाधिकारी, लैन्सडौन तथा सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लैन्सडौन द्वारा दिनांक 28–04–2010 को किया गया, जिसमें कतिपय कमियां इंगित की गई हैं, जिनका निराकरण किया जा रहा है।

2. स्योलीखान्द–चौखम्भ सम्पर्क मार्ग :

उक्त मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण सर्वप्रथम दिनांक 20–08–2009 को उपजिलाधिकारी, लैन्सडाउन, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार एवं सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लैन्सडौन द्वारा किया गया, जिसमें कतिपय कमियां पायी गई थी। दिनांक 01–03–2011 को उक्त मार्ग का निरीक्षण, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार के द्वारा किया गया, जिसमे कि मार्ग भारी वाहन संचालन हेतु उपयुक्त पाया गया।

3. किल्बोखाल–खाल्यूडाण्डा मोटर मार्ग :

उक्त मार्ग का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 19–05–2011 को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार एवं सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लैन्सडौन के द्वारा संचालन हेतु उपयुक्त पाया गया।

उक्त 03 मार्गों को परमिटों पर पृष्ठांकन किये जाने हेतु मामला सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण गढ़वाल सम्भाग, पौड़ी की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा तथा प्राधिकरण के निर्णयानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जानी सम्भव हो सकेगी।

कोई नहीं।

9. द्वितीय सोमवार के अता0 40 मे स्थाना0।

राज्य में सरकार द्वारा ठेकेदारों से प्राप्त व्यापार कर का ब्योरा तिमाही से एक वर्ष किये जाने पर विचार

*10. श्री दिनेश धनै–

क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य मे सरकार द्वारा ठेकेदारों से व्यापार कर का ब्योरा, जो प्रत्येक तिमाही में लिया जाता रहा है, को एक वर्ष मे जमा करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–2 की उपधारा 11(ड) के अन्तर्गत संविदाकारों को भी व्यौहारी (डीलर) की श्रेणी के अन्तर्गत रखा गया है तथा मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के नियम–11 के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत व्यौहारी (डीलर) को त्रैमासिक रूप से सावधिक विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

जनपद हरिद्वार के लक्सर में बस अड्डा बनाये जाने पर विचार

***11. श्री संजय गुप्ता–**

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के लक्सर नगर के तहसील मुख्यालय रेलवे जंक्शन व औद्योगिक क्षेत्र मे बस अड्डा नही है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त स्थानो पर बस अड्डा बनाये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी हाँ।

जी नही।

प्रश्न नही उठता।

लक्सर नगर म निगम की केवल स्थानीय बस सेवायें ही संचालित है तथा केवल एक बस लक्सर होकर दिल्ली तक जाती है। लक्सर मे बस अड्डे का निर्माण व्यवहार्य एवं लाभदायक नही है।

जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता वि0स0 क्षेत्र में खेल स्टेडियम का निर्माण

***12. श्री प्रेम सिंह राणा–**

क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर के 69 नानकमत्ता

विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सरकार खेल स्टेडियम बनाये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश के एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक अस्पतालों में फार्मासिस्टों की नियुक्ति के सम्बन्ध में

*13. **श्रीमती विजय बड़थ्वाल–**

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक अस्पतालों में फार्मासिस्ट की कमी है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा फार्मासिस्टों की नियुक्ति कब तक की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

प्रदेश के एलोपैथिक चिकित्सालयों में फार्मासिस्टों के 771 पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष 725 फार्मासिस्ट कार्यरत एवं 46 पद रिक्त हैं एवं उपकेन्द्रों में 536 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 532 कार्यरत हैं।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के अन्तर्गत आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 582 पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष 575 फार्मासिस्ट कार्यरत एवं 07 पद रिक्त हैं।

वर्तमान में रिक्त पदों को भरे जाने हेतु नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, यथाशीघ्र नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों का जिलेवार विवरण व सभी अस्पतालों में डॉक्टर नियुक्त करने पर विचार

*14. **श्रीमती विजय बड़थ्वाल–**

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जिलेवार कुल कितने डॉक्टर तैनात हैं और कितने पद रिक्त हैं ?

क्या सरकार सभी सरकारी अस्पतालों मे डॉक्टर नियुक्त करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

प्रदेश मे राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में जनपदवार चिकित्सकों की तैनाती का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	जनपद	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	पौड़ी गढ़वाल	298	143	155
2.	रूद्रप्रयाग	93	37	56
3.	उत्तरकाशी	110	45	65
4.	चमोली	149	48	101
5.	देहरादून	348	257	91
6.	टिहरी	182	74	108
7.	हरिद्वार	177	104	73
8.	पिथौरागढ़	159	62	97
9.	बागेश्वर	80	39	41
10.	चम्पावत	90	33	57
11.	अल्मोड़ा	274	117	157
12.	ऊधमसिंह नगर	168	117	51
13.	नैनीताल	294	164	130
	योग..	2422	1240	1182

जी हॉ।

मानको के अनुरूप चिकित्सकों की नियुक्ति, संविदा/लोक सेवा आयोग के माध्यम से उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

प्रश्न नही उठता।

जनपद बागेश्वर अन्तर्गत कपकोट व कांडा स्थित सामु0 स्वा0 केन्द्र में महिला चिकित्सक की नियुक्ति

15. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या स्वास्थ्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कपकोट व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कांडा मे महिला चिकित्सक नियुक्त हैं ?

यदि हाँ, तो कब से ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

सा0स्वा0के0, कपकोट में महिला चिकित्साधिकारी की नियुक्ति वर्ष, 2010 में की गई थी, जो सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त अनुपस्थित है एवं प्रा0स्वा0के0, कांडा, बागेश्वर में नियुक्त महिला चिकित्साधिकारी द्वारा वर्तमान तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के कपकोट सामु0 स्वा0 केन्द्र में चिकित्सकों हेतु आवासीय भवन निर्माण की योजना

16. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कपकोट में चिकित्सकों के आवासीय भवन हेतु योजना स्वीकृत है ?

यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

मूल योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के निर्माण की स्थिति निम्नवत् है :–

श्रेणी–1 के दो आवास भूतल पूर्ण एवं दिनांक 22–05–2008 को हस्तान्तरित,

श्रेणी–4 के दो आवास (एक आवास लिन्टल स्तर तक पूर्ण), अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत यमकेश्वर के बस संचालित मार्ग

17. श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के किन–किन मोटर मार्गों पर परिवहन निगम की बसें संचालित की जा रही हैं ?

क्या सरकार सिलोगी से ऋषिकेश–दिल्ली, कांडी से दुगड्डा कोटद्वार दिल्ली, देगीखेत, कांडाखाल, कोटद्वार, भगांसी, पौखल, देहरादून आदि मोटर मार्गों पर बस सेवा प्रारम्भ करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

वर्तमान में जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के मोटर मार्गों में परिवहन निगम की कोटद्वार–जमेली मार्ग पर एक शटल सेवा संचालित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में ऋषिकेश–दिल्ली, दुगड्डा–कोटद्वार–दिल्ली, कोटद्वार–देहरादून मोटर मार्गों पर बस सेवा संचालित हो रही है।

सिलोगी से ऋषिकेश, कांडी से दुगड्डा, देगीखेत, काण्डाखाल, कोटद्वार–भगासी, पौखाल मार्गों पर बस संचालन नहीं हो रहा है, क्योंकि इन मार्गों पर निजी जीप/टैक्सी का अधिक संख्या में संचालन हो रहा है। जिससे परिवहन निगम द्वारा बस संचालन किये जाने पर अधिक आर्थिक हानि होगी। वर्तमान में परिवहन निगम के बस बेड़े में छोटी बसें सीमित संख्या में हैं जो विभिन्न पर्वतीय मार्गों पर संचालित हो रही हैं।

अन्य छोटी बसें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने के कारण वांछित पर्वतीय मार्गों पर बस संचालन किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद पिथौरागढ़ स्थित ए0एन0एम0 ट्रेनिंग सेन्टर बढालू में ए0एन0एम0 को प्रशिक्षण न दिये जाने के कारण

18. **श्री बिशन सिंह चुफाल–**

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के ए0एन0एम0 ट्रेनिंग सेन्टर बढालू में ए0एन0एम0 को प्रशिक्षण न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार ट्रेनिंग सेन्टर में प्रशिक्षण दिलाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

ए0एन0एम0 सेन्टर बढालू जिला मुख्यालय से 17 कि0मी0 दूर है, प्रशिक्षण केन्द्र में मानकानुसार स्टॉफ न होने, उचित आवागमन के साधन के

अभाव एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों की सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से प्रशिक्षण केन्द्र बड़ालू में चालू नहीं हो पाया है।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत देवायल प्राथमिक स्वा0 केन्द्र का उच्चीकरण

18. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जिले के साल्ट विधान सभा में देवायल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में किया गया है और उसका भवन निर्माण का कार्य भी हो चुका है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार स्वास्थ्य केन्द्र मानकों के अनुरूप जनता को लाभ देने का तत् सम्बन्धित विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जनपद अल्मोड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उच्चीकृत करने हेतु मुख्य भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किन्तु सेनेटरी फिटींग एवं विद्युत वायरिंग का कार्य प्रगति पर है।

भवन पूर्ण होने के उपरान्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु पदों के सृजन के उपरान्त यथावश्यक चिकित्सा सुविधायें प्रदान की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में संचालित ब्लड बैंकों की संख्या व स्टाफ हेतु नीति

20. श्री मदन कौशिक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं के दृष्टिगत सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में कुल कितने ब्लड बैंक संचालित किये जा रहे है ?

क्या सरकार द्वारा उक्त ब्लड बैंको में 24 घंटे जरूरी स्टाफ की शत–प्रतिशत हेतु कोई नीति बनाई गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में कुल 26 लाईसेन्सीकृत ब्लड बैंक संचालित किये जा रहे हैं, जिनमे से राज्य सरकार द्वारा 17, केन्द्र सरकार द्वारा 04 तथा निजी क्षेत्र द्वारा 05 ब्लड बैंक संचालित किये जा रहे हैं।

ब्लड बैंकों में मानकों के अनुरूप स्टॉफ की तैनाती की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के चिकित्सालयों में एक्स रे, अल्ट्रासाउण्ड, सी0टी0 स्कैन, एम0आर0आई0 की सुविधा व मानक तथा कार्यरत रेडियोलॉजिस्टों की संख्या

21. श्री मदन कौशिक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने चिकित्सालयो में एक्स–रे, अल्ट्रासाउन्ड, सी0टी0 स्कैन, एम0आर0आई0 की सुविधायें उपलब्ध हैं व इनके मानक क्या है ?

तथा कितने विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट कार्यरत है ?

क्या सरकार द्वारा जनता को एक्स–रे, अल्ट्रासाउन्ड, सी0टी0 स्कैन, एम0आर0आई0 सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई नीति बनायी गयी है ?

यदि हॉ, तो क्या ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

प्रदेश के 83 चिकित्सालयो मे एक्स–रे, 46 चिकित्सालयों मे अल्ट्रा साउण्ड, 04 चिकित्सालयो मे सी0टी0 स्कैन व 01 चिकित्सालय मे एम0आर0आई0 की सुविधा उपलब्ध है।

वर्तमान मे राज्य मे 30 रेडियोलॉजिस्ट कार्यरत है।

जी नही।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा संचालित बस अड्डे व साज सज्जा/साफ सफाई/प्रतिक्षालय हेतु नीति

22. श्री मदन कौशिक–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश मे परिवहन विभाग द्वारा कितने बस अड्डे संचालित किये गये हैं ?

क्या सरकार द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु प्रत्येक बस अड्डे पर साज-सज्जा/साफ-सफाई/प्रतिक्षालय इत्यादि हेतु कोई नीति बनायी गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा प्रदेश में 18 डिपो के माध्यम से निगम बसों का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बाजपुर तथा किच्छा में नगरपालिका द्वारा निर्मित बस अड्डों का संचालन तथा ऋषिकेश में चार धाम यात्रा ट्रांजिट कम्पाउण्ड से बस अड्डे का संचालन किया जा रहा है।

जी हाँ।

निगम के बस स्टेशन पर साज-सज्जा/साफ-सफाई/प्रतिक्षालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है, जिसके अन्तर्गत यात्रियों हेतु बेन्च, प्रसाधन, पंखा, पेयजल, प्रकाश आदि की समुचित व्यवस्था रहती है।

प्रश्न नही उठता।

प्रदेश में जनपदवार चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के सृजित एवं रिक्त पद

20. **श्री मदन कौशिक–**

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जनपदवार चिकित्सालयों में कितने विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद सृजित हैं तथा सृजित पदों के सापेक्ष कितने चिकित्सक कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ?

क्या सरकार रिक्त पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

प्रदेश के चिकित्सालयों में जनपदवार विशेषज्ञ चिकित्सकों के सृजित/कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0 स0	जनपद	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5
1.	पौड़ी गढ़वाल	126	31	95
2.	रूद्रप्रयाग	34	07	27

1	2	3	4	5
3.	उत्तरकाशी	45	06	39
4.	चमोली	76	11	65
5.	देहरादून	204	105	99
6.	टिहरी	70	14	56
7.	हरिद्वार	99	26	73
8.	पिथौरागढ़	62	13	49
9.	बागेश्वर	29	09	20
10.	चम्पावत	47	11	36
11.	अल्मोड़ा	131	28	103
12.	ऊधमसिंह नगर	80	44	36
13.	नैनीताल	171	55	116
	योग	1174	360	814

जी हाँ।

मानकों के अनुरूप चिकित्सकों की नियुक्ति, संविदा/लोक सेवा आयोग के माध्यम से उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में बी0पी0एल0 परिवारों एवं अनु0 जाति/जनजाति वर्ग हेतु योजनाएं

24. श्री मदन कौशिक–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में बी0पी0एल0 परिवारों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को विवाह, पारिवारिक लाभ, बीमारी हेतु कोई सहायता दी जा रही है ?

यदि हाँ, तो उक्त योजनायें क्या हैं ?

क्या मंत्री जी वर्ष 2011–12 में मदवार वितरित की गई धनराशि का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी हाँ।

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 2011 तक ₹ 10,000/–(रुपये दस हजार मात्र) की एकमुश्त धनराशि दिये जाने का प्राविधान था, जिसे बढ़ाकर शासनादेश संख्या–1030/XVII–1/2011–01(98)2011, दिनांक 12–12–2011 द्वारा ₹ 15,000/– (रुपये पन्द्रह हजार मात्र) वार्षिक आय सीमा तक वाले

अथवा बी0पी0एल0 परिवारों की अधिकतम 02 पुत्रियों के विवाह हेतु शासकीय अनुदान के रूप में ₹ 20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र) कर दिया गया है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों/परिजनों के इलाज हेतु ₹ 2,000/- (रुपये दो हजार मात्र) की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है।

2. पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में धनराशि ₹ 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। जिसे भारत सरकार द्वारा दिनांक 16.10.2012 से बढ़ाकर ₹ 20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र) कर दी गयी है।

(धनराशि लाख रुपये में)

योजना का नाम	वितरित धनराशि	लाभार्थियों की संख्या
1. अनुसूचित जाति की पुत्रियों की शादी हेतु	316.70	3167
2. अनुसूचित जाति के परिजनों के बीमारी के इलाज हेतु	29.63	1483
3. अनुसूचित जनजाति की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान	30.08	301
4. अनुसूचित जनजाति के परिजनो के बीमारी के इलाज हेतु	01.98	99
5. पारिवारिक लाभ योजना	190.90	1909

प्रदेश में यात्रियों की सुविधा हेतु बस स्टाप पर यात्री शेड बनाने पर विचार

25. **श्री मदन कौशिक–**

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों की सुविधाओं हेतु प्रत्येक स्टॉप पर यात्री शेड बनाने हेतु नीति बनायी गयी है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यात्री शेड का निर्माण स्थानीय निकाय/प्रशासन/प्राधिकरण द्वारा कराया जाता है।

प्रदेश सरकार द्वारा बंगाली समुदाय नमः शुद्र, पौंड, पौण्ड्र, माझी आदि को अनु0 जाति का दर्जा दिये जाने पर विचार

20. श्री मदन कौशिक–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा बंगाली समुदाय नमः शुद्र, पौंड, पौण्ड्र, माझी आदि अनुसूचित जाति का दर्जा दिये जाने हेतु कोई योजना बनायी गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या तथा उसका परिणाम क्या रहा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी हाँ।

मा0 विधान सभा, उत्तराखण्ड में दिनांक 27 फरवरी, 2009 को सम्पन्न अधिवेशन में शासकीय संकल्प पारित किया गया। उक्त पारित संकल्प के क्रम में प्रस्ताव भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को प्रेषित किया गया है। जिस पर भारत सरकार के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी अन्तर्गत थौलधार को ओ0बी0सी0 समुदाय में सम्मिलित करने पर विचार

27. श्री महावीर सिंह रांगड़–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत धनौल्टी विधान सभा क्षेत्र का जौनपुर विकास खण्ड ओ0बी0सी0 समुदाय में सम्मिलित है, जबकि थौलधार विकास खण्ड को ओ0बी0सी0 समुदाय में सम्मिलित नहीं किया गया है ?

क्या सरकार धनौल्टी विधान सभा क्षेत्र के थौलधार विकास खण्ड को भी ओ0बी0सी0 समुदाय में सम्मिलित करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

भाषाशैली, संस्कृति, रीति–रिवाज, धार्मिक आस्थाओं तथा आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर के आधार पर समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 270/स0क0/2004–376(स0क0)/2003, दिनांक 31 जनवरी, 2004 के माध्यम से जनपद उत्तरकाशी एवं जनपद टिहरी में निवासरत रवांल्टा/जौनपुरी समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया गया है, जिसमें सकलाना पट्टी को छोड़ते हुए जौनपुर विकासखण्ड के शेषभाग में निवासरत जौनपुरी समुदाय सम्मिलित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार के पत्रांक–एन0सी0बी0सी0/आर0डब्लू/33/विविध–2005 (उत्तरांचल), दिनांक 01 दिसम्बर, 2006 के प्रतिबन्धों के आधार पर क्षेत्र विशेष को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद टिहरी अन्तर्गत थौलधार में सी0एच0सी0 व पी0एच0सी0 में डॉक्टरों की तैनाती

28. श्री महावीर सिंह रांगड़–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड जौनपुर व विकासखण्ड थौलधार में जितने भी सी0एच0सी0 व पी0एच0सी0 है, उनमें क्या मानक के अनुसार डॉक्टर उपलब्ध है ?

यदि नहीं, तो कब तक अस्पतालों में डॉक्टर की तैनाती की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी नहीं।

मानको के अनुरूप चिकित्सको की तैनाती, संविदा/लोक सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सकों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत बीरोंखाल में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय के निर्माण में विलम्ब के कारण

29. श्री तीरथ सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत वेदीखाल नामक स्थान पर राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ?

यदि नहीं, तो इसके विलम्ब के क्या कारण है ?

क्या यह सत्य है कि पैदीख्याल के आस–पास कोई भी चिकित्सालय न होने के कारण जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है ?

यदि हॉ, तो कब तक उक्त एलोपैथिक चिकित्सालय से जनता को लाभ मिल पायेगा ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

राजकीय चिकित्सालय, पैदीख्याल का मुख्य भवन एवं टाईप–2 आवास, दिनांक 01.10.12 को विभाग को हस्तगत हो गये है। शेष आवासीय भवन शीघ्र पूर्ण कर लिये जायेंगे।

उपरोक्तानुसार।

वर्तमान में क्षेत्रीय जनता नवनिर्मित चिकित्सालय से चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत बीरोंखाल में स्थापित स्वा0 केन्द्रों की संख्या एवं भरोलीखाल में प्राथ0 स्वा0 केन्द्र खोलने पर विचार

29. श्री तीरथ सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौडी गढवाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है ?

क्या मंत्री जी के संज्ञान मे है कि भरोलीखाल तथा आस–पास के कई गॉवों के निवासियों को चिकित्सा सुविधाओं के लिये लगभग 41 कि0मी0 की दूरी पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बीरोंखाल पर निर्भर रहना पडता है ?

यदि हॉ, तो क्या सरकार जनहित मे भरोलीखाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर विचार करेगी ?

यदि हॉ, तो कब तक ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जनपद पौडी गढवाल के विकास खण्ड, बीरोंखाल के अन्तर्गत एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं आठ राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय स्थापित है।

यद्यपि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बीरोंखाल, भरोलीखाल से 41 कि0मी0 की दूरी पर है किन्तु भरोलीखाल में मातृ–शिशु कल्याण केन्द्र स्थापित है तथा

निकटतम राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय, मैदीखाल 7 कि0मी0 की दूरी पर है, जहाँ से भरोलीखाल की जनता चिकित्सा सुविधा प्राप्त करती है।

जनसंख्या मानक पूर्ण न होने के कारण भरोलीखाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागेश्वर के बनलेख में मुख्यमंत्री द्वारा पी0एच0सी0 स्वीकृति की घोषणा का क्रियान्वयन

31. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत है कि जनपद बागेश्वर के बनलेख में पी0एच0सी0 स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा सं0 618/2012, दिनांक 07 जून, 2012 को की गई है ?

यदि हाँ, तो घोषणा पर क्रियान्वयन कब तक किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

बनलेख में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पूर्व से स्थापित एवं क्रियाशील है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के सामु0 स्वा0 केन्द्र, कपकोट व कांडा में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा का क्रियान्वयन

32. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत है कि जनपद बागेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कपकोट व कांडा स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा संख्या–619/2012, दिनांक 07.06.2012 को की है ?

यदि हाँ, तो महिला चिकित्सको की नियुक्ति कब तक की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

रा०प्रा०स्वा०के०, कपकोट में महिला चिकित्साधिकारी की नियुक्ति वर्ष, 2010 में की गई थी, जो सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त अनुपस्थित है एवं प्रा०स्वा०के०, काण्डा, बागेश्वर में नियुक्त महिला चिकित्साधिकारी द्वारा वर्तमान तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। महिला चिकित्सकों की तैनाती, संविदा/लोक सेवा आयोग के माध्यम से उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड में कार्यरत डॉक्टरों को डी०ए०पी०सी० की सुविधा

33. श्री मयूख महर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में कार्यरत डॉक्टरों को अन्य प्रदेशों की अपेक्षा कम वेतन मिलता है ?

यदि हॉं, तो सरकार प्रदेश में डी०ए०सी०पी० कब तक लागू करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ में स्पोर्ट्स कॉलेज की स्वीकृति, स्थल चयन एवं धन आवंटन

34. श्री मयूख महर–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ हेतु स्पोर्ट्स कॉलेज की स्वीकृति हो चुकी है ?

यदि हॉं, तो क्या इसके लिये स्थल का चयन एवं धन का आवंटन किया जा चुका है ?

यदि हॉं, तो कहां पर कितना धन का आवंटन किया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी हॉं।

जनपद पिथौरागढ़ में स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना हेतु भूमि का चयन किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

उक्त स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना हेतु चयनित भूमि के हस्तान्तरण की प्रक्रिया गतिमान है। भूमि हस्तान्तरण के उपरान्त धनावंटन कार्यवाही की जायेगी।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम की साधारण बसों के किराये में भिन्नता को दूर करने हेतु नीति

35. श्री मदन कौशिक–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम की साधारण सेवा की बसों के किराये मे अन्तर/भिन्नता है ?

यदि हॉ, तो सरकार बसों के इस किराये मे अन्तर को दूर करने हेतु कोई नीति बना रही है ?

यदि हॉं, तो क्या ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी हॉं।

जी नही।

प्रश्न नही उठता।

पर्वतीय मार्गों पर संचालित होने वाली बसों पर मैदानी मार्गों के अपेक्षाकृत अधिक संचालन व्यय होता है। जिस कारण दोनो मार्गों पर समान किराया किया जाना सम्भव नही है।

जनपद बागेश्वर के कपकोट में मुख्यमंत्री द्वारा सामु0 स्वा0 केन्द्रों में चिकित्सकों के आवास की घोषणा एवं धन आवंटन

36. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के कपकोट मे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मे मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा स0–622/2012, दिनांक 07 जून, 2012 को चिकित्सकों के आवासो की घोषणा की गयी है ?

यदि हॉं, तो क्या आवासों हेतु धन आवंटित हो चुका है ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हॉं।

धनावंटन हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत करने की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा प्रशासनिक खर्चों में कटौती एवं योजनागत काम की पूर्ण सदुपयोग हेतु योजना।

37. श्री मदन कौशिक–

क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के प्रशासनिक खर्चों में कटौती एवं योजनागत का के पूर्ण सदुपयोग हेतु कोई योजना बनाई गई है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

प्रशासनिक खर्चों में कटौती एवं योजनागत काम का पूर्ण सदुपयोग करने हेतु विभिन्न व्यवस्थाएँ की गई हैं। बजट प्रस्ताव तैयार करते समय वास्तविक आवश्यकता तथा संसाधन की उपलब्धता के आधार पर बजट व्यवस्था की जाती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम अन्तर्गत राजस्व घाटे व राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण, अधिप्राप्ति नियमावली तथा व्यय वित्त समितियों की व्यवस्था अन्तर्गत लागत नियंत्रण, वार्षिक योजना व नियमित अनुश्रवण आधार पर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

38. केन्द्रीय विषय होने के आधार पर निरस्त

पिथौरागढ़ स्थित बेस हॉस्पिटल निर्माण में व्यय धनराशि एवं बेस हॉस्पिटल अन्यत्र बनाने हेतु स्थल का निर्धारण

39. श्री मयूख महर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि निर्माणाधीन बेस हॉस्पिटल, पिथौरागढ़ हेतु कितना धन स्वीकृत हुआ है और इसके सापेक्ष कितना धन खर्च हुआ है ?

क्या सरकार के पास वर्तमान स्थल के स्थान पर बेस हॉस्पिटल अन्यत्र बनाने का प्रस्ताव है ?

यदि हाँ, तो स्थल का निर्धारण कब तक किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

बेस हॉस्पिटल, पिथौरागढ़ की डी०पी०आर० तैयार करने हेतु ₹ 28.60 लाख एवं अनावासीय भवन के निर्माण हेतु ₹ 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है, जिसके सापेक्ष ₹ 72.30 लाख की धनराशि व्यय हुई है।

जी हाँ।

स्थल चयन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में स्थापित जिला चिकित्सालय, सामुदायिक व अतिरिक्त प्रा०प्र० स्वा० केन्द्रों की संख्या एवं चिकित्सकों के स्वीकृत व रिक्त पद

40. श्री मनोज तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन चिकित्सालयों मे चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत है तथा स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने चिकित्सक कार्यरत है तथा रिक्त पदों में कब तक चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

प्रदेश में 06 जिला महिला चिकित्सालय, 13 जिला चिकित्सालय, 59 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 40 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 214 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है।

उक्त चिकित्सालयों मे चिकित्सकों के 1518 पद स्वीकृत है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष 721 चिकित्सक कार्यरत है। मानकों के अनुरूप चिकित्सकों की तैनाती, संविदा/लोक सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सकों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

प्रदेश में फार्मासिस्टों की सेवा नियमावली बनाने के सम्बन्ध में

41. श्री मनोज तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के फार्मासिस्ट कर्मचारियों की सेवा नियमावली बना दी गई है ?

यदि हॉ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? तथा कब तक नियमावली बन जायेगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

उत्तराखण्ड राज्य मे उत्तर प्रदेश भेषजिक सेवा नियमावली, 1980 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) उत्तराखण्ड संशोधन नियमावली, 2006 प्रभावी है। उत्तराखण्ड राज्य हेतु नई भेषजिक नियमावली, 2012 वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में फार्मासिस्टों के सृजित पद व मानक

42. श्री मनोज तिवारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों मे फार्मासिस्ट कर्मचारियो के कुल कितने पद सृजित है तथा उनमें मानकानुसार कितने पदो की आवश्यकता होती है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि मानकानुसार फार्मासिस्टों के पद सृजित है ?

यदि नही, तो क्यो और कब तक सृजित पद भर लिये जायेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

प्रदेश के चिकित्सालयों में फार्मासिस्टों के 771 पद व उप केन्द्रो हेतु 536 पद सृजित है। मानकानुसार 100 रोगियो की ओ0पी0डी0 पर 01 फार्मासिस्ट तथा इन्डोर के लिये 50 बेड पर 01 फार्मासिस्ट की तैनाती का मानक है, जिसका परीक्षण वर्तमान में आवश्यकता के अनुरूप कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में एन0आर0एच0एम0 के तहत कार्यरत डॉक्टरों की संख्या व वेतन विसंगति दूर करने पर विचार

43. श्री मयूख महर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश मे एन0आर0एच0एम0 के तहत कितने डॉक्टर कार्यरत है तथा उक्त डॉक्टरों के सापेक्ष अन्य अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों को कितना वेतन कम मिलता है ?

क्या सरकार इस विसंगति को दूर करने पर विचार करेगी ?

यदि हॉ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यो ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

प्रदेश में एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत 264 आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी एवं 02 बाल रोग विशेषज्ञ कार्यरत हैं तथा उक्त डॉक्टरों के सापेक्ष अन्य अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों को कम वेतन नहीं मिलता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

गंगोलीहाट के पिछड़े क्षेत्र पांखों में मुख्यमंत्री द्वारा राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने की घोषणा के सम्बन्ध में

44. श्री नारायण राम आर्य–

क्या चिकित्सा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के पिछड़े क्षेत्र पांखों में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 06.06.2012 को की गयी थी ?

यदि हॉ, तो इस पर क्या प्रगति हो रही है तथा इसी वित्तीय वर्ष में चिकित्सालय की स्वीकृति हो जायेगी ? यदि हॉ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हॉ।

राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय (अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) की स्थापना का प्रकरण मानकों के परिप्रेक्ष्य मे विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

45. विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त

जनपद बागेश्वर में अनु0 जाति की कन्याओं को शादी एवं बीमारी में दी जाने वाली सहायता मद में विगत तीन वर्षों में आवंटित धनराशि

46. श्री चन्दन राम दास–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर में अनुसूचित जाति की कन्याओं को शादी व बीमारी में दी जाने वाली सहायता मद में कितनी धनराशि विगत 03 वर्षों में आवंटित की गयी ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 2012–13 में उक्त मद में सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित हुई है ?

क्या उक्त मद में धनराशि में किसी प्रकार की कटौती हुई है ? यदि हॉ, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

अनुसूचित जाति की कन्याओ की शादी/एक परिजन के बीमारी इलाज मद में जनपद बागेश्वर को विगत तीन वर्षों में निम्नानुसार धनराशि आवंटित हुई :–

वर्ष	आवंटित धनराशि लाख में
2009–10	50.00
2010–11	48.77
2011–12	34.53

वर्ष	आवंटित धनराशि लाख में
2012–13	40.30

वर्ष 2012–13 से पूर्व उक्त योजना जिला योजना के अन्तर्गत संचालित थी, किन्तु वर्ष 2012–13 से यह योजना राज्य सेक्टर के अन्तर्गत संचालित है वर्ष 2012–13 के पूर्व अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी मद में ₹ 10,000/– तथा बीमारी इलाज मद में ₹ 2,000/– दिया जाता था।

वर्ष 2012–13 में अनुसूचित जाति के व्यक्तियो की पुत्री की शादी मद में ₹ 20,000/– तथा बीमारी इलाज मद में ₹ 2,000/– दिया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रदेश में 35 वर्ष तक की अविवाहित असहाय महिलाओं की संख्या व देय पेंशन के सम्बन्ध में

47. श्री चन्दन राम दास–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में निराश्रित, परित्यक्त एवं निराश्रित अविवाहित 35 वर्ष आयु तक की महिलाओं की कुल संख्या कितनी है तथा उक्त पात्र महिलाओं को किसी प्रकार की पेंशन दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हॉं, तो कितनी धनराशि व कब से ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

प्रदेश मे 35 वर्ष तक आयु की निराश्रित परित्यक्त एवं निराश्रित महिलाओं की संख्या के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नही कराया गया है। वर्तमान मे 35 वर्ष की आयु से अधिक की पात्र महिलाओ को परित्यक्त विवाहित महिला, निराश्रित महिला एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं को ₹ 400/– प्रतिमाह भरण–पोषण अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

48. प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–63 में स्था0

जनपद देहरादून के ऋषिकेश बस डिपो को सरकारी भूमि पर बनाने की योजना

49. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत परिवहन निगम ऋषिकेश बस डिपो किराये की भूमि पर संचालित है ?

यदि हाँ, तो ऋषिकेश बस अड्डे/डिपो को सरकार भूमि पर बनाने की सरकार की कोई योजना है ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी नही। परिवहन निगम का ऋषिकेश बस डिपो दिनांक 13–07–2011 तक किराये की भूमि पर संचालित हो रहा था, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 13–07–2011 को खाली किया जा चुका है। वर्तमान में डिपो का संचालन अस्थाई रूप से चारधाम यात्रा बस ट्रांजिट कम्पाउण्ड से किया जा रहा है।

जी हाँ।

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र दिनांक 12–11–2012 द्वारा ऋषिकेश डिपो के बस स्टेशन/कार्यशाला की पुनः स्थापना हेतु 0.91 है0 भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु परिवहन निगम को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने की विधिवत स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। जिस पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नही उठता।

श्रीमती रीना कौशल धर्मसक्तू को स्नो स्केटिंग में साउथपोल विजयी होने पर राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किये जाने के सम्बन्ध में

50. श्री हरीश धामी–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्रीमती रीना कौशल धर्मसक्तू, जिन्होंने वर्ष 2009–10 में अटलांटिक मे 900 कि0मी0 स्नो स्केटिंग द्वारा साउथपोल विजय कर प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त किया, को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी नही।

यह साहसिक अभियान किसी खेल से सम्बन्धित नहीं है। खेल विभाग में ऐसी कोई योजना संचालित नहीं है, जिससे कि श्रीमती रीना कौशल धर्मसक्तू को उक्त उपलब्धि हेतु पुरस्कृत किया जा सके।

जनपद देहरादून अन्तर्गत सहस्त्रधारा से आगे ग्रामीण क्षेत्रों में बसों का संचालन

51. **श्री गणेश जोशी**–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के मसूरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत परिवहन विभाग द्वारा अनुबन्धित बसे आईएसबीटी/परेड ग्राउन्ड से सहस्त्रधारा तक संचालित हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार सहस्त्रधारा से आगे ग्रामीण क्षेत्रों सेरागांव, पट्टाली पटेरू, मझाड़ा, कार्लीगाड़, बगड़ा धोरन बसगाल गांव तक निर्मित पक्की सड़कों पर जन सुविधा हेतु बसें संचालित किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

वर्तमान में परिवहन निगम द्वारा उक्त मार्ग पर अनुबन्धित बसो का संचालन नहीं किया जा रहा है, परन्तु सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा 20 निजी वाहन स्वामियो को नगर बस सेवा संचालन हेतु परमिट निर्गत किये गये हैं। जिस वाहन संचालित हो रहे हैं।

सहस्त्रधारा से आगे ग्रामीण सेरागांव, पट्टाली पटेरू, मझाड़ा, कार्लीगाड़, बगड़ा, धोरन, बसगाल गांव तक सम्प्रति मार्ग सर्वेक्षण कराया जाना प्रस्तावित हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

हरिद्वार के ज्वालापुर में प्रा0स्वा0 केन्द्र में अपेक्षित सेवायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

52. **श्री आदेश चौहान**–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत है कि हरिद्वार के ज्वालापुर में चौक बाजार मे स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्थान पर करोडो रुपयों की लागत से 30 शैय्या युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उद्घाटन 08 नवम्बर, 2009 को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था किन्तु अभी तक भी उक्त केन्द्र पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अनुसार सुविधायें नहीं दी जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त केन्द्र में डॉक्टरों की तैनाती सहित अपेक्षित सेवायें कब तक दे दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ज्वालापुर का भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। चिकित्सालय को संचालित करने हेतु आवश्यक पदों का सृजन वित्तीय वर्ष 2012–13 की अनुपूरक मांग मे प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

53. माननीय सदस्य के उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण प्रश्न हटाया गया।

जनपद उत्तरकाशी में नौगांव, पुरोला व मोरी में बस स्टैण्ड निर्माण कार्य

54. श्री मालचन्द–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नौगांव, पुरोला, मोरी में यमुनोत्री धाम एवं हरकीदून, सरुताल व केदारकाठा यात्रा को दृष्टिगत रखते हुए सरकार उक्त तीनों स्थानों पर बस स्टैंड निर्माण करने पर विचार करेगी ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त स्थानो मे परिवहन निगम की मात्र 7 बस सेवायें ही संचालित हैं अतः बसों की सीमित संख्या के दृष्टिगत बस स्टेशन निर्माण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद उत्तरकाशी में नौगांव, पुरोला व मोरी में रोडवेज की नई बसें चलाये जाने पर विचार

55. श्री मालचन्द–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नौगाव, पुरोला, मोरी में रोडवेज की नई बसें चलाये जाने पर सरकार विचार करेगी ?

यदि हॉं, तो कहां–कहां और कब से ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में परिवहन निगम के बस बेडे मे पर्वतीय मार्ग की नई छोटी बसें सीमित संख्या मे हैं। जिससे जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नौगांव, पुरोला, मोरी मार्ग पर 07 बसे संचालित हैं, जिसमें 06 नई बसें तथा एक पुरानी बस संचालित है। वर्तमान मे निगम बस बेडे मे पर्वतीय मार्ग की नई छोटी बसें सीमित संख्या में है।

उपरोक्तानुसार।

उत्तराखण्ड में संविदा पर रखे जाने वाले चिकित्सकों की अधिकतम आयु सीमा

56. श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में संविदा पर रखे जाने वाले चिकित्सकों की अधिकतम आयु सीमा क्या है ?

क्या एलोपैथिक, होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने हेतु चिकित्सकों की अधिकतम आयु सीमा में भिन्नता है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

संविदा पर रखे जाने वाले एलोपैथिक/आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सकों की अधिकतम आयु सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

जी हाँ, मात्र होम्योपैथिक चिकित्सकों की संविदा पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून अन्तर्गत सरोना सा0स्वा0 केन्द्र में चिकित्सक एवं स्टाफ की तैनाती

57. श्री गणेश जोशी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत है कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरोना में चिकित्सक एवं स्टॉफ की तैनाती न होने पर मसूरी आने वाले पर्यटकों तथा आस–पास के क्षेत्रवासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरोना में चिकित्सक एवं स्टॉफ की तैनाती पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

मानकों के अनुरूप चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों की तैनाती, संविदा/लोक सेवा आयोग के माध्यम से उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

मसूरी स्थित सैंट मैरी एवं सिविल चिकित्सालय में तैनात चिकित्सकों एवं स्टॉफ का विवरण

58. श्री गणेश जोशी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत है कि जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मसूरी स्थित सेंट मैरी चिकित्सालय, कुलड़ी एवं सिविल चिकित्सालय लण्ढौर मे चिकित्सको की मानको के अनुरूप तैनाती नहीं है ?

क्या यह सत्य है कि सेंट मैरी चिकित्सालय में चिकित्सको के 13 एवं कर्मचारियों के 35 पद तथा सिविल चिकित्सालय, लण्ढौर में चिकित्सको के 09 एवं कर्मचारियों के 18 पद सृजित हैं किन्तु वर्तमान में सेंट मैरी चिकित्सालय में 03 चिकित्सक तथा सिविल चिकित्सालय, लण्ढौर में मात्र 04 चिकित्सक ही तैनात है ?

यदि हॉ, तो क्या सरकार सेंट मैरी चिकित्सालय एवं सिविल चिकित्सालय, लण्ढौर में मानकों के अनुरूप चिकित्सक एवं स्टॉफ की तैनाती करने पर विचार करेगी ?

यदि हॉ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हॉ।

जी नही। चिकित्सालयों मे चिकित्सक/कर्मचारियों की उपलब्धता का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	चिकित्सालय का नाम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत
1.	सेंट मैरी चिकित्सालय	चिकित्सक	13	08
		कर्मचारी	28	23
2.	सामुदायिक चिकित्सालय, लण्ढौर	चिकित्सक	09	07
		कर्मचारी	20	16

मानको के अनुरूप चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों की तैनाती, संविदा/लोक सेवा आयोग/प्राविधिक शिक्षा परिषद् से उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

59. द्वितीय सोमवार के अता0 66 में स्था0।

जनपद ऊधमसिंह नगर के वि0स0 क्षेत्र खटीमा में स्वा0 केन्द्र की निर्माण कार्य पूरा होने के सम्बन्ध में

60. श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में निर्माणाधीन स्वास्थ्य केन्द्र का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर यथाशीघ्र पूर्ण किया जायेगा।

समाज कल्याण विभाग में अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर पदोन्नतियों के सम्बन्ध में

61. हाजी सरवत करीम असारी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि समाज कल्याण विभाग में अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर कुछ माह पूर्व जो पदोन्नति की गयी है, यह ज्येष्ठता सूची के आधार पर न होकर त्रुटिपूर्ण ढंग से कर दी गयी है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त पदोन्नति में ज्येष्ठता सूची के आधार पर परिवर्तन किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी नहीं। समाज कल्याण विभाग में अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर पदोन्नतियां नहीं की गयी है।

अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी का पद नवसृजित होने के कारण पदों पर पदोन्नति हेतु सेवा नियमावली प्रख्यापित किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है सेवा नियमावली निर्गत होने के उपरान्त अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी के पदा पर नियमानुसार पदोन्नति की जाएगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के मंगलौर में स्वा0 केन्द्र का विस्तार करने पर विचार

62. हाजी सरवत करीम असारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के मंगलौर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगरपालिका मंगलौर के स्वास्थ्य केन्द्र का विस्तार करने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरिद्वार के मंगलौर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगरपालिका मंगलौर में 10 शैय्याओं का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील है। शैय्या उपयोगिता दर कम होने के कारण विस्तार का औचित्य नहीं है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में चिकित्सक एवं फार्मासिस्टविहीन चिकित्सालयों की संख्या

63. श्री दलीप सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसे कौन–कौन से एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक, चिकित्सालय है, जिसमें चिकित्सकों एवं फार्मासिस्टों की तैनाती नहीं है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सकों तथा फार्मासिस्टों की तैनाती करने/करवाने की दिशा में अब तक की गयी कार्यवाही के परिणाम क्या है तथा कब तक उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं फार्मासिस्टों की नियुक्ति/तैनाती की जायगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा लैन्सडौन क्षेत्र के अन्तर्गत एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्सक एवं फार्मासिस्ट की उपलब्धता निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	चिकित्सालय का नाम	चिकित्सकों की उपलब्धता	फार्मासिस्ट की उपलब्धता
1.	सामु0स्वा0के0, नैनीडांडा	रिक्त	रिक्त
2.	रा0एलो0चिकि0, दिगोलीखाल	रिक्त	रिक्त
3.	रा0एलो0चिकि0, गौलीखाल	उपलब्ध	रिक्त
4.	अति0प्रा0स्वा0के0, घुमाकोट	उपलब्ध	रिक्त
5.	रा0एलो0चिकि0, हल्दूखाल	रिक्त	रिक्त
6.	रा0एलो0चिकि0, अदालीखाल	रिक्त	उपलब्ध
7.	प्रा0स्वा0के0, रिखणीखाल	रिक्त	रिक्त
8.	ग्रामीण म0चि0, रिखणीखाल	रिक्त	रिक्त
9.	रा0एलो0चिकि0, द्वारी	रिक्त	रिक्त

10.	रा0एला0चिकि0, सिमलसैंण	उपलब्ध	रिक्त
11.	रा0एलो0चिकि0, मज्यिारगांव	रिक्त	रिक्त
12.	अति0प्रा0स्वा0के0, किल्बोख्याल	रिक्त	रिक्त
13.	प्रा0स्वा0के0, जयहरीख्याल	रिक्त	उपलब्ध
14.	रा0एलो0चिकि0, काण्डाख्याल	रिक्त	रिक्त
15.	अति0प्रा0स्वा0के0, दुधारख्याल	रिक्त	रिक्त
16.	ग्रामीण म0चि0, दुधारख्याल	रिक्त	रिक्त
17.	रा0एलो0चिकि0, असनखेत	रिक्त	उपलब्ध
18.	रा0एलो0चिकि0, रौंजीख्याल	रिक्त	उपलब्ध
19.	रा0आयु0चिकि0, पीपलचौड	उपलब्ध	रिक्त
20.	रा0आयु0चिकि0, अग्निसैंण	उपलब्ध	रिक्त

विधान सभा लैंसडोन क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य सभी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्सक एवं फार्मासिस्ट उपलब्ध है।

मानको के अनुरूप विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियो के 583 पदो के सापेक्ष भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग को प्रेषित अधियाचन के सापेक्ष मात्र 67 विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हुए है तथा इनमें से भी मात्र 34 चिकित्सकों द्वारा ही योगदान दिया गया है फार्मासिस्ट के रिक्त पदो की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है।

राज्य में किसानों को गन्ने का बकाया भुगतान अविलम्ब करने के सम्बन्ध में

64. हाजी सरवत करीम असारी—

क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में किसानो के गन्ने का बकाया भुगतान अवशेष है ?

यदि हॉ, तो कब से ?

क्या सरकार किसानों के लम्बित गन्ने का भुगतान अविलम्ब किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हॉ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

जी हॉ।

राज्य में गन्ना किसानो के गन्ने का भुगतान अद्यावधिक अवशेष है।

राज्य की समस्त सहकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की तीन चीनी मिलों क्रमशः लक्सर, इकबालपुर एवं लिब्बरहेड़ी द्वारा विगत पेराई सत्र, 2011—12 के सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। राज्य की निजी क्षेत्र की एक चीनी मिल काशीपुर पर वर्तमान में विगत पेराई सत्र, 2011—12 का ₹ 2374.36 लाख बकाया है। उक्त के अतिरिक्त निजी क्षेत्र की चीनी मिल काशीपुर पर पेराई सत्र 2007—08 का ₹ 117.94 लाख अवशेष है।

गन्ना किसानों की बकाया धनराशि के भुगतान हेतु सम्यक् प्रयास किये जा रहे हैं।

गन्ना किसानों की बकाया गन्ना मूल्य की धनराशि चीनी मिल द्वारा भुगतान न करने के कारण चीनी मिल काशीपुर के विरूद्ध पेराई सत्र, 2007–08 एवं सत्र 2011–12 के अवशेष गन्ना मूल्य की धनराशि के विरूद्ध वसूली प्रमाण–पत्र, दिनांक 12 अगस्त, 2012 को निर्गत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

लक्सर से वाया हरिद्वार, देहरादून के लिए सीधी रोडवेज बस संचालन करने पर विचार

65. हाजी सरवत करीम अंसारी–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार लक्सर से वाया हरिद्वार, देहरादून के लिए उत्तराखण्ड परिवहन की सीधी रोडवेज बस संचालन करने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी नहीं।

वर्तमान में लक्सर से देहरादून वाया हरिद्वार 02 सीधी बस सेवाएं संचालित हैं। इसके अतिरिक्त लक्सर–हरिद्वार मार्ग पर भी 10 बस सेवाएं संचालित हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार में गुरूकुल नारसन में परिवहन बस स्टॉप बनाने पर विचार

66. हाजी सरवत करीम अंसारी–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के मंगलौर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गुरूकुल नारसन में परिवहन का बस स्टॉप बनाने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी नहीं।

जनपद हरिद्वार के मंगलौर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गुरूकुल नारसन में उत्तराखण्ड परिवहन निगम का फेयर बा स्टॉप पूर्व से है तथा वहां पर यात्रियों को बसों की जानकारी देने एवं उपलब्ध यात्रियों को निगम बसों में बैठाने हेतु एक कर्मचारी तैनात है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र की कट ऑफ डेट एवं उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश को लागू करने पर विचार

67. हाजी सरवत करीम अंसारी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे किप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण–पत्र की कट ऑफ डेट क्या है ?

क्या राज्य सरकार उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश को लागू करने पर विचार कर रही है ?

यदि हॉं, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

वर्तमान मे अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जारि प्रमाण–पत्र की कोई कट ऑफ डेट नहीं है।

कट ऑफ डेट के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय क आदेश दिनाक 17 अगस्त, 2012 द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन के सम्बन्ध में शासन द्वारा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विस्तृत एवं विधिक परीक्षण किया जा रहा है। जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में नीति–निर्धारण हेतु मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में मा0 मंत्रिमण्डल की उपसमिति गठित है, जिसकी संस्तुति के आधार पर प्रदेश में जारि प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे मत स्थिर किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद देहरादून के वि0स0 क्षेत्र मसूरी के अनारवाला नयागांव आदि क्षेत्रों में टाटामैजिक संचालित करने पर विचार

68. श्री गणेश जोशी–

क्या परिवहन मंत्री अवगत है कि जनपद देहरादून के मसूरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अनारवाला–नया गांव–हाथीबड़कला–परेड ग्राउण्ड–ई0सी0 रोड–आई0एस0बी0टी0 के लिए परिवहन विभाग द्वारा टाटामैजिक संचालित किये जाने हेतु सर्वे कराया गया ?

यदि हॉं, तो क्या सरकार उपरोक्त मार्ग पर टाटामैजिक संचालित करने पर विचार करेगी ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

वर्ष 2012 13 हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट एवं ट्राइबल कम्पोनेन्ट में धनराशि की व्यवस्था एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण

69. श्री नारायण राम आर्य–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2012–13 हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट एवं ट्राइबल कम्पोनेन्ट में कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ?

तथा इसमें से अब तक कितनी योजनाओं के लिए धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSP) हेतु कुल ₹ 79450.26 लाख तथा जनजाति उपयोजना मद (TSP) हेतु कुल ₹ 22985.16 लाख की धनराशि की बजट व्यवस्था विभिन्न विभागों के अन्तर्गत की गयी है।

प्राविधानित बजट के सापेक्ष माह अक्टूबर, 2012 तक विभागों द्वारा उनके अधीन संचालित योजनाओं के लिए अवमुक्त धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	मद का नाम	बजट प्राविधान	अवमुक्त धनराशि
1.	एस0सी0एस0पी0	79450.26	38484.66
2.	टी0एस0पी0	22985.16	12270.70

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड में परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन लागू करने पर विचार

70. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक पेंशन लागू की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

राज्य में परित्यक्त विवाहित महिला, निराश्रित महिला, मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण–पोषण अनुदान योजना लागू है।

परित्यक्त विवाहित महिला, निराश्रित महिला, मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण–पोषण योजना दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से लागू है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद देहरादून अन्तर्गत मसूरी में अवस्थित मिलाडू खेल मैदान को राजकीय स्टेडियम बनाये जाने पर विचार

71. श्री गणेश जोशी–

क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत मसूरी मे अवस्थित मिलाडू खेल मैदान को राजकीय स्टेडियम बनाये जाने का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ?

यदि हॉं, तो क्या सरकार उपरोक्त प्रस्ताव को अमल मे लाने पर विचार करेगी ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी हॉं।

जी हॉं।

नगरपालिका, मसूरी द्वारा उक्त चिन्हित खेल मैदान की भूमि खेल विभाग को हस्तान्तरित करने तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार उक्त प्रस्ताव पर यथासम्भव विचार किया जायेगा।

मसूरी से हरिद्वार, चण्डीगढ़, शिमला, दिल्ली आदि महत्वपूर्ण स्थलों के लिए वातानुकूल बसों के संचालन पर विचार

72. श्री गणेश जोशी–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि वर्तमान में पर्यटन नगरी मसूरी से मात्र देहरादून के आन–जाने के लिए ही सामान्य बसों का संचालन किया जा रहा है ?

यदि हॉं, तो क्या सरकार मसूरी से हरिद्वार, चण्डीगढ, शिमला, दिल्ली, जयपुर, आगरा, नैनीताल आदि महत्वपूर्ण स्थलों के लिएउ वातानुकूल बसो के संचालन पर विचार करे ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी नहीं।

देहरादून के अतिरिक्त वर्तमान में मसूरी से हरिद्वार, नैनीताल एवं दिल्ली साधारण बस सेवा प्रतिदिन संचालित है। मसूरी–दिल्ली मार्ग पर दो ए०सी० बस संचालित की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ में जिला चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय में 50 50 शय्याओं की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति

73. श्री मयूख महर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 604/2012, दिनांक 06.06.2012, पिथौरागढ़ में जिला चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय में 50–50 शय्याओं की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

क्या सरकार द्वारा उक्त अस्पतालों में 50–50 शय्याओं की सुविधा दी जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

भूमि चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

भूमि की उपलब्धता एवं राज्य के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के हरबर्टपुर में सामु0 स्वा0 केन्द्र भवन के निर्माण में हुई प्रगति

74. श्री नव प्रभात–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के हरबर्टपुर शहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हाँ, तो इस विषय में अभी तक क्या प्रगति की गई है ?

क्या सरकार इस स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत करते हुये भवन निर्माण पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

योजना के प्रथम चरण के प्रक्रियात्मक कार्यों हेतु ₹ 6.56 लाख के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। प्रक्रियात्मक कार्य यथा मृदा परीक्षण एवं डी0पी0आर0 के गठन का कार्य गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के हरबर्टपुर में क्रिश्चियन अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना पर विचार

75. श्री नव प्रभात–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के हरबर्टपुर क्रिश्चियन अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना का कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ?

यदि हाँ, तो इस विषय में अभी तक क्या प्रगति है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

हरबर्टपुर क्रिश्चियन अस्पताल द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून को उपकरणों की सहायता हेतु आवेदन के साथ ब्लड बैंक की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है। संस्था द्वारा 'औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम' के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर अभिलेखों सहित आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके कारण संस्था के प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नही है।

उपरोक्तानुसार।

वि0स0 क्षेत्र घनसाली में बस अड्डे के निर्माण करने पर विचार

76. श्री भीम लाल आर्य–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र घनसाली में बस अड्डा न होने के कारण स्थानीय जनता एवं तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों को आवागमन हेतु काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ?

क्या सरकार घनसाली में बस अड्डे का निर्माण कराने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी नहीं।

जी नही।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में परिवहन निगम के स्तर पर बस अड्डे के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है तथा उक्त स्थान से निगम की कुल 02 बस सेवायें सनसाली होकर गुजरती हैं।

नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री उमेश शर्मा काऊ, श्री दान सिंह भण्डारी, श्री राजकुमार, श्री ललित फर्स्वाण, श्री राजकुमार ठुकराल, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री मदन कौशिक, श्री नन्दन राम दास, श्री अजय टम्टा, श्री हरबंस कपूर, श्री गणेश जोशी, श्री चन्द्रशेखर, श्री तीरथ सिंह रावत, श्रीमती विजया बड़थ्वाल, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री प्रेम सिंह, श्री पुष्कर सिंह धामी तथा श्री सरवत करीम अंसारी की कुल 18 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री उमेश शर्मा काऊ, श्री राजकुमार, श्री ललित फर्स्वाण, श्री राजकुमार ठुकराल, श्री नन्दन राम दास, श्री हरबंस कपूर एवं डॉ0 प्रेम सिंह की सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ, शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

***श्री सरवत करीम अंसारी–**

माननीय अध्यक्ष जी, क्या हम स्वीकार ही नहीं होते हैं। (हँसी) क्या हम हमेशा अस्वीकार ही हो जायं ? (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, क्या यह प्रदेश बिना किसानों के चलेगा ? गन्ने से सम्बन्धित प्रश्न लगा था, वह भी आज चला गया। (व्यवधान)

श्री सरवत करीम अंसारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक शायरी कहना चाहता हूँ।

तू इधर–उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला लूटा क्यों।
मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी, रहबरी का सवाल है।

नगरनिगम देहरादून में कतिपय वार्डों की जनसंख्या की त्रुटियों को ठीक करने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

***श्री उमेश शर्मा (काऊ)–**

मान्यवर, नगर विकास विभाग के अधीन नगर निगम, देहरादून द्वारा वर्ष, 2007–08 के चुनाव के समय कतिपय वार्डों की जनसंख्या जो दर्शाई गई है, वर्ष 2011 की अन्तरिम जनसंख्या के अवलोकन के उपरान्त उसमें अनियमितताओं/

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विसंगतियॉं प्रकाश में आई है, जिसका विवरण संलग्न है। 1. 14 वार्डों में जनसंख्या घटाने का कारण क्या है। 2. 25 वार्डों में जनसंख्या 200 से 10000 तक बढ़ी है, इतनी अधिक जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है। यह उल्लेखनीय है कि नगरीय क्षेत्रों में जनगणना ब्लॉक पर आधारित होती है एवं वार्ड का परिसीमन भी इन्हीं ब्लॉक पर आधारित होता है तथा ब्लॉक विभाजित नहीं किया जाता। नगरनिगम अधिनियम, 1959 की धारा 32 (क) में निम्न व्यवस्था दी गई है—"किसी (नगरपालिका/नगर निगम क्षेत्र) की ऐसी रीति से, कि प्रत्येक कक्ष की जनसंख्या, जहां तक सम्भव हो सके, सम्पूर्ण नगरपालिका/नगर निगम क्षेत्र के समान है, कक्षों में विभाजित करेगी।" उपरोक्त अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत निम्न प्रश्न उत्पन्न हो गये है :—1. वर्ष 2007—08 में नगर निगम अधिनियम, 1959 का पालन नहीं किया गया, दोषी कौन है, चिन्हित किया जाना चाहिये। 2. वर्तमान परिसीमन नगर निगम अधिनियम की व्यवस्था के अनुरूप होना सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस विषय को उठाने का कारण यह है कि इस समय नगर निगम, देहरादून में वार्ड परिसीमन तथा मतदाता सूची बनाने का कार्य चल रहा है। यह कार्य दिनांक 15—12—2012 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। नगर निगम अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार यह कार्य किया जाये तथा त्रुटियों को ठीक किया जाना आवश्यक है।

जनपद देहरादून के0डी0एल0 रोड से करनपुर, राजेश रावत कॉलोनी, डालनवाला, नेहरू कॉलोनी, प्रगति विहार अजबपुर होते हुए क्लेमेन्टाउन तक सीवर लाइन बिछाए जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजकुमार—

मान्यवर, पूर्व में भी मेरे द्वारा अवगत कराया गया था, पुनः आपके संज्ञान में लाया जा रहा है कि डी0एल0 रोड से करनपुर, राजेश रावत कॉलोनी, डालनवाला, नेहरू कॉलोनी, प्रगति विहार, अजबपुर होते हुए क्लेमेन्टाउन तक सीवर लाईन डाली जानी है। यह सीवर लाईन पड़ने से इस क्षेत्र के हजारो लोग लाभान्वित होंगे तथा ड्रेनेज व्यवस्था में सुधार होगा।

कृपया ए0डी0बी0 को निर्देशित करने का कष्ट करें कि इस क्षेत्र का प्राथमिकता पर आगणन कराया कर कार्य आरम्भ करने की कार्यवाही की जाए तथा कार्य के लिए समयबद्ध योजना बनाई जाए। कृपया इस प्रस्ताव को उच्च प्राथमिकता पर लेने का कष्ट करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा पोलिंग नहर जो विगत दो वर्षों से बन्द पड़े होने के कारण अनुसूचित जाती बहुल्य गाँव के काश्तकारों की भूमि की सिंचाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

श्री ललित फर्स्वाण—

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा पोलिंग नहर जो विगत 2 वर्षों से बन्द पड़ी है, जिस कारण अनुसूचित जाति बहुल्य गाँव के काश्तकारों की भूमि बंजर होने की कगार पर है। सिंचाई विभाग को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा पर्याप्त मुआवजा दिये जाने के बाद भी सिंचाई विभाग द्वारा नहर को सही नहीं किया गया है, जो एक गम्भीर विषय है। उक्त नहर को चालू किया जाना नितान्त आवश्यक है।

महोदय, क्षेत्र मे सिंचाई सुविधा की दृष्टि से उक्त प्रकरण पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।

विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में गैस की किल्लत होने के सम्बन्ध में नियम 300 अन्तर्गत सूचना

***श्री चन्दन राम दास**—

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर मे काफी लम्बे समय से गैस की किल्लत चली आ रही है। उस पर कुछ क्षेत्र जैसे काफलीगैर को अल्मोड़ा गोदाम से गैस उपलब्ध हो रही है। कुछ स्थान ऐसे चिन्हित हैं, जहां स्थानीय जनता को काफी दूर से सिलेण्डर लाने पड़ते हैं। समय पर गैस नहीं मिलने से खाली सिलेण्डर वापस घर ले जाने पड़ते हैं, जिससे जनता को सिलेण्डर 500 से 700 रुपये में पड़ता है।

अतः काफलीगैर के साथ–साथ पर खोलसीर, कत्यूरिया, बोहाला से असों तक, दफौट क्षेत्र के मोहननगर में, गरूड़ क्षेत्र के मेगड़ीस्टेट, जखेड़ा, पासतोली, शांतिबाजार तक गाड़ी से गैस वितरण किये जाने की मांग स्थानीय जनता काफी लम्बे समय से कर रही है। अतः उक्त केन्द्रों मे गैस वितरण की व्यवस्था करने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ।]

जनपद ऊधमसिंह नगर के मुख्यालय रूद्रपुर में तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

***श्री राजकुमार ठुकराल**—

मान्यवर, ऊधमसिंह नगर जनपद का मुख्यालय रूद्रपुर है, परन्तु जिला मुख्यालय रूद्रपुर की तहसील पन्द्रह किलोमीटर दूर किच्छा है तथा रूद्रपुर के आवासों व भूखण्डों का पंजीकरण कराने हेतु रूद्रपुर से सब रजिस्ट्रार ऑफिस

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः–[ ] मे अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(उप निबन्धन कार्यालय) किच्छा में जाना पड़ता है, जो कि रूद्रपुर नगरवासियों व ग्रामीणों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। रूद्रपुर जिला मुख्यालय में सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के निरन्तर बढ़ने से आबादी में भी निरन्तर तेजी आ गई है परन्तु 15 कि0मी0 दूर स्थित तहसील व मूल्वण्डों के पंजीकरण कराने हेतु रजिस्ट्रार कार्यालय भी किच्छा में होने से नागरिकों को अत्यन्त परेशानी व मानसिक पीड़ा हो रही है। आखिर रूद्रपुर जिला मुख्यालय में तहसील व रजिस्ट्रार कार्यालय क्यों नहीं प्रारम्भ किया जा रहा है।

उपरोक्त जनहित की माग के लिये क्षेत्रवासी लम्बे समय से संघर्षरत है, जिस कारण क्षेत्र में भारी जनाक्रोश है, अतः अति अविलम्बनीय लोकमहत्व की इस सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये रूद्रपुर में तहसील व रजिस्ट्रार कार्यालय की स्वीकृति की मांग करता हूँ।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा पर रखे गये कार्मिकों की वतन सिंगति के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरबंस कपूर–

[मान्यवर, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड को स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिये इस मिशन द्वारा 2005 मे संविदा पर दक्ष, नये एवं कार्य अनुभव के आधार पर कर्मियों की तैनाती की गई। समय–समय पर इन कार्मिकों की बढ़ोत्तरी भी की गई, लेकिन यह बढ़ोत्तरी रकम में बेहद ही असंतोषजनक है। कुछ कार्मिकों के वेतन मे 102 प्रतिशत की वृद्धि की गई हैं जबकि कुछ कार्मिकों को केवल 22 प्रतिशत की ही वृद्धि है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के नियम–300 अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र नानक मत्ता के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सरौंजा के तोंक रनसाली गाँव को राजस्व ग्राम घोषित करने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना।

*श्री प्रेम सिंह–

[मान्यवर, नानकमत्ता विधान सभा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सरौंजा के तोंक रनसाली गाँव मे 1958 मे हस्तिनापुर से विस्थापित होकर 25 परिवारो को रनसाली में बसाया गया था और इन परिवारों को 8–8 एकड़ जमीन अलाटमेंट हुई थी। उक्त परिवारों की गंगा खादर मे 15–15 एकड़ जमीन थी, यह जमीन

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।
नोटः–[ ] ये अंश पढ़े हुए माने गये।

बाढ़ में बह गयी थी। वर्तमान में 80—85 परिवार निवास कर रहे हैं और राजस्व गॉव न होने के कारण सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जहॉं आज तक स्नसाली गॉव की शैक्षिक, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो पायी है, वहीं गॉव को राजस्व ग्राम का दर्जा न मिलने के कारण यहॉं की जनता में असन्तोष व्याप्त हो रहा हैं जनता आक्रोषित हो रही है, जो कभी भी एक बड़े आन्दोलन का रूप ले सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले में सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नियम 310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष—

आज नियम—310 के अन्तर्गत 3 सूचनाए प्राप्त हुई है, जिसमें पहली सूचना श्री मदन कौशिक, श्री हरभजन सिंह चीमा, श्री तीरथ सिंह रावत आदि माननीय सदस्यों से है, दूसरी सूचना श्री आदेश चौहान, श्री राजकुमार तुकराल एव श्री यतीश्वरानन्द माननीय सदस्यो से है तथा तीसरी सूचना श्री भीमलाल आर्य, माननीय सदस्य से प्राप्त हुई है, इनमे से मै कानून व्यवस्था के विषय मे श्री मदन कौशिक एवं अन्य माननीय सदस्यो की सूचना नियम—58 मे ग्राह्यता हेतु स्वीकार कर रहा हूँ।

***श्री भीमलाल आर्य—**

मान्यवर, मैंने लगातार आज चौथी बार यह सूचना लगाई है और दो बार आपने पीठ से आश्वासन दिया था कि इसको सोमवार को लिया जायेगा और सोमवार को भी यह सूचना नहीं ली गई और आज भी यह सूचना नहीं ली गई है, आखिर मेरे साथ ऐसा अन्याय इस सदन मे क्यों किया जा रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है।

(श्री भीमलाल आर्य अपनी बात कहते हुए 'वेल' में आकर बैठ गये।)

***नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)—**

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल भी यहॉं पर बात आई थी और परसों भी यहॉं पर बात आई थी और आपने कृपापूर्वक कहा था कि इसको फिर देख लेंगे, कल को ले लेंगे, इसलिए एक माननीय विधायक चार दिन से सूचना दे रहे है, इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि उनकी बात सुन ली जाए। ग्राह्यता पर आप सुन रहे हैं, चर्चा होना या न होना तो बाद की बात है, कम से कम क्या माननीय विधायक कहना चाह रहे हैं, तो आज उनको जरूर सुन लें।

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

जो सूचनायें नियम–310 में प्राप्त हुई हैं, उनमें जो तात्कालिक अविलम्बनीय सूचना है, उसको लेने का प्रयास किया गया है, कानून व्यवस्था वाली जो सूचना है, उसको महत्वपूर्ण समझा गया, इसलिए उसको लिया गया है और नियम–58 में 5 सूचनायें पहले हो चुकी हैं। माननीय गन्ना मंत्री जी, आप बोलें।

(माननीय सदस्य श्री भोमलाल आर्य 'वेल' में बैठे हुये थे।)

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

माननीय अध्यक्ष जी, गन्ना मूल्य के बारे में सदन के माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ कि गन्ना मूल्य निर्धारित करने से पहले हमें जहां किसानों के हितों की रक्षा करने की बात को प्राथमिकता से लेना होगा, वहीं जो चीनी मिलें हैं, इनके बारे में भी सोचना होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह किसानों और चीनी मिलों को लेकर प्रश्न है। किसानों को जिंदा रखना है तो चीनी मिलों को चलाना होगा, चीनी मिलों को जिंदा रखना है तो किसानों के हितों की रक्षा करनी होगी। (कई माननीय सदस्यों के बैठे–बैठे कुछ कहने पर व्यवधान) मान्यवर, मैंने पहले ही आपको बताया है कि जहां आपको किसान के हितों की रक्षा करनी होगी, वहीं आपको किसान के द्वारा जो गन्ना मिलों को दिया जाता है, उनको भी देखना होगा। मान्यवर, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार से जो परामर्शदात्री समिति के सुझाव हमको प्राप्त हुए हैं, उनके जो सुझाव हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। उसके अनुसार अग्रेती प्रजाति को हमने 295 किया है और सामान्य प्रजाति को 285 किया है। यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि यह उत्तर प्रदेश से अधिक है, पंजाब एवं हरियाणा से काफी अधिक है। मान्यवर, हरियाणा में 240 रु0 है तो पंजाब में 250 है और उत्तर प्रदेश में 280 और 290 है।

***श्री मदन कौशिक–**

मान्यवर, पिछले वर्ष की जो परम्परा रही है, वह हमने पिछले सालों से 10 रु0 अधिक दिया है, आपने इस समय उत्तर प्रदेश से मात्र 5 रु0 अधिक रखा है और यह 10 रु0 से कम होना निश्चित रूप से प्रदेश के किसानों के प्रति अन्याय है। नेता सदन बैठे हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो पिछले सालों से होता आया है, उसे करना चाहें। कम से कम 10 रु0 अधिक बढ़ाया जाय। पहली बार भी 10 रु0 बढ़ाया गया था। मान्यवर, यह कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

मान्यवर, मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि पहले पूरी बात तो सुन लें। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री सरवत करीम अंसारी—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आज किस कदर महंगाई बढ़ रही है। डीजल कहां से कहां पहुँच गया, सिलेंडर कहां से कहां पहुँच गया। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) इस हिसाब से इसका मूल्य कम से कम 500 रु० होना चाहिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विगत वर्ष जो हमारा गन्ना मूल्य था, वह 250 रु० था और अगर आप उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हमने करीब 35 से 40 रु० बढ़ाया है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक—

माननीय अध्यक्ष जी, हम इस बात से सहमत हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

मान्यवर, पहले सुन तो लें। मान्यवर, पहले जब हम लोगों ने 250 रु० में भी हमको, (बैठे-बैठे माननीय सदस्य द्वारा कुछ कहने पर व्यवधान) 230 करोड़ 30 घाटा था और जब हम 295 रु० देंगे तो आप स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घाटा होगा। यदि किसानों को समय पर मूल्य नहीं मिलेगा तो वह ज्यादा दुःखदायी है। (घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, मूल्य तो मिलता रहा है और हमेशा मिलेगा। गवर्नमेंट तो आने-जाने वाली चीजें हैं। (व्यवधान) मान्यवर, हम ज्यादा मांग ही नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं, पिछले वर्ष जितना घोषित कर दीजिए। 10 रुपये बढ़ाने की बात है। (व्यवधान)

*राजेश शुक्ला—

मान्यवर, हमारे यहाँ यू०पी० से 10 रुपया हमेशा ज्यादा रहा है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोग भी कह रहे हैं। (व्यवधान) माननीय राजा साहब भी बैठे हैं, वह भी यही कह रहे हैं। (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मेरी बात आने दें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, आप की ही बात पर बोल रहा हूँ। एक तो जो वक्तव्य होता है, आप नियमावली देख लें, सीधे वक्तव्य आता है। माननीय मंत्री जी इसमें भाषण दे रहे हैं। चलो, कोई बात नहीं। दूसरा, पूरे सदन की यह मंशा है, विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के सभी विधायक भी कह रहे हैं कि 10 रुपये बढ़ा दें। 10 रुपये का मतलब दो पान, पाँच रुपये का एक पान और पाँच रुपये का एक और पान। माननीय नेता सदन आज बैठे हैं। मैं कहूँगा कि सदाशयतापूर्वक इसे स्वीकार कर लें। 10 रुपया बढ़ाने की मंशा सारे लोगों की है, केवल हम लोगों की ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से तमाम सम्मानित सदस्यों से एक अनुरोध है कि इसकी गंभीरता को महसूस करने का प्रयास करें, यह बेहतर होगा कि समय पर किसानों को गन्ना मूल्य मिले। (व्यवधान) ऐसा न हो कि गन्ना मूल्य भी समय पर न मिले और मिल मालिक भी मुकर जाए। (व्यवधान) 35 से लेकर 40 रुपया प्रति कुन्तल पिछली बार से बढ़ाया है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश से 10 रुपया ज्यादा तो घोषित करिए।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आकर अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, कृपया सदन व्यवस्थित करें। (व्यवधान) मैं सदन की कार्यवाही को 01:25 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 1 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद अल्मोड़ा के तल्ला सल्ट में दिनांक 04 जून, 2012 को बौड़ ग्राम के किसान अपने बैलों को चराने व विक्रय कराने ले जा रहे थे तथा उन पर झूठा मुकदमा लगाने एवं बैलों को छीनने के सम्बन्ध में तथा श्री राजेश शुक्ला, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर के पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय के छात्रावास में गैस सिलेण्डर फटने से मृत एवं घायल सैनिकों को सदन में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सहायता राशि घोषणा किये जाने के उपरान्त भी सहायता राशि न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य

आज नियम 299 के अन्तर्गत दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमे से पहली सूचना माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की है, जो दिनांक 4 जून, 2012 को सदन मे माननीय सदस्य की नियम–58 के अन्तर्गत उठाये गये तल्ला सल्ट के बौड़ ग्राम के बैल विक्रेताओं पर झूठा मुकदमा लगाकर उत्पीड़न किये जाने सम्बन्धी विषय पर सदन में दिये गये निदेशों पर कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना, माननीय सदस्य श्री राजेश शुक्ला की है, जो दिनांक 01 जून, 2012 को सदन मे मननीय सदस्य की नियम–58 के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के छात्रावास मे गैस सिलेण्डर फटने से घायल एवं मृतकों को राहत राशि उपलब्ध कराने सम्बन्धी विषय पर सदन मे दिये गये निदेशों पर कृत कार्यवाही के सम्बन्ध मे है।

यह दोनो सूचनायें सदन मे दिये गये निदेशों आदि के सम्बन्ध मे कृत कार्यवाही पर जानकारी प्राप्त करने/स्पष्टीकरण के सम्बन्ध मे है, औचित्य का प्रश्न सदन में विचाराधीन विषय के बारे मे अथवा कार्यविन्यास या नियमो के पालन के बारे में उठाया जा सकता है। जानकारी प्राप्त करने के लिये या स्पष्टीकरण के लिये औचित्य का प्रश्न नहीं उठता। अतः मैं इन दोनों सूचनाओं को अस्वीकार करता हूँ।

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर तो जाँच करने के पीठ से निर्देश है, आपके द्वारा आदेश दिये गये थे कि दोबारा जाँच की जायेगी। मान्यवर, इससे बड़ा औचित्य का प्रश्न और क्या होगा।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या 3 पुकारे जाने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, इसमें ईलाज के बिना लोग मर गये थे और सदन के अन्दर घोषणा हुई थी, 11 दिन बाद मैंने इस विषय को उठाया था, इस पर सरकार ने कहा था कि कल–परसों तक पैसे पहुँच जायेंगे। 6 महीने बाद भी पैसे नहीं पहुँचे हैं, उसमें 6 पहले मर गये थे और 8 लोग घायल हो गये थे, इसलिये इस पर औचित्य का प्रश्न बनता है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री किशोरी लाल सकलानी, पूर्व सदस्य, उत्तर प्रदेश, विधान सभा के निधन पर शोकोद्गार

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, श्री किशोरीलाल सकलानी जी, बहुत पुराने विधायक रहे हैं, मेरा उनसे बहुत व्यक्तिगत सम्पर्क था। उनका जन्म 20 जून, 1922 को ग्राम पडकोटमाफी, जिला देहरादून में हुआ था, उनके पिता स्व0 श्री नत्थी लाल जी थे, वह भी सामाजिक क्षेत्र में बहुत सक्रिय रहे थे। उन्होंने हाईस्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी और उनकी पत्नी का नाम शकुन्तला रानी था। उनका व्यवसाय कृषि, उद्योग और परिवहन था, वे 12 वर्ष तक विकास खण्ड डाडी के ब्लॉक प्रमुख रहे और मार्च, 1985 से नवम्बर, 1989 तक मसूरी विधान सभा क्षेत्र से कॉंग्रेस के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। वे अपने क्षेत्र की समस्याओं के निस्तारण के लिये बहुत चिन्तित रहते थे। निर्धन, निर्बल तथा असहायों की सेवा में उनकी विशेष रूचि थी। कर्मचारियों से अधिक से अधिक काम लेने की उनकी क्षमता थी। उनका देहावसान दिनांक 11 सितम्बर, 2012 को 90 वर्ष की आयु में हो गया। मान्यवर, व्यक्तिगत रूप से मैं उनको जानती हूँ, वे कॉंग्रेस के समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता थे, मेरे चुनाव में भी वे व्यक्तिगत रूप से मेरी मदद करते रहे, उनके निधन की सूचना से मुझे व्यक्तिगत रूप से और पार्टी को भी दुःख पहुँचा है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिये परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ तथा उनके शोक संतृप्त परिवार तक हमारी संवेदनायें पहुँचाने हेतु आपसे अनुरोध करती हूँ।

***मा0 मुख्यमंत्री (श्री विजय बहुगुणा)–**

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सकलानी जी का जन्म 20 जून, 1922 में हुआ था, वह एक वार्ड मेम्बर से ब्लॉक प्रमुख बने और फिर विधान सभा के सदस्य बने, वे बहुत ही कर्मठ जनसेवक थे। उनका निधन 11 सितम्बर, 2012

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को हुआ, उनसे तथा उनके परिवार से मेरे बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रहे हैं। इस शोक की घड़ी में मैं अपने और अपने साथियों की ओर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनके परिवार को इस दुःख को सहने की शक्ति दे। मैं अपनी और अपने दल की संवेदनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने के लिये आपसे अनुरोध करता हूँ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, दिवंगत विधायक श्री किशोरी लाल सकलानी जी पुत्र स्व0 नत्थी लाल जी ग्राम बडकोट माफी, जिला देहरादून में, जिनका जन्म 20 जून, 1922 को हुआ था। उनकी शिक्षा हाईस्कूल तक हुई थी। व्यवसाय कृषि, परिवहन और उन्होंने एक वार्ड मेम्बर से राजनीतिक जीवन प्रारम्भ किया था और 12 वर्ष तक विकास खण्ड डोईवाला के ब्लॉक प्रमुख रहे।

*श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, डांडी नहीं, डोईवाला के ब्लॉक प्रमुख रहे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, तो जो लिखित दिया है, इसको सभी जगह संशोधन करवाना पड़ेगा। 12 वर्ष तक विकास खण्ड डोईवाला के ब्लॉक प्रमुख रहे, जा आया है, यह संशोधन हो जायेगा, क्योंकि सभी सदस्यों का कहना है जो उनको पर्सनल जानते थे कि वो विकास खण्ड डोईवाला के ब्लॉक प्रमुख रहे 12 वर्ष तक और डोईवाला ग्राम के निवासी थे। 1985 से 1989 तक मसूरी विधान सभा क्षेत्र के कॉग्रेस के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य नामित हुए। जीवनपर्यन्त अपने क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए समर्पित रहे। गरीब, असहाय व निर्बल वर्ग की सेवा में विशेष रूचि उनकी थी। क्षेत्र के समाधान के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों से सहज सहयोग प्राप्त करने की अद्भुत कार्यक्षमता उनमें थी। 11 सितम्बर, 2012 को वो अभी स्वर्गवासी हुए हैं। उनके 06 पुत्र व 03 पुत्रियां थी। हम सब उनको श्रद्धांजलि देते हैं, मैं, माननीय नेता सदन, माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अपने को सम्बद्ध करते हुए अपने दल की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, आप से निवेदन करते हैं कि हमारी श्रद्धांजलि को उनके परिवार में शोक संतृप्त सभी परिजनों तक पहुँचाने की कृपा करें।

*मा0 उपाध्यक्ष (डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी)–

मान्यवर, श्री किशोरी लाल सकलानी जी का 11 सितम्बर, 2012 को देहावसान हो गया और जो उनके विषय में हमने सुना है, देखने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन एक समाजसेवी के रूप में जिस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र और समाज की सेवा की है, उसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं और निश्चित

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रूप से अपने राजनीतिक जीवन में भी उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपने को कटिबद्ध रखते हुए क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाया। हम लोग आज उनके देहावसान पर सदन में उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं।

श्री हरिदास–

मान्यवर, दिवंगत पूर्व विधायक श्री किशोरी लाल सकलानी जी के निधन पर मैं अपने आपको माननीय नेता सदन, संसदीय कार्य मंत्री जी, नेता विरोधी दल और माननीय उपाध्यक्ष जी से अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। माननीय किशोरी लाल जी ने बहुत से सराहनीय कार्य किये हैं। उनका बहुत नाम सुना है, देखा तो नहीं। बहुत अच्छे ब्लॉक प्रमुख रहे, विधायक के दायित्व निभाने में बहुत अच्छे लोगों मे उनका नाम लिया जाता है। मैं अपने आपको अपने दल के साथ सभी सदस्यों से सम्बद्ध करते हुए और हमारी संवेदना आपके माध्यम से शोकाकुल परिवार को पहुँचा दें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।

शहरी विकास मंत्री (श्री प्रीतम सिंह पवार)–

मान्यवर, श्री किशोरी लाल सकलानी जी, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन, जो हमारी प्राथमिक इकाई होती है, पंचायत से, उसके वार्ड सदस्य से प्रारम्भ की और उसके बाद वो 12 सालों तक ब्लॉक प्रमुख डोईवाला रहे हैं। 1985 से 1989 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सम्मानित सदस्य रहे हैं। उनका राजनीतिक जीवन का जो कार्यकाल रहा है, हमेशा सेवाभाव उनके अन्दर रहा। उन्होंने निरन्तर अपने जीवन काल में समाज सेवा के अनेकों कार्य किये जो आज भी याद करने लायक है, आज वह हमारे बीच मे नहीं हैं, हमने एक बड़ा जनप्रिय नेता खोया है, हमें अत्यन्त दुःख है और हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि शोक सन्तृप्त परिवार को हमारी भावनायें पहुँचाने का कष्ट करें।

*श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, आदरणीय सकलानी जी, 1977 से जीवन पर्यन्त मेरे परिवार के एक सहयोगी के रूप मे अपना आशीर्वाद हमे देते रहे। मेरे पिता जी, जब 1980 में पहली बार मसूरी विधान क्षेत्र से लड़े। उससे पहला चुनाव आदरणीय सकलानी जी मात्र कुछ सौ वोटों से उस क्षेत्र से हारे थे, मुझे याद है कि उन्होंने इस बात का मलाल नहीं रखा। जब पार्टी ने उन्हें आदेश दिया कि वह हमारे पिता जी की मदद करें तो उन्होंने निःसंकोच मदद की। मान्यवर, जब मैं 1990 विधान परिषद् का सदस्य के लिए लड़ा तो वह मेरे घनिष्ठतम सहयोगियों में से थे और राजनीतिक परिवेश में मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वह एक सादगी की प्रतिमूर्ति रहे। जो आदमी दो बार विकास खण्ड का प्रमुख रहा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो, विधायक रहा हो और एक सर्वमान्य नेता रहा हो। उन्होंने जीवन पर्यन्त एक साधारण ग्रामीण के रूप में अपना जीवनयापन किया। वे सब हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है उनकी याद हमारी पार्टी के दिल में और मेरे परिवार के दिल में हमेशा श्रद्धा के साथ बनी रहेगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जब संवेदना उनके परिवार को प्रेषित करे तो उसमे मेरी भावनाओं को भी सम्मिलित करना चाहे।

श्री अध्यक्ष–

श्री किशोरीलाल सकलानी के निधन से मुझे गहन दुःख की अनुभूति हुई है। उनका जन्म 20 जून, 1922 को ग्राम बड़कोटमाफी, जिला देहरादून में हुआ था। उनके पिता का नाम स्व0 श्री नत्थी लाल था। उनकी शिक्षा हाईस्कूल तक हुई थी। उनका विवाह श्रीमती शकुन्तला रानी से हुआ था।

श्री किशोरीलाल ने अपने राजनैतिक जीवन का प्रारम्भ ग्राम बड़कोटमाफी के वार्ड मेम्बर के रूप में किया तथा आगे चलकर वे 12 वर्ष तक विकास खण्ड, डोईवाला के ब्लॉक प्रमुख भी बने। वे मार्च, 1985 से नवम्बर, 1989 तक मसूरी विधान सभा क्षेत्र से कॉंग्रेस के टिकट पर उत्तर प्रदेश सभा के सदस्य चुने गये।

श्री किशोरीलाल अपने क्षेत्र में किसी अधिकारी के भ्रमण के दौरान अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं का निस्तारण बहुत ही सहजता से करवाते थे। श्री सकलानी बड़े ही सहयोगी प्रवृत्ति के थे। आपकी निर्धन, निर्बल तथा असहायों की सेवा में विशेष रूचि रही। वे अत्यन्त साधारण व मृदुभाषी व्यक्ति थे। उनका अधिकांश जीवन जनता की सेवा में समर्पित रहा।

श्री किशोरीलाल सकलानी का 11 सितम्बर, 2012 को 90 वर्ष की आयु मे निधन हो गया। इनके परिवार में 6 पुत्र व 3 पुत्रियॉं हैं। श्री सकलानी के निधन से हमने एक सच्चा जनसेवक खो दिया है। मैं आप सबकी भावनाओं से स्वयं को सम्बद्ध करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शोक संतप्त परिवार को दुःख की इस घड़ी को सहने का साहस प्रदान करें।

मैं सदन की भावनाएं उनके परिजनो तक पहुँचा दूँगा। अब हम सब मिलकर पुण्यात्मा की शान्ति के लिए खड़े होकर 02 मिनट के लिए प्रार्थना करे।

(दो मिनट का मौन रखा गया।)

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 151 के खण्ड 2 के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के "राज्य सरकार के वित्त" पर प्रतिवेदन तथा अवधि के उत्तराखण्ड सरकार से सम्बन्धित लेखा परीक्षक प्रतिवेदन

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा

प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के 'राज्य सरकार के वित्त' पर प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या–1 वर्ष, 2012) तथा उक्त अवधि के उत्तराखण्ड सरकार से सम्बन्धित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या–2 वर्ष, 2012) सदन के पटल पर रखती हूँ।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2011 12 के विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2011–12 के विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे (भाग 1 एवं भाग 2) सदन के पटल पर रखती हूँ।

मान्यवर, परामर्शीदात्री समिति के सम्मानित सदस्य श्री नवप्रभात जी ने यह कहा कि मेरा प्रश्न रह गया है, जो उन्होंने नियम–105 के अन्तर्गत दिया हुआ था।

श्री अध्यक्ष–

आज यह प्रश्न आ रहा है।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, जो हमारी संस्तुतियां है, अगर उसमें उन्हें जोड़ लिया जाय तो वह ज्यादा उचित होगा। शेष प्रक्रिया आप करते रहें।

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 की बैठक में दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 से दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 तक की उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है :–

दिसम्बर, 2012

11 मंगलवार,

विधायी कार्य।

1. हिमालयन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

2. आई0एम0एस0 यूनिसन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण (30 मिनट)
3. उत्तरांचल विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण (30 मिनट)
4. डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण (30 मिनट)
5. ग्राफिक ऐरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण (30 मिनट)
6. पं0 दीनदयाल उपाध्याय, उत्तराखण्ड, विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण (30 मिनट)

12 बुधवार,

<u>विधायी कार्य।</u>

1. उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)
2. उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)
3. उत्तराखण्ड राज्य एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)
4. उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल उपयोग कर विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

13 गुरूवार,

<u>1. विधायी कार्य।</u>

1. उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण (30 मिनट)
2. उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण (30 मिनट)
3. विविध राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण (30 मिनट)

<u>2. नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव।</u>

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा।

"यह माननीय सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिया जाय।" (30 मिनट)

नियम 105 के अन्तर्गत श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा

"यह माननीय सदन रेल मंत्रालय केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य जनपद देहरादून के हर्रावाला नामक स्थान को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकटतम स्थान तक सीधे रेल मार्ग से जोड़ने के लिए एक नये रेल मार्ग की स्वीकृति दी जाए"

श्री अध्यक्ष–

श्री नव प्रभात, सदस्य विधान सभा नियम–105 के अन्तर्गत सहारनपुर से हर्रावाला, रेल सुविधा हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। (30 मिनट)

जनपद देहरादून के हर्रवाला नामक स्थान को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकटतम स्थान तक सीधे रेल मार्ग से जोड़ने के लिए एक नये रेल मार्ग की स्वीकृति के सम्बन्ध में नियम 105 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "यह माननीय सदन रेल मंत्रालय केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य जनपद देहरादून के हर्रावाला नामक स्थान को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकटतम स्थान तक सीधे रेल मार्ग से जोड़ने के लिए एक नये रेल मार्ग की स्वीकृति दी जाये।"

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि कार्यमंत्रणा समिति का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उससे यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वस्वीकृत हुआ।)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री चन्दन राम दास एवं श्री दलीप सिंह रावत, श्री राजकुमार तुकराल, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री मदन

कौशिक, श्री अजय भट्ट एवं अन्य माननीय सदस्यगण, श्री मालचन्द, श्री महावीर सिंह रागड़, श्री तीरथ सिंह रावत, श्री राजेश शुक्ला, श्री संजय गुप्ता, श्री अजय टम्टा, श्री चन्द्रशेखर, श्री अजय भट्ट, श्री संजय गुप्ता एवं श्री यतीश्वरानन्द, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्रीमती विजय बड़थ्वाल तथा श्री प्रेमचन्द अग्रवाल की कुल 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री मदन कौशिक, श्री अजय भट्ट एवं अन्य माननीय सदस्यगण और श्री अजय भट्ट, श्री संजय गुप्ता एवं श्री यतीश्वरानन्द तथा श्री प्रेमचन्द अग्रवाल की सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन लूँगा तथा माननीय सदस्य श्री राजेश शुक्ला एवं श्री अजय टम्टा की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं 5 तारीख से लगातार दे रहा हूँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, सदन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए मैं सदन का बहिष्कार कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना न्यायालय के अधीन है, इसलिए उसे सदन में नहीं ली जा सकती है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, सरकार की लापरवाही की वजह से मामला न्यायालय में है, लोगों की नौकरी का मामला है। माननीय अध्यक्ष जी, 90 दिन के अन्दर अपील करनी थी पर उसके बाद अपील की गई है। मान्यवर, 2253 लोगों की नौकरी का मामला है, इसलिए मैं सदन का बहिष्कार करता हूँ।

(माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना ने सदन का बहिष्कार किया।)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, मेरी सूचना को ग्राह्यता पर सुन लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है।

*श्री वंशीधर भगत

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले तीन दिनों से मैं लगातार निवेदन कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना तो इसमें आई ही नहीं है, आपकी नियम–58 में नहीं है नियम–53 में होगी।

श्री वंशीधर भगत–

मान्यवर, मैंने नियम–58 में दी है, नियम–53 में नहीं दी है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना नियम–53 मे लगी है।

श्री बंशीधर भगत

मान्यवर, नियम–58 को नियम–53 में लगाने की क्या बात है, मैंने तो नियम–58 मे सूचना दी है, यह तो न्याय नही है।

(व्यवधान के मध्य)

माननीय अध्यक्ष जी, यह नियम–53 में कहां से आ गयी। मान्यवर, पूरे भाबर क्षेत्र के अस्तित्व का प्रश्न है, हजारों हजार लोग बेरोजगार पड़े हैं। महत्वपूर्ण नदियां हैं, गोला नदी है, कोसी नदी है, दाबका नदी है, नंधौर नदी है। इनमे खनन कार्य नही हो रहा है, इसके लिए मैंने एक प्रार्थना–पत्र दिया है।

श्री अध्यक्ष–

नियम–53 मे आपकी सूचना है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, नियम–53 से क्या होगा, इससे तो अपनी बात ही नहीं आयेगी। (व्यवधान)

***श्री हरीश धामी–**

मान्यवर, बैठ जाईये, पिछली बार आप ही खनन मंत्री थे, उद्योग भी आपके ही पास था। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, इसीलिए तो मैं चाहता था, ये कुछ बोले तो मैं जवाब दे सकू।

श्री हरीश धामी–

मान्यवर, बैठ जाईये, पिछली बार बहुत घोटाले हुए हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, पिछली बार मिल्ला रहे थे और इस बार अभी तक नही खुला है और अब कह रहे हैं, अधिकारी कार्य नही कर रहे हैं। पता नही अधिकारी अलग होते हैं, सरकार के अधीन नहीं होते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप कल लगा दें और नियम–58 में लगा दें। ठीक है न।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमारी नियम–310 की सूचना को नियम–58 मे परिवर्तित कर कानून एवं व्यवस्था की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया है,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था किसी भी प्रदेश के विकास की रीढ़ होती है और उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय पहले जब हम उत्तर प्रदेश का पार्ट थे तो यह एक बहुत बड़ी समस्या थी और यदि राज्य बनने के बाद इस राज्य को सबसे ज्यादा फसाद किया गया तो इसकी कानून व्यवस्था को लेकर किया गया। मान्यवर, अगर इस प्रदेश की तरफ उद्योगपतियों ने अपना रूख किया कि प्रदेश का विकास कैसे हो तो कहीं न कहीं इस प्रदेश की जो कानून व्यवस्था थी, उसका बहुत अहम रोल था। मान्यवर, यदि हम वर्तमान समय में इस देवभूमि की बात करें तो आज कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है और इसका सबसे बड़ा नमूना, कल शिक्षा मित्रों पर जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनको पीटा गया, उन पर घोड़े दौड़ाये गये, इससे पता चलता है यह कैसी कानून व्यवस्था है कि उन लोगों को मारा–पीटा गया। आप सभी लोग परेशान थे और हमारे माननीय स्वामी जी तो वहां गये और उन्होंने कहा कि वास्तव में प्रदेश की स्थिति खराब है। (सत्तापक्ष के कई माननीय मंत्रियों द्वारा बीच में बैठे–बैठे अपनी–अपनी बात कहने पर व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां माननीय विधायक श्री प्रेमचन्द अग्रवाल जी, जो अभी चले गये होंगे, उनके घर पर चोरी हुए तीन महीने हो गये हैं। माननीय हरबंस कपूर जी के नेतृत्व में डी0जी0पी0 से लगाकर सब जगह मिले, लेकिन आज तक स्थिति यह है कि क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं है। एक अधिकारी के घर पर दिनदहाड़े चोरी हो जाती है, वकील साहब की पत्नी की हत्या हो जाती है। है। (सत्तापक्ष के कई माननीय मंत्रियों द्वारा बीच में बैठे–बैठे अपनी–अपनी बात कहने पर व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्रिगण इस बात को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप माननीय मंत्रियों को गम्भीर कर दीजिए, अन्यथा लॉ एण्ड आर्डर पर बोलने का कोई फायदा नहीं है। यदि माननीय मंत्रिगण सुनना नहीं चाहते हैं तो हम नहीं बोलते हैं। इतने महत्वपूर्ण इश्यू पर बोलना ही नहीं देना चाहते हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, लॉ एण्ड आर्डर पर बहस चल रही हो और आप पीठ पर हों एवं नेता सदन यहां पर बैठे हों और मंत्रिगण इस तरह से मखौल उड़ा रहे हैं, जिस तरह से यहां प्रदेश में कुछ हुआ ही नहीं है। हम जब कोई बात कह रहे हों, सुन लें, उसके बाद मंत्री उत्तर दे दें, अगर सब मंत्री भी हैं तो चार–चार, पाँच–पाँच मंत्री एक साथ बोलेंगे तो क्या उत्तर देंगे और कौन सुनेगा। अव्यवस्थित तो यहां से होता है और ब्लेम हम पर लगता है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रदेश के अन्दर राजधानी में दिन–दहाड़े हमारे एक वकील साहब की पत्नी की हत्या कर दी जाती है और पूरा प्रदेश इससे प्रभावित रहता है और बाद में क्या स्थिति बनी यह पूरा सदन जानता है।

माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश के अन्दर जिसको हम कहते थे कि सामाजिक सुरक्षा "सोशल सिक्योरिटी", वह जीरो हो गयी है। आज उद्योगपति, जो इस प्रदेश की ओर रूख कर रहे थे, वे अब सोचने को मजबूर हो गये हैं। मान्यवर, क्या यह वही देवभूमि है जो 9 महीने में अपना स्वरूप खो चुकी है। क्या यह वही देवभूमि है जो 9 महीने के अन्दर, जो कानून व्यवस्था की स्थिति कभी उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगते हुए क्षेत्र में, कभी कहते थे कि इनमें बहुत लॉ एण्ड आर्डर की समस्या है।

मान्यवर, आज यह स्थिति इस पूरे प्रदेश की हो गयी है। पहले माना जाता था कि यह जो देवभूमि है, इसमें कहीं न कहीं पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ऐसी स्थिति रहती थी कि जो लॉ एण्ड ऑर्डर खराब करने वाले लोग है, वह आने से डरते थे और इस देवभूमि का 60 प्रतिशत हिस्सा आज भी राजस्व पुलिस के हिस्से है। केवल 40 प्रतिशत ऐसा क्षेत्र ह, जिसमे पुलिस देखती है। 46 आई0पी0एस0 अधिकारी हैं, हजारों पुलिस कर्मी हैं, जो इस स्थिति को संभाले हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि या तो सरकार का नियंत्रण कम है या सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा है, जिस कारण से लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति और खराब हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आज स्थित यह हो गयी है कि जिसको हम देवभूमि कहते थे और हम कई बार चर्चा करते थे कि अपराध से शून्य यह प्रदेश है। आज जो स्थिति है, उसके ऑकड़े मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो सरकारी आकड़े हैं। इन 9 महीनो में 153 हत्याएं हो चुकी हैं, इन 9 महीनो में 111 दुष्कर्म के केस रजिस्टर्ड हुए हैं, 16 डकैतियों के केस रजिस्टर्ड हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हजारों छोटे–मोटे केस ऐसे होंगे जो रजिस्टर्ड नही हुए होंगे। 9 महीनों की स्थिति यह है।

मान्यवर, इससे आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार की जो काम करने की गति है, वह किस तरह की है आज सौभाग्य से नेता सदन हमारे बीच में हैं। हो सकता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी सब जगह जाकर जो समीक्षा बैठक की है, इस सम्बन्ध मे अभी समीक्षा बैठक न हुई हो। समीक्षा बैठक हुई होती तो निश्चित रूप से निर्देश जारी होते कि सड़ प्रदेश के लॉ एण्ड ऑर्डर को कैसे ठीक किया जाय और आज पूरे प्रदेश का चक्का जाम है, तो कहाँ जा रहाह" प्रदेश ? किस दिशा मे बढ़ रहा है। आज कहीं न कहीं यह स्थिति जो हमारे सामने है, चाहे हत्याएं हो डकैती हों, चोरी हो, आम लोगों का रहना मुश्किल हो गया है, ऐसी स्थिति हो गयी है कि लोग यह सोच रहे हैं कि क्या यह वही प्रदेश है, जो 9 महीने पहले प्रदेश था। आज इस प्रदेश मे कौन सी सरकार है। (व्यवधान) मान्यवर, मैंने 9 महीने के ऑकड़े दिये हैं, उसके पहले के ऑकड़े आप देंगे। जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जवाब देंगी, तब देंगी। मेरे पास वे भी हैं। कहां, तो मैं यह भी दे देता हूँ। मेरे पास पिछले 5 साल के ऑकड़े भी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 महीनों मे जो स्थिति हुई है, आप कल्पना कर सकते हैं, डेढ सौ से ज्यादा हत्याएं हो गयी ह, 9 महीने

में, इस प्रदेश में। क्या कोई कल्पना कर सकता है ? दिल्ली में बैठकर लोग कहते थे, उत्तराखण्ड राज्य ऐसा राज्य है, जहाँ पर हत्या जैसा मुकदमा रजिस्टर्ड नही होता। आज पूरे देश के अन्दर हमारा नाम उन राज्यों के साथ जुड़ने लगा है, जिन राज्यो मे माना जाता है कि लॉ एण्ड आर्डर बहुत खराब है। माननीय अध्यक्ष जी, यह ऐसा अविलम्बनीय लोक महत्व का तात्कालिक विषय है, जिस पर निश्चित रूप से सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा होनी चाहिए। हमारे अन्य सदस्य भी इस पर बोलना चाहेंगे। मैं इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मदन कोशिक जी ने जो प्रश्न उठाया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें मेरे भी सिग्नेचर है। यह नियम–58 के सूचना यहाँ पर दी है, चर्चा कराने के लिए। मान्यवर, जिस दिन फुरकान अहमद जी के घर पर डकैती हुई थी, मैंने उसी दिन कहा था कि प्रदेश की स्थिति ठीक नही है और जिस दिन सचिवालय के बगल में एक महिला की अधजली लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त आज तक नहीं हो पाई, तब भी हमने कहा था कि स्थिति ठीक नही है। बड़कोट मे जब एक बहन को ले जाकर पुलिस संरक्षण मे मार दिया गया था, तब भी मैंने कहा था कि स्थिति ठीक नही हो रही है। अभी इस पर कन्ट्रोल किया जाना चाहिए। इसको अगर हम नहीं सम्भालेगे तो यह भविष्य में नही सम्भलेगी। हरियाणा की गायिका गोलियो से छलनी कर दी गयी, हरिद्वार में। अभी हरिद्वार मे ही अपहरण हुआ और उसके बाद हत्या कर दी गयी। मेरा स्पष्ट आरोप है, सरकार पर कि 50 प्रतिशत से अधिक इस समय अपराधों का ग्राफ बढा है। अगर 50 प्रतिशत से अधिक नही है तो सरकार ऑकड़े बताए कि कितना बढा है। प्रेमचन्द अग्रवाल हमारे माननीय सदस्य है, एक जगह नही कितनी जगह गये। डी0जी0पी0 साहब के ऑफिस मे गए, यहाँ के गृह सचिव से भी मिले और खुद भी लगातार यहाँ कि जितने पुलिस चौकी इंचार्ज है, एस0ओ0 हैं, सी0ओ0 है, उनसे मिलते रहे कि विधायक के घर की चोरी का अभी तक पता नहीं लगा तो फिर हमारी व्यवस्था क्या है, अगर हम एक विधायक के घर मे हुई चोरी का पर्दाफाश नही कर पाते और तो हो रही होंगी, लेकिन माननीय विधायक और माननीय सांसद प्रिविलिज्ड होते हैं, फिर भी उनके घर मे सरेआम चोरी हुई है, जिसका पता आज तक नहीं चला है, तो फिर इससे ज्यादा किस कानून व्यवस्था को हम दिखाते है। मान्यवर, देहरादून शहर में एक दिन में 20 से 25 चेन स्नैच हो रही है, जो अभी माननीय मदन कौशिक जी ने 153 हत्याओं का एक ऑकड़ा दिया है, उसमे से एक भी गलत नहीं है। सदन में सदस्य की सूचना को सत्य माना जाता है और उसका संज्ञान लिया जाता है, उनकी बात को सही होने को, प्रमाण देने को, हमारे ऑकड़े और सादम प्रमाणित करते हैं। देहरादून में दुकानो के शटर काटे जा रहे हैं, निर्भय हो गये है, राज्य ही नहीं है, हनक ही नही है, एक हनक होनी चाहिये कि यहां पर राज्य चल

रहा है और शासन चल रहा है, तो ऐसे मे अपराधियो को हिल जाना चाहिये था। कितने ताले तोडे जा रहे हैं, इसके हमारे पास ऑकडे हैं, देहरादून मे रिटायर फौजी के घर से लाखों का माल उडाया, देहरादून मे व्यापारी के खाते से निकाले 4 लाख, देहरादून में व्यापारी से डेढ लाख लूटे, तो ए0टी0एम0 तक हमारा सुरक्षित नही रहा हैं जो चीज हम यहां पर उठा रहे है, ऑकडो के साथ उठा रहे हैं, मैंने स्पष्ट आरोप लगाया है कि 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि इन 9 महीनो में हो गई है। मैं फिर कह रहा हूँ, यदि यह वृद्धि नही हुई है तो जब माननीय मंत्री जी अपना उत्तर दें तो उसमें ऑकडे रखें। उस समय माननीय मत्री जी यह भी बतायेगी कि जब श्री प्रेमचन्द अग्रवाल के घर मे चोरी हुई थी, तो उस पर अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है, उसके लिये एक कट ऑफ डेट दे दें कि कब तक अपराधी पकडे जायेगे।

मान्यवर, माननीय फुरकान अहमद जी के यहां जो डकैती हुई थी, जहा तक मेरा ख्याल है, शायद वह तो पकडे गये होगे, अभी सदस्यो ने बताया कि नही पकडे गये है, अगर माननीय फुरकान जी सदन में होते तो अवश्य बताते। मान्यवर, रूडकी मे साढे सात लाख की चोरी दिन-दहाडे हो गई, महिला चिकित्सकों के घर से लाखो की चोरी, व्यापारी के घर से दस लाख रुपये उडाये, जो पूर्व में इस सदन के सदस्य थे, माननीय नेहरु जी, उनकी गाडी साफ हो गई। मतलब क्या हो रहा है, जब वी0आई0पी0 के यह हालत है तो यह एक विचारणीय प्रश्न है। रिटायर्ड फौजी और पत्रकार के घर से लाखो की चोरी, जब पत्रकार सुरक्षित नहीं, विधायक सुरक्षित नहीं, अनु सचिव सुरक्षित नहीं, सत्ता पक्ष के विधायक सुरक्षित नहीं, विपक्ष के विधायक प्रेम जी सुरक्षित नही तो कौन सुरक्षित है। (शेम-शेम की ध्वनि)

मान्यवर, मैं तो माननीय नेता सदन से आज निवेदन करता हूँ कि आप भी सुरक्षित नहीं हैं, किसी भी समय कुछ हो सकता है, आप पर भी बादल मंडरा रहे है। मान्यवर, साई मन्दिर मे चोरी, जो मन्दिर जैसी चीज है, वहां पर भी चोरी और बाद मे पुलिस का पहरा, 40 घण्टे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली, ओ0एन0जी0सी0 के पूर्व अधिकारी के घर मे लाखो की डकैती। (व्यवधान) मान्यवर, यदि मै गलत कह रहा हूँ तो आप लोग भी ऐसी मेहनत कर लीजिये, ये सारी कटिंग्स है, सरकारी पक्ष को चाहिये कि इसको नोट करे, संवेदनशीलता तो यह होती है कि जब कहीं पर कोई चीज आ रही होती है, तो सरकार के हर सदस्य की चिन्ता होनी चाहिये कि अपराध क्यो बढा। आखिर यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम प्रदेश को आगे ले जांय, हम कोई बात उठा रहे हैं और आप हमारी बात का मजाक उडा रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उसको गम्भीरता से सुनने के बजाय, आप लोग हमारी हॅसी उडा रहे हैं, यह कोई बात नहीं होती है।

मान्यवर, इसी तरह और भी घटनायें हैं, बैंक के बाहर खड़ा व्यवसायी लूटा, आज हम लोग बैंक के बाहर भी सुरक्षित नहीं है। व्यापारियों ने अपनी व्यवस्था की कि यदि कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो इसके लिये उन्होंने एक बैठक की। यानि कि हम आज कहां पर सुरक्षित है। हिन्दूवादी नेताओं को जलाने की कोशिश, अल्प संख्यक के घर में चोरी, सवर्ण के घर में चोरी, फलाणे के घर में चोरी, बड़ा डकैति, तो फिर हम कहां पर सुरक्षित है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि.....................। इसके ऑकड़े मैं पुनः कह रहा हूँ कि 50 प्रतिशत के ऊपर ग्राफ बढ़ गया है, इन 09 महीनों में अगर सत्ता पक्ष, ट्रेजरी बेंच से जब माननीय मंत्री जी उत्तर दें, कम है तो ये ऑकड़े बतायें कि पहले क्या था, आज क्या है। कम्प्रेटिव बताए और आज इससे महत्वपूर्ण कोई घटना हो नहीं सकती है। ये तो मैंने पी0आई0पी0 क्षेत्रों की चोरी का हाल, डकैती का हाल, मर्डर का हाल, हम लोगों ने दिखाया। वो स्थान जहां पर एफ0आई0आर0 तक नहीं होती है, लोग एफ0आई0आर0 करने के लिए तरसते रहते हैं। पटवारी प्रथा 9–9, 10–10 किलोमीटर दूर तक पटवारी के पास जाते नहीं हैं लोग, वहां का क्या हाल होगा, मान्यवर, यह विचारणीय प्रश्न है, इसलिए सारे नियमों को निलम्बित करके आज इस विषय पर, इतना इम्पोरटेंट विषय है, चर्चा कराने की हम मांग करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगा। अब हम उठते हैं अपराह्न 03:00 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 3:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री राजेश शुक्ला–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने नियम–65 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी, जो बहुत ही गम्भीर मामला है। यह सदन की अवमानना है। कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर में 20 मई को गैस सिलेण्डर फट जाने से 08 लोग घायल हो गये थे और 4 लोग मर गये थे और उनके इलाज के लिए पैसे नहीं मिले थे। सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पूरे सदन के सामने सदन को अवगत कराया था कि एक दो दिन के अन्दर पैसा दे दिया जायेगा, जो आज तक नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष–

श्री राजेश शुक्ला, अभी चर्चा चल रही थी और उस पर जवाब आना है। उसके बाद अपनी बात कहिये।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी नेता प्रतिपक्ष जी ने और मदन कौशिक जी ने कानून व्यवस्था पर अपना विषय रखा। उसमें मेरा नाम भी उल्लिखित है। मैं चाह रहा हूँ कि आपकी बड़ी अनुकम्पा होगी तो मैं भी अपने विषय बता दूँ।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप में बताईये।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़े खेद का विषय है, पिछले तीन माह पूर्व मेरे ऋषिकेश स्थित आवास पर दिन दहाड़े चोरी हो गई। लगातार पुलिस अधिकारियों से मिलने के बाद हमारे जो पूर्व माननीय अध्यक्ष जी, श्री हरबंश कपूर जी हैं, उनके नेतृत्व मे हम डी0जी0पी0 साहब से मिलने गये। उसके बाद उस केस को एस0टी0एफ0 को भेज दिया गया। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि तीन माह बीतने के बाद भी कोई प्रोग्रेस इस काम पर नहीं हुई। जब कि इस बात का गलत संदेश मेरे पूरे क्षेत्र में जा रहा है। क्योंकि आगे दिन देहरादून के अन्तर्गत ये चोरी की घटना हो रही थी, लोगों के द्वारा यह लग रहा था कि ऋषिकेश मे यह स्थिति नहीं है। लेकिन अध्यक्ष जी, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जनता मे यह संदेश गया कि ऋषिकेश में चोरी की शुरूआत भी हुई तो विधायक के घर से हुई और उससे यह मैसेज पूरे क्षेत्र में जा रहा हैं कि विधायक इस क्षेत्र में सुरक्षित नही ह तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। लगातार पुलिस से सम्पर्क करने के बाद अभी तक उसका कोई खुलासा नही किया गया। जब भी बात की जाती है तो कहते है कि प्रोग्रेस में है। मेरा आपसे आग्रह यह है कि इस तरह से पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, कोई इससे बड़ा उदाहरण नही हो सकता। क्योंकि यह मै पहली बार समझ रहा हूँ कि विधायक के घर में चोरी हो और पुलिस उसका खुलासा न कर सके। मेरा माननीय अध्यक्ष जी, सरकार से आग्रह है कि इस विषय पर अविलम्ब कार्यवाही हो ताकि जनता मे यह संदेश जा सके कि कानून तो अपना कार्य कर रहा है और कानून हमारी रक्षा भी करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

मा0 मुख्यमंत्री (श्री विजय बहुगुणा)–

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित श्री कौशिक जी ने, श्री अजय भट्ट जी ने, श्री अग्रवाल जी ने और भी जो साथी बोलना चाहते हैं, उनको अवसर नहीं मिला। पूरा सदन चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, इस बात से हमेशा चिन्तित रहता है कि कानून व्यवस्था अच्छी हो, लोगों की सुरक्षा पर विश्वास हो और माहौल ऐसा बने कि हमारे जो पुलिस कर्मी है, हमारे जो अधिकारी हैं, वह निष्ठा के साथ और लगन के साथ कार्य करें। क्योंकि अजय भट्ट जी ने जानना चाहा

कि ऑकड़े क्या हैं। हालांकि मैं इसके पक्षधर में नहीं रहता हूँ। चाहे एक गुनाह बढ़ा हो या दो गुनाह बढ़ा या घटा हो, क्राइम, क्राइम होता है, उसको डिटेक्ट करना अपराधियों को पकड़ना, लूट का सामान बरामद करना, यह एक बहुत अहम पहलू होता है। मैं कुछ तथ्य सदन के सामने जरूर रखना चाहूँगा। जो डकैती है 2011 और 2012 मे देखें तो 2011 मे 05 थी और 2012 में 11 हो गई। लूट वर्ष 2011 में 86 थी, वर्ष 2012 मे 40 हो गयी है, हत्यायें 100 थी, फिर 110, बलवा 237 थीं, फिर 163, गृह भेदन 168 थी, फिर 166, दहेज हत्या 140 थी, फिर 37, बलात्कार 75 से 73, रोड होल्डअप शून्य–शून्य, फिरौती 6 थी, फिर 1 हो गयी। अन्य क्राईम 3739 थे और घटकर 3644 हो गयी, वाहन लूट 13 से 11, वाहन चोरी 421 से 467, अन्य चोरी 472 से 476 हो गयी है। मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि हमारे उत्तराखण्डवासियों को और सदन को, चूँकि मैं स्वयं गृह मंत्री हूँ, मेरा दायित्व बनता है जो भी मसले यहां पर उठाये गये हैं और विशेष तौर पर हमारे माननीय विधायक जी के यहां घटना घटी हुई है और जो हमारे रिटायर्ड अधिकारियों के यहां घटना घटी हुई है। उनको सुरक्षा देने के लिए मैं स्वयं समीक्षा भी कर रहा हूँ और देहरादून में कुछ परिवर्तन भी किये गये हैं और अभी नये डी0जी0पी0 आये हैं। मान्यवर, अभी केन्द्र सरकार से हमें 10 करोड़ रुपये मिले हैं, आधुनिकीकरण करने के लिए, जिसमे वाहन के लिए और अन्य के लिए है। मान्यवर, हमारे जो थाने हैं उनमें कनेक्टिविटी बढ़े, यह हमारा पूरा प्रयास है। मान्यवर, अभी 15 और 20 दिन मे स्थिति सुधरी हुई है और मैं स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा हूँ। मान्यवर, मैं आश्वस्त करता हूँ कि पूरा प्रयास रहेगा शासन की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से, कि इस पर नियंत्रण हो और जो लोग ऐसी घटनाओं में लिप्त हैं, वे जल्दी से एरैस्ट हों और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो। मान्यवर, हम मुलजिमों को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन वह छूट जाते हैं। जो कानूनी प्रक्रिया है, इसके लिए एडवोकेट जनरल को विशेष तौर पर कहा है और अभी नैनीताल माननीय मुख्य न्यायाधीश को मिला हूँ और अपनी बात भी रखी थी। इस प्रकार के मामलों को जिला स्तर पर या हाईकोर्ट स्तर पर जल्दी निस्तारण हो। मान्यवर, हमारी सरकार के जो वकील हैं, जो उनके डिफेंस मे खड़े होते हैं, उसमें भी कुछ चेंज किया है कि अच्छे वकील आयें और इस तरह के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और इसका प्रयास हम जिले स्तर से हाईकोर्ट स्तर तक कर रहे हैं। मान्यवर, आपने जो भावनायें उठायी हैं या चिन्ता व्यक्त की है, इस पर कोई राजनैतिक या पक्ष–विपक्ष का सवाल नहीं है और हम सब लोग मिलकर और जनता का भी इसमें सहयोग चाहते हैं। केवल पुलिस से क्राइम कन्ट्रोल नहीं होता है। मान्यवर, अभी जो सबकलानी जी की हत्या हुई थी, उसमे बहुत बड़ा सुराग एक महिला ने दिया था, जो पड़ोस मे रहती थी। चूँकि महिला ने उस दिन गाड़ी का नम्बर नोट कर लिया था। उसी से हम जॉच तक पहुँच पाये। मान्यवर, पुलिस विभाग में जो रिक्त पद हैं। उनको भरने का प्रयास कर रहे हैं, उनका आधुनिकीकरण कर रहे हैं। मै स्वयं समीक्षा कर रहा हूँ, मैं आपको

विश्वास दिलाता हूँ, इसकी जरूर तह तक जायेंगे और मैं इसको सी0आई0डी0 को भी जॉच के लिए सौंपता हूँ। मैं आज आपको विश्वास दिला सकता हूँ।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता सदन से निवेदन करना चाहूँगा कि जो सकलानी जी का मर्डर हुआ था। परन्तु अभी तक उसका कारण पता नहीं चल सका कि क्यो मर्डर किया गया है ? यह अपने आप मे एक बहुत गम्भीर मामला है। इस सम्बन्ध में बार एसोसिएशन ने भी आपसे अनुरोध किया है कि इसकी सी0बी0आई0 या सी0आई0डी0 से जॉच करायी जाय। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूगा कि जो यह गम्भीर मामला है। क्या उसमें जॉच के आदेश करेंगे ?

मा0 मुख्यमंत्री (श्री विजय बहुगुणा)–

मान्यवर, पहले तो हमें उस महिला का आभार व्यक्त करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए तथा अन्य नागरिको से भी आवाहन करना चाहिए कि ऐसी प्रेरणा ले। यदि उनके सामने कोई घटना घट रही है या जानकारी है तो उसकी सूचना दे। मान्यवर, अगर किसी को जानकारी है तो निर्भीक होकर शासन को और हमारे अधिकारियों को सूचना दे, चूँकि तह तक हमारी पुलिस जा चुकी है, अपराधी गिरफ्तार हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में मुझे सी0बी0आई0 को रेफर करने का औचित्य नही होगा, लेकिन निश्चित तौर पर यदि आवश्यकता हुई और कोई बात संज्ञान मे आती है, इन्वेस्टिगेशन मे तो हमारे वरिष्ठ अधिकारी देख रहे हैं, क्या उसका मोटिव था, जो अपराधी होता है, उसकी मानसिकता तो हम समझ नहीं सकते है, किसी छोटी चीज के लिए बड़ी घटना घट जाती है, तो इसलिए अभी सी0बी0आई0 से जॉच कराने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक, श्री अजय भट्ट एवं अन्य सदस्यगण और माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने नियम–58 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राह्यता पर सुनने का अवसर दिया है, मैं एक ऐसे मामले को आपके माध्यम से सदन के सामने लाना चाह रहा हूँ, कि जो मामला आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है, हमारे देशी और विदेशी मीडिया में भी सुर्खियों में इस समय बना हुआ है। सुखदेव सिंह नामधारी के साथ–साथ राज्य के दो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के नाम और उन्हीं के साथ कुछ यहॉ के राज नेताओ के नाम पाण्टी चड्ढा हत्याकाण्ड में सम्मिलित पाये गये, ऐसा

समाचार केन्द्र से आया, विभिन्न मीडिया में आया और इसी वजह से यहीं नहीं, पूरे देश में उत्तराखण्ड की बदनामी हुई है, इससे अनिश्चितता की स्थिति भी बनी हुई है और एक गम्भीर बात हो गई कि मंत्रि–परिषद् के माननीय सदस्य ने सी0बी0आई0 इन्क्वायरी की मांग उठाई और उसके बाद नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा गया कि कोई भी यहाँ का नेता या कोई भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी उसमें इन्वाल्वड नहीं है और प्रभु से भी हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बदनामी होगी, लेकिन अगर कोई अधिकारी थे तो वो किस संरक्षण में यहाँ पर गये थे, किसी आज्ञा से यहाँ पर गये थे, यह कैसे हुआ यह बात भी स्पष्ट यहाँ पर पूरे सदन के सामने और प्रदेश के सामने आनी चाहिए और यहाँ की जो केन्द्रीय एजेंसियाँ हैं, वह यहाँ आ रही हैं और यहाँ आने के बाद व लोगों से पूछ–ताछ कर ले जा रही हैं और पूछ–ताछ करने के बाद वापस चले जा रहे हैं और यहाँ की पुलिस को और यहाँ की सरकार को भनक तक नहीं हो रही है, यह भी एक गम्भीर मामला है। मान्यवर, इसलिए यह इतना महत्वपूर्ण मामला है कि हमारे अधिकारियों का भी मनोबल टूट रहा है, जो राजनेता हैं, उन पर भी शंका के बादल घूम रहे हैं, हर किसी को जिसने सफेद कपड़ा पहना है, लोग देख रहे हैं, अन्यथा ये भी हो सकता है, आखिर ऐसे मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बाहर एक बयान दिया गया है, तो आपके माध्यम से मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या कोई जाँच हमने बैठाई है, पहले जब मीडिया ने पूछा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि दिल्ली की पुलिस इस मामले में इन्क्वायरी कर रही है, वह बतायेगी। तो बीच में कहा गया कि इसमें कोई नहीं है तो क्या हमने कोई जाँच करवाई है या फिर दिल्ली पुलिस से कोई रिकार्ड आ गये हैं, या कोई गोपनीय जाँच हमने कराई है तो उसकी रिपोर्टिंग कोई है तो सदन के सामने वह बात आ जाए, तो संशय की स्थिति खत्म हो और प्रदेश में जो अनिश्चितता का वातावरण आज बना हुआ है, सबकी तरफ एक नजर जा रही है कि कौन प्रशासनिक अधिकारी होगा, कुछ तो एक दूसरे के साथ लड़ाई होती है या मनमुटाव होता है तो कह देते हैं कि फलाना था, या किसी जनप्रतिनिधि के बारे में उसने कहा ये हो सकता है, वो हो सकता है, इसलिए यह इतना महत्वपूर्ण मामला है, इससे अधिक महत्वपूर्ण मामला आज कोई हो ही नहीं सकता है, इसलिए सारे नियमों का निलम्बन करके इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराई जाए, पूरा सदन इसकी चर्चा में भागीदार होना चाहता है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आ सके, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं पुनः आपका आभार प्रकट करता हूँ।

श्री संजय गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने को माननीय नेता प्रतिपक्ष की बातों से सम्बद्ध करता हूँ।

*श्री यतीश्वरानन्द—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी अपने को माननीय नेता प्रतिपक्ष की बातो से सम्बद्ध करता हूँ।

श्री विजय बहुगुणा—

माननीय अध्यक्ष जी, नामधारी प्रकरण के विषय में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपने कुछ सवाल सदन के सामने रखे हैं। मान्यवर, पहले तो यह आश्चर्य होता है कि जिस आदमी के खिलाफ 14 मुकदमें सन् 1995 से चल रहे हों, उसको यहां पर अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। मान्यवर, आज अगर जरूरत है तो जरूरत यह है जानने की, कि इनका किन लोगो के साथ राजनीतिक सम्बन्ध रहा, जिसका लाभ इन्होंने उठाया है। हमारी सरकार ने निर्णय कर रखा है कि हम जो भी नियुक्ति करेंगे और किसी भी पद पर करेंगे तो उसकी पृष्ठभूमि को बिना जाने पहचाने कोई भी नियुक्ति हमार यहां से नहीं होगी। मान्यवर, हम सब भारत का संविधान पढ़े हुए हैं, बड़े—बड़े अधिवक्ता यहा भी बैठे हुए है। हम संविधान जानते हैं, हम कानून जानते है। यह घटना दिल्ली मे घटी है और दिल्ली मे इसकी उच्चस्तरीय जॉच हो रही है, वहां की पुलिस इसको इनवेस्टीगेट कर रही है और इस मुदमें के तह तक जा रही है। हमारी सरकार निरन्तर दिल्ली पुलिस के सम्पर्क मे है। मान्यवर, किस कारण, किस वजह से और किस आधार पर कुछ मीडिया ने या प्रेस ने यह बात उछाली है कि उत्तराखण्ड के अधिकारी या नेता वहां मौजूद थे। यह स्पष्ट प्रश्न उनसे पूछा गया, जिन—जिन की विवेचना पुलिस द्वारा हो रही है और हमको वहां से सूचित किया गया है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पोंटी चड्ढा मर्डर केस मे किसी भी अधिकारी या नेता का उत्तराखण्ड के अभी तक कोई तथ्य उनके सामने नही आया है।

मान्यवर, नामधारी को अरेस्ट करने मे हमारी बाजपुर की पुलिस ने मदद की है। नामधारी के वेपन्स की जो रिकवरी हुई है, वह बाजपुर पुलिस के कहने से हुई है। चूंकि इसको लेकर बहुत जाच—पड़ताल हो रही है और केवल पोंटी चड्ढा हत्या ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़े हुए सारे व्यापार के मामलों में, सारी सम्पत्तियो के मामलों मे, बैको के मामलो में, बताया जाता है कि उनका हाथ था, उनके फेस थे नामधारी जी। मान्यवर, अनेक प्रदेशो मे जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड मे दिल्ली पुलिस जॉच कर रही है और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली के पुलिस अधिकारियों से यह अनुरोध किया है कि यदि आप उत्तराखण्ड आते हैं और कोई भी इस सम्बन्ध में जॉच करते है तो इसकी सूचना दे दें, चूंकि अब जो कार्यवाही हो रही है, वह हम नहीं कह सकते हैं कि वह गलत होनी है, चूंकि अब तो सार्वजनिक सबको पता है कि क्या पृष्ठभूमि है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी विवेचना चल रही है, हम उसका इंतजार करे और यदि किसी भी व्यक्ति का उसमें संलिप्त होना या उस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बक्त यहां पर प्रस्तुत होना पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उत्तराखण्ड सरकार, जो कानूनी हमारे पास मार्ग खुला हुआ है, हम उसका जरूर प्रयोग करेंगे। मान्यवर, जहां तक सी0बी0आई0 इनक्वायरी की बात है, चूँकि अब तो सार्वजनिक सबको पता है कि क्या पृष्ठभूमि है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी विवेचना चल रही है, हम उसका इन्तजार करें और यदि किसी भी व्यक्ति का उसमें शामिल होना या उस वक्त वहां पर प्रस्तुत होना पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उत्तराखण्ड सरकार, जो कानूनी हमारे पास मार्ग खुला हुआ है, हम उसका जरूर प्रयोग करेंगे। मान्यवर, जहां तक सी0बी0आई0 इनक्वायरी की बात है, चूँकि यह घटना हमारे प्रदेश में नहीं घटी है, चूँकि यह घटना दिल्ली प्रदेश मे घटी है, इसलिए उत्तराखण्ड की सरकार का कोई औचित्य, वैधानिक औचित्य नहीं है कि हमारा राज्य इसकी सी0बी0आई0 इनक्वायरी की जॉच करे। मान्यवर, अगर हमारा कोई अधिकारी या हमारा कोई नेता इसमें लिप्त पाया जाता है तो तब उत्तराखण्ड की सरकार यह कह सकती है कि विश्वास दिलाने के लिए, कि और इस बात का विश्वास और यकीन हो कि जो इसमें न्याय भी होगा और सही लोग इसमें दोषी पाये जायेंगे उनको सजा दी जाय। मान्यवर, यदि ऐसा समय आता है और ऐसी अगर कोई सूचना आती है तो उस समय सरकार का मंत्रिमण्डल जरूर फैसला करेगा कि इसमें सी0बी0आई0 इन्क्वायरी रिकमण्ड करे कि नहीं करे। लेकिन आज की जो स्थिति है, उसमे कोई तथ्य ऐसा नही है यदि किसी समाचार–पत्र ने छापा है और मीडिया ने उसे उछाला है। मान्यवर, मैं उनसे कहूँगा कि क्या आपके पास आधार है ? राजनीति में या प्रशासनिक क्षेत्र में किसी पर कीचड़ उछालना बहुत आसान है, लेकिन इस पर सख्ती होनी चाहिए कि कोई बात मीडिया ने प्रेस में की है, तो यह बताए कि किस आधार पर कही है। अफवाहों पर सदन, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री निर्णय नहीं लेते हैं। हम निर्णय लेते हैं, जब हमारे सामने कोई तथ्य आता है। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि कोई भी विवेचना में यदि तथ्य आया, कोई भी हमारा अधिकारी या नेता उसमें लिप्त पाया गया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें उसका हाथ रहा तो कानून कार्यवाही करेगा और सरकार उस पर बहुत सख्त एक्शन लेगी। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात तो बहुत अच्छी कही। नहीं है तो अच्छी बात है। हम यही चाह रहे थे कि हमारा कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए और हमारा कोई राजनेता भी नही होना चाहिए। बदनामी होती, इसीलिए हमने इसको यहॉ पर उठाया लेकिन बड़े प्यार से यह भी कह दिया कि उन लोगों को देखना चाहिए था कि नामधारी को कैसे अप्वाइंट कर दिया। यानि कि तीर हमारी तरफ मारा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जरूर कहीं न कहीं चूक होती है, कौन कैसा है, कौन कैसा रहा है। अगर पास्ट लाईफ किसी की देखी जाए, अगर फल–फूल–सब्जी जैसी चीज हो तो उसको परख लेना चाहिए कि

इसका स्वभाव कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, इसका पास्ट कैसा रहा होगा। लेकिन ऐसी बात तो कही भी नहीं। जिस समय सरकार ने अप्वाइंट किया होगा उस समय नामधारी किसी केस में कन्विक्शन नहीं थे। अगर किसी केस में नामधारी कन्विक्ट हुए हो, उस डेट तक, तो मैं चाहूँगा, आपके माध्यम से कि सदन को बताया जाय। तब तो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। अगर कन्विक्शन हुआ है तो वास्तव में बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन जब आज एक बहुत बड़ी बात आ गयी देश के सामने, नाम आये, पूरी इन्क्वायरी हुई। माननीय अध्यक्ष जी, 7 दिन तक वे देखते रहे, पूरी पार्टी के लोग यह देखते रहे कि हमारे सदस्य इसमे है भी या नहीं। जब कहीं से क्लू मिला कि प्राथमिक सदस्य फलाने सन् में बने थे तो तत्काली प्रभाव से हटा दिया। भारतीय जनता पार्टी की यह नीति है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का अगर पता लगता है, चाहे वह अपना भाई हो, या अपना कार्यकर्ता हो, आपराधिक व्यक्ति का, वह तब तक बचाव नहीं करती है, जब तक कि वह अपने को सही साबित न कर दे। मान्यवर, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उससे ऐसा लगा कि जैसे हमको सीधे-सीधे इंगित करके कहा गया, इसलिए मैंने यह बात आपके बीच में रख दी है। जहाँ तक सी0बी0आई0 इन्क्वायरी की बात है, इसकी डिमाण्ड हमने खुद नहीं करी है आपने ख्याल किया होगा न तो सी0बी0आई0 इन्क्वायरी के लिए अपनी सूचना में लिखा है, न कही पर जब हम यहाँ पर बोल रहे थे, तो उसमें सी0बी0आई0 इन्क्वायरी की बात आयी है। तो मैं एक निवेदन यह भी करना चाह रहा था कि जब सरकार को यह पता था कि फला व्यक्ति इस प्रवृत्ति का है, तो सरकार को तुरन्त उनको हटाना चाहिए था। आपको भी जाँच कर लेनी चाहिए थी। जिस तरह से आपने जाँच नहीं करी है, उसी तरह से हमने भी नहीं करी। जब आज एक मामला खुला, तभी तो यह बात यहाँ आयी, तभी आपने हटाया और तभी हमने पार्टी से निकाला। इसलिए इसमें भारतीय जनता पार्टी का या हमारी सरकार का, या माननीय, जिनके हाथों इनका अप्वाइन्टमेंट हुआ, उनका इसमें कोई हाथ नहीं है, मैंने इसलिए यह स्पष्टीकरण आपको दिया।

श्री विजय बहुगुणा–

माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं मुख्यमंत्री बना उसके बाद नामधारी जी से अनुरोध किया गया कि वे अपना त्याग-पत्र दे दे और आपके कुछ नेताओ से भी कहा गया कि वे त्याग-पत्र दे दे, उनका कार्यकाल 2013 तक है। जब पिछली सरकार थी तो जो काँग्रेस की सरकार में हमारे साथी बोर्ड के पदाधिकारी बनाए गये थे, जैसे हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी है, आप बद्रीनाथ मन्दिर समिति मे थे, उनका कार्यकाल शेष था लेकिन उनके ऊपर अनायास एक चक्रव्यूह बनाया गया और इनसे मजबूरी में इस्तीफा लिया गया। हमारी सरकार ने आपके जितने भी नियुक्त पदाधिकारी हैं, जो संगठन में है, किसी को भी हटाने का कोई कदम नहीं उठाया है। आप जानते हैं कि चुनाव तो जरूर

सितारगंज से लड़ा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा ऊधमसिंह नगर की धरातली राजनीति से मेरा सम्बन्ध नहीं रहा, इसलिए नामधारी जी क्या चीज हैं, मुझे नही मालूम था। जिस दिन पहली बार टी0वी0 में आया तो मैंने कहा कि मैं इनको हटा दूंगा और जब जॉच की गई तो पता चला कि इन पर 14 केस चल रहे है। आप सभी जानते हैं कि केस हटने मे समय लगता है, लेकिन जिसकी पृष्ठभूमि आपराधिक हो और जिस पर 14 केसेज चल रहे हों, मैं किसी व्यक्ति को मोटिव एट्रिबेट नही कर रहा हूँ, लेकिन यह एकऐसा उदाहरण हो गया है कि सभी सजग हो जायेंगे और जो भी सत्ता में रहेगा, वह यह देखेगा कि जो आदमी आ रहा है, उसकी पृष्ठभूमि क्या हैं हमने उनसे इस्तीफा मागा था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया, प्रतिपक्ष के भी कुछ नेताओं से अनुरोध किया गया, उन्होंने भी कहा कि इनका कार्यकाल शेष है, मैं उन नेताओं का नाम सदन में नही लेना चाहूँगा, जो घटना यह घटित हुई है, मैं फिर से विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी अधिकारी यदि उसमें लिप्त होगा या उनकी जो अतीत की गतिविधिया हैं, उसमें भी यदि कोई लिप्त होगा तो निश्चित तौर से सरकार कार्यवाही करेगी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय नेता सदन की बात से 100 फीसदी सहमत हूँ, व्यक्तिगत तौर पर मैं तो, मेरा भाई भी ऐसे में हो तो उसके पीछे खड़े होने की कुब्बत नही रखता हूँ और न ही हिमाकत करता हूँ। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ जैसा माननीय नेता सदन ने कहा कि हमने किसी का नही हटाया, हमारे जो सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष श्री मकवाना जी थे, जब उनको सरकार ने हटाया तो सरकार को न्यायालय में मुह की खानी पड़ी, तो उसके बाद से सरकार किसी को हटाने की हिम्मत नहीं करेगी, जब तक कि ऐसे केसेस न आये। तो मैं इसलिये यह याद दिला देना चाहता हूँ कि उनको भी सरकार द्वारा हटाया गया था।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री अजय भट्ट, श्री संजय गुप्ता तथा श्री यतीश्वरानन्द तथा नेता सदन जी को सुनने के पश्चात् मैं। इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश सरकार द्वारा अपने शासनादेश संख्या, परिवहन अनुभाग–01, दिनाक 29–11–2012 की अधिसूचना के अनुसार सभी प्रकार के वाहन जैसे बस, मैक्सी कैब, टैक्सी, मोटर कैब एव तिपहिया वाहनो पर आकस्मिक कई गुना कर वृद्धि कर दी गई है। आज पूरे प्रदेश के अन्दर वह लोग साकेतिक हड़ताल पर है, इससे परिवहन व्यवसायियो पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ा है। मान्यवर, आप समझ सकते हैं कि हमारे पूरे प्रदेश, चाहे उसमें

पूर्व सैनिक हों, चाहे हमारे सामान्य अन्य लोग हो, बहुत मुश्किल से अपनी आजीविका चलाने के लिये, परिवहन विभाग से जुड़े हुये है और पिछले कुछ वर्षों से लगातार डीजल बीमा, मोटर पार्ट्स के रेट में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिससे उनको लगता है कि उनके व्यवसाय के साथ बहुत भद्दा मजाक हो रहा है। इसके साथ ही परिवहन विभाग के जो लोग हैं, उसमे विशेषकर टिपहिया विक्रम के सम्बन्ध में बताना चाहता हूँ कि 2011 मे परिवहन आयुक्त द्वारा टिपहिया विक्रम वाहन, जो कि 6 सवारी मे पास था, उसमें एक सवारी बढ़ाकर सात सवारी कर दिया गया और उसको मैक्सी कैब की श्रेणी मे रख दिया गया। उस पर यात्री कर 725 रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये कर दिया और आज 3850 रुपये कर दी गई है और वह भी त्रैमासिक किया गया है।

मान्यवर, यह बिल्कुल न्याय संगत नही है, क्योंकि मैक्सी कैब का परमिट ऑल इण्डिया का होता है और टिपहिया का परमिट मात्र 25 किलोमीटर के दायरे में होता है। इससे हमारे जो विक्रम व्यवसायी है, उनके ऊपर बहुत आर्थिक बोझ पड़ रहा है। सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट बैंको और साहूकारों से महंगे ब्याज से ऋण लेकर वे व्यवसाय कर रहे है और इसी प्रकार से यदि यही स्थिति रही तो उन्होने आज जो सांकेतिक हड़ताल की है, जिससे पूरे प्रदेश के अन्दर आम आदमी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि सदन की शेष कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, राज्य गठन के उपरान्त वाहन से कर एवं अतिरिक्त कर की वसूली उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 एवं तदुपरान्त उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के प्राविधानों के अन्तर्गत लिया जाता था। उक्त दोनो अधिनियमों मे जो कर एवं अतिरिक्त कर की दरें लागू की गयी थी, वे वर्ष, 1998 से प्रभावी थी। इस प्रकार 14 वर्षों की अवधि मे वाहनों पर कर एवं अतिरिक्त कर की दरों मे कोई वृद्धि नहीं की गई थी। माह नवम्बर, 2012 मे उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 2012 लागू किया गया, जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के मोटर यान वाहनों पर दोहरी कर व्यवस्था को समाप्त करते हुए एकल कर मोटर वाहन कर का आरोपण किया गया। इसके अतिरिक्त कर ढॉचे का सरलीकरण किया गया है। माल वाहनों में पर्वतीय एवं मैदानी मार्गों मे भिन्न–भिन्न कर व्यवस्था को समाप्त करते हुए समान दर पर कर आरोपित किया गया है, इसी प्रकार प्राईवेट ऑपरेटर और उत्तराखण्ड परिवहन निगम पर भिन्न–भिन्न फार्मूले पर लिये जा रहे, कर को भी एक सूत्र में लाया गया है। राज्य गठन के उपरान्त माल भाड़े एवं यात्री किराये की दरो मे वर्ष 2001, 2005, 2008 एवं 2010 में वृद्धि की गई है, जबकि कर ढॉचे मे प्रथम बार संशोधन करते हुए उसे तर्कसंगत बनाया गया

है, जिसके फलस्वरूप कुछ मामलों मे कमी आयी है तो कुछ मे वृद्धि की गयी है। राज्य गठन को लगभग 12 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। यदि इस अवधि में मुद्रास्फीति की दर का आँकलन किया जाए तो इस समय करों मे अभी तक कई गुना की वृद्धि हो गयी होती, परन्तु राज्य सरकार द्वारा सभी पहलुओं पर विचार कर, करों को तर्कसंगत बनाया गया है। किसी भी मद मे एक गुना से अधिक वृद्धि नहीं की गयी है। 10 लाख मूल्य तक के निजी वाहनों पर पुरानी दर में 60 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के वाहनों पर कर की पुरानी दर में 100 प्रतिशत वृद्धि की गई है। भार वाहनों पर, मैदानी मार्गो पर कर की दर मे 35 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तीन पहिया वाहनों पर कर की दर में 100 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। मोटर कैब वाहनों पर पुरानी कर की दर में 83 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। मैक्सी कैब वाहनो पर कर की दरो में 32 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। ठेका बसो पर कर की दरो में 42.31 प्रतिशत की कमी की गई है, जबकि फैक्ट्री आदि मे चलने वाली ठेका बसों पर 46.34 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सिटी बसों पर कर की दरों मे 31.71 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है। स्टेज कैरेज वाहनों पर कर की दरों में वृद्धि नहीं की गई अपितु न्यूनतम् स्लैब को 50 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रतिदिन पर लाया गया है, जिसके फलस्वरूप कुछ मामलों मे 08 प्रतिशत तक की कमी हुई है, जबकि कुछ मामलों मे 93 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। मान्यवर, यह भी अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य मे अन्य राज्यों की तुलना मे अपेक्षाकृत अभी कम दर पर कर आरोपण किया गया है, जैसे प्राईवेट वाहनों पर पंजाब राज्य मे 06 प्रतिशत एवं 08 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश मे 07 प्रतिशत एवं 08 प्रतिशत कर लिया जाता है, जबकि उत्तराखण्ड राज्य मे 04 प्रतिशत एवं 05 प्रतिशत कर लगाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि माननीय प्रेमचन्द्र अग्रवाल जी की सूचना, जो उन्होंने दी है, मैंने अपना उत्तर इसमें दिया है, इसे अग्राह्य करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मै एक निवेदन आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूँ कि जैसे बजट लाने की बात पिछली बार सरकार ने कही थी कि हमने एक पैसा भी कर वृद्धि नही की है और अप्रत्यक्ष रूप से आपने 65 प्रतिशत, 100 प्रतिशत, 83 प्रतिशत, 43 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, ये कर बढाने की बात कही और घटाने की बात 05 प्रतिशत, 08 प्रतिशत और 10 प्रतिशत। आखिर मान्यवर, इस महंगाई के जमाने मे, जो लगातार महगाई ऊपर बढ रही है, गैस से लेकर, पेट्रोल से लेकर, डीजल से लेकर और आज आपने सीधे किराये में वृद्धि कर दी जो डॉयरेक्ट बया, ये तो सीधे ही हो गया कर में, ये डॉयरेक्ट कर लग गया, ये तो सारा बोझ इसी जनता के बीच मे आना है। इसलिए हमारा तो निवेदन रहेगा माननीय नेता सदन भी है, यहाँ पर सब है। चलिए, आप एक–दो प्रतिशत किसी

में बढ़ा लें। आपने 100 प्रतिशत एक में बढ़ा दिया, एक 83 बढ़ा, एक मे 65 बढ़ा दी और एक में 60 बढ़ा दी, ये तो अनर्थ हो गया, आप काफी ज्यादा बढ़ा रहे है। इसको बिल्कुल कम किया जाना चाहिए, यदि बढ़ाना आवश्यक हो तो। वैसे तो किराया नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि आपने जीरो बजट को इसी सदन में घोषणा करी है कि हम एक नया पैसा कर नही लगायेंगे। वैट पहले घटाया फिर बढ़ा दिया। किराया नहीं बढ़ायेंगे आज यह बढ़ गया। इसी तरह आगे बढ़ता गया तो आने वाले तीन–चार महीने मे फिर जीरो बजट आयेगा। मान्यवर, बजट आने से पहलें यह कैसी कर वृद्धि है। मान्यवर, इसमे आपका विनिश्चय आना चाहिए।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसे अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने अभी अपनी बात कही। मेरा भी इसमे मानना है कि जैसा कि अभी माननीय मन्त्री जी ने स्वयं स्वीकारा कि 83 प्रतिशत, 60 प्रतिशत, 43 प्रतिशत, इस प्रकार से आपने कर वृद्धि की है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि एक तरफ सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, इधर कर वृद्धि करके लोग पूरी तरह से, जिस प्रकार से मै महसूस कर रहा हूँ, डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, पार्ट्स के रेट लगातार बढ रहे हैं, बीमा के रेट लगातार बढ़ रहे है। ऐसी स्थिति मे अगर यह अपना व्यवसाय छोड़ने पर मजबूर होंगे तो परिवहन व्यवसाय, जो हमारे प्रदेश का प्रमुख व्यवसाय कहलाया जाता है, जिनकी यह आजीविका का यह प्रमुख साधन है, वह पूरी तरह से बेरोजगार हो जायेंगे और उससे आम जनता को भी भारी परेशानी होगी क्योकि आज आप देख सकते हैं कि सड़को के ऊपर जो हम ऋषिकेश से देहरादून के लिए डेढ़ दो घण्टे लगते थे, हालाँकि उस बात एक अच्छी बात हो सकती है। लेकिन जनता जगह–जगह खड़ी होकर उनको आज, क्योंकि रोडवेज की उतनी संख्या में और अच्छी बसे नही हैं, लोग जगह–जगह मारे–मारे खड़े हैं। उनको कहीं भी जाने में परेशानी हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मै आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि ये कर वृद्धि को और कम करे। इस पर और चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल जी और माननीय परिवहन मंत्री जी को सुनने के बाद मै इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

माननीय सदस्य श्री राजेश शुक्ला औ श्री अजय टम्टा की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

माननीय सदस्य राजेश शुक्ला की सूचना नियम–65 के अन्तर्गत है, जो पंतनगर विश्वविद्यालय में गैस सिलेण्डर फटने सम्बन्धित है, उनका यह कहना है कि इस पर पहले सदन मे आश्वासन भी दिया गया है, उनकी माँग है कि उन मृतकों के आश्रितों को डेढ़–डेढ़ लाख रुपये दिये जाने की घोषणा हुई थी, वह

पैसा नहीं मिल पाया है। इसलिए मैं इस सूचना को सम्बन्धित मंत्रालय से जाँच करवा कर आपको इसका उत्तर दिलवा दूँगा।

श्री राजेश शुक्ला—

मान्यवर, सदन के सम्मुख निश्चित रूप से कहा गया कि परसों तक पैसा पहुँच जायेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि परसों तक पैसा पहुँच जायेगा। मान्यवर, चार लोग मर चुके थे और चार मरने को खड़े थे, वे दो लोग इलाज के बिना मर गये। मान्यवर, 06 महीने गुजर गये, आज तक पैसा नहीं मिला। यह शर्म की बात है। मान्यवर, पूरे सदन के सामने कहा गया है, यह तो पूरे सदन की अवमानना है, इसमें माननीय अध्यक्ष जी आपका विनिश्चय चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, मैंने कहा कि यह उनको दे दिया जायेगा। जिन अधिकारियों ने इसे नोट किया, कायदे से उन्हें तत्काल दे देना चाहिए था। जब सदन में कुछ भी बोला जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी उसका संज्ञान लेते हैं, नहीं देना गलत हुआ। अब तत्काल दे दिया जायेगा।

श्री राजेश शुक्ला—

मान्यवर, कब तक दे दिया जायेगा ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, मिल जायेगा।

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, यह मामला इतना गम्भीर है कि 06 महीने पहले माननीय मंत्री जी ने एक आश्वासन दिया। 06 महीने पहले आश्वासन देने के बाद वह आज तक नहीं दिया गया, मामला तो बहुत गम्भीर है। माननीय मंत्री जी का सारा सदन सम्मान करता है, इस वजह से कोई कुछ नहीं कह रहा है। यह मामला तो सदन को गुमराह करने का खुलेआम बनता है। क्योंकि म बार–बार कह चुका हूँ कि सदन में अधिकारी बैठते नहीं हैं। आपने विनिश्चय दिया है, उसके बावजूद जिन अधिकारियों को जिस डेस्क पर बैठना होता है, बैठते नहीं। मंत्री जी आश्वासन देते रहते हैं, नोट करने वाला कोई होता नहीं है, बस आया राम गया राम करके होते रहता है और छः महीने बाद कोई पूछता नहीं है। आज माननीय नेता सदन यहां पर हैं, इसलिए अधिकारियों को कड़ाई से निर्देश जाने चाहिए। मान्यवर, यह सदन इसलिए होता है, अगर हम बजट पास नहीं करे, अगर हम लेखानुदान पास नहीं करें तो एक नये पैसा का वेतन नहीं जा सकता है और यहां के विकास कार्य रूक जायेंगे। मान्यवर, यहां के अधिकारियों द्वारा जितने हल्के ढंग से सदन को लिया जाता है, इसका उदाहरण और कहीं नहीं देखा

जाता है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं पुनः माननीय नेता सदन से निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरह से यहां की नौकरशाही बेलगाम हो गयी है और किसी को पूछती ही नहीं है, उसको कसना बहुत आवश्यक हो गया है और इसका परिणाम बहुत बुरा होगा।

हिमालयन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि हिमालयन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि चार विश्वविद्यालयों के यहाँ पर विधेयक आ रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो या निर्देश हो तो इन चारों विधेयकों को एक साथ ले लिया जाय। सभी विधेयक लगभग एक समान हैं। क्योंकि इसमें हमको अलग–अलग विधेयक के बारे में न कहना पड़े।

आई0एम0एस0 यूनिसन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि आई0एम0एस0 यूनिसन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

उत्तरांचल विश्वविद्यालय विधेयक, 2012

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय विधेयक, 2012

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, लगभग चारों विधेयक का उद्देश्य एक ही है। मान्यवर, यह विश्वविद्यालय विधेयक लाने क्यों पड़े और क्या ऐसी परिस्थिति हो गयी है कि हमको इन प्राइवेट विश्वविद्यालय के विधेयक लाने बाध्य हुए। मान्यवर, सदन में लगातार यह प्रश्न उठाया जा रहा (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त हो जायें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, सरकार की मंशा स्पष्ट है कि क्षेत्रीय नौजवानों को क्या सुविधा मिलेगी विश्वविद्यालय से, फीस में क्या सुविधा मिलेगी और पढ़ाई में क्या सुविधा मिलेगी ? इसका अध्ययन करने के बाद और कैबिनेट में प्रस्ताव आने के बाद, यह विश्वविद्यालय के विधेयक लाये गये हैं। मान्यवर, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा देहरादून को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए यह प्रयास चल रहे थे कि दुनिया के अन्दर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा को हब बनाया जाय। जहां खेल के माध्यम से पर्यटन स्टेट बनाये जा रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से पर्यटन स्टेट बनाये जा रहे हैं। माननीय मदन कौशिक जी, आपको विश्वास नहीं हो रहा है।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, केवल एक ही मुख्यमंत्री जी का नाम लिया है। माननीय नित्यानन्द स्वामी जी हुए, माननीय कोश्यारी जी हुए। (व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, माननीय नित्यानन्द स्वामी जी के समय में विश्वविद्यालय नहीं आये थे, प्रमुख रूप से माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के समय आये थे। मैं माननीय नित्यानन्द स्वामी जी का बड़ा आदर करती हूँ क्योंकि वे हमारे स्पीकर रहे हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से निर्देश दिये हैं और जो लोग उस समय सदन में बैठे होंगे, उनको याद होंगे। हम उनका भी आदर करते हैं। मान्यवर, माननीय तिवारी जी के मन में एक शिक्षा का हब बनाने का विचार आया। दुनिया के देशों में जिस प्रकार से पर्यटन का हब बढ़ रहा है। मान्यवर, वहां शिक्षा के हब और चिकित्सा के हब के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है तो उत्तराखण्ड में भी यह चिन्तन मंथन हुआ कि यह शिक्षा का हब बने, केवल यह नहीं कि बाहर से लोग पढ़ने आयें। हमारे स्थानीय नौजवानों का क्या सुविधा मिलेगी। मान्यवर, जिस कम्पनी ने यह इच्छा व्यक्त की है कि हम प्राईवेट विश्वविद्यालय खोल सकते हैं, हमारे पास यह अर्हतायें हैं, हमारे पास यह न्यूनतम उपलब्धिया है कि जिनके आधार पर जो मानक निर्धारित है, उनके आधार पर हम निजी विश्वविद्यालय खोल सकते हैं, उस पर मंथन हुआ, विचार हुआ, काफी विस्तृत विवेचना की गई, कैबिनेट में भी विस्तृत विवेचना हुई और अन्त में इस क्षेत्र के विद्यार्थियों के हित में इस पर निर्णय लिया गया, इसमें पहला तो यह है कि यह यहाँ का स्थाई निवासी हो और निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क में उसे 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी, छूट दी जायेगी और ऐसा कहीं नहीं है, यह केवल स्थानीय कैण्डीडेट को दिया जायेगा, इसके अतिरिक्त सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश में 40 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को आरक्षण दिया जायेगा, यह भी प्राविधान किया गया है। इस प्रकार 40 प्रतिशत उत्तराखण्ड के ही युवक–युवतियां ही पढ़ाई के लिए लेनी पड़ेगी और उनको फीस में कन्सेशन

दिया जायेगा, यदि आरक्षित सीट खाली रह जाती है तो राज्य सरकार की अनुमति लेकर रिक्त सीटें अन्य अभ्यर्थियों से उस स्थिति में भरी जायेगी, जब कोई 40 प्रतिशत का कैण्डीडेट नहीं आयेगा। प्रदेश के स्थायी निवासियों का जो समूह–ग और समूह–घ श्रेणी के हैं, की समस्त पदो पर भर्तिया केवल उत्तराखण्डवासियों की ही की जायेगी, ये सब शर्तें हम लोगो ने रखी हैं और कैम्पस भी बनाया जायेगा, 25 सौ फिट की ऊँचाई से ऊपर पर्वतीय क्षेत्र में, इसके ऊपर राज्य सरकार की पूर्वानिधि से अपना द्वितीय परिसर स्थापित कर सकता है, इसकी कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई ह, जगह कम होगी तब भी सुविधा दे दी जायेगी, पर्वतीय क्षेत्र मे शिक्षा के लिए प्रचार–प्रसार, उत्तराखण्डवासियों को सुविधा, नौकरी देने की दृष्टि से भी उन्हें विशेष स्थान, फीस मे भी उन्हें विशेष छूट, इस प्रकार इन चारो निजी विश्वविद्यालय मे स्थाई निधि के रूप मे पहले एक करोड था और अब 5 करोड की स्थाई निधि यहॉ जमा हो गई है। तो इसके पीछे पूरा उद्देश्य स्थानीय नौजवानो को सुविधा और उनको प्रवेश मिले और आपको मालूम है कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको यह बात पता है कि प्रवेश में कितनी कठिनाई होती है, कभी साईंस ग्रुप नही मिलता है, कभी कामर्स ग्रुप नही मिलता है, कभी आर्ट ग्रुप नही मिलता है, बहुत सारी कठिनाई होती है, इसलिए इन विश्वविद्यालय को बाध्य किया गया है कि राज्य में आप प्राईवेट विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं, तो इसी शर्त पर दे सकते हैं कि उत्तराखण्ड के राज्यवासियो को, नौजवानों को पढने वाले लोगों को ये सुविधायें देंगे, इस दृष्टि से ये चारों विश्वविद्यालय (व्यवधान) मान्यवर, इसका जो उद्देश्य था वह किया है और इस उद्देश्य से आप इन्कार नहीं कर सकते हैं, सुविधा भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा और टूरिस्ट स्टेट के रूप में इसका स्वागत भी होगा, एजुकेशन हब भी बनेगा। मै समझती हूँ कि इस एक मत से स्वीकार कर लें, माननीय श्री अजय भट्ट जी अपने दल की ओर से समर्थन देंगे। धन्यवाद।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "हिमालयन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।" को स्वीकार किया जाये।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "आई0एम0एस0 यूनिसन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन मे प्रस्तुत करे।" को स्वीकार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "उत्तरांचल विश्वविद्यालय विधेयक, 2012, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर

दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन मे प्रस्तुत करे।" को स्वीकार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय विधेयक, 2012, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।" को स्वीकार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मैं कुछ बात बोलूं इससे पहले ही आप इसे प्रवर समिति को भेज दें। चूँकि जब मैं बोलूगा तो मुझे सब कुछ बोलना पड़ेगा। प्रदेश के लिए हमने शपथ ली है कि हम किसी बात को नहीं छिपायेंगे और आप उधर शपथ लेकर आये हैं कि आप प्रदेश के हित में कार्य करेंगे, बिना राग–द्वेष के। आप ध्यान से सुने क्योंकि आपको भी बाद में पीढ़ियां कोसेंगी। कौन थे मंत्री उस समय, माननीय यशपाल जी थे, मुख्यमंत्री कौन थे, माननीय बहुगुणा जी थे, नेता प्रतिपक्ष कौन थे, भट्ट जी थे, बोल नही पाये, विधायक कौन थे, सभी 71 माननीय सदस्यों के नाम आयेंगे। मान्यवर, सबसे बड़ी बात तो यह भी है कि उस समय यह भी पूछा जायेगा कि सदन की कार्यवाही मे माननीय अध्यक्ष कौन थे, मान्यवर आपका भी नाम आयेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं कुछ बोलूं, इसमे कुछ नहीं होता है, प्रवर समिति को जाता है, आप सत्ता दल मे है। (विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) इधर से एक भी न बोले, उधर से बोल रहे हैं तो उनको बोलने दे। इधर से एक न बोलें यह मेरा सीरियस आर्डर है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि कोई बात सार्वजनिक न हो, कोई बात सबके सामने न आने पाये और इसमें किसी की कोई इनसल्ट की बात भी नही है। प्रवर समिति को विधेयक जाते है, सरकार का बहुमत होता है और वह उसको पास करवा लेती है। अगर सत्तापक्ष चाहता है, माननीय सदन चाहता है तो मेरी एक बात मान ले, ये चारों विधेयक प्रवर समिति को सौंप दें, ताकि मैं कुछ भी न बोलूं और मेरा दल मेरे साथ रहेगा। मान्यवर, अगर सहमति हो आपकी तरफ से, माननीय नेता सदन हैं तो मैं चाहता हूँ कि ये चार के चार विधेयक सीधे प्रवर समिति का चले जाय, ताकि सदन का समय भी बच जायेगा और मैं जो बात बोलना चाहता हूँ वह बात भी नहीं बोल पाऊंगा और कुछ बाते ऐसी हैं कि अगर उनको न बोला जाय तो सबके पक्ष मे ठीक रहता है, उन बातों का संशोधन पहले ही कर लिया जाये, माननीय अध्यक्ष जी, चार विधेयकों को हमने एक ही मे क्लेपिंग कर दिया है, इसकी सदन ने अपनी अनुज्ञा दे दी है।

मान्यवर, धारा–3 मे लिखा है कि विश्वविद्यालय पर्वतीय क्षेत्रों हेतु 2500 फिट से ऊपर द्वितीय परिषद् खोलने के लिए बाध्य होगा, समय सीमा नहीं होगी, यह साफ–साफ लिखा हुआ है। मान्यवर, अब 2500 फिट कितना है, राजपुर खत्म होते ही और उधर से कितना है काठगोदाम रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा

आगे, तो आखिर इस विधेयक में हम क्या बताना चाह रहे हैं। हम बोल तो रहे हैं कि गैरसैंण में विधान भवन बना रहे हैं कि हम चलायेंगे एक सत्र उसमें, लेकिन कर क्या रहे हैं, हम उसके ऊपर, कहीं पर भी उद्योग नहीं जायेंगे। मान्यवर, यह एक उद्योग है, पॉल्युशन रहित उद्योग है। इसमें कम्पल्सरी होना चाहिए था कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत जितनी सीमा रखी गयी है कि इतनी ऊँचाई से ऊपर को वन संरक्षण अधिनियम लागू होगा तो उतनी ही ऊँचाई से ऊपर को ये यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। यह मेरा पहला सब्मिशन है। बाकी मैं बहुत सारी चीजों मे आऊँगा। अब आपने कह ही दिया है धारा–12(क) मे लिखा है, कुलाध्यक्ष राज्य के राज्यपाल महोदय होंगे और विजिटिंग होंगे, उनको कोई शक्ति नहीं होगी, खाली वे कन्वोकेशन आदि में आएंगे। कोई और पॉवर जैसी उनको अन्य विश्वविद्यालयों पर होती है, ऐसी पॉवर कहाई नहीं होगी। धारा–28(1) मे लिखा है, व्यवस्थापक मण्डल द्वारा परिनियम बनाए जाएगें और यदि 3 महीने के अन्दर सरकार ने उनको अनुमोदित नही किया, नियम कौन बनाएंगे, जो यहाँ के कुलाधिपति होंगे। कुलाधिपति कौन होंगे, यह महामहिम नहीं होंगे, जिनको हम अन्य विश्वविद्यालयो में कुलाधिपति कहते हैं, महामहिम को इन्होंने कुलाध्यक्ष कह दिया है। तो नियम बनाएगे कुलाधिपति, कुलाधिपति कौन होंगे, 2–3 विधेयकों मे तो लिखा है कि जो हमारा व्यवस्थापक मण्डल है, उसका वरिष्ठतम सदस्य होगा और इसमें लिखा है कि जो 3 लोगों की कमेटी होगी, अपने ही लोगो की, उसमे से चयनित कर लिया जाएगा। यानि कि उसी विश्वविद्यालय के होंगे, उन पर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा। धारा–28(2) में साफ लिखा है कि यदि 3 महीने में यूनिवर्सिटी द्वारा बनाए गये अधिनियमों और नियमों को सरकार ने पारित नही किया, माना सरकार का कोई व्यक्ति मिल गया, उसने कह दिया, तीन महीने हो जाने दे, पास मान लिया जाएगा। तो वह अपने आप पास हो जाएगा। वह पास मान लिया जाएगा।

मान्यवर, यह स्पष्ट लिखा है। धारा–33(1) में लिखा है उत्तराखण्ड के लिए सीटों में 40 प्रतिशत की छूट, धारा–33(2) में लिखा है शिक्षण शुल्क में 26 प्रतिशत की छूट। पूर्ण शुल्क होगा किसी मे नहीं लिखा है, जो ट्यूशन शुल्क होगा, उसमे छूट दे रहे हैं। मैं इस पर बाद मे आता हूँ। धारा–33(3) मे लिखा है–समूह ग और घ के पदों पर प्रदेश के स्थाई निवासियों की भर्ती। धारा–42 में लिखा है–स्थाई विन्यास निधि (कॉरपस फण्ड) हटाकर 5 करोड़ रुपया बैंक गारण्टी के रूप में होगा। आज तक जो विश्वविद्यालय बनते थे, 5 करोड़ रुपया देते थे, वे यह नहीं है, सदन गफलत मे न रहे कि यह जो 5 करोड़ रुपया दे दिया है, बहुत बड़ी बात हो गयी है। यह जो 5 करोड़ की स्थाई विन्यास निधि है, सदन के हर सदस्य को जानना है कि यह बैंक गारण्टी के रूप मे दी जाएगी। पहले यह 5 करोड़ की कॉरपस मनी को नकद रखते थे, उसके पीछे उद्देश्य था कि अगर कल को यह विघटित हो जाता है, कल को भाग जाता है, जो खोलने वाला है, वह कहीं बाहर चला जाएगा, तो यहाँ के

अधिकारी, कर्मचारी और उसमें रहने वाले लोग कैसे जिएंगे, क्या होगा उनका, देनदारियॉं कौन देगा, इसलिए जो कॉरपस मनी कैश रखी जाती थी, फिक्स डिपॉजिट रखा जाता था, गवर्नमेंट के नाम पर, इसलिए 5 करोड़ रुपया रखा जाता था। अब उसे हटा दिया गया और उसको हटा कर क्या कर दिया गया, उसको हटा कर 5 करोड़ की बैंक गारण्टी ले ली गयी। बैंक गारण्टी अधिकांश समय पर फर्जी भी हो सकती है। वह नाम पर किसके होगी, नाम पर उसी के होगी, जिसने रखी है और प्लेज होगी सरकार के नाम पर। इसमें भी चालाकी की है। विघटन की स्थिति में कैसे करेंगे ? मैं पहले का प्रोविजन बता रहा हूँ। मैं पहले ही कह रहा था कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहता इसमें। (व्यवधान) मैं कई रोचक चीजें लाया हूँ, आपके जानने के लिए। मान्यवर, आज कितने विश्वविद्यालय हो गये हैं, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि अब 13 हो जाएंगे। हिमगिरि विश्वविद्यालय, पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, इक्फाई विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, पतंजलि विश्वविद्यालय, ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय और तीन डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हिमालयन डीम्ड विश्वविद्यालय, ग्राफिक एरा डीम्ड विश्वविद्यालय, अब हम ये 4 और देने जा रहे हैं, तो कुल 13 हमारे पास हो गये हैं मैं कह रहा हूँ कि दीजिये, हमें कोई ऐतराज नहीं है, देहरादून में एजुकेशन हब बनना चाहिये, हमारे प्रदेश में खूब लोग आये। लेकिन नियम और कानून की तो अनुपालन होनी चाहिये, कौन मना कर रहा है, खोलने के लिये, खूब खोलें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने भी एक्ट बनाये हैं, एक्ट बनाते समय देश के अन्य राज्यों की भी स्थिति को देख लेते, उदाहरण सामने है कि झारखण्ड में कैसा हुआ था, वहां पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा था, पूरे देश भर में वहां की बदनामी हुई थी। कम से कम हमें भी एक्ट बनाते समय इन सब चीजों को देख लेना चाहिये था, हड़बड़ी क्या है, कौन मना कर रहा है, खोलिये, लेकिन कानून को तो फॉलो करिये। आज हम चारों के लिये अलग-अलग एक्ट यहां पर लाये हैं, लेकिन हमारा एक अम्ब्रेला एक्ट होना चाहिये, जिसमें हो कि यूनिवर्सिटी कैसे खुलेगी, जिससे कल के दिन कोई परेशानी न हो, एक्ट के प्रावधानों में जो कवर होते हैं, उनको सरकार स्वीकृति प्रदान कर सकती है। अब इन पर नियंत्रण कैसे होगा, यह चाह क्या रहे हैं, यह अपने को प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाना क्यों चाहते हैं, यह भी जानना हमको बहुत जरूरी है, जितने भी लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, मेरे उन सभी से बहुत अच्छे पारिवारिक सम्बन्ध हैं और सत्ता पक्ष के लोगों के भी सम्बन्ध हैं, इसमें भी हमें कोई एतराज नहीं है। अगर हम आज जिन्दा मक्खी देखकर निगल जायेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। आज तक हम ए0आई0सी0टी0ई0 की गाइड लाईन से हम गवर्न होते हैं, इसके लिये हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी, उसके नियन्त्रण में सारे विद्यालय होते थे, जिसको अब 10 करोड़ का नुकसान होगा, उसकी भरपाई के लिये भी हमने कुछ नहीं सोचा है। जैसे ही हम डीम्ड यूनिवर्सिटी बने, वैसे ही हम सरकार के नियंत्रण से अलग हो गये, भले ही नेता सदन के पास

50 पर्चे पीछे से आगे, ऐसा नहीं है करके, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उसके बाद फीस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता है। मान्यवर, जैसे ही यह डीम्ड यूनिवर्सिटी बनेंगी तो फीस का निर्धारण कौन करेगा, कौन देखेगा कि यह चल रहे है या नहीं चल रहे हैं, मैं इन चारों की ही बात नही कर रहा हूँ, कल के दिन और भी डीम्ड यूनिवर्सिटी खुलेगी। कहीं अन्य प्रदेशो की तरह ही न हो जाय कि दो–दो कमरों में यह खुलने न लग जाय, उनके कैम्पस भी न हों, यू0जी0सी0 की गाईड लाईन पर भीखरे न उतरे, ए0आई0सी0टी0सी0 की गाईड लाईन पर भी खरे न उतरें, तो कौन इसे देखेगा, सरकार ने तो इस पर नियंत्रण खो दिया, प्रोविजन तो आपने कर दिया कि 26 प्रतिशत फीस में छूट देनी होगी, लेकिन कौन देखेगा कि छूट दे रहे हैं या नहीं। यह जो मैंने 9 विश्वविद्यालय बताये हैं, क्या इनके सम्बन्ध मे सरकार के पास कोई श्वेत–पत्र है कि जो आपने कहा है कि 40 प्रतिशत हमारे यहां के लोगों को देंगे तो कितना दिया है या दे रहे हैं।

मान्यवर, सदन इसको आपके माध्यम से जानने का अधिकारी है, तो जैसे ही यह विश्वविद्यालय बने, सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गये, मनमानी फीस होगी, मनमाने काम होंगे, मनमाने नियम बनेंगे। यदि हम तीन महीने तक उन नियमो को नहीं देखेंगे तो तीन महीने बाद यह नियम स्वतः ही पास समझे जायेंगे। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि कौन देखेगा कि 40 प्रतिशत एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन देखेगा कि फीस में 26 प्रतिशत छूट दी जा रही है या नहीं, कौन देखेगा कि विश्वविद्यालय मे उत्तराखण्ड के लोगो को क्लास थ्री और फोर्थ की नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही है, जो कि एक्ट मे लिखा हुआ है कि मिलनी चाहिये। यू0जी0सी0 की गाईड लाईन और ए0आई0सी0टी0सी0 की गाईड लाईन पर यह चल रहे है या नहीं, इसे कौन देखेगा, भवन इत्यादि मानकों के आधार पर है या नही, इसे कौन देखेगा। हमने तो उन्हें खुला छोड़ दिया है, इसलिये सरकार से निवेदन है कि इसमें अम्बेला एक्ट होना चाहिये, एक एक्ट बन जाना चाहिये, क्योंकि भविष्य मे भी यूनिवर्सिटी खुलेंगी। कौन देखेगा कि वहा पर पढ़ाई हो रही है या नहीं, कौन देखेगा कि फैकल्टी है या नही, कौन देखेगा कि इनमें मानकों के अनुसार स्टाफ है कि नहीं है, बदनामी अन्त मे प्रदेश की होगी। यह मेरा विषय नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, यह सभी दीर्घाओं में बैठे उत्तराखण्ड की जनता का विषय है। मान्यवर, और ट्रेजरी बैंच मे बैठे सारे मंत्री महोदयान और सारे सदस्यो का विषय है। यह कोई मेरा एक विषय नही है। मैं इनका कतई विरोध नहीं कर रहा हूँ। मान्यवर, श्री राज्यपाल को कोई हमने पॉवर नहीं दी। एक अतिथि के रूप मे आयेंगे कभी–कभी। ये मामला तब गम्भीर हो जाता है, जब 10 करोड़, जो हमारा यहां की टक्निकल यूनिवर्सिटी है, जिसको इससे लाभ हो रहा था, उसकी हमने बिल्कुल चिंता नहीं करी और विद्यालयो को हम आगे ला रहे हैं। आना चाहिए हमको दिक्कत नहीं है, ये सब के सब उत्तराखण्ड के मूल निवासी हैं, उन्होने बहुत हिम्मत की, मैं बधाई देना चाहता हूँ, इन सबको

कि इसने आगे तक ले जा रहे हैं। आपसे कोई बात नहीं चूकी है, आ गये हैं तो आगे के लिए कम से कम गाईड लाईन तो बने। इसमें महामहिम जो हमारे प्रदेश के हैं, उन्होंने बड़ी चिंता व्यक्त की है और मेरे पास इसके प्रमाण हैं कि महामहिम ने इसमें जो कहा है वो बहुत गम्भीर बात है। महामहिम ने कहा है या नहीं कहा है, नेता सदन, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे पास व्यक्तिगत रूप से आये और उन्होंने चार निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के बारे में मुझसे विस्तार से चर्चा की और मुझसे व्यक्तिगत अनुरोध किया कि इसे जल्द से जल्द करना है और कहा कि इसमें देरी होने से कुछ लोग निहित स्वार्थों एवं राजनीतिक लाभ के लिए इस समय का उपयोग करने की कोशिश कर सकते हैं, जबकि मैंने उन्हें इसकी खामियों के बारे में बता दिया है, उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसको ठीक कर लूँगा। तो फिर क्या ठीक किया। अगर आपको मेरा यकीन नहीं है, मैं मात्र आपके दृष्टान्त के लिए अंग्रेजी वर्जन जिसका हिन्दी पढ़कर सुनाया, आपके संज्ञान के लिए दे रहा हूँ। (तत्पश्चात् सम्बन्धित दस्तावेज माननीय मुख्यमंत्री जी को उपलब्ध कराया गया।)

मैं यह पूछना चाहता हूँ, मान्यवर, इतनी गम्भीर बात क्या हो गयी थी कि आपको अध्यादेश लाना पड़ा, कौन से छात्रों का एडमिशन नहीं हो रहा था, कौन छात्र ऐसे थे जो एडमिशन के लिए तड़प रहे थे, कौन सी ऐसी बात थी कि माननीय नेता सदन को स्वयं जाकर बात को कहना पड़ा, कौन से ऐसे वो कारण थे, कौन से ग्रिवान्सेज थे, ग्रिवान्सेज शब्द इसमें लिखा है, अंग्रेजी में। इसलिए मान्यवर, यह गम्भीर मसला है, यह छोटा–मोटा नहीं है। इन चार विश्वविद्यालयों को आप पास करिये, लेकिन आगे के लिए नियम बनाईये। मैं सदन से निवेदन करता हूँ, मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से, कि आज आप जरूर इसको प्रवर समिति को सौंपे और प्रवर समिति को सौंपने के बाद एक महीने में इसकी रिपोर्ट लें और इनको बनायें। कम से कम वो पूर्तियाँ तो कर लें, कम से कम एक अम्ब्रेला एक्ट तो बना लें, जिस पर हम इनको गाईड करें। आज माननीय नेता सदन आप हैं, कल को कोई दूसरा होगा, आज मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, कल कोई तीसरा होगा, ये कोई परमानेंट पोस्टें तो हैं नहीं, जो माननीय विधायकगण बैठे हैं तो कल कोई दूसरा होगा तो इसलिए यह बदलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन जो सिटीजन आज होगा वो हमारे सम्मुख होगा, हमारे सामने होगा। जिन अधिकारियों ने इस एक्ट को बनाया होगा, वो तो उड़ जाएंगे रिटायरमेंट के बाद। मैं विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वो चले जाएंगे अधिकारी यहां से, कोई हो चाहें, लेकिन इस सदन में, इस प्रदेश में कोई रहेगा, आप और हम रहने वाले हैं, चाहे पक्ष में हों, चाहे विपक्ष में हों मान्यवर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप मुझे बताईये कि स्थाई विन्यास निधि को जो 05 करोड़ था, उसे नहीं करने का क्या कारण था ? कल को विघटित हो जाता कोई विश्वविद्यालय किसे पकड़ेंगे हम। आखिर जिन्होंने इसको बनाया, सोच–समझ कर बनाया था।

मान्यवर, पहले इसको बनाने के दो तरीके थे। हम इसमें लेटर ऑफ इंटेंट देते थे, पहल जब विश्वविद्यालय बनाया जाय, एल0ओ0आई0। उसके बाद एक सर्च कमेटी होती थी, जो कमेटी जाती थी कि सारी चीजें तय हैं, सारी चीजें परिपूर्ण हो गयी हैं तो विश्वविद्यालय बना दिया जाय। उसके बाद इसमें सारे चीजें होती थीं, मान्यवर, यह हबड़-तबड़ में उठाया है, जल्दीबाजी में उठाया गया है और भविष्य में इसके बहुत गम्भीर कान्सीक्वेन्सेज होंगे और आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। इसलिए विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इसको प्रवर समिति को सौंपा जाय। इसका मुझे कोई विरोध नहीं है। एक महीने का समय लगता है जो छोटी-मोटी बातें रह गयी हैं, उनको ठीक कर दें और ठीक करने के बाद मान्यवर, बन जाय। यह मेरा निवेदन है। इतना ही कह कर मैं अपनी बात पर बल देता हूँ।

श्री मदन सिंह बिष्ट-

माननीय भट्ट जी, आपने कहा कि इन बातों को पास कर दिया जाय, इसका मतलब आपकी सहमति है।

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, हमारी सहमति तब होगी जैसे छत्तीसगढ़ में राजस्थान में हम लोगों ने एक अम्ब्रैला एक्ट बनाया है, वह एक्ट बन जाता है, वह एक्ट गाइड करता है, उसके अनुसार कार्यवाही होती है। हमारी सहमति इन्हीं को क्यों और भी आगे प्रदेश में। लेकिन आज हमारी बिल्कुल सहमति नहीं है। बारस्ट में मान्यवर, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मैं अपने प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री मदन कौशिक-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष का जो प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव था, उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, कहीं न कहीं हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य के मन में जो है, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्यों के मन में वास्तव में कुछ न कुछ है। (व्यवधान) थोड़ा बोलने पर ही इतना ज्यादा बोलना इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ है जरूर, कहीं न कहीं यह निकल कर आ रहा है, जो माननीय अजय भट्ट जी ने प्रवर समिति वाला विषय कहा, इससे यह कहीं न कहीं चुप हो गये थे, वोटिंग हो जाये तो कुछ आ जाये। (माननीय सदस्य श्री हरीश धामी द्वारा बैठे-बैठे कुछ कहने पर विपक्ष के किसी एक माननीय सदस्य द्वारा कहा गया कि माननीय सदस्य, श्री धामी जी का जुगाड़ हो गया है।) (व्यवधान)

मा0 मुख्यमंत्री (श्री विजय बहुगुणा)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री धामी जी को यह कहना कि कहीं [×××] हो गया, यह भाषा ठीक नहीं है, इसको डिलीट कर दिया जाये।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह प्रदेश एक एजुकेशन हब के रूप में स्थापित हो, यह निश्चित रूप से पूरे सदन की मंशा है। मान्यवर, इस प्रदेश की जो समस्त बड़ी समस्या है, वह पलायन की है। कहीं न कहीं हम पलायन की चर्चा करते हैं तो उस पलायन को लेकर विरोधाभाष भी उत्पन्न हो जाता है कि हमारे आदरणीय हरभजन सिंह चीमा जी यहाँ बैठे है, इन्होंने एक वक्तव्य दिया तो सब लोग कहने लगे कि इनका वक्तव्य ठीक नहीं है। लेकिन हम पलायन को कम करना चाहते है, पलायन को समाप्त करना चाहते है, पलायन को रोकना चाहते है, तो हमे कुछ नीति तो बनानी पड़ेगी, चाहे वह औद्योगिक नीति हो, चाहे वह एजुकेशन की नीति हो। यदि उस नीति को हम ध्यान मे नही रखेगे। इससे पूर्व जब हम लोग सरकार मे थे, उस समय जब विश्वविद्यालय बन रहे थे तो मैंने इस चीज को माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा है और आज भी इस चीज को मै दोहरा रहा हूँ। यदि हम उस नीति पर नहीं चलेंगे तो आज ठीक है हम लोग विश्वविद्यालय एक्ट या जो भी नीति बनेगी। लेकिन आने वाले समय मे कही न कही जिस चीज की हम चिन्ता व्यक्त करते हैं, वह कहां जायेगा। विश्वविद्यालय बनना है, कितने विश्वविद्यालय बनने हैं, लेकिन शर्त आप लगा दे कि एक विश्वविद्यालय उत्तरकाशी में जायेगा, कैम्पस भी वहीं रहेगा और सब कुछ वहीं रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, कहीं न कहीं उस सीमावर्ती जिले मे यदि वहाँ विश्वविद्यालय स्थापित होगा तो वहाँ पर पाँच हजार, दस हजार बच्चे आयेगे। तो उस जिले का जो एक सोशल लाइफ है, कहीं न कही जो स्थिति है, वह अपने आप ऊँचा उठेगा। दूसरा विश्वविद्यालय खुलना है तो हम कहेगे वह पिथौरागढ मे होना चाहिए, चमोली में होना चाहिए। हमने उस समय भी कहा और आज भी कह रहे हैं। मान्यवर, यह एक ऐसा विषय है, इस पर कही न कही पूरे सदन को चिन्ता होनी चाहिए। माननीय अजय भट्ट जी ने जिस विषय को कहा है, मै उनके कुछ बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। यदि आज हमे इस प्रदेश की चिन्ता करनी है तो सवाल यह नहीं कि गैरसैंण मे आप एक भवन बनायेंगे वहाँ पर एक सत्र भी करेंगे, इससे प्रदेश का विकास होने वाला नही है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, कैबिनेट की बैठक होने से विपक्ष के पेट मे दर्द होना शुरू हो गया था।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अजय भट्ट जी ने जिस विषय को कहा है, उन्ही बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आज हमें इस प्रदेश की चिन्ता करनी है तो सवाल यह नही कि आप गैरसैंण में एक भवन बनायेंगे, गैरसैंण मे एक सत्र भी करेगे तो इससे प्रदेश का विकास होने वाला नही है। मान्यवर, भवन बनाने

से विकास होने वाला नहीं है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बैठे-बैठे बोलने पर व्यवधान) मान्यवर, वास्तव में विकास चाहते हैं तो विकास पर्वतीय क्षेत्र मे करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है, कृपया बीच में मत बोलें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, विकास के केन्द्र बिन्दु पर्वतीय क्षेत्र में बनाने चाहिए। यदि वास्तव में राजधानी गैरसैण मे बनती है तो विकास अपने आप हो जायेगा। यहां विश्वविद्यालय खोलने की बात है और कोई भी विश्वविद्यालय बनायें, आप केवल इतना तय करें कि विश्वविद्यालय पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चम्पावत अन्य जिलो मे बने। सरकार उनको जमीन दे और सरकार उनको सुविधायें दें, इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब वहा पर कैम्पस खुलेगा और पॉच हजार या दस हजार छात्र रहेगे तो वहां हर चीज अपने आप होगी। यदि सब कुछ देहरादून में बनती हैं तो बाकी स्थिति आपके सामने है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय अजय भट्ट की बातों पर बल देते हुए निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि जो विश्वविद्यालय बनने हैं, वह देहरादून बनने के बजाय, इनको पूरे पर्वतीय क्षेत्र मे बनना चाहिए। मान्यवर, यहा एक कैम्पस खुले और थोड़े दिनो के बाद दूसरा कैम्पस खुलेगा, इसका क्या मतलब हुआ ? मान्यवर, यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में बनाते हैं तो इससे आधे तो विश्वविद्यालय वापस हो जायेंगे, जिन्होंने एप्लाई किया हुआ है। इस प्रकार से वह कहने लग जायेगे कि हम विश्वविद्यालय नही बनाते हैं। (व्यवधान) मान्यवर, माननीय मंत्रि-मण्डल के भी इसमे सहयोग नही चाहते हैं कि यह पास हो, मान्यवर, इन्होंने कहा कि 2500 फुट से ऊपर कैम्पस खोलना नहीं है, (व्यवधान) मान्यवर, मैन्डैटरी क्यों नहीं हो सकती है ? आप कहें कि आप बनायें विश्वविद्यालय, लेकिन यह अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या चम्पावत बनेगा और जिस दिन यह निर्णय ले लिया, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आधे से जयादा समस्याओं का समाधान यही हो जायेगा। जिस चीज की हम कल्पना करते हैं। आज प्रदेश के अन्दर हो क्या रहा है, हमारे सारे माननीय विधायकगण यहां बैठे हुए हैं। आज जो प्रदेश के पलायन की चिन्ता कर रहे हैं, आज वे विधायक बने और देहरादून मे रहने लगें। आप अपने क्षेत्र मे प्रतिनिधि के तौर पर जाते हैं। वह उस क्षेत्र मे केवल दो दिन के लिए जाते हैं तो विकास कहा से होगा। मैं किसी एक पक्ष के बारे मे नहीं कहना चाहता हूँ, दोनो पक्षों को कहना चाहता हूँ। अगर आप विकास की चिन्ता करते है तो विकास वहां से शुरू होना चाहिए। (कई माननीय सदस्यों ने बैठे-बैठे कहा कि पर्वतीय विधायकों पर यह आरोप है।) (घोर व्यवधान) मै आरोप नही लगा रहा हूँ। अगर यह आरोप है तो उसको निकाल दिया जाय, यह आरोप नहीं है, लेकिन यह सच्चाई है। मान्यवर, वर्ष, 2002 से आज तक कोई भी विधायक

बनता है तो उसका यह प्रयास रहता है कि देहरादून में उसका स्थान बन जाए। वह अपने क्षेत्र में केवल विधायक प्रतिनिधि तौर पर जाते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है जो हम पलायन नहीं रोक पा रहे हैं। (घोर व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय अजय भट्ट जी का जो प्रवर समिति के लिए प्रस्ताव है, उस पर बल देता हूँ। इसको प्रवर समिति को सौंपा जाय। एक महीने के बाद जो रिपोर्ट आये, उस रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाय।

*श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं सिर्फ दो बातों पर इस विषय हेतु अपने विचार रखना चाहूँगा और फिर अपनी बात को यहीं पर समाप्त कर दूँगा। मान्यवर, मैं अपने विचारों से हाऊस को अवगत कराना चाहूँगा और मैं माननीय अजय भट्ट की विचारों से अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, जो चार विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। उनको प्रवर समिति के अधीन कर दिया जाय। मान्यवर, इसमें एक महीने का समय दे दिया जाए, अगर बहुत सारी कमियां फिल्ट्रेशन होने से दूर हो सकती हैं तो महीने का समय देने में बहुत बड़ी बात नहीं है, यह तो जीवन भर का निर्णय लेना है, तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करूँगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बात मैं और कहना जरूर चाहूँगा कि धीरे–धीरे ऐसी एक भावना उत्तराखण्ड में पैदा की जा रही है कि कुछ लोग मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के बीच में खाई खोदने का काम कर रहे हैं, ऐसी शब्दावलियों का भी प्रयोग किया जा रहा है, प्रेस उसकी गवाह है और मुझे खेद हुआ कि जब मैंने ऐसे विषय पर प्रकाश डाला कि पर्वतीय क्षेत्रों से होने वाला पलायन पर्वतीय लोगों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय हमारी जो सीमायें हैं, उनके लिए और पर्वतीय उस क्षेत्र के लिए बड़ा खतरनाक है जो खाली होता चला जा रहा है, हो सकता है कि आगे जा करके ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जो हमारे देश को सम्भालने में मुश्किल हो जाए और जिसकी आधारशिला हमारा उत्तराखण्ड बन जाए, यह शब्दावली मैंने ली थी और उसके पीछे मुझे अफसोस रहा कि कुछ हमारे साथियों ने, दूसरे पक्ष के सहयोगियों ने ऐसा तूल दे करके कहा कि जितने पुतले जल सकते हैं, चीमा के जला दो और वो जले पूरे उत्तराखण्ड में जले, लेकिन पुतले जलने के बाद मुझे खुशी उस बात की हुई कि जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि ये पलायन गलत है, पलायन खतरनाक है, पलायन नहीं होना चाहिए, इसे रोका जाना चाहिए और वो शब्द जो मैंने कहे थे कि पलायन रोकने का एक मात्र साधन पर्वतीय क्षेत्र का विकास होना चाहिए, विकास की कमी के कारण यहाँ पर पलायन बड़ी तेजी से हो रहा है और यहाँ पर उस किस्म का विकास हो जैसी वहाँ पर आवश्यकता हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, विश्वविद्यालय के विषय पर कहें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ, यह पलायन से जुड़ा हुआ विषय है, मेरा निवेदन है कि हमें इस प्रदेश को बैलेंस करके चलना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि यदि हम सारा काम मैदानी क्षेत्र के लिए कर देंगे तो पर्वतीय क्षेत्र में निराशा आयेगी और अगर हम सारी चीज पर्वतीय क्षेत्र में कर देंगे तो मैदानी क्षेत्र में निराशा आयेगी, आज चारों की चारों यूनिवर्सिटियों में से एक भी यूनिवर्सिटी पर्वतीय क्षेत्र मे नहीं है, तो मेरा कहना आज भी यह है कि जिसकी वहाँ पर आवश्यकता है, वहाँ शिक्षा की कमी है, वहाँ खेती की कमी है, जानवरों की मारमार है, किसान भागा चला आ रहा है, इन चीजों के ऊपर हमारा ध्यान नहीं है, हमें इन चीजों का ध्यान देना है, बैलेंस करके चलना है ताकि पर्वतीय क्षेत्र का विकास हो, ठीक है हम चाहते हैं कि जहाँ पर महंगा ज्यादा है, वहाँ पर पैसा ज्यादा जाए, लेकिन विकास हो और इसके साथ–साथ तराई के क्षेत्र को भी, मैदानी क्षेत्र को भी भूला न जाए, उसको ऐसा न महसूस होने दिया जाए कि साहब, पर्वतीय क्षेत्र को भी भूला न जाए, उसको ऐसा न महसूस होने दिया जाए कि साहब, पर्वतीय क्षेत्र का विकास शुरू हो गया तो मैदान गोल हो गया, तो सन्तुलित विकास की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इसलिए दिलाना चाहता हूँ कि हमें पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की विचारधारा इस किस्म की है कि जो क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर बात सोच रहे हैं, अब तक जो भी निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं, उसमें क्षेत्रवाद की कहीं भी कोई बदबू या क्षेत्रवाद की कोई हवा नहीं दिखाई दे रही है और हम चाहते हैं कि इसी तरह से निर्णय लिये जायें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इधर आ जाइये।

श्री संजय गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष जी, यह मानसिकता गलत हो गयी है, खाली उधर बुलाने की। आप सही काम करते हैं तो हम कहते हैं। (व्यवधान)

श्री विजय बहुगुणा–

मान्यवर, इनका भट्ट जी के साथ रहना बहुत जरूरी है। (घोर व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, ये आपकी तारीफ चाहते ही नहीं हैं तो हम क्या करें। (हँसी)

*श्री तीरथ सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं विश्वविद्यालय के मजाक पर अपने नेता माननीय प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट जी, माननीय मदन कौशिक जी और माननीय सीमा जी से अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूँ कि जो यह उत्तराखण्ड आन्दोलन हुआ, यह शिक्षा, पानी और बिजली को लेकर हुआ। शिक्षा मूलभूत आवश्यकता थी और जो हम देहरादून की बात कर रहे हैं, यह देहरादून क्षेत्र जब उत्तराखण्ड नहीं बना था, तब भी ये देश के अन्दर शिक्षा के नाम पर जाना जाता था। यह शहर शिक्षा का हब तब भी था आज कोई नई बात नहीं है। मान्यवर, जिस उत्तराखण्ड सदन के अन्दर हम लोग बैठे हुए हैं, यहां की जनता के लिए, यहां का विकास हो, पलायन न हो, यह हमारा मूल मुद्दा आन्दोलन में भी था। क्या हम उस विषय को लेकर भटक तो नहीं रहे हैं। आज हम केवल देहरादून में शिक्षा के हब की बात करते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि देहरादून पहले से ही शिक्षा का हब रहा है। देहरादून देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्दर शिक्षा के नाम से जाना जाता है। आज भी देश और विदेशों के बच्चे दून के अन्दर चाहे दून स्कूल हो या वेल्हम स्कूल या अन्य स्कूलों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पढ़ने के लिए आते हैं। आज विश्वविद्यालय की बात हो रही है, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ हम गैरसैंण की बात करते हैं, सरकार चिल्लाती है कि गैरसैंण के अन्दर विधान भवन बनायेंगे। मान्यवर, स्थायी राजधानी कहने की तो हिम्मत है नहीं, लेकिन बिल्डिंग वहां पर खड़ी करेंगे, रेत और बजरी का टीला वहां पर खड़ा करेंगे और जिस दिन खड़े करने के लिए गये भी तो कितने विधायक, मंत्री और अधिकारी का कितना करोड़ों खर्चा आया, कोई बाई रोड गया, क्या किसी ने सड़क के गड्ढे देखे क्या ? माननीय प्रीतम सिंह जी तो वैसे भी जाते हैं, उनको पता है चकराता की स्थिति क्या है, वे भी उन्हीं गड्ढों में दौड़ते हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जो केवल ऊपर उड़कर गैरसैंण में उतरते हैं, उनको वास्तव में पता नहीं कि ये गड्ढे और पहाड़ क्या है। अधिकारी उड़कर चले गये, आपने पूछा, कि इसमें कितना खर्चा आयेगा और अधिकारी ने कहा, आप लोग और अधिकारी उड़कर चले गये। आपको पहाड़ की कितनी चिंता है।

श्री अध्यक्ष–

आप यूनिवर्सिटी विधेयक पर आईये।

श्री तीरथ सिंह रावत–

मान्यवर, मैं यूनिवर्सिटी की बात पर ही आ रहा हूँ। सरकार में किसानों ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहा कि यूनिवर्सिटी गैरसैंण के अन्दर बनायें। उत्तर प्रदेश के अन्दर जब कौशिक समिति आयी थी, वहां पर भी कौशिक समिति बनी। मान्यवर, जब माननीय कल्याण सिंह की सरकार थी तो उस समय हमने गैरसैंण के अन्दर डिप्टी डॉयरेक्टर बनाया, इस तरह से हमने वहां पर अन्य शिक्षा के केन्द्र की बात की थी। मान्यवर, हमने गैरसैंण के अन्दर शुरूआत की थी। मान्यवर, मेरा यह कहना है कि शिक्षा के कारण आज पलायन हो रहा है। यह अच्छी बात है कि शिक्षा की ओर हमारा ध्यान जा रहा है, लेकिन पहाड़ से यदि पलायन हो रहा है तो वह शिक्षा के कारण ही हो रहा है, इसकी चिंता तो हम कर नहीं रहे हैं कि हमारे बेसिक और प्राथमिक स्कूल कैसे चलेंगे, पहाड़ के बच्चों की शिक्षा–दिक्षा कैसे होगी। आज माध्यमिक स्कूलों की क्या स्थिति है, वहां पर शिक्षक तो है नहीं, हमारी मूलभूत शिक्षा सब गड़बड़ है, इस ओर तो सरकार का ध्यान जाता नहीं, लेकिन विश्वविद्यालय तो खुलने चाहिए, परन्तु पहाड़ की ओर भी। मान्यवर, आपने कहा कि 2500 फिट और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के मुँह से निकल गया 25000 फिट, यह वास्तव में आपके मन की पीड़ा रही होगी।

मान्यवर, यह गलती से आ गया। अधिकारी जैसे बना दे रहे हैं, आप उसको पढ़ दे रहे हैं। लेकिन पीड़ा आपकी 25000 की है। आपने 2500 की जगह जो 25000 कहा, इसको आप ठीक करें। उत्तर प्रदेश में यह होता था कि यदि किसी अधिकारी ने कोई गड़बड़ कर दी जो कहाँ भेज दो, सीमान्त क्षेत्र पिथौरागढ़ भेज दो, चमोली भेज दो, उत्तरकाशी सजा के तौर पर भेज दो। आज आपने उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और धारचूला की कितनी चिन्ता की है ? क्यों धामी जी, चिन्ता हो रही है ? आप तो समय–समय पर धरना देते रहते हैं। आज यहाँ आकर कोई चिन्ता नही हो रही है। उत्तर प्रदेश में चिन्ता होती थी कि पर्वतीय क्षेत्र है। आज कहाँ हम गये, आज प्राईवेट कॉलेज और बी0एड0 कॉलेज तो जगह–जगह खुल गये है। मैने कहा उद्योग खुल गया है। इन्होने ठीक कहा कि यह प्रदूषण मुक्त नहीं है। लेकिन यह भी एक उद्योग है। मुझसे किसी बाहर के व्यक्ति ने पूछा कि सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है ? मैंने कहा शिक्षा है, सबसे बड़ा उद्योग। काले धन को परिवर्तन के लिए भी यह माध्यम है। आप बताओ तो मैं लिस्ट बना देता हूँ, जिन–जिन लोगों के विश्वविद्यालय है। कालेधन को भी परिवर्तित करना है तो विश्वविद्यालय खोलो ना।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, यह लिस्ट जरूर देना।

श्री तीरथ सिंह रावत–

माननीय सुरेन्द्र राकेश जी, आपको जरूर दूँगा और गन्ने के खेतो के अन्दर जाकर दूँगा। चुपचाप बैठिए। (व्यवधान) मान्यवर, सुबोध जी की समझ में ठीक आया। सुबोध जी की समझ में आ गया क्योंकि इनकी और हमारी बहुत

मित्रता रही है। कुल मिलाकर मेरा यह कहना है कि हमारा एक तकनीकी विश्वविद्यालय है, एक मात्र तकनीकी विश्वविद्यालय। आज तकनीकी विश्वविद्यालय को कितना नुकसान पहुँचा है, 10 करोड़ के घाटे की बात कही गयी है। मित्रो, यही नहीं वहाँ स्टूडेंट जाना भी बन्द हो गये हैं। आपके जो अन्य विश्वविद्यालय हैं, बी0टेक0 कॉलेज है, उनकी दशा देखिए और दिशा देखिए, वहाँ पर मानक पूरे नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ पर लड़के नहीं भरे जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप करिए।

श्री तीरथ सिंह रावत–

मान्यवर, आप उनको पॉलिटेक्निक में परिवर्तित कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय खोले जाएं। उनकी तो चिन्ता कर लीजिए। मेरा यह कहना है कि इस प्रकार यदि आपको चिन्ता है, पीड़ा है, दर्द है तो गैरसैंण को राजधानी बनाओ। मैं तो कहता हूँ कि गैरसैंण को राजधानी बनाओ। जाए, सब अपना ताम–झाम लेकर वहाँ बैठें, वहाँ से प्रदेश चले। लेकिन पहली प्राथमिकता यह है कि इस प्रकार की हम शुरूआत तो करें। उद्योग की बात आयी, हमने तो जो उद्योग खोले, वह यहीं नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी पूर्व सरकार ने छोटे–छोटे उद्योग की बात करी। मुझे याद है कि श्रीनगर के अन्दर, पिथौरागढ़ के अन्दर तो जमीन की भी बात हो गयी थी। 29 उद्योगों के लिए उद्योगपति आए और उन्होंने एम0ओ0यू0 साईन किया कि हम पहाड़ के अन्दर उद्योग लगाएंगे। आपने तो उसको भी डम्प कर दिया, उसको आगे बढ़ाईये ना। कुल मिलाकर मेरा कहना है कि पहाड़ के साथ अन्याय हो रहा है। शिक्षा के नाम पर इस प्रकार का शोषण मत करिए। पहले प्राथमिक शिक्षा को ठीक करिए। तकनीकी विश्वविद्यालय आपके पास एक है, उसको ठीक करिए, उसको घाटे में मत आने दीजिए। यहाँ के नौजवानों के साथ अन्याय मत कीजिए। कौन आएगा, वहाँ से यहाँ पढ़ने के लिए, शुल्क आपने बढ़ाया लेकिन खाना–पीना आदि कैसे होगा ? पहाड़ से कौन चला आएगा ? मैं संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूँ और मांग करता हूँ कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। समय को देखते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय अजय भट्ट जी ने इसे प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा है और इसमें माननीय नेता सदन जी और कौशिक जी ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं समझती हूँ कि भट्ट जी ने बहुत सा हिस्सा पढ़ा, पर शायद यह पढ़ा या नहीं पढ़ा ये जो सारे विश्वविद्यालय आ रहे हैं, ये यहीं के रहने वाले लोग हैं और इनके माध्यम से जिनके पास पूरी सुविधाएं हैं और पूरी व्यवस्था है, उन्हीं लोगों को इनको खोलने का अवसर मिला है। 5 वर्ष इसे चलाने के बाद वे पहाड़ में भी कैम्पस खोल सकते हैं। ए0आई0सी0टी0ई0 और यू0जी0सी0 का इन पर पूर्ण नियंत्रण है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, 5 वर्ष बाद नहीं, व तो आज भी खोल सकते हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ए0आई0सी0टी0ई0 और यू0जी0सी0 के मानकों को पूरा किये बगैर विश्वविद्यालय बन नहीं सकता है। उसे अप्रूवल मिल ही नही सकता है। दूसरी शंका और कष्ट आपने व्यक्त किया कि इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, सरकार की कोई भागीदारी नहीं है, इस सम्बन्ध में, मैं चाहूँगी कि आप सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 21, सेक्शन 33, सेक्शन 47 एवं सेक्शन 42 को एक बार पढ लें, पढ तो मैं भी सकती हूँ, लेकिन इसमें समय लगेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैंने सारे सेक्शन पढे हैं, सेक्शन 12, 13 और 47 भी देखे हैं, आपके पास जो पर्ची आ रही होगी, आप इसको गहराई से पढ लीजिये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैंने पढ लिया है और मैंने अंग्रेजी मे इसे पढा है, इसलिये बोल नहीं रही हू। यह सारे सेक्शन सरकार का पूर्ण नियंत्रण करते हैं, ऐसा कहीं नही होता कि कोई विश्वविद्यालय किसी राज्य मे स्थापित हो और उस पर राज्य का कोई नियंत्रण न हो तथा यह सारे नियम–कायदों को छोडकर काम कर लें। अगर आप भूले नहीं होंगे तो आपकी पार्टी की सरकार के समय भी ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय बना था। ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय और जो विश्वविद्यालय विधेयक बना था, उसका भी आप अध्ययन कर लीजिये, मैंने अध्ययन कर लिया है, मैं उस इस्टीट्यूशन मे गई भी हूँ, उसका कैम्पस देहरादून मे भी है और भीमताल में भी है, आपके समय में चार और विश्वविद्यालयों का प्रस्ताव हुआ था, लेकिन वह खुल नही पाये थे, लेकिन ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय खुला था तो वह चल रहा है। यह एक्ट जब आया था, हमारी ओर से कोई प्रस्ताव आया या नही मुझे नही मालूम है, लेकिन ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय आपके सामने खुला हुआ इंस्टीट्यूशन है, काफी विद्यार्थी वहां पर पढ रहे हैं। इसके अलावा हमारे कुछ साथियो ने जो कष्ट व्यक्त किया कि आपको मालूम होगा कि अभी–अभी इसी सरकार ने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की गोपेश्वर में घोषणा की है और वह खुल रहा है, पिथौरागढ में पी0जी0 कॉलेज है, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, द्वाराहाट मे चल रहा है, पौडी में आदेशित हो गया है, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, देहरादून मे भी खोला गया है तो पर्वतीय क्षेत्र के सीमान्त इलाकों में भी कॉलेज खोले जा रहे है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं और आप कॉलेजो की बात कर रही हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आज बच्चे केवल इंटर ही पास नहीं करते, आगे भी पढ़ते हैं, इसलिये ये कॉलेज खोले गये हैं। यूनिवर्सिटी भी खुल जायगी, देहरादून एक ऐसी जगह है, जहां पर जगह उपलब्ध है, पर्वतीय क्षेत्र में मानक शिथिल है, फिर भी वहां पर उपलब्धता और संसाधनों की दिक्कत है, आप सब इस चीज को जानते हैं, खासकर जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, उनको यह पता है। मेरे पास यह भी आ रहा है कि आपने चार विश्वविद्यालयों को खोलने के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र ले लिया था, जे0पी0 विश्वविद्यालय, सी0एस विश्वविद्यालय, एम0 टी0 ग्लोबल, यह सब हरिद्वार और देहरादून में थे। आपने सपने सजाये लेकिन साकार नहीं कर पाये।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कोई चीज अगर यहां से भी गलत हुई है तो वह भी गलत है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने हवा में खोल दिये थे, हम जमीन पर खोल रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

*कृषि मंत्री (श्री हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, आपने 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की थी, हम 40 प्रतिशत करने जा रहे हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जब आप इधर थे तो चिल्ला रहे थे, अब आप उधर आ गये तो उसे करिये, अब चिल्लाने की नहीं करने की जरूरत है।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमने कहा था कि आप जल्दबाजी में विधेयक लेकर आ रहे हो, जो माननीय मदन जी कह रहे हैं, वही हमने भी कहा था कि एक अम्ब्रेला एक्ट होना चाहिये।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अब आप बना दीजिये, आप नहीं बनायेंगे ?

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, क्यों नहीं बनायेंगे, इनके बाद बनायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हिमाचल में भाजपा की सरकार है, जिन्होंने 11 प्राइवेट विश्वविद्यालय खोल रखे है, अकेला एक्ट बना भी नही है, आप यदि जाए तो धूमल जी को सलाह दे दीजियेगा। हम तो नहीं दे पाएंगे, हमारी वो सुनेंगे नही। उन्होंने अपने लोगो को दिया, स्थानीय लोगो को दिया।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हम कह रहे है कि आप कोई पर्वतीय क्षेत्र के लिए प्रस्ताव लाओ, हमारी सरकार विचार करेगी।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हम प्रस्ताव लाये थे, गैरसैण को क्यों गिरा दिया। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

माननीय रावत जी, यह प्रस्ताव हम लाये हैं क्या ?

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, म कह रहा हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र मे विश्वविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव गवर्नमेंट मे आयेगा, निजी विश्वविद्यालय खोलने का गवर्नमेंट विचार करेगी उस पर, रिजेक्ट थोड़ी कर देगी गवर्नमेंट। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने ये भी कहा कि चासलर को कोई अधिकार नहीं हैं जो प्राईवेट विश्वविद्यालय है, उनकी देश से उनकी प्रतियां मगवायी और पढ़ी हैं कि प्राईवेट विश्वविद्यालय में क्या अधिकार होते है। तो विजिटर को भी चेक करने का, अपना व्यक्ति नामित करने का, बैठने का, कोई भी सूचना मगवाने का, उसके खिलाफ इन्क्वायरी करने का अधिकार है। हॉं, अन्य विश्वविद्यालयों की तरह जिस तरह चासलर हैंडिल करता है, उससे कुछ अन्य है, लेकिन पूरी तरह से उसे अधिकार है, इन्क्वायरी कराने का, उनकी व्यवस्था पर क्वैश्चनमार्क लगा देने का, नियुक्तियो पर वो निर्देशित कर, ऐसे सारे अधिकार विजिटर के पास हैं और वाईस चांसलर जो नियुक्त किया जायेगा, उसमें प्रिंसिपल सेकेट्री, सरकार का प्रतिनिधि प्रिंसिपल सेकेट्री बैठेगा। ऐसा नहीं है कि नियत्रण नहीं है। बिना नियत्रण के कोई प्राईवेट विश्वविद्यालय, कहीं सारी दुनिया मे विश्वविद्यालय हैं, जिनमे पढ़ने के लिए हिन्दुस्तानी, हमारे नौजवान बच्चे भी बैरिट यूनिवर्सिटी होने के नाते जाते हैं। हम चाहते हैं, हमारे जो ये चार विश्वविद्यालय हैं, ये बैरिट की श्रेणी में आयें। जैसे पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी खुली, देश भर के बच्चे और विदेश

के भी बच्चे एशियन कन्ट्रीज के बच्चे, उस पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। उसी प्रकार से यूनिवर्सिटी साधन सम्पन्न सुविधाओं से युक्त पर्वतीय क्षेत्र के बच्चों को जहां सुविधा देंगे। आपने यह आशंका व्यक्त की, कि कौन जाने, देंगे कि नहीं देंगे। नहीं देंगे तो उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार है हमारे पास और उनको दण्डित करने का भी अधिकार है। उन्हें संख्या देनी पड़ेगी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आप तब पता नहीं कहां होती हैं ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अब जहां आप होंगे, हम मिलकर तय कर लेंगे। अब हम तब कहां होंगे भट्ट जी, आप और हम कहीं हल्द्वानी के किनारे तो मिल ही जाएंगे। घर आपका भी है वहां। तो जहां कहीं हम होंगे, वहां मिल लेंगे, उसकी चिंता आप न करें। कोई भी सरकार हो, प्राइवेट किसी यूनिवर्सिटी को आजाद और मुक्त नहीं छोड़ सकती। वो निश्चित रूप से, क्यों जवाबदेही जनता के प्रति है और जनता के प्रति जो जवाबदेह है, वो जवाबदेही के लिए तैयार रहती है।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, ये तो आज विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की बात कर रहे हैं। राजकीय विश्वविद्यालयों को, गवर्नमेंट विश्वविद्यालयों को भी गवर्नर से हटाकर सरकार में निहित करने का एक्ट लाये जो, वो तो हमने विरोध किया तब जाकर, उसका भगवाकरण करने का एक्ट लाये थे, ये। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इससे पहले उत्तर प्रदेश में गर्वनर की नियुक्ति सरकार करे, इनकी सरकार के समय प्रस्ताव आया था, हमने सदन में उसे पास नहीं होने दिया। तब से आज तक गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार, वाईस चांसलर की नियुक्ति का अधिकार, कभी सरकारी दलों के पास नहीं आया। ये तो हमने उत्तर प्रदेश में भी रोका, यही नहीं रोका। उत्तर प्रदेश में जब–जब कोई सरकार आयी, हमने वाईस चांसलर की नियुक्ति का अधिकार सरकारों के पास नहीं होने दिया। हम लोग भी सरकार में रहे, लेकिन उसका राजनीतिकरण नहीं होने दिया। तो वाईस चांसलर के गरिमामय पद की रक्षा हमने उत्तर प्रदेश में भी की थी और वाईस चांसलर के गरिमामय पद की रक्षा हम उत्तराखण्ड में भी कर रहे हैं। उनको वो सम्पूर्ण अधिकार है, जब चाहे कोई कागज मांग सकते हैं। संवैधानिक हैड होने के नाते भी मांग सकते हैं और इन एक्ट्स में भी उसके लिए प्राविधान हैं, वो मांग सकते हैं। विश्वविद्यालय ठीक चलें और गवर्नर का हस्तक्षेप हो, उनके व्यक्ति का हस्तक्षेप हो, सरकार का प्रिंसिपल सेक्रेट्री के माध्यम से हस्तक्षेप हो, हर जगह हस्तक्षेप है, पूरी तरह और गवर्नर तो

संवैधानिक हेड है ही, संवैधानिक हेड हैं, किसी भी राज्य का, तो संवैधानिक हेड के अपने अधिकार अलग से होते हैं। तो वो अधिकार है, तो वैसे भी उन अधिकारों का (व्यवधान) ऐसा कुछ अधिकार गवर्नर मे निहित हैं। अगर गवर्नमेन्ट यूनिवर्सिटी मे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पैसा लगाते हैं, जमीन देते है या खर्च करते हैं, यह मानते हैं, हम आपके यहाँ विश्वविद्यालय खोलना चाहते है, शिक्षा की सुविधायें देना चाहते हैं। दुनिया के देशो में एक–एक हजार करोड़ में मैरिट यूनिवर्सिटी नम्बर 1,2,3,4,5 सरकारी यूनिवर्सिटी से ज्यादा है। दक्षिण भारत में तो यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेज, प्राइवेट लोगों के हाथ में है, ऐसा नहीं है कि आप लोग नही जानते हैं, सब के बच्चे कहीं न कहीं पढ़ते हैं। यह प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोई अजूबा नहीं हो रहा है। आप खोल चुके, चार आपसे खुल नहीं पाये, एक आपने खोल दिया। हम चार का प्रस्ताव लाये तो इसमें कोई प्रश्नचिन्ह नही होता है, राज्य हित मे ही सरकारें काम करती हैं। राज्य हित मे आप भी काम करेंगे। हमें पूरा भरोसा है, इसलिए इसे अपना प्रवर समिति का प्रस्ताव वापिस ले करके सर्वसम्मति से इसे पास करिये ताकि इतिहास बन जाये और यह विश्वविद्यालय प्रमाणिक विश्वविद्यालय के रूप मे उत्तराखण्ड मे बने।

श्री अजय भट्ट–

मानननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मुझसे कहा कि महामहिम राज्यपाल महोदय का इसमे अधिकार निहित है, यह बिल्कुल गलत है। मै इसी सेक्शन को पढ़ कर बता रहा हूँ। धारा–12(1) उत्तराखण्ड का राज्यपाल महोदय, विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा। नम्बर–2 कुलाध्यक्ष जब उपस्थित हो तो उपाधियाँ एव डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे। नम्बर–3 कुलाध्यक्ष को निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान होगी अर्थात् क–विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी भी पत्र या सूचना को मांगना। ख–कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर यदि वह संतुष्ट हो कि कोई आदेश कार्यवृत्त या निर्णय जो विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया हो, अधिनियम, परिनियम अथवा नियमो के अनुरूप नहीं है तो वह ऐसे निर्देश जारी कर सकेंगे, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के हित मे उचित समझें और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशो का सभी सम्बन्धियों द्वारा अनुपालन किया जायेगा। 4–मानक उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के अध्यधीन होगा। मान्यवर, मानक उपाधि देना ही तो सौंप रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। आगे 13वाँ देखिये–कुलाधिपति की नियुक्ति प्रायोजित संस्था द्वारा ऐसे व्यक्तियो मे से की जायेगी जो प्रायोजित संस्था का सदस्य होगा। मान्यवर, पॉवरफुल कौन है, आपने कुलाधिपति किसे कहा हैं, कुलाधिपति की नियुक्ति आप करेंगे, कुलाधिपति ही इसका सर्वेसर्वा होगा। नियम कौन बनायेगा, आपने 28 का हवाला दिया, इसको मै आपके सामने ला रहा हूँ। परिनियम कैसे बनाये जायेंगे, 28–1–व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये गये प्रथम परिनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये

जायेंगे, जो रूपान्तर के साथ या बिना रूपान्तर के परिनियमों की प्राप्ति के दिनांक के दो माह के अन्दर अपना अनुमोदन दे सकेंगे। परिनियम कौन बनायेंगे, जरा इस पर जोर देकर देखें व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये गये प्रथम परिनियम, इसमें श्री राज्यपाल नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसमें श्री राज्यपाल का एक प्रतिनिधि है और सरकार का भी प्रतिनिधि है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कहीं भी नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, आगे देखियेगा। धारा–28 का 2 में यह कहा गया है कि मान्यवर, धारा 28(2) के "जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में परिनियमों के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है, वहां यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने परिनियमों को अनुमोदित कर दिया है।"

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अनुमोदित इसलिए है कि टाईम बाउण्ड कर दिया है यह अच्छी बात है आप इतना बता दें कि आपने ग्राफिक एरा को क्या पॉवर दी है ?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, ग्राफिक एरा एक मात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका पर्वतीय क्षेत्र में एक कैम्पस खोला गया है। मान्यवर, भीमताल में कैम्पस खुला हुआ है। (शोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने विजिटर को क्या पॉवर दी है ? (व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाह रहा हूँ कि आज तक जो भी विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, उनमें से 30 से 40 प्रतिशत तक कितने लोगों को आपने एडमीशन दिया है, इसमें कोई श्वेत–पत्र है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमने पहले ही इन चार विश्वविद्यालय को 40 प्रतिशत तक दिये हैं, आपने तो यह भी नहीं दिया है, 40 प्रतिशत की भर्ती हो। यह हम सदन के सामने कह रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं यह कह रहा हूँ कि हमने यह नहीं किया है। (शोर व्यवधान के मध्य) हमने बीस, दस या एक भी नही दिये या हमने दो दिये हैं। मान्यवर,

क्या आपने उन दो की भी मॉनिटरिंग की है या नहीं, कि उसमे क्या हो रहा है ? (घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अभी तो विश्वविद्यालय खुले ही नहीं हैं। (कई माननीय सदस्यों के बैठे–बैठे एक साथ बोलने पर व्यवधान) (घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसमें प्रोविजन है कि यहीं के लोगों को क्लास थ्री और क्लास फोर्थ मे रोजगार दिया जायेगा। क्या सरकार ने इसकी मॉनिटरिंग की है ? इसमें कोई श्वेत–पत्र निकाला है ? (कई माननीय सदस्यों के बैठे–बैठे एक साथ बोलने पर व्यवधान) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अभी विश्वविद्यालय खुले ही नहीं है तो मॉनिटरिंग किसी करें, जमीन की करे या उन व्यवस्थापको की करें। (कई माननीय सदस्यो के बैठे–बैठे एक साथ बोलने पर व्यवधान) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मुझे बहुत बड़ा खेद होता है, जब माननीय मंत्री जी बीच में बोलती हैं। मान्यवर, जब आप बोलती हैं तो हम बीच मे नहीं बोलते हैं। हम क्या कह रहे है और आप क्या कह रही हैं ? मैं इन विश्वविद्यालयो की बात नही कह रहा हूँ। मान्यवर, जो चार विश्वविद्यालय है क्या हमने उनकी मॉनिटरिंग कर ली है ? (कई माननीय सदस्यो के बैठे–बैठे एक साथ बोलने पर व्यवधान) (घोर व्यवधान के मध्य) मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखण्ड के कितने लोगो को आपने एडमीशन दिया है, जो फीस माफ का प्रॉविजन है, वह है या नही है। अगर नहीं है तो क्यो नही है, आपने कोई श्वेत–पत्र जारी किया है। हम तो कह रहे है, आप श्वेत–पत्र जारी करें कि कौन से विद्यालय आज तक चल रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने आज तक कोई शिकायत नहीं की है, सदन से ही कर देते या कल कर देते। (कई माननीय सदस्यों के बैठे–बैठे एक साथ बोलने पर व्यवधान) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह मामला तो आपका पहली बार आ रहा है। आपने हिमाचल का उदाहरण दिया है, उस पर हमको शक होता है क्योंकि मैंने आपको छत्तीसगढ़ और राजस्थान के दिये थे, उनसे क्यों नहीं सीखा है ? (कई माननीय सदस्यो के बैठे–बैठे एक साथ बोलने पर व्यवधान) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमने हिमाचल के बाईलॉज पढ़े हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपने हिमाचल के भी नहीं पढ़े हैं। हिमाचल में भी ऐसा नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं। मान्यवर, आप हिमाचल का एक्ट सदन के अन्दर लाईये, (व्यवधान के मध्य) मैं आपको चैलेंज करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपको इन्टरनेट में मिल जायेगा। (व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह तो आपकी जिम्मेदारी है। (व्यवधान के मध्य) मैं कह रहा हूँ की नहीं है, यह प्रूफ तो आप दें। (व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ठीक है, आपको प्रूफ दे देंगे। (कई माननीय सदस्यों के बैठे–बैठे एक साथ बोलने पर व्यवधान) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय राज्यपाल महोदय जी ने जो सबसे पहले आपत्तियां लगायी थी। क्या उनका निराकरण कर दिया गया है ? उन्होंने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री व्यक्ति रूप से मिले ? (व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, बिना उनके हस्ताक्षर के बिल सदन में नहीं आ सकता है ? (व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

.... मान्यवर, इन्फॉरमेशन कलेक्ट करने के लिए माननीय सदस्य प्रिविलेज हैं।

श्री विजय बहुगुणा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैं गवर्नर से मिला और मेरे ख्याल से कन्वेनशन में परम्परा है कि कोई भी सरकार आर्डिनेंस लेकर गवर्नर के पास जाती है या कोई भी बिल के लिए जाती है तो मुख्यमंत्री जाकर गवर्नर से बात करता है, मेरा गवर्नर के पास जाना, आर्डिनेंस के बारे में बात करना, ये कोई ऐसी बात नहीं कि जिसमें आप तिल का ताड़ बना रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, फाईल पर तो कभी नहीं आता है।

श्री विजय बहुगुणा–

मान्यवर, आर्डिनेंस इश्यू करने के लिए जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि क्यों आर्डिनेंस इश्यू हो रहा है, इसलिए इसमें गवर्नर लिखते है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, गवर्ननर ने कहा कि जस्टिफिकेशन कर दिया गया है, जो उनकी बात का निराकरण कर दिया गया है, मेरा स्पष्टीकरण है कि क्या निराकरण कर दिया है ?

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, महामहिम राजयपाल के सुझावों पर सरकार ने गम्भीरता से विचार किया है, उसके बाद पटल पर प्रस्तुत किया है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, क्या 10 करोड़ रुपये का हमारे यहॉ गवर्नमेण्ट का टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जिसको प्रतिवर्ष घाटा हो रहा है, जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए सरकार ने कुछ किया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, क्या प्राईवेट यूनिवर्सिटी है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, टैक्निकल यूनिवर्सिटी है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह हमारी चिन्ता है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, ये पूरे सदन की चिन्ता है, यह कोई साधारण मामला नही है, मै पुनः कह रहा हूँ कि यह असाधारण मामला है, इसको प्रवर समिति को भेजा जाना अति आवश्यक है और अगर प्रवर समिति को नहीं भेजा गया तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो जायेगा, इसलिए मै चाहता हूँ कि यह मामला प्रवर समिति को भेजा जाए और मै अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, क्या आप अपने प्रस्ताव को वापस लेना चाहेंगे।

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, अगर मैंने जो बिन्दु उठाये हैं, उसमें सरकार संशोधन करती है और सारी चीजों को जैसे पर्वतीय क्षेत्र मे 25 सौ फुट आपने कहा है, उसको वन संरक्षण अधिनियम के अनुपात में ऊपर उठाती है और इसके कैम्पस पर्वतीय क्षेत्र में खोलती है, तब मैं अपने प्रस्ताव पर विचार करूँगा और जिस तरह से यहाँ पर कोई अम्ब्रेला एक्ट बनाने की बात करती है ताकि सारे विद्यालयों को गवर्न करने में सुविधा हो, आने वाले भविष्य में और भी विद्यालय यहाँ पर खुलेंगे। उनके लिए इस तरह के पृथक–पृथक एक्ट नहीं लाने पड़ेंगे, अगर सब को एक सा एक्ट बनाकर, एक सा कानून बनाकर भविष्य के लिए कोई नीति निर्धारण करने का आश्वासन देती है, तो मैं अपने प्रस्ताव को वापस लूँगा, वरना मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "हिमालयन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन मे प्रस्तुत करे।"

(प्रश्न उपस्थित किया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "आई०एम०एस० यूनिसन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन मे प्रस्तुत करे।"

(प्रश्न उपस्थित किया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "उत्तरांचल विश्वविद्यालय विधेयक, 2012, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन मे प्रस्तुत करे।"

(प्रश्न उपस्थित किया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "डी०आई०टी० विश्वविद्यालय विधेयक, 2012, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"

(प्रश्न उपस्थित किया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि हिमालयन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–52, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

हिमालयन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012

[उत्तराखण्ड विधेयक सं0 .... वर्ष 2012]

आयुर्विज्ञान, दन्त विज्ञान, सम्बन्ध स्वास्थ्य विज्ञान, फार्मेसी, नर्सिंग, प्रबन्धन पाठ्यक्रम, विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, ग्राम्य विकास, मानविकी, विधि, योग विज्ञान और उच्च शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध कार्य से सम्बन्धित शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत हिमालयन इन्स्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा प्रायोजित 'हिमालयन विश्वविद्यालय' नाम विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन के लिए :–

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नलिखित विधेयक बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ

1. (1) इस विधेयक का संक्षिप्त नाम हिमालयन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 है।

(2) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने वाली तारीख को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाए

2. जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विधेयक में :–

(क) 'प्राधिकारी' से विश्वविद्यालय के प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ख) 'विद्या परिषद्' से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है ;

(ग) 'निकाय' से विश्वविद्यालय की निकाय अभिप्रेत है ;

(घ) 'व्यवस्थापक मण्डल' से विश्वविद्यालय का व्यवस्थापक मण्डल अभिप्रेत है ;

(ङ) 'प्रबन्ध मण्डल' से विश्वविद्यालय का प्रबन्ध मण्डल अभिप्रेत है ;

(च) 'पाठ्यक्रम मण्डल' से विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम मण्डल अभिप्रेत है ;

(छ) 'परीक्षा मण्डल' से विश्वविद्यालय का परीक्षा मण्डल अभिप्रेत है ;

(ज) 'परिसर' से विश्वविद्यालय का परिसर अभिप्रेत है ;

(झ) 'कुलाधिपति', 'कुलपति', 'प्रति कुलपति', 'कुलसचिव', 'परीक्षा नियंत्रक' एवं वित्त अधिकारी' से क्रमानुसार विश्वविद्यालय के 'कुलाधिपति', 'कुलपति', 'प्रति कुलपति', 'कुलसचिव', 'परीक्षा नियंत्रक' एवं वित्त अधिकारी' से अभिप्रेत है ;

(ञ) 'संघटक महाविद्यालय' से विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित एवं प्रबन्धित कोई महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है ;

(ट) 'संकाय के डीन' से विश्वविद्यालय के संकाय का डीन अभिप्रेत है ;

(ठ) 'विभाग' से विश्वविद्यालय का विभाग (शैक्षिक इकाई) अभिप्रेत है, जिसमें एक या एक से अधिक विषयों में अध्ययन व शोध कार्य किया जा रहा हो ;

(ड) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' से राज्य के भीतर शिक्षा की वह पद्धति अभिप्रेत है, जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों, जैसे मल्टीमीडिया प्रसारण, दूर-दृश्य प्रसारण (टेलीकॉस्टिंग), इन्टरनेट पर ऑनलाइन, दूरसंचार की अन्य पारस्परिक विधियों, ई-मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, पारस्परिक संवाद, ई-लर्निंग, पत्राचार पाठ्यक्रम, गोष्ठी, सम्पर्क कार्यक्रम या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो ;

(ढ) 'कर्मचारी' से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय या इसके किसी संघटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित हैं।

(ण) 'संकाय' से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है ;

(त) 'वित्त समिति' से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है ;

(थ) 'सरकार' से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(द) 'विभागाध्यक्ष' से विश्वविद्यालय का विभाग अथवा केन्द्र का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ध) 'स्थायी निवासी' से राज्य का ऐसा निवासी अभिप्रेत है, जिसके पास राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों के अनुसार मूल निवास/स्थाई निवास प्रमाण–पत्र है ;

(न) 'विहित' से 'परिनियमों द्वारा विहित' अभिप्रेत है ;

(प) 'प्रधानाचार्य/डीन' से विश्वविद्यालय के महाविद्यालय का प्रधानाचार्य/डीन अभिप्रेत है ;

(फ) 'प्रायोजित संस्था' से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी हिमालयन इन्स्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, देहरादून अभिप्रेत है ;

(ब) 'क्षेत्रीय केन्द्र' से ऐसे केन्द्र से अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किसी क्षेत्र में स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा ऐसे केन्द्र में अन्य प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से प्रबन्ध मण्डल द्वारा किया गया है ;

(भ) 'राज्य' से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है ;

(भ) 'अध्यादेश, परिनियम और नियमावली' से क्रमशः विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम व नियम अभिप्रेत है ;

(म) 'सांविधिक परिषद्' से संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित सांविधिक परिषद् अभिप्रेत है ;

(र) 'अध्ययन केन्द्र' से विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे केन्द्र अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है ;

(ल) 'अध्यापक' से आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य/व्याख्याता या ऐसा अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने, या शोध कार्य के संचालन के लिए सांविधिक परिषद् के मानदण्डों के अनुरूप नियुक्त किया जाय और इसके अन्तर्गत किसी संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य/डीन भी आता है ;

(व) 'यू0जी0सी0' से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है ;

(श) 'विश्वविद्यालय' से इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित हिमालयन विश्वविद्यालय अभिप्रेत है ;

(ष) 'कुलाध्यक्ष' से विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष अभिप्रेत है।

अध्याय–दो

विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए

3. (1) प्रायोजित संस्था अर्थात् हिमालयन इन्स्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, देहरादून को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हिमालयन विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

(2) विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव सहित एक आवेदन–पत्र हिमालयन इन्स्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, देहरादून द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत आवेदन–पत्र के प्रस्ताव में निम्न विवरण दिये गए :–

(क) हिमालयन इन्स्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, देहरादून के पूर्ण विवरण के साथ विश्वविद्यालय के उद्देश्य ;

(ख) विश्वविद्यालय की प्रास्थिति, विस्तार और भूमि की उपलब्धता ;

(ग) आगामी पाँच वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले शैक्षणिक एवं अनुसंधान कार्यक्रमों की प्रकृति तथा प्रकार ;

(घ) संकायों की प्रकृति, आरम्भ किया जाने वाला पाठ्यक्रम तथा प्रस्तावित शोध कार्य ;

(ङ) विश्वविद्यालय परिसर का विकास जैसे–भवन, उपस्कर तथा संरचनात्मक सुख सुविधायें ;

(च) आगामी पाँच वर्षों के लिए पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध परिव्यय ;

(छ) मदवार आवर्ती आय, वित्तीय स्रोत एवं प्रत्येक छात्र के लिए अनुमानित व्यय ;

(ज) संसाधन जुटाने की योजना तथा उसकी पूंजीगत लागत और उन्हें चुकाने के तरीके ;

(झ) आन्तरिक संसाधनों–विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क, परामर्श एवं विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों से प्रत्याशित राजस्व एवं अन्य प्रत्याशित आय द्वारा आन्तरिक निधियों के सृजन की योजना ;

(ञ) संस्था की लागत पर आने वाला व्यय, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षण शुल्कों में दी जाने वाली रियायतों या छूटों की सीमा, निःशुल्कता और छात्रवृत्तियों तथा अप्रवासी भारतीयों एवं विदेशों से आने वाले विद्यार्थियों से भिन्न दरों पर, यदि कोई हो, लिये जाने वाले शुल्कों के स्वरूप का ब्यौरा ;

(द) हिमालयन इन्स्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, देहरादून में उपलब्ध सम्बन्धित विषयों में विशेषज्ञता एवं अनुभव की अवधि तथा वित्तीय संसाधन य

(ध) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों की चयन पद्धति, और य

(ड) विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व अन्य ऐसी शर्तों की, जिसकी पूर्ति राज्य सरकार द्वारा आपेक्षित हो, की प्रास्थिति।

विश्वविद्यालयों की स्थापना

4. (1) राज्य सरकार आवश्यक जॉच करने के उपरान्त संतुष्ट है कि हिमालयन इन्स्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, देहरादून ने हिमालयन विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिये सभी मानकों, आवश्यकताओं व शर्तों को पूरा कर लिया है, अतः 'हिमालयन विश्वविद्यालय' नाम से ज्ञात एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय, हिमालयन विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय होगा और उसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा वह अपने नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

(3) (क) विश्वविद्यालय का मुख्यालय स्वामी राम नगर, देहरादून, उत्तराखण्ड, में अवस्थित होगा। विश्वविद्यालय पॉच वर्ष कि अवधि के बाद राज्य में, राजय सरकार की पूर्वानुमति से अपना द्वितीय परिसर स्थापित कर सकेगा, परन्तु पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 फुट से ऊपर द्वितीय कैम्पस खोलने की कोई समय–सीमा नहीं होगी।

(ख) विश्वविद्यालय को अन्य विभाग/विषय/संकाय प्रारम्भ करने क लिए, यदि अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता हो, जैसा कि सांवैधानिक निकायों के मानकानुसार आवश्यक हो, विश्वविद्यालय या तो उसके मुख्य परिसर से सटा हुआ या मुख्य परिसर से 25 (पच्चीस) किमी0 की परिधि मे अलग (स्प्लिट) परिसर स्थापित कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिये अधिग्रहीत, निर्मित, व्यवस्थित अथवा सृजित भूमि एवं अन्य चल–अचल सम्पत्तियाँ, हिमालयन इन्स्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की सम्पत्तियों को छोड़कर, विश्वविद्यालय को अन्तरित एवं उसमें निहित हो जायेगी।

(5) विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहित भूमि, भवन एवं अन्य सम्पत्तियों का उस प्रयोजन से भिन्न, जिसके लिए उन्हें अधिग्रहीत किया गया है, उपयोग नहीं किया जायेगा।

(6) विभिन्न विभागों / संकायों के संचालित समस्त पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध भूमि एवं भवन, सम्बन्धित सर्वोच्च नियामक आयोग के मानकों के अनुसार होना आवश्यक होगा।

राज्य किसी भी सांविधिक दायित्व के अधीन विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये बाध्य नहीं

5. विश्वविद्यालय स्वः वित्तपोषित होगा तथा किसी भी सांविधिक दायित्व के तहत राज्य इस प्रकार स्थापित विश्वविद्यालय को किसी भी प्रकार के अनुदान प्रदान करने के लिये बाध्य नहीं होगा :

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय ऐसे किसी भी अनुदान को प्राप्त करने का हकदार होगा, जो कि राज्य सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रित अन्य निकाय या निगमित द्वारा संचालित विशेष योजना के अन्तर्गत इस तरह के अनुदान की शर्तों के अधीन दिया जा रहा हो। इससे विश्वविद्यालय के स्वः वित्तपोषित स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना

6. विश्वविद्यालय में संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रिय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र और प्रशिक्षण व अनुसन्धान केन्द्र होंगे, किन्तु उसे अन्य किसी महाविद्यालय / संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

7. जिन उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, वे इस प्रकार हैं :–

(क) अध्ययन और अनुसंधान के पाठ्यक्रमों की स्थापना करना तथा ऐसी अध्ययन शाखाओं जैसे आयुर्विज्ञान, दन्त विज्ञान, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल एवं सम्बद्ध स्वास्थ्य विज्ञान, विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, योग विज्ञान, प्रबन्धन, ग्रामीण विकास, मानविकी, कानून और उच्च शिक्षा की अन्य शाखाओं, जैसा कि विश्वविद्यालय उचित समझे, में निर्देश एवं प्रशिक्षण प्रदान करना ;

(ख) बड़े समूहों में संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, शैक्षिक कार्यक्रमों, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों, प्रकाशनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अध्ययन समूहों आदि के माध्यम से, अनुसंधान और अनुभवात्मक अधिगम के माध्यम से प्राप्त किये गये ज्ञान की उन्नति और प्रसार द्वारा मानव जाति के लाभ के लिये प्रदान करना ;

(ग) बाह्य अध्ययन, विस्तार कार्यक्रम एवं बाह्य क्षेत्रीय गतिविधियों द्वारा समाज के विकास में अपना योगदान देना ;

(घ) जैसा कि आवश्यक हो, ऐसे सभी कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक, प्रासंगिक एवं सहायक हों।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

8. (1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी ; अर्थात् :–

(क) ऐसे क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करना, अनुरक्षण करना एवं मान्यता प्रदान करना जैसे समय–समय पर विश्वविद्यालय के परिनियमों में निर्दिष्ट रीति द्वारा निर्धारित किया जाए ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षायें आयोजित करना तथा उन्हें उपाधियां या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें संस्थित और प्रदान करना जिन्होंने :

(एक) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय या दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन क्षेत्रीय केन्द्रों/अध्ययन केन्द्रों में शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो ; या

(दो) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में या दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन शोध कार्य किया हो।

(ग) परिनियमों में अभिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद् उपाधियों, या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना ;

(घ) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ तथा पुरस्कार, छात्रावस्था, प्रमाण–पत्र एवं अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें संस्थित एवं प्रदान करना ;

(ङ) समरूप संगठनों या व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना ;

(च) शिक्षकों, अध्यापकों अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रम संचालित करना ;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टर ऑफ फिलासफी, डॉक्टर ऑफ साइन्स की उपाधियों एवं शोध कार्य के लिए ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित करना जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय चिकित्सा परिषद्, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद्, भारतीय

फार्मेसी परिषद्, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं अन्य वैधानिक परिषदों के अन्तर्गत आते हैं ; किन्तु अपने विषयों में डिप्लोमा प्रमाण–पत्र आदि दिये जाने के सम्बन्ध में अपना पाठ्यक्रम आरम्भ करने का विश्वविद्यालय को अधिकार प्राप्त होगा ;

(ज) विशिष्ट समितियों के माध्यम से एवं विद्या परिषद् के अनुमोदन से विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रिय व अध्ययन केन्द्रों मे प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना ;

(झ) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालीय, क्षेत्रिय केन्द्र या अध्ययन केन्द्र में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों के लिए योग्यता के आधार पर विशेष व्यवस्था करना ;

(ञ) शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं सहायक कर्मचारियों और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना ;

(ट) विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों व अध्ययन केन्द्रों में अध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना ;

(ठ) दूरस्थ एव वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली की अभिवृद्धि की व्यवस्था करना ;

(ड) दूरस्थ शिक्षा परिषद् की पूर्वानुमति से दूरस्थ शिक्षा पद्धति और ऐसी रीति की व्यवस्था करना, जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा को आयोजित किया जा सके ;

(ढ) ऐसी फीस, बिल, बीजक की माग करना और प्राप्त करना तथा प्रभार संग्रह करना, जो यथास्थिति, परिनियमों या नियमों द्वारा नियत किया जाये ;

(ण) व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूमि पर या उसके बिना विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ धन जुटाना, संग्रह करना, स्वीकार करना और ऋण प्राप्त करना ;

(त) प्रायोजित संस्था की पूर्वानुमति से विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों व अध्ययन केन्द्रों के प्रयोजनार्थ दान और किसी प्रकार के उपहार प्राप्त करना तथा किसी चल, अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण करना, धारण करना, प्रबन्ध करना, अनुरक्षण करना और निपटारा करना ;

(थ) विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा के अतिरिक्त पाठ्येत्तर अन्य गतिविधियों की व्यवस्था करना ;

(द) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, के छात्रों के लिए छात्रावास (हॉल) संस्थित करना और उनका अनुरक्षण करना और निवास स्थानों को निश्चित करना ;

(ध) आवास का नियंत्रण करना, पर्यवेक्षण करना, समस्त श्रेणी के कर्मचारियों एवं छात्रों के मध्य अनुशासन पर नियंत्रण रखना तथा आचार संहिता सहित ऐसे कर्मचारियों को सेवा शर्तें विनिर्दिष्ट करना ;

(न) भारत या विदेशों के संस्थानों, संगठनों, विश्वविद्यालयों, व्यक्ति विशेषों, उद्योगों एवं संस्थाओं के साथ ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य और सहयोग करना, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये ;

(प) फिल्म, कैसेट, टेप, वीडियो कैसेट, सी०डी०, वी०सी०डी० और अन्य सॉफ्टवेयर इत्यादि के द्वारा शैक्षिक सामग्री तैयार करने की व्यवस्था करना ;

(फ) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं एवं उच्च शिक्षा केन्द्रों की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि (पूर्ण या आंशिक) को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि के समतुल्य मान्यता प्रदान करना और उनको दी गई मान्यता को किसी भी समय समाप्त करना ;

(ब) संविदा करना, उसका निष्पादन करना, उसमें परिवर्तन करना या उसे समाप्त करना ;

(भ) विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियां, प्रायोजित संस्था की गतिविधियों से स्पष्टतया भिन्न करना ;

(म) एक कानूनी इकाई के रूप में अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण में अपने नाम से वाद लाना और वाद दायर करना ;

(य) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक व सम्भव ऐसे सभी अन्य कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के अनुशांगिक हों या न हों।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों को प्रोत्साहित करने तथा ऐसी प्रणालियों के शिक्षण, मूल्यांकन और शोध मानक निर्धारित करने के लिए, वे सभी उपाय करना विश्वविद्यालय का कर्तव्य होगा, जो वह उचित समझे और इस कार्य के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालयों, संघटक महाविद्यालयों, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्रों और अनुसंधान केन्द्रों को चाहे उन्हें विशेषाधिकार स्वीकृत हुए हों अथवा नहीं अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान को अनुदानों के आवंटन एवं

संवितरण की शक्ति सहित ऐसी शक्तियां प्राप्त होगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायं।

विश्वविद्यालय मे सभी वर्ग, जाति एवं लिंग की पहुँच होगी

9. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए चाहे वे किसी भी वर्ग, जाति या लिंग के हों के प्रवेश के लिए खुला रहेगा।

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से यह नही समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड क विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए विशेष प्राविधान करने पर प्रतिबन्ध है।

परन्तु और यह भी कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों या अध्ययन केन्द्रो द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम मे परिनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्रो को प्रवेश देना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय प्रत्यायन

10. विश्वविद्यालय विभिन्न राष्ट्रीय प्रत्यान निकायों से मान्यता प्राप्त करेगा।

अध्याय–तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे अर्थात् :–

(क) कुलाध्यक्ष ;

(ख) कुलाधिपति ;

(ग) कुलपति ;

(घ) प्रति–कुलपति ;

(ङ) कुल सचिव ;

(च) संकायाध्यक्ष ;

(छ) वित्त अधिकारी, और

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें परिनियमो द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाए।

कुलाध्यक्ष

12. (1) उत्तराखण्ड का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा।

(2) कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित हों, तो उपाधियों एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(3) कुलाध्यक्ष को निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान होंगी, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी भी पत्र या सूचना को मांगना ;

(ख) कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर, यदि वह संतुष्ट हो कि कोई आदेश, कार्यवृत्त या निर्णय, जो विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया हो, अधिनियम, परिनियम अथवा नियमों के अनुरूप नहीं हैं तो वह ऐसे निर्देश जारी सकेंगे जिन्हें वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझें और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी सम्बन्धितों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

(4) मानद उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

कुलाधिपति

13. (1) कुलाधिपति की नियुक्ति प्रायोजित संस्था द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से की जायेगी, जो प्रायोजित संस्था का सदस्य होगा ;

परन्तु यह कि प्रायोजित संस्था सदस्यों से इतर व्यक्तियों से भी कुलाधिपति नियुक्त कर सकेगी।

(2) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उन्हें इस अधिनियम, या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा प्रदान की जाये।

कुलपति

14. (1) कुलाधिपति द्वारा उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिए इस तरह के नियम और शर्तों पर,

जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) उप धारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :–

(क) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य ;

(ख) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव ;

(ग) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा नामित तीन सदस्य, जिनमें से एक को व्यवस्थापक मण्डल द्वारा संयोजक के रूप मे नामित किया जायेगा ;

(3) समिति, योग्यता के आधार पर कुलपति का पद धारण करने के लिए उपयुक्त तीन व्यक्तियों के नामो का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की शैक्षिक योग्यताओं तथा अन्य विशिष्टताओं को दर्शाते हुए एक संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को अग्रसारित करेगी।

(4) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापो पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियो के विनिश्चयो को लागू करेगा।

(5) जहां अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी सशक्त अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(6) कुलपति, ऐसी अन्य शक्तियो का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमो द्वारा विहित किये जायें।

(7) कुलाधिपति को सम्यक् जाँच के उपरान्त कुलपति को हटाने का अधिकार प्राप्त होगा। कुलाधिपति, जाँच के दौरान आरोपों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, जैसा वह उचित समझे, कुलपति को निलम्बित कर सकेंगे।

प्रति–कुलपति

15. प्रति–कुलपति की नियुक्ति, कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जा सकेगी और व ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

कुलसचिव

16. (1) कुलसचिव की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) कुलसचिव, विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदाएं करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(3) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचनायें और दस्तावेज, जो उनकी कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक हो, प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होगा।

(4) कुलसचिव, को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी, और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें, या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो।

संकाय अध्यक्ष

17. संकाय अध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसी कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

वित्त अधिकारी

18. वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से की जा सकेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो कि परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

अन्य अधिकारीगण

19. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारीगणों की नियुक्ति की रीति, सेवा के नियम व शर्तें तथा शक्तियों व कर्त्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

अध्याय–चार
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

20. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे अर्थात् :–

(क) व्यवस्थापक मण्डल ;

(ख) प्रबन्ध मण्डल ;

(ग) विद्या परिषद् ;

(घ) वित्त समिति ; और

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जाए।

व्यवस्थापक मण्डल और उसकी शक्तियाँ

21. (1) विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे अर्थात् :–

(क) कुलाधिपति – अध्यक्ष ;

(ख) कुलपति – सदस्य–सचिव ;

(ग) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित तीन शिक्षाविद् ;

(घ) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव ;

(ङ) प्रायोजित संस्था द्वारा नामित पाँच सदस्य ;

(च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित एक सदस्य ;

(छ) कुलाधिपति द्वारा नामित तीन सदस्य।

2. व्यवस्थापक मण्डल, विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासनिक निकाय होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण ;

(ख) विश्वविद्यालय के संवैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति ;

(ग) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का, यदि वे इस अधिनियम या परिनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुरूप न हों, पुनरावलोकन ;

(घ) विश्वविद्यालय के बजट, वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखों का अनुमोदन ;

(ङ) नए या अतिरिक्त परिनियमों व नियमो को बनाना, या पूर्व में बने परिनियमों व नियमो का संशोधन या निरसन ;

(च) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के सम्बन्ध मे विनिश्चय करना ;

(छ) विश्वविद्यालय के ब्यारों को खोलना, बन्द करना, संचालित करना व प्रबन्धन करना ;

(ज) राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावो का अनुमोदन ; और

(झ) ऐसे निर्णय एवं उपाय करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यो के प्रभावी ढंग से निष्पादन के लिए वांछनीय पाए गए हों।

3. व्यवस्थापक मण्डल वर्ष मे न्यूनतम तीन बैठक ऐसे समय और स्थान पर रखेगा, जैसा कि कुलाधिपति उचित समझें।

प्रबन्ध मण्डल

22. (1) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित होंगे :—

(क) कुलपति — अध्यक्ष ;

(ख) प्रति—कुलपति, यदि हो ;

(ग) प्रायोजित संस्था द्वारा नामित पांच सदस्य ;

(घ) कुलाधिपति द्वारा चक्रीय आधार पर नामित संकायों के दो संकायाध्यक्ष ;

(ङ) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव ;

(च) कुलसचिव गैर–सदस्य सचिव होगा ;

(छ) कुलसचिव गैर–सदस्य सचिव होगा।

(2) प्रबन्ध मण्डल की शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

विद्या परिषद्

23. (1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित होंगे :–

(क) कुलपति – अध्यक्ष ;

(ख) कुल सचिव – सचिव ;

(ग) ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियम में विहित किये जायें।

(2) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित परिनियमों व नियमों के अन्तर्गत, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(3) विद्या परिषद् की शक्तियां एवं कृत्य वही होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

वित्त समिति

24. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे :–

(क) कुलपति – अध्यक्ष ;

(ख) वित्त अधिकारी – सचिव ;

(ग) राज्य सरकार के वित्त विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव ;

(घ) ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियम में विहित किये जायें ;

(2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय निकाय होगी, जो वित्तीय मामलों की देखभाल करेगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित परिनियमों व नियमों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों में समन्वय स्थापित करेगी एवं उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(3) वित्त समिति की शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

अन्य प्राधिकरण

25. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

26. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी।

अध्याय–पाँच

परिनियम और नियम

परिनियम

27. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में सभी या किसी विषय के लिए परिनियम द्वारा व्यवस्था की जा सकेगी, जो निम्नवत् है :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य–सम्पादन और ऐसी इकाईयों के गठन की प्रक्रिया जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई है ;

(ख) स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का संचालन ;

(ग) कुलाधिपति की नियुक्ति व उनकी शक्तियाँ एवं कृत्य ;

(घ) कुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति के नियम व शर्तें, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ङ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और सेवा शर्तें ;

(च) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियो, अध्यापकों, कर्मचारियो और छात्रों के मध्यम विवादों का निराकरण ;

(छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही ;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही ;

(झ) विभागों और संकायों का सृजन, उत्सादन और उनकी पुनर्संरचना ;

(ञ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं से सहयोग की रीति ;

(ट) मानद् उपाधियों को प्रदान करना ;

(ठ) निःशुल्कता और छात्रवृत्तिया प्रदान करना ;

(ड) विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या, ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रो के प्रवेश की प्रक्रिया जिसमें उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी सम्मिलित है ;

(ढ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तिया, अध्ययनवृत्तिया, निःशुल्कता, पदक और पुरस्कार संस्थित करना ;

(ण) पदों का सृजन और समापन करना ;

(त) अन्य मामले, जो विहित किए जाए।

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

28. (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये गये प्रथम परिनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे, जो उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के परिनियमों की प्राप्ति के दिनांक के दो माह के अन्दर अपना अनुमोदन दे सकेगी।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में परिनियमो के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करने मे असफल रहती है, वहाँ यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने परिनियमों को अनुमोदित कर दिया है।

परिनियमों में संशोधन करने की शक्ति

29. व्यवस्थापक मण्डल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

नियम

30. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए नियमों की व्यवस्था की जा सकेगी, जो निम्नवत् है :–

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन और इस रूप में बने रहना ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम ;

(ग) उपाधियां तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं को प्रदान करना ;

(घ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें ;

(ङ) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमका (मॉडरेटर) की नियुक्ति की शर्तें व रीति तथा उनके कर्त्तव्य ;

(च) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क ;

(छ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क ;

(ज) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें ;

(झ) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखने हेतु ;

(ञ) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस विधेयक के अधीन निर्मित नियमों या परिनियमों में प्रावधान किया जाए।

नियम कैसे बनाए जायेंगे ?

31. (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा नियम बनाए जाएंगे और इस प्रकार बनाए गए नियम राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे, जो कि नियमों की प्राप्ति के दिनांक से दो माह के अन्दर, उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अपना अनुमोदन दे सकेगी।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में नियमों के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करने में असमर्थ हो तो, वहां यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने नियमों को अनुमोदित कर दिया है।

नियमों का संशोधित करने की शक्ति

32. व्यवस्थापक मण्डल, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नए या अतिरिक्त नियम बना सकेगा या नियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

अध्याय–6

प्रकीर्ण

उत्तराखण्ड के स्थाई निवासियों के लिए उपबन्ध

33. (1) विश्वविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 40% सीटें उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित की जायेंगी, यदि स्थायी निवासियों हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, तो रिक्त सीटें अन्य छात्रों द्वारा भरी जा सकती हैं।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए तय शुल्क में उपधारा (1) में वर्णित उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों को 20% की छूट प्रदान की जायेगी।

(3) समूह "ग" व "घ" श्रेणी के समस्त पद उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों द्वारा उनकी योग्यता के अनुसार भरे जायेंगे।

(4) उपरोक्त उपधारा (1) में वर्णित आरक्षित सीटों पर विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार की समय–समय पर संशोधित/लागू आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

34. (1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अन्तर्गत की जाएगी, जिसकी प्रति विश्वविद्यालय द्वारा रखी जाएगी तथा एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।

(2) कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विश्वविद्यालय के परिनियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार शासित होगी।

(3) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाले विवाद का समाधान इस सम्बन्ध में बनाए गए परिनियम की प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाएगा।

(4) इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लोक सेवक नहीं समझा जायेगा और वह हमेशा, इस अधिनियम के प्रायोजन के लिये, या अन्यथा, विश्वविद्यालय के निजी रोजगार के अधीन रहेगा।

अपील का अधिकार

35. विश्वविद्यालय या संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रिय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र आदि के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के प्राचार्य/डीन, किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध प्रबन्ध मण्डल को, ऐसे समय के अन्दर, जो विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध मण्डल ऐसे विनिश्चय को जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, पुष्टि उपान्तरित या परिवर्तित कर सकेगा।

भविष्य निधि एवं पेंशन

36. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाये, ऐसी भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा योजना की व्यवस्था करेगा, जो वह उचित समझे।

विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन सम्बन्धी विवाद

37. यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में विधिवत् नामित या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है तो यह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

38. धारा 20 में उल्लिखित विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को ऐसे प्राधिकारी की समिति गठित करने की शक्ति होगी, जिसमेंऐसे सदस्य होंगे और जिनकी ऐसी शक्तियाँ होंगी, जो ऐसा प्राधिकारी उचित समझे।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

39. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी, जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा, जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है/भरती है, सदस्य बना रहता।

सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही के प्रति संरक्षण

40. विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जो अधिनियमों या परिनियमों या नियमो के उपबन्धो के अनुसरण मे सद्भावनापूर्वक की गई है, या की जाने के लिए आशयित है, संस्थित नहीं होगी।

संक्रमणकालीन प्राविधान

41. इस अधिनियम व परिनियमों के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी :–

(क) प्रथम कुलपति एवं प्रथम प्रति–कुलपति (यदि कोई है), की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ;

(ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ;

(ग) प्रथम व्यवस्थापक मण्डल तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा ;

(घ) प्रथम प्रबन्ध मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद् का गठन, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जाएगा।

स्थायी विन्यास निधि

42. विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के नाम से प्लेज्ड ₹ 5 करोड़ (रुपये पाँच करोड़ मात्र) की एक स्थायी विन्यास निधि राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी के रूप मे स्थापित की जायेगी, जिसकी अवधि पाँच वर्ष की होगी, जिसका पुनः पाँच वर्ष के लिए नवीनीकरण कराया जायेगा।

सामान्य निधि

43. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक सामान्य निधि स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :—

(क) सभी शुल्क, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा लिये जायेंगे ;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि ;

(ग) प्रायोजित संस्था द्वारा किये गये समस्त अंशदान ;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिन्हें तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान ;

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्तक व्ययों के लिये किया जायेगा।

विकास निधि

44. (1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :—

(क) विकास शुल्क—जिसे छात्र पर प्रभारित किया जाये ;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजन के लिये किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि ;

(ग) प्रायोजित संस्था द्वारा किये गये सभी अंशदान ;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिन्हें तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान ; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय-समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

45. धारा 42, 43 और 44 के अधीन स्थापित निधियों को व्यवस्थापक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की अध्यधीन रहते हुए, विहित रीति से विनियमित एवं अनुरक्षित किया जायेगा।

वार्षिक प्रतिवेदन

46. (1) प्रबन्ध मण्डल के निर्देशन के अधीन विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा और इसे व्यवस्थापक मण्डल को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा ;

(2) व्यवस्थापक मण्डल अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और वह उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित करेगा।

(3) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा विधिवत् अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, प्रति वर्ष 31 मार्च को वर्ष की समाप्त हुए वित्त वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष और राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

खाते तथा लेखा–परीक्षा

47. (1) विश्वविद्यालय के खाते किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले जाएगें।

(2) प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र तैयार किये जायेंगे तथा किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की, जिनका संवितरण या भुगतान किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखे गये लेखों में प्रविष्टि की जायेगी।

(3) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं की प्रतिवर्ष ऐसे लेखा–परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जायेगी, जो इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउन्टेन्स ऑफ इण्डिया का सदस्य हो।

(4) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखाओं और तुलन–पत्र की एक प्रति, प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की अनुवर्ती 31 दिसम्बर से काफी पहले व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।

(5) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखा, तुलन–पत्र और लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक मण्डल उस पर अपनी समीक्षा 31 दिसम्बर से पहले अभ्युक्तियों के साथ प्रतिवर्ष उसे कुलाध्यक्ष और राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

(6) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और लेखा–परीक्षा पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी होंगे।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को प्रमाणित करने की विधि

48. विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से विधिवत् रखी गयी किसी पूंजी की कोई प्रविष्टि, यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या पंजिका में प्रविष्ट होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और संव्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा, जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई हो, तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार होगी।

विश्वविद्यालय का विघटन

49. (1) यदि हिमालयन इन्स्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, देहरादून, अपने संविधान या निगमन को नियंत्रित करने वाली विधि के अनुसार हिमालयन विश्वविद्यालय के विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देगा।

(2) विश्वविद्यालय की प्रबन्ध प्रणालियों में कुप्रबन्धन, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में विफल होने एवं आर्थिक कठिनाईयों की पहचान किये जाने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय की

प्रबन्ध व्यवस्था को निर्देश जारी करेगी। यदि ऐसे निर्देशों का, ऐसे समय के अधीन जैसे विहित की गई है, अनुपालन नहीं किया जाता तो विश्वविद्यालय के परिसमापन का निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।

(3) विश्वविद्यालय का परिसमापन ऐसी रीति से किया जायेगा जो इस विषय में राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये ;

परन्तु यह कि हिमालयन इन्स्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ऐसी कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जायेगी।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार सांविधिक परिषद् एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करके विश्वविद्यालय के विघटन के प्रस्तावित दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(5) विश्वविद्यालय के विघटन पर सभी देयताओं का भुगतान करने के उपरान्त विश्वविद्यालय की शेष सम्पत्ति प्रायोजित संस्था हिमालयन इन्स्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट में निहित हो जाएगी।

विश्वविद्यालय के विघटन के समय विश्वविद्यालय के व्यय

50. (1) धारा 49 के अधीन विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिए होने वाला व्यय स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से पूरा किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियां, विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों के निस्तारण द्वारा की जा सकेगी।

कठिनाईयों का निराकरण	51. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचना या आदेश द्वारा, ऐसे प्राविधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धो से असंगत न हो और जो कठिनाईयो को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो : परन्तु यह कि कोई अधिसूचना या आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा। (2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।
निरसन और अपवाद	52. (1) हिमालयन विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2012 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धो के अधीन की गई समझी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, से खण्ड–52, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि हिमालयन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि हिमालयन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–52, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

आईएमएस यूनिसन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012

{उत्तराखण्ड विधेयक सं0 वर्ष 2012}

तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उद्धयान शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों की शिक्षण प्रशिक्षण एवं शोध कार्य से सम्बन्धित शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत "इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज" (सोसाईटी), देहरादून द्वारा प्रायोजित **आईएमएस यूनिसन विश्वविद्यालय,** देहरादून नामक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं उसके निगमन के लिए :

विधेयक

भारत गणराज्य के तीरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आई0एम0एस0 यूनिसन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 है।

(2) यह राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना जारी किये जाने की तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2. जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा कोई अपेक्षित न हो, इस विधेयक में :–

(क) 'विद्या परिषद्' से विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् अभिप्रेत है ;

(ख) 'प्राधिकारी' से विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों अभिप्रेत है ;

(ग) 'व्यवस्थापक मण्डल' से विश्वविद्यालय का व्यवस्थापक मण्डल अभिप्रेत है ;

(घ) 'प्रबन्ध मण्डल' से विश्वविद्यालय का प्रबन्ध मण्डल अभिप्रेत है ;

(ङ) 'पाठ्यक्रम मण्डल' से विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम मण्डल अभिप्रेत है ;

(च) 'परीक्षा मण्डल' से विश्वविद्यालय की परीक्षा मण्डल अभिप्रेत है ;

(छ) 'कुलाधिपति', 'कुलपति', 'प्रतिकुलपति', 'कुल सचिव', 'परीक्षा नियंत्रक' एवं 'वित्त अधिकारी' से क्रमानुसार विश्वविद्यालय के 'कुलाधिपति', 'कुलपति', 'प्रतिकुलपति', 'कुल सचिव', 'परीक्षा नियंत्रक' एवं 'वित्त अधिकारी' अभिप्रेत है ;

(ज) 'परिसर' से विश्वविद्यालय के परिसर अभिप्रेत है ;

(झ) 'संघटक महाविद्यालय' से विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा प्रबन्धित किसी महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है ;

(ञ) 'कैरियर एकेडमी सेण्टर' से ऐसे केन्द्र अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, मान्य एवं अनुरक्षित हो, जिसका उपयोग दूरदृश्य प्रसारण प्राप्त करने, ई–मेल, इण्टरनेट, पारस्परिक संवाद, प्रशिक्षण, व्याख्यान, गोष्ठी एवं कार्यशाला आयोजित करने, विद्यार्थियों के लिए सलाह, परामर्श एवं अन्य सहायता के उद्देश्य से किया गया हो ;

(ट) परिसर के 'निदेशक' या संघटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में प्राचार्य/डीन से उस परिसर या संघटक महाविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है और जहां प्राचार्य/डीन नहीं है, उप प्राचार्य या तत्समय प्राचार्य/डीन के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है ;

(ठ) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' से राज्य के भीतर शिक्षा की वह पद्धति अभिप्रेत है, जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर दृश्य प्रसारण (टेलीकास्टिंग), इण्टरनेट पर ऑनलाईन, दूरसंचार की अन्य पारस्परिक विधियां, ई–मेल, इण्टरनेट, कम्प्यूटर, पारस्परिक संवाद, ई–लर्निंग, पत्राचार पाठ्यक्रम, गोष्ठी, सम्पर्क कार्यक्रम या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो ;

(ड) 'जमा राशि' से विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से लिए गए ऐसी राशि अभिप्रेत है, जोकि वापसी योग्य है ;

(ढ) 'संकायाध्यक्ष' से विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष (डीन) अभिप्रेत है ;

(ण) 'विभाग' से विश्वविद्यालय के विभाग (शैक्षिक इकाई) अभिप्रेत है, जिसमेंएक या एक से अधिक विषयों मे अध्ययन व शोध कार्य किया जा रहा हो ;

(त) 'कर्मचारी' से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित है ;

(थ) 'वित्त समिति' से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है ;

(द) 'संकाय' से विश्वविद्यालय की संकाय अभिप्रेत है ;

(ध) 'शुल्क' से विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से लिये गए ऐसी राशि अभिप्रेत है जो कि शुल्क के तहत आती है एवं वापसी योग्य नहीं है ;

(न) 'सरकार' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है ;

(प) 'हाल' अथवा 'छात्रावास' से विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा मान्य छात्रों के आवास की इकाई अभिप्रेत है ;

(फ) 'इस्टीट्यूट ऑफ मैनजमट स्टडीज' से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसाईटी अभिप्रेत है, जिसका पजीकृत कार्यालय 21, न्यू कैन्ट रोड, हाथीबड़कला, देहरादून–248001 मे अवस्थित है ;

(ब) 'प्रायोजित संस्था' (प्रमोटिंग सोसाइटी) से सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के तहत पजीकृत सोसाइटी, 'इस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज', देहरादून उत्तराखण्ड अभिप्रेत है ;

(भ) 'विहित' से 'परिनियमो द्वारा विहित' अभिप्रेत है ;

(म) 'स्थायी निवासी' से राज्य के ऐसे निवासी अभिप्रेत है, जिसके पास राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमो के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में मूल निवास/स्थायी निवास का वैध प्रमाण–पत्र हो ;

(ण) 'क्षेत्रीय केन्द्र' से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किसी क्षेत्र में स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा ऐसे केन्द्र में अन्य प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से प्रबन्ध मण्डल द्वारा किया गया हो ;

(र) 'राज्य' से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है ;

(ल) 'परिनियम', 'नियम और अध्यादेश' से विश्वविद्यालय के 'परिनियम', 'नियम' और 'अध्यादेश' अभिप्रेत है ;

(व) 'अध्ययन केन्द्र' से विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे केन्द्र अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया हो ;

(श) 'अध्यापक' से आचार्य सह आचार्य, सहायक आचार्य/व्याख्याता एवं ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जिससे विश्वविद्यालय या इसके किसी परिसर या किसी सघटक महाविद्यालय में शिक्षा प्रदान करने, या शोध कार्य के संचालन लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुरूप नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी परिसर का निदेशक या संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य/डीन भी आता है ;

(ष) 'यू0जी0सी0' से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है ;

(स) 'विश्वविद्यालय' से इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय अभिप्रेत है ;

(ह) 'निकाय' से विश्वविद्यालय का निकाय अभिप्रेत है ;

(क्ष) 'कुलाध्यक्ष' (विजिटर) से विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष अभिप्रेत है।

अध्याय–दो

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव

3. (1) प्रायोजित संस्था अर्थात् इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (सोसाइटी), देहरादून, को इस विधेयक के उपबन्धों के अनुसार 'आई एम एस यूनिसान विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

(2) प्रायोजित संस्था द्वारा राज्य सरकार को विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव सहित एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निम्न विवरण प्रस्तुत किये गये :–

(क) प्रायोजित संस्था के पूर्ण विवरण सहित विश्वविद्यालय के उद्देश्य ;

(ख) विश्वविद्यालय की प्रास्थिति, विस्तार और भूमि की उपलब्धता ;

(ग) आगामी पॉच वर्षों मे विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले शैक्षणिक एवं अनुसंधान कार्यक्रमों की प्रकृति तथा प्रकार ;

(घ) संकायों की प्रकृति, आरम्भ किये जाने वाले पाठ्यक्रम तथा शोध कार्य ;

(ङ) विश्वविद्यालय परिसर का विकास जैसे भवन, उपस्कर तथा संरचनात्मक मुख्य सुविधाएं ;

(च) आगामी पॉच वर्षों के लिए पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध परिव्यय ;

(छ) मदवार आवर्ती व्यय, वित्तीय स्रोत एवं प्रत्येक छात्र के लिए अनुमानित व्यय ;

(ज) संसाधन जुटाने की योजना तथा उसकी पूंजीगत लागत और उन्हें चुकाने के तरीके ;

(झ) आन्तरिक संसाधनों–विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क, परामर्श एवं विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों से प्रत्याशित राजस्व एवं अन्य प्रत्याशित आय द्वारा आन्तरिक निधियों के सृजन की योजना ;

(ञ) संस्था की लागत पर आने वाले व्यय, राज्य के मूल निवासी छात्रों के लिए शिक्षण शुल्कों में दी जाने वाली रियायतों या छूट की सीमा, निःशुल्कता और छात्रवृत्तियां तथा अप्रवासी भारतीयों एवं विदेशों से आने वाले विद्यार्थियों से विभिन्न दरों पर, यदि कोई हो, लिये जाने वाले शुल्कों के स्वरूप का ब्यौरा ;

(ट) प्रायोजित संस्था में उपलब्ध सम्बन्धित विषयों में विशेषज्ञता एवं अनुभव की अवधि तथा वित्तीय संसाधन ;

(ठ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों की चयन पद्धति ; तथा

(ड) विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व ऐसी अन्य शर्तों की, जिनकी पूर्ति राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो, पूर्ति की प्रास्थिति।

विश्वविद्यालय की स्थापना

4. (1) राज्य सरकार आवश्यक जॉच करने के उपरान्त संतुष्ट है कि प्रायोजित संस्था ने सभी शर्तें और आवश्यकताओं को पूर्ण कर लिया गया है और 'आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय' ज्ञात ना मसे उत्तराखण्ड राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है।

(2) विश्वविद्यालय,' आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय' के नाम से एक निगमित निकाय होगा और उसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा वह अपने नाम से वाद दायर कर सकेगा और उस पर वाद दायर किया जा सकेगा।

(3) (क) विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर देहरादून, उत्तराखण्ड में अवस्थित होगा तथा उसका अन्य परिसर अथवा क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र की स्थापना अन्य स्थानों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य सांविधानिक निकायों द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जायेगा। विश्वविद्यालय

पाँच वर्ष की अवधि के बाद राज्य में, राज्य सरकार की पूर्वानुमति से अपना द्वितीय परिसर स्थापित कर सकेगा, परन्तु पर्वतीय क्षेत्रों मे 2500 फुट से ऊपर द्वितीय कैम्पस खोलने की कोई समय–सीमा नही होगी।

(ख) विश्वविद्यालय को अन्य विभाग / विषय प्रारम्भ करने के लिये, यदि अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता हो, जैसे कि संवैधानिक निकायों के मानकानुसार आवश्यकता हो, विश्वविद्यालय या तो मुख्य परिसर से सटा हुआ या अलग (स्प्लिट) परिसर देहरादून क्षेत्र मे ही स्थापित कर सकता है।

(4) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति, प्रति कुलपति, कुल सचिव एवं व्यवस्थापक मण्डल, प्रबन्ध मण्डल एवं विद्या परिषद् के सदस्य इस प्रकार स्थापित विश्वविद्यालय मे तत्समय उक्त पदों पर कार्य करते हुये नियमित निकाय गठित कर सकेंगे और विश्वविद्यालय के नाम से वाद दायर कर सकेंगे एवं उन पर वाद चलाया जा सकता है।

(5) उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने पर विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अधिगृहीत, निर्मित, व्यवस्थित अथवा सृजित भूमि, चल एवं अचल सम्पत्तियां, प्रायोजित संस्था की सम्पत्तियों को छोड़कर, विश्वविद्यालय को अन्तरित एवं उसमे निहित हो जायेगी।

(6) विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध भूमि, भवन, विभिन्न विभागों / संकायों के संचालित समस्त पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित सर्वोच्च नियामक आयोग के मानको के अनुसार होना आवश्यक होगा।

(7) विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर, परिसर व अध्ययन केन्द्र आदि में आधारभूत एवं अन्य सुविधाए यू0जी0सी0 एवं शीर्ष वैधानिक नियामक संस्थाओं के मानको के अनुरूप होगी।

विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना	5. विश्वविद्यालय स्वः वित्तपोषित होगा और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय, या निगम से किसी सहायता, अनुदान या किसी अन्य वित्तीय सहायता की न तो कोई मांग करेगा और नही उसके लिए हकदार होगा। हालांकि विश्वविद्यालय ऐसे किसी भी अनुदान की प्राप्ति करने का हकदार होगा, जो कि राज्य सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रित अन्य निकाय या निगमित द्वारा संचालित विशेष योजना के अन्तर्गत इस तरह के अनुदान की शर्तों के अधीन दिया जा रहा हो। इससे विश्वविद्यालय के स्वः वित्तपोषित स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना	6. राज्य के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र एवं कैरियर एकेडमी सेण्टर्स हो सकते हैं, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी। विश्वविद्यालय अन्य अनुसंधान संस्थान व अन्य विश्वविद्यालयों के साथ सामुहिक अनुसंधान कार्य एवं शिक्षण कार्य कर सकता है।
विश्वविद्यालय के उद्देश्य	7. जिन उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, वे निम्नवत् हैं :– (क) तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उड्डयन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य विषयों एवं अन्य शाखाओं, जैसे को विश्वविद्यालय उचित समझे, में अध्ययन, अध्यापन, परिक्षण एवं शोध कार्यों को प्रदान करना एवं व्यवस्था करना ; (ख) तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उड्डयन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों आदि में परिसर एवं संघटक महाविद्यालयों की स्थापना तथा सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री एवं पी०एच०डी० डिग्री, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामकरण किया गया हो को स्थापित करना एवं प्रदान करना, किन्तु विश्वविद्यालय को अपने

उद्देश्यों को प्रोत्साहन हेतु ऐसे नये अन्य डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम प्रदान करने का अधिकार होगा ;

(ग) उपरोक्त (ख) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षण प्रदान करने के लिए अनवरत शिक्षा के अधीन राज्य में संघटक केन्द्र की स्थापना ;

(घ) परीक्षा केन्द्रों को स्थापित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय को डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र व अन्य शैक्षिक उपलब्धि, परीक्षाओं अथवा अन्य प्रणाली के आधार पर प्रदान करना ;

(च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं सम्बन्धित राज्य सरकार की सहमति से अन्य राज्यों में परिसर की स्थापना करना ;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उड्डयन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान एवं नवीन परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना द्वारा अध्ययन गोष्ठियों, अधिवेशन, कार्यशिविर, शैक्षणिक कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रकाशन, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं समूह अध्ययन इत्यादि करना ;

(ज) बाह्य अध्ययन, विस्तार कार्यक्रम एवं बाह्य क्षेत्रीय गतिविधियों द्वारा समाज के विकास में अपना योगदान देना ;

(झ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधान एवं नियमों के अन्तर्गत ऑफ–शोर कैम्पस की स्थापना करना।

(ञ) जैसे कि आवश्यक हो, ऐसे सभी कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, प्रासंगिक एवं सहायक हो।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

3. (1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी ; अर्थात् :–

(क) तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उद्यान शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य विषयों एवं अन्य क्षेत्रों में अध्ययन, अध्यापन, परिक्षण एवं शोध कार्य, शिक्षण व्यवस्था करना तथा अनुसंधान एवं ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार का प्राविधान करना ;

(ख) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसी अन्य समस्त गतिविधियां सम्पादित करना, जो आवश्यक अथवा साध्य हो ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना तथा उन्हें उपाधिया या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ संस्थित और प्रदान करना जिन्होंने :–

(1) विश्वविद्यालय या इसके परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय या दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों या कैरियर एकेडमी सैन्टर्स मे शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो ; अथवा

(2) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय मे, या किसी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन शोध कार्य किया हो।

(घ) परिनियमों / प्राविधानों में अभिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद् उपाधियों, या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना ;

(ङ) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां तथा पुरस्कार संस्थित एवं प्रदान करना ;

(च) ऐसी फीस, बिल, बीजक की मांग करना और प्राप्त करना तथा प्रभार संग्रह करना, जो यथास्थिति, परिनियमों या नियमों द्वारा नियत किये जाये ;

(छ) ऐसे क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करना, अनुरक्षण करना एवं मान्यता प्रदान करना जैसे समय–समय पर विश्वविद्यालय के परिनियमों में निर्दिष्ट रीति द्वारा निर्धारित किया जाए ;

(ज) विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा के अतिरिक्त पाठ्येत्तर अन्य गतिविधियों की व्यवस्था करना ;

(झ) विश्वविद्यालय अथवा इसके परिसर या संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों तथा कैरियर एकेडमी सेण्टर्स में संकाय, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना ;

(ञ) प्रायोजित संस्था की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय, इसके परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सेण्टर्स के प्रयोजनार्थ दान और किसी प्रकार के उपहार प्राप्त करना तथा न्यास और विन्यास की सम्पत्तियों सहित किसी चल, अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण करना, धारण करना, प्रबन्ध करना, अनुरक्षण करना और निपटारा करना ;

(ट) विश्वविद्यालय, इसके परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों के लिए हाल/छात्रावास स्थापना और उनका अनुरक्षण करना और निवास स्थानों को निश्चित करना ;

(ठ) आवास का नियंत्रण करना, पर्यवेक्षण करना और समस्त श्रेणी के कर्मचारियों एवं छात्रों के मध्य अनुशासन पर नियंत्रण रखना तथा आचार संहिता सहित ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्त विनिर्दिष्ट करना ;

(ड) शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं सहायक कर्मचारियों और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना ;

(ढ) भारत या विदेशों के संस्थानों, संगठनों, विश्वविद्यालयों, व्यक्ति विशेषों, उद्योगों एवं संस्थाओं के साथ ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य और सहयोग करना, जिन्हे विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करे ;

(ण) दूरस्थ शिक्षा पद्धति और ऐसी रीति की व्यवस्था करना, जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमा के अनुसार दूरस्थ शिक्षा को आयोजित किया जा सके ;

(त) शिक्षकों, अध्यापकों, पाठ लेखकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियो के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाएँ, संगोष्ठियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना ;

(थ) विश्वविद्यालय, इसके परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रिय केन्द्रो, अध्ययन केन्द्रो, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सेण्टर्स में विशिष्ट समितियो के माध्यम से एवं विद्या परिषद् के अनुमोदन से प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना ;

(द) विश्वविद्यालय, इसके परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रो, अध्ययन केन्द्रो, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सेण्टर्स में किसी पाठ्यक्रम मे प्रवेश के लिए उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी के लिए योग्यता के आधार पर विशेष व्यवस्था करना ;

(ध) विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा शिक्षा,

विधि शिक्षा, उड्डयन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टर ऑफ फिलासफी, डॉक्टर ऑफ साइन्स की उपाधियों एवं शोध कार्य के लिए ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित करना जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व अन्य वैधानिक परिषदों के अन्तर्गत आते हैं, किन्तु अपने विषयों में डिप्लोमा प्रमाण–पत्र आदि दिये जाने के सम्बन्ध में अपना पाठ्यक्रम आरम्भ करने का विश्वविद्यालय को अधिकार प्राप्त होगा ;

(न) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियां, प्रायोजित संस्था की गतिविधियों से स्पष्टतया विलग होंगी ;

(प) फिल्म कैसेट टेप, वीडियो कैसेट, सी0डी0, डी0वी0डी0 और अन्य साफ्टवेयर इत्यादि सहित शैक्षिक सामग्री तैयार करने की व्यवस्था करना ;

(फ) अन्य विश्वविद्यालयों संस्थाओं एवं उच्च शिक्षा केन्द्रों की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि (पूर्ण अथवा आंशिक) को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि के समतुल्य मान्यता प्रदान करना और उनकी दी गयी मान्यता को किसी भी समय समाप्त करना ;

(ब) व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या उसके बिना विश्वविद्यालय के लिए धन जुटाना, संग्रह करना, स्वीकार करना और ऋण प्राप्त करना ;

(भ) संविदा करना, उसका निष्पादन करना, उसमें परिवर्तन करना या उसे समाप्त करना ;

(म) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक व सम्भव ऐसे सभी अन्य कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हो या न हों ;

(ग) एक कानूनी इकाई के रूप में अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण में अपने नाम से वाद लाना और वाद दायर करना।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी और उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों को प्रोत्साहित करने तथा ऐसी प्रणालियों के शिक्षण, मूल्यांकन और शोध मानक निर्धारित करने के लिए वे सभी उपाय करना विश्वविद्यालय का कर्तव्य होगा, जो वह उचित समझे और इस कार्य के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सेण्टर्स को चाहे उन्हें विशेषाधिकार स्वीकृत हुए हो अथवा नहीं अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान को अनुदानों के आवंटन एवं संवितरण की शक्ति सहित ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, जाति एवं लिंग की पहुंच होगी

9. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए चाहे वे किसी वर्ग, जाति या लिंग के हो, के प्रवेश के लिए खुला रहेगा ;

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से यह नही समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए विशेष प्राविधान करने का प्रतिबन्ध है ;

परन्तु यह और कि इस धारा के किसी बात के होते हुये भी यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रो, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रो और कैरियर एकेडमिक सेण्टर्स द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में परिनियमो द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय प्रत्यायन

10. विश्वविद्यालय विभिन्न राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्थाओ से मान्यता प्राप्त करेगा।

अध्याय–तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे : –

(क) कुलाध्यक्ष (विजिटर) ;

(ख) कुलाधिपति ;

(ग) कुलपति ;

(घ) प्रति–कुलपति ;

(ङ) कुल सचिव ;

(च) संकायाध्यक्ष ;

(छ) वित्त अधिकारी ; और

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किया जाए।

कुलाध्यक्ष (विजिटर)

12. (1) उत्तराखण्ड के श्री राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।

(2) कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित हो, तो उपाधियां एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(3) कुलाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी ; अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली से सम्बन्धित किसी भी अभिलेख, पत्र या सूचना को मगाना ;

(ख) कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर, यदि वह संतुष्ट हो कि कोई आदेश, कार्यवृत्त, या निर्णय, जो विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया हो, अध्यादेश, परिनियम अथवा नियम के अनुरूप नहीं है तो वह ऐसे निर्देश जारी कर सकेंगे, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझें और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी सम्बन्धितों द्वारा अनुपालन किया जायेगा ;

(ग) मानद उपाधि प्रदान किये जाने का प्रत्येक प्रस्ताव पर कुलाध्यक्ष का अनुमोदन लिया जाना होगा।

कुलाधिपति

13. (1) प्रायोजित संस्था (प्रमोटिंग सोसाइटी), अपने सदस्यों में से एक सदस्य या उनके द्वारा सर्वसम्मति से किसी अन्य को कुलाधिपति नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उसे इस अधिनियम, या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा प्रदान की जायेंगी।

कुलपति

14. (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(क) कुलाधिपति ;

(ख) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव ;

(ग) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा नामित तीन सदस्य ;

(घ) प्रायोजित संस्था (प्रमोटिंग सोसाइटी) द्वारा नामित एक सदस्य जो कि संयोजक के रूप में नामित किया जायेगा।

(3) समिति योग्यता के आधार पर कुलपति के पद के योग्य तीन व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक योग्यताओं तथा अन्य विशिष्टताओं के संक्षिप्त विवरण के साथ उसे व्यवस्थापक मण्डल को अग्रसारित करेगी।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को लागू करेगा।

(5) जहां अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी शासक अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या नियमावली द्वारा अभिकथित किये जायें।

(7) कुलाधिपति को सम्यक् जाँच के उपरान्त, व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त, कुलपति को हटाने का अधिकार प्राप्त होगा। कुलाधिपति, जाँच के दौरान आरोपों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये, जैसा वह उचित समझे, कुलपति को निलम्बित कर सकेंगे।

प्रति–कुलपति

15. प्रति–कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा व्यवस्थापक मण्डल के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जा सकेगी, जैसा कि परिनियमों में विहित की जाय और प्रतिकुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

कुल सचिव

16. (1) कुल सचिव की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसे कि विहित की जाय।

(2) कुलसचिव, विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदाएं करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(3) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें, या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो।

(4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएँ और दस्तावेज, जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

संकायाध्यक्ष

17. संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जायेगी कि परिनियमों द्वारा वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करें, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

वित्त अधिकारी

18. वित्त अधिकारी कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि परिनियमों द्वारा विहित किये जाय।

अन्य अधिकारीगण

19. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के नियम व शर्तें तथा शक्तियां व कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जाय।

अध्याय—चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय की प्राधिकारी

20. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :—

(क) व्यवस्थापक मण्डल ;

(ख) प्रबन्ध मण्डल ;

(ग) विद्या परिषद् ;

(घ) वित्त समिति ; और

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के परिनियमो मे प्राधिकारी घोषित किये जायेंगे।

व्यवस्थापक मण्डल व उसकी शक्तियाँ

21. (1) व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित होंगे :—

(क) व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष व सह अध्यक्ष (यदि हो तो) को प्रायोजित संस्था के सदस्यों में से किसी सदस्य को नामित किया जाएगा।

(ख) कुलाधिपति — उपाध्यक्ष ;

(ग) कुलपति — सदस्य सचिव ;

(घ) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित — दो शिक्षाविद् ;

(ङ) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव / सचिव ;

(च) प्रायोजित संस्था द्वारा नामित — पाँच सदस्य ;

(छ) प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों के अधिकारियों में से प्रायोजित संस्था द्वारा नामित — दो सदस्य ;

(ज) प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नामित अधिकारियों में से प्रायोजित संस्था द्वारा नामित — दो सदस्य।

(2) व्यवस्थापक मण्डल, विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासनिक संस्था होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी ; अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण ;

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का, यदि वे ऐसे अधिनियम या परिनियमों या नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप न हों, का पुनर्विलोकन ;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन ;

(घ) नई अथवा अतिरिक्त परिनियमों को बनाना या पूर्व में बने परिनियमों अथवा नियमावलियों का संशोधन या निरसन ;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक समापन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना ;

(च) राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन करना ;

(छ) ऐसे निर्णय एवं प्रयास करना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों, के प्रभावी ढंग से निष्पादन के लिए वांछनीय पाये गये हैं ;

(ज) विश्वविद्यालय के सांविधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना ; और

(झ) विश्वविद्यालय के सभी खातों को खोलना, बन्द करना, संचालित करना व प्रबन्धन करना।

(3) व्यवस्थापक मण्डल की वर्ष में न्यूनतम दो बैठकें ऐसे समय और स्थान पर होंगी, जैसा कि व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष उचित समझें।

प्रबन्ध मण्डल

22. (1) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क) कुलपति – अध्यक्ष ;

(ख) प्रति–कुलपति (यदि हैं तो) ;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामित एक अधिकारी ;

(घ) प्रायोजित संस्था द्वारा नामित पाँच सदस्य ;

(ङ) कुलाधिपति द्वारा नामित चक्रिय आधार पर नामित दो प्राध्यापक ;

(च) कुलाधिपति द्वारा नामित चक्रिय आधार पर दो संकायाध्यक्ष ;

(छ) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव / सचिव ;

(ज) कुल सचिव गैर–सदस्य सचिव होगा।

(2) प्रबन्ध मण्डल की शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगे, जैसा परिनियमों द्वारा विहित किया जाय।

विद्या परिषद

23. (1) विद्या परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे ; अर्थात् :-

(क) कुलपति – अध्यक्ष ;

(ख) कुल सचिव – सचिव ;

(ग) ऐसे अन्य सदस्य, जैसा परिनियमों में विहित किया जाये।

(2) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों व परिनियमों के अन्तर्गत रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(3) विद्या परिषद् की शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमो द्वारा विहित किये जाए।

वित्त परिषद

24. (1) वित्त समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे ; अर्थात् :–

(क) कुलपति – अध्यक्ष ;

(ख) वित्त अधिकारी – सचिव ;

(ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव / सचिव ;

(घ) ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियमो द्वारा विहित किये जाय।

(2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्त निकाय होगी, जो वित्तीय मामलों की देखभाल करेगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अध्याधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों में समन्वय स्थापित करेगी एवं उसका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(3) वित्त समिति की शक्तियाँ एवं कृत्य वही होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

अन्य प्राधिकरण

25. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किये जाय।

रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

26. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी।

अध्याय–पाँच
परिनियम और नियम

परिनियम

27. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में सभी या किसी विषय के लिए परिनियम और नियमावली द्वारा व्यवस्था की जा सकती है, जो निम्नवत् है :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य–सम्पादन और ऐसी इकाईयों के गठन की प्रक्रिया, जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई है ;

(ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का संचालन ;

(ग) कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति के नियम व शर्तें तथा उनकी शक्तियाँ व कृत्य ;

(घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और सेवा शर्तें ;

(ङ) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, संकाय के सदस्यों कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवाद के निराकरण की प्रक्रिया ;

(च) विभागों और संकायों का सृजन, उत्सादन और उसकी पुनर्संरचना ;

(छ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति ;

(ज) मानद् उपाधियों को प्रदान करने की प्रक्रिया ;

(झ) निःशुल्कता और छात्रवृत्तियां प्रदान करना ;

(ञ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया, जिसमें उत्तराखण्ड स्थायी निवासियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था भी सम्मिलित है ;

(ट) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क ;

(ल) अध्येतावृत्तिया, छात्रवृत्तिया, अध्ययनवृत्तियो, निःशुल्कता, पदक और पुरस्कार की संस्थित करना ;

(ड) पदों का सृजन और समापन करना ;

(ढ) विश्वविद्यालय के छात्रो / कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही ;

(ण) अन्य मामले, जो विहित किये जाएं ;

(त) कुलाधिपति की नियुक्ति उनकी शक्तियाँ एवं कृत्य ।

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

28. (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये गये प्रथम परिनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे, जो उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के परिनियमों की प्राप्ति के दिनॉक के तीन माह के अन्दर अपना अनुमोदन दे सकेगी।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में परिनियमो के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करने मे असफल रहती है, वहां यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने परिनियमों को अनुमोदित कर दिया है।

परिनियम के संशोधन करने की शक्ति

29. व्यवस्थापक मण्डल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

नियम

30. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए नियमो की व्यवस्था की जा सकती है, जो निम्नवत् है ; अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन और इस रूप मे बने रहना ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियो और अन्य विशिष्टताओ के लिए निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम ;

(ग) उपाधियों और विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं को प्रदान करना ;

(घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्यापनवृत्तियाँ, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें ;

(ङ) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य ;

(च) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क ;

(छ) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें ;

(ज) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखने हेतु ;

(झ) छात्रों से विभिन्न विषयों के लिये शुल्क व जमा राशि लिया जाने हेतु ;

(ञ) अन्य सभी विषय, जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों या परिनियमों में प्राविधान किया जाए।

नियम कैसे बनाए जायेंगे

31. (1) नियम व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाए जायेंगे और इस प्रकार बनाए गये नियम राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जायेंगे, जो कि नियमों की प्राप्ति के दिनाँक से दो माह के अन्दर, उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के, अपना अनुमोदन दे सकेगी।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में नियमों के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई भी विनिश्चय करने में असमर्थ हो तो, वहां यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने नियमों को अनुमोदित कर दिया है।

नियमों को संशोधित करने की शक्ति

32. व्यवस्थापक मण्डल, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

अध्याय—छ
प्रकीर्ण

उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए उपबन्ध

33. (1) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 40 प्रतिशत उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित की जायेगी, यदि स्थायी निवासियों हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती है, तो रिक्त सीटें अन्य छात्रों द्वारा भरी जा सकती है।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों मे उपधारा (1) में वर्णित प्रवेशित विद्यार्थियों, जो उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी हो, को निर्धारित शिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

(3) प्रदेश के स्थायी निवासियों को, जो समूह "ग" व "घ" श्रेणी के पदो हेतु योग्यताधारियों की इन श्रेणियों में समस्त पदों पर नियुक्तियाँ की जायेगी।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

34. (1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।

(2) कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विश्वविद्यालय परिनियमों मे निहित प्रक्रिया के अनुसार शासित होगी।

(3) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाले विवाद का समाधान इस सम्बन्ध मे बनाए गए परिनियम की प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाएगा।

(4) इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लोक सेवक नही समझा जायेगा और वह हमेशा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये, या अन्यथा, विश्वविद्यालय के निजी रोजगार के अधीन रहेगा।

अपील का अधिकार

35. विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रिय केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रो और कैरियर एकेडमिक सेण्टर्स के प्रत्येक कर्मचारी को विश्वविद्यालय या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य, क्षेत्रिय केन्द्रो, अध्ययन केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सेण्टर्स के किसी अधिकारी या प्राधिकारी, यथास्थिति विनिश्चय के विरूद्ध प्रबन्ध मण्डल को, ऐसे समय के अन्दर, जो विहित किया जाये अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध मण्डल ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरूद्ध अपील की गई है पुष्टि, उपान्तरित या परिवर्तित कर सकेगा।

भविष्य निधि एव पेंशन

36. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो विहित किये जाये, ऐसे भविष्य या पेंशन निधियो का गठन करेगा, जैसा वह उचित समझे।

विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायो के गठन के बारे में विवाद

37. यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप मे विधिवत नामित या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियो का गठन

38. धारा 20 मे उल्लिखित विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को ऐसे प्राधिकारी की समिति गठित करने की शक्ति होगी, जिसमे ऐसे सदस्य होंगे और जिनकी ऐसी शक्तियाँ होगी, जो ऐसा प्राधिकारी उचित समझें।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

39. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यो से भिन्न सदस्यो में से किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी, जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा, जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है/भरती है, सदस्य बना रहता है।

सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए सरक्षण

40. विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद या अन्य विधि कार्यवाही, किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जो अधिनियमो या परिनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई है, या की जाने के लिए आशयित है, संस्थित नही होगी।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

41. इस अधिनियम व परिनियमों के किन्हीं अन्य उपबन्धों मे किसी बात के होते हुए भी :–

(क) प्रथम कुलपति एवं प्रथम प्रति–कुलपति (यदि कोई है), की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा व्यवस्थापक मण्डल के पूर्वानुमोदन से की जायेगी और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ;

(ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा व्यवस्थापक मण्डल के पूर्वानुमोदन से की जायेगी और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ;

(ग) प्रथम व्यवस्थापक मण्डल तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा ;

(घ) प्रथम प्रबन्ध मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद् का गठन, कुलाधिपति द्वारा व्यवस्थापक मण्डल के पूर्वानुमोदन से तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जाएगा।

स्थायी विन्यास निधि

42. विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के नाम से प्लेज्ड पाँच करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारण्टी के रूप में स्थापित की जायेगी, जिसकी अवधि पाँच वर्ष की होगी, उसके उपरान्त पुनः पाँच वर्ष के लिए नवीनीकरण कराया जायेगा।

सामान्य निधि

43. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक सामान्य निधि स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी ; अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले सभी शुल्क ;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि ;

(ग) प्रायोजित संस्था द्वारा किये गये सभी अंशदान ; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्तक व्ययों के लिये किया जायेगा।

विकास निधि

44\. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक विकास निधि भी स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित निधियां जमा की जायेंगी; अर्थात् :—

(क) विकास शुल्क, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाये ;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि ;

(ग) प्रायोजित संस्था द्वारा किये गये सभी अंशदान ;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान ; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।

(2) समय—समय पर विकास निधि में जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

45\. धारा 42, 43 और 44 के अधीन स्थापित निधियों को, व्यवस्थापक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुये, विहित रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा।

वार्षिक प्रतिवेदन

46\. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किया जायेगा और उसे व्यवस्थापक मण्डल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) व्यवस्थापक मण्डल, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और वह उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित कर सकता है।

(3) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा विधिवत् अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

लेखा व लेखा परीक्षा

47\. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन—पत्र प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त धनराशि और ऐसी समस्त

धनराशि की, जिनका संग्रहण या भुगतान किया गया हो, विश्वविद्यालय महाविद्यालय द्वारा रखे गये लेखों मे प्रविष्टि की जायेंगी।

(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा की प्रतिवर्ष लेखा–परीक्षक द्वारा लेखा–परीक्षा की जायेगी, जो इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया (आई०सी०ए०आई०) के सदस्य हों।

(3) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखाओं और तुलन–पत्र की एक प्रति प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से काफी पहले व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखा, तुलन–पत्र और लेखा–परीक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक मण्डल उन्हें उन पर अपनी अभ्युक्तियों के साथ प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

(5) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और लेखा–परीक्षा पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देश विश्वविद्यालय के लिए आध्यकारी होंगे।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

48. विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से विधिवत रखी गई किसी पूंजी की कोई प्रविष्टि यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या पंजिका में प्रविष्ट होने के प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और संव्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा, जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई हो, तो वह साक्ष्य के रूप मे स्वीकार होगी।

विश्वविद्यालय का विघटन

49. (1) यदि प्रायोजित संस्था द्वारा आई०एम०एस० यूनिसन विश्वविद्यालय के गठन और निगमन नियंत्रित करने वाली विधि के अनुसार उसके

समापन का प्रस्ताव रखती हो तो उसे राज्य सरकार को कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा।

(2) विश्वविद्यालय की प्रबन्ध प्रणालियों में कुप्रबन्ध, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय के उद्देश्य की पूर्ति में विफल होना एवं आर्थिक कठिनाईयों की पहचान किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के प्रबन्ध व्यवस्था को निर्देश जारी करेगी, जिनका ऐसी समय सीमा के अधीन, जैसा विहित की जाय, अनुपालन न होने पर विश्वविद्यालय के परिसमापन का निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।

(3) विश्वविद्यालय का परिसमापन ऐसी रीति से किया जायेगा, जो इस विषय राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाये व परन्तु यह कि उसके लिए प्रायोजित संस्था को 'कारण बताओ नोटिस' के लिए समुचित अवसर प्रदान किये बिना ऐसी कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की जायेगी।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार सांविधिक परिषद एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करके प्रायोजित संस्था द्वारा विश्वविद्यालय विघटन के प्रस्तावित दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(5) विश्वविद्यालय के विघटन पर सभी सम्पत्ति एवं दायित्व प्रायोजित संस्था (प्रमोटिंग सोसाइटी) में निहित हो जाएगी।

विश्वविद्यालय के विघटन के समय विश्वविद्यालय के व्यय

50. (1) धारा 49 के अधीन विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिये होने वाला व्यय स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से पूरा किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियां, विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ऐसे व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों अथवा आस्तियों के निस्तारण द्वारा की जा सकती है।

कठिनाईयों का निराकरण

51. (1) यदि इस विधेयक के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अधिसूचना या आदेश द्वारा ऐसे प्राविधान कर सकती है, जो इस विधेयक के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो,

परन्तु यह कि उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना या आदेश इस विधेयक के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और अपवाद

52. (1) आई०एम०एस० यूनिसन विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2012 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–52, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि आई०एम०एस० यूनिसन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि आई०एम०एस० यूनिसन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–53, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरॉचल विश्वविद्यालय विधेयक, 2012

{उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2012}

उच्च, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के विकास एवं उत्थान के क्षेत्र में इन्जीनियरिंग, आर्किटेक्चर, तकनीकी, कम्यूनिकेशन, पर्यावरण, विधि एवं विधिक शिक्षा, प्रबन्धन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, लाइफ साइंसेज, कृषि विज्ञान, एप्लाइड साइंसेज, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमिनिटिज, आर्ट्स, कामर्स, मेडिसिन, डेन्टीस्ट्री, पैरा–मेडिकल, फार्मेसी, जर्नलिज्म, मॉस कम्यूनिकेशन, नॉनो–टैक्नोलॉजी, मैरिन साइंसेज, पेट्रोलियम स्टडीज, सौर ऊर्जा, होटल मैनेजमेन्ट व हॉस्पिटेलिटी और व्यावसायिक शिक्षा अर्थात् बी0एड0, एम0एड0, बीपी0एड0, शोध व प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रम या क्षेत्र, जो कि केन्द्रीय सरकार के राजपत्र अधिसूचना, जो कि इण्डियन आयुर्वेदिक काउन्सिल, इण्डियन डेन्टल साइंस काउन्सिल, इण्डियन फार्मेसी काउन्सिल, नेशनल टिचर्स ट्रेनिंग काउन्सिल, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, डिस्टेन्स एजुकेशन काउन्सिल, तथा अन्य व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित रेग्युलेटरी काउन्सिल से विचार–विमर्श के उपरान्त डिप्लोमा, डिग्री प्रदान करने व पी0एच0डी0, डी0फिल, डी0लिट0, डी0एस0सी0 से सम्बन्धित अनुसंधान की उन्नत सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से देहरादून में सुशीला देवी सेन्टर फॉर प्रोफेशनल स्टडीज एण्ड रिसर्च सोसाइटी (सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी) द्वारा प्रायोजित उत्तरॉचल विश्वविद्यालय नामक विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन के लिए :–

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–1
प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ — 1. (1) इस विधेयक का संक्षिप्त नाम उत्तरॉचल विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 है।

(2) यह राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना जारी किये जाने वाली की तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं — 2. जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विधेयक में :–

(क) 'विद्या परिषद्' से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है ;

(ख) 'व्यवस्थापक मण्डल' से विश्वविद्यालय का व्यवस्थापक मण्डल अभिप्रेत है ;

(ग) 'भारतीय विधिज्ञ परिषद्' से भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा बनाये गये नियम एडवोकेट्स अधिनियम, 1961 अभिप्रेत है ;

(घ) 'बोर्ड ऑफ गवर्नर्स' से विश्वविद्यालय का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अभिप्रेत है ;

(ङ) 'कैरियर एकेडमी सेन्टर' से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से स्थापित, मान्य एवं अनुरक्षित हो, जिसका दूरदृश्य प्रसारण प्राप्त करने, ई–मेल, इन्टरनेट, पारस्परिक संवाद, प्रशिक्षण, व्याख्यान, गोष्ठी एवं कार्यशाला आयोजित करने, विद्यार्थियों के लिए सलाह परामर्श एवं अन्य सहायता के उद्देश्य से किया गया हो ;

(च) 'कुलाधिपति' से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है ;

(छ) 'परिसर' से विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा विनियमों के आधार पर संचालित विश्वविद्यालय का परिसर अभिप्रेत है ;

(ज) 'संघटक महाविद्यालय' से विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा विनियमों के आधार पर कोई महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है ;

(झ) 'तकनीकी शिक्षा परिषद्' से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 3 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है ;

(ञ) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' से राज्य के भीतर शिक्षा की वह पद्धति अभिप्रेत है, जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों, जैसे दूर–दृश्य प्रसारण (टेलीकास्टिंग), पत्राचार पाठ्यक्रम, गोष्ठी, सम्पर्क कार्यक्रम या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो ;

(ट) 'कर्मचारी' से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय या इसके किसी परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित है ;

(ड) 'संकाय' से विश्वविद्यालय की संकाय अभिप्रेत है ;

(ढ) 'वित्त समिति' से विश्वविद्यालय वित्त समिति अभिप्रेत है ;

(ढ) 'सरकार' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है ;

(ण) 'हॉल' अथवा 'छात्रावास' से विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा मान्य छात्रों के आवास की इकाई अभिप्रेत है ;

(त) 'सुशीला देवी सेन्टर फॉर प्रोफेशनल स्टडीज एण्ड रिसर्च सोसाइटी' से सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसका पंजीकृत कार्यालय आरकेडिया ग्रान्ट, पोस्ट ऑफिस चन्दनबाड़ी, प्रेमनगर, देहरादून–248007, उत्तराखण्ड है ;

(थ) 'विहित' से परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(द) परिसर के 'निदेशक' या संघटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'प्राचार्य' से उस परिसर या संघटक महाविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है और इसमें जहां प्राचार्य नहीं है, उप–प्राचार्य या तत्समय प्राचार्य के रूप में कार्य के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है ;

(ध) 'कुलसचिव' से विश्वविद्यालय का कुलसचिव अभिप्रेत है ;

(न) 'क्षेत्रीय केन्द्र' से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किसी क्षेत्र में स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से किया गया हो, जो कि विश्वविद्यालय/राज्य सरकार एवं यू0जी0सी0 की पूर्वानुमति से स्थापित किया गया हो ;

(प) 'राज्य' से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है ;

(फ) 'परिनियम' और 'नियमावली' से क्रमशः विश्वविद्यालय का परिनियम और नियमावली अभिप्रेत है ;

(ब) 'अध्ययन केन्द्र' से विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे केन्द्र अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया, जो कि विश्वविद्यालय/राज्य सरकार एवं यू0जी0सी0 के पूर्वानुमति से स्थापित किया गया हो ;

(भ) 'अध्यापक' से आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य/व्याख्याता या ऐसा अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जिससे विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदण्डों के अनुरूप नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी परिसर का निदेशक या संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य होता है ;

(म) 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत स्थापित आयोग अभिप्रेत है ;

(य) 'विश्वविद्यालय' से इस विधेयक के अधीन प्रस्तावित उत्तराँचल विश्वविद्यालय अभिप्रेत है ;

(र) 'कुलाध्यक्ष (विजिटर)' से विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष अभिप्रेत है।

अध्याय–2
विश्वविद्यालय और इसके उद्देश्य

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव

3. (1) सुशीला देवी सेन्टर फॉर प्रोफेशनल स्टडीज एण्ड रिसर्च सोसाइटी, देहरादून, जिसे यहाँ आगे सोसाइटी कहा गया है, को इस विधेयक के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

(2) सोसाइटी, राज्य सरकार को विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव सहित एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर चुकी है, जिसमें निम्न विवरण प्रस्तुत किये गये है :–

(क) सोसाइटी के पूर्ण विवरण सहित विश्वविद्यालय के उद्देश्य ;

(ख) विश्वविद्यालय की प्रास्थिति, विस्तार और भूमि की उपलब्धता ;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले शैक्षणिक एवं अनुसंधान कार्यक्रमों की प्रकृति एवं प्रकार ;

(घ) विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों की प्रकृति के अनुसार चरणबद्ध शिक्षा एवं शोध कार्य आरम्भ करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय परिसर का विकास जैसे–भवन, उपस्कर तथा संरचनात्मक सुविधाएं ;

(च) आगामी पाँच वर्षों के लिये पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध परिव्यय ;

(छ) मदवार आवर्ती व्यय, वित्तीय स्रोत एवं प्रत्येक छात्र के लिये अनुमानित व्यय ;

(ज) संसाधन जुटाने की योजना तथा उसकी पूंजीगत लागत और उन्हें चुकाने के तरीके ;

(झ) आन्तरिक संसाधनों–विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क, परामर्श एवं अन्य विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों से प्रत्याशित राजस्व एवं अन्य प्रत्याशित आय द्वारा आन्तरिक निधियों के सृजन की योजना ;

(ञ) संस्था की लागत पर आने वाले व्यय, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिये शिक्षण शुल्कों में दी जाने वाली रियायतों या छूटों की सीमा, निःशुल्कता और छात्रवृत्तियाँ तथा अप्रवासी भारतीयों एवं विदेशों से आने वाले विद्यार्थियों से विभिन्न दरों पर, यदि कोई हो, लिये जाने वाले शुल्कों के स्वरूप का ब्यौरा ;

(ट) सोसाइटी में उपलब्ध सम्बन्धित विषयों में विशेषज्ञता एवं अनुभव की अवधि तथा वित्तीय संसाधन ;

(ठ) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों के लिये छात्रों की चयन पद्धति ; तथा

(ड) विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व ऐसी अन्य शर्तों की, जिनकी पूर्ति प्रदेश सरकार द्वारा अपेक्षित हो, पूर्ति की प्रास्थिति।

विश्वविद्यालय की स्थापना

4. (1) राज्य सरकार आवश्यक जाँच करने के उपरान्त संतुष्ट है कि प्रायोजित संस्थान ने सभी शर्तों और आवश्यकताओं को पूर्ण कर लिया है और उसे "उत्तरॉचल विश्वविद्यालय" द्वारा नाम से उत्तरॉचल राज्य में विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है।

(2) विश्वविद्यालय "उत्तरॉचल विश्वविद्यालय" के नाम से एक निगमित निकाय होगा और शाश्वत उत्तराधिकारी होगा, उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने नाम से वाद दायर कर सकेगा और उस पर वाद दायर किया जा सकेगा।

(3) (क) विश्वविद्यालय का मुख्यालय देहरादून, उत्तराखण्ड में अवस्थित होगा तथा उसका अन्य परिसर, रीजनल सेन्टर्स, अध्ययन केन्द्र व कैरियर एकेडमी सेन्टर्स की स्थापना राज्य के अन्य स्थानों पर भी, जैसा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये, हो सकेगी, बशर्ते कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य संवैधानिक निकायों द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं का पालन किया जायेगा। विश्वविद्यालय पाँच वर्ष की अवधि के बाद राज्य सरकार के अनुमति से राज्य के अन्दर दूसरा परिसर खोल सकता है। विश्वविद्यालय पर्वतीय क्षेत्रो मे 2,500 फुट के ऊपर द्वितीय परिसर खोलने की कोई समय सीमा नहीं होगी ;

(ख) विश्वविद्यालय को अन्य विभाग/विषय प्रारम्भ करने के लिए, यदि अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता हो, जैसा कि सवैधानिक निकायो के मानकानुसार आवश्यकता हो, विश्वविद्यालय या तो मुख्य परिसर से सटा हुआ या अलग (स्प्लिट) परिसर देहरादून क्षेत्र मे ही स्थापित कर सकता है।

(4) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति एवं व्यवस्थापक मण्डल, प्रबन्ध मण्डल एवं विद्या परिषद् के सदस्य उपधारा (2) के अधीन स्थापित विश्वविद्यालयमें तत्समय उक्त पदो पर कार्य करते हुये निगमित निकाय गठित कर सकेगे और विश्वविद्यालय के नाम से वाद दायर कर सकेंगे एवं उन पर वाद लाया जा सकेगा।

(5) उपधारा (2) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने पर विश्वविद्यालय के प्रयोजन हेतु सोसाइटी द्वारा लॉ कॉलेज, देहरादून, उत्तरॉचल इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, उत्तरॉचल इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट, उत्तरॉचल इन्स्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज द्वारा अधिग्रहीत निर्मित, सृजित, व्यवस्थित अथवा निर्मित भूमि, चल एवं अचल सम्पत्तियाँ भी लिये जाने पर सोसाइटी की सारी सम्पत्तियाँ विश्वविद्यालय को अन्तरित एवं उसमें निहित हो जायेगी।

(6) विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध भूमि, भवन, विभिन्न विभागों/संकायों के संचालित समस्त पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित सर्वोच्च नियामक निकाय के मानको के अनुसार होना आवश्यक होगा।

(7) विश्वविद्यालय के पास प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये सर्वोच्च नियामक निकायों द्वारा निर्धारित भूमि व भवन होने चाहिये।

विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना

5. विश्वविद्यालय स्वतः वित्त पोषक होगा और राज्य सरकार के स्वमित्वाधीन, या नियन्त्रणाधीन किसी अन्य निकाय, या निगम से किसी प्रकार की सहायता, अनुदान या किसी अन्य वित्तीय सहायता की न तो कोई मॉग करेगा और न ही उसके लिये हकदार होगा।

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना

6. विश्वविद्यालय में संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रिय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, शोध केन्द्र एवं कैरियर एकेडमी सेन्टर उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत राज्य सरकार/यू0जी0सी0 की पूर्वानुमति से विश्वविद्यालय की स्थापना के पॉच वर्ष के उपरान्त हो सकते है, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नही होगी।

विश्वविद्यालय के स्थापना का प्रभाव

7. इस विधेयक के प्रभाव में आने के दिन से :–

(1) लॉ कॉलेज, देहरादून, जो वर्तमान में हेमवती नन्दन बहुगुणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल से सम्बद्ध है तथा उत्तरॉचल इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, उत्तरॉचल इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट, उत्तरॉचल इन्स्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज, जो वर्तमान में उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून एवं हेमवती नन्दन बहुगुणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल

से सम्बद्ध है, किसी भी प्रकार के संविदा या अन्य साधन उत्तरांचल विश्वविद्यालय के अन्तर्गत निहित होंगे, जो इस विधेयक के द्वारा स्थापित होंगे ;

(2) प्रत्येक कर्मचारी इस विधेयक के अधीन स्थापित क्रमशः लॉ कॉलेज, देहरादून, उत्तरांचल इन्स्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, उत्तरांचल इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट, उत्तरांचल इन्स्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज की सेवा या अपने पद पर उसी अवधि के लिये उसी पारिश्रमिक और सेवा शर्तों तथा उन्ही अधिकारों और विशेषाधिकारों यथा छुट्टी, उपादान और भविष्य निर्वाह निधि एवं अन्य मामले, तब तक, जब तक कि उनकी सेवायें समाप्त अथवा ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और सेवा शर्तों, परिनियमों के द्वारा सम्यक रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जाती, जैसा कि यदि यह विधेयक प्रख्यापित नहीं हुआ होता तो वह इस विधेयक से पूर्व धारण करते रहते :

परन्तु यह कि यदि ऐसा परिवर्तन, ऐसी सेवा के लिये स्वीकार नहीं होता तो विश्वविद्यालय में नियोक्ता द्वारा संविदा की शर्तों के अनुसार अथवा यदि इस सम्बन्ध में कोई उपबन्ध न बने हो तो विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी कर्मचारियों के मामले में तीन महीने और अन्य कर्मचारियों के मामले में एक महीने के पारिश्रमिक के समतुल्य क्षतिपूर्ति के भुगतान पर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं :

परन्तु यह और कि इस विधेयक के प्रारम्भ से पूर्व प्रत्येक नियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन लम्बित संविदा का निष्पादन इस विधेयक और परिनियमों के उपबन्धों के संगत संविदा के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त समझा जायेगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

8. (1) जिन उद्देश्यों के लिये विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, वे निम्नवत् हैं :–

(क) उच्च शिक्षा, ज्ञान का प्रसार, अनुसंधान आदि के प्रबन्ध तथा तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के विकास एवं उत्थान के क्षेत्र में इन्जीनियरिंग आर्किटेक्चर, तकनीकी, कम्यूनिकेशन, पर्यावरण, विधि एवं विधिक शिक्षा, प्रबन्धन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, लाइफ साइंसेज, कृषि विज्ञान, एप्लाइड साइंसेज,

सामाजिक विज्ञान, ह्यूमिनिटिज, आर्ट्स, कामर्स, मेडिसिन, डेन्टीस्ट्री, पैरा–मेडिकल, फार्मेसी, जर्नलिज्म, मॉस कम्यूनिकेशन, नॉनो–टक्नोलॉजी, मैरिन साइंसेज, पैट्रोलियम स्टडीज, सौर ऊर्जा, होटल मैनेजमेन्ट व हॉस्पिटेलिटी और व्यावसायिक शिक्षा अर्थात् बी0एड0, एम0एड0, बी0पी0एड0, शोध व प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रम हेतु डिप्लोमा, डिग्री, प्रदान करने तथा पी0एच0डी0, डी0फिल, डी0लिट0, डी0एस0सी0 से सम्बन्धित अनुसंधान की उन्नत सुविधायें प्रदान करना ;

(ख) इन्जीनियरिंग, आर्किटेक्चर, तकनीकी, कम्यूनिकेशन, पर्यावरण, विधि एवं विधिक शिक्षा, प्रबन्धन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, लाइफ साइंसेज, कृषि विज्ञान, एप्लाइड साइंसेज, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमिनिटिज, आर्ट्स, कामर्स, मेडिसिन, डेन्टीस्ट्री, पैरा–मेडिकल, फार्मेसी, जर्नलिज्म, मॉस कम्यूनिकेशन, नॉनो–टेक्नोलॉजी, मैरिन साइंसेज, पैट्रोलियम स्टडीज, सौर ऊर्जा, होटल मैनेजमेन्ट व हॉस्पिटेलिटी और व्यावसायिक शिक्षा बी0एड0, एम0एड0, बी0पी0एड0, शोध व प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रम हेतु उच्च एवं तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा तथा उससे सम्बन्धित आनुषंगिक विषयों से सम्बन्धित आदि संघटक महाविद्यालय की स्थापना तथा डिप्लोमा एवं स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने का अधिकार व अन्य डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य ;

(ग) व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों के विकास, प्रोत्साहन, लचीलापन व उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान के लिये इन्जीनियरिंग, आर्किटेक्चर, तकनीकी, कम्यूनिकेशन, पर्यावरण, विधि एवं विधिक शिक्षा, प्रबन्धन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, लाइफ साइंसेज, कृषि विज्ञान, एप्लाइड साइंसेज, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमिनिटिज,

आर्ट्स, कामर्स, मेडिसिन, डेन्टीस्ट्री, पैरा–मेडिकल, फार्मेसी, जर्नलिज्म, मॉस कम्यूनिकशन, नॉनो–टेक्नोलॉजी, मैरिन साइंसेज, पैट्रोलियम स्टडीज, सौर ऊर्जा, होटल मैनेजमेन्ट व हॉस्पिटेलिटी और व्यावसायिक शिक्षा बी0एड0, एम0एड0, बी0पी0एड0, शोध व प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रम हेतु उच्च एवं तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा तथा उससे सम्बन्धित आनुषंगिक विषयों से सम्बन्धित सुविधाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदान करना ;

(घ) शिक्षा के उन्नयन एवं प्रसार हेतु सूचना की अन्य पारम्परिक एवं आधुनिक माध्यमों के द्वारा शिक्षा के अवसर जनसंख्या के एक बड़े वर्ग को प्रदान करना, साथ ही भलाई के लिए दूरस्थ शिक्षा को भी बढ़ावा देना। उच्च शिक्षा में वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली, पारम्परिक शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़कर इस देश में शिक्षा को नये आयाम तक पहुँचाना ;

(ङ) उपरोक्त (ख) में उल्लेखित पाठ्यक्रमों के लिए दूरस्थ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना तथा शिक्षा उन्नयन के कार्यक्रमों को निरन्तर बढ़ावा देना।

(च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं सम्बन्धित राज्य सरकार की सहमति से अन्य राज्यों में परिसर की स्थापना करना।

(2) अनुसंधान और विकास केन्द्रों की स्थापना करना, जिसका उद्देश्य उच्च तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के विकास एवं उत्थान के क्षेत्र में इन्जीनियरिंग, आर्किटेक्चर, तकनीकी, कम्यूनिकेशन, पर्यावरण, विधि एवं विधिक शिक्षा, प्रबन्धन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, लाइफ साइंसेज, कृषि विज्ञान, एप्लाइड साइंसेज, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमिनिटिज, आर्ट्स, कामर्स, मेडिसिन, डेन्टीस्ट्री, पैरा–मेडिकल, फार्मेसी, जर्नलिज्म, मॉस कम्यूनिकशन, नॉनो–टेक्नोलॉजी, मैरिन साइंसेज, पैट्रोलियम स्टडीज, सौर ऊर्जा, होटल मैनेजमेन्ट व हॉस्पिटेलिटी और व्यावसायिक शिक्षा बी0एड0, एम0एड0, बी0पी0एड0, शोध व प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रम हेतु

डिप्लोमा, डिग्री प्रदान करने तथा पी0एच0डी0, डी0फिल, डी0लिट0, डी0एस0सी0 से सम्बन्धित अनुसंधान की उन्नत सुविधायें प्रदान करना जो उत्तराखण्ड राज्य के क्षेत्राधिकार में हैं :—

(क) मानवता के उन्नयन के लिये पूरे विश्व में फैले हुये इस प्रकार की गतिविधियां जो पारम्परिक, संस्थागत, दूरस्थ माध्यमों के द्वारा शिक्षा देना व अनुसंधान की सुविधायें बिना किसी जाति, रंग, वर्ण एवं वर्ग में भेदभाव किये प्रदान करना ;

(ख) मौलिक तथा मानवीय ज्ञान की वृद्धि एवं प्रसार हेतु प्रोत्साहित करना, उन क्षेत्रों में शिक्षा, दिशा निर्देश, प्रशिक्षण प्रदान करना, जो इसके लिये उपयुक्त समझे जायें व

(ग) ज्ञान की उन शाखाओं में शिक्षण, निर्देशन एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराना जिनमें वह उपयुक्त समझे।

विश्वविद्यालय के कर्तव्य व शक्तियाँ

9. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी ; अर्थात् :—

(1) विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों / विभागों में आधुनिक विषयों को केन्द्रित करके ऐसे दिशा—निर्देश प्रदान करना, जिसमें प्रत्येक संकाय उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित हो तथा सम्बन्धित सभी विषयों में अनुसंधान एवं ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार का प्राविधान करना।

(2) (क) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसी अन्य समस्त गतिविधियां सम्पादित करना, जो आवश्यक अथवा साध्य हो ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षायें आयोजित करना तथा उन्हें उपाधियाँ या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें संस्थित और प्रदान करना ; अर्थात् :—

(1) ऐसे व्यक्तियों के लिये परीक्षायें आयोजित करना तथा उन्हें उपाधियाँ या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें संस्थित और प्रदान करना ;

(2) विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में कोई पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना ;

(3) परिनियमों / प्राविधानों में अभिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद उपाधियों, या अन्य शैक्षिक विशेषतायें प्रदान करना ;

(4) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां तथा पुरस्कार संस्थित एवं प्रदान करना ;

(5) ऐसी फीस, बिल बीजक की मांग करना और प्राप्त करना, प्रभार संग्रह करना, जो यथास्थिति, परिनियमों या नियमों द्वारा नियत किया जाये ;

(6) छात्रों एवं कर्मचारियों के लिये शिक्षा के अतिरिक्त पाठ्येत्तर अन्य क्रिया–कलापों का प्राविधान करना ;

(7) शिक्षा के प्रोत्साहन का उपबन्ध करना, जिसमें उच्च तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के विकास एवं उत्थान के क्षेत्र में इन्जीनियरिंग, आर्किटेक्चर, तकनीकी, कम्यूनिकेशन, पर्यावरण, विधि एवं विधिक शिक्षा, प्रबन्धन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, लाइफ साइंसेज, कृषि विज्ञान, एप्लाइड साइंसेज, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमिनिटिज, आर्ट्स, कामर्स, मेडिसिन, डेन्टीस्ट्री, पैरा–मेडिकल, फार्मेसी, जर्नलिज्म, मॉस कम्यूनिकेशन, नॉनो–टेक्नोलॉजी, मैरिन साइंसेज, पैट्रोलियम स्टडीज, सौर ऊर्जा, होटल मैनेजमेन्ट व हॉस्पिटैलिटी और व्यावसायिक शिक्षा अर्थात बी०एड०, एम०एड०, बी०पी०एड०, शोध व प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रम हेतु डिप्लोमा, डिग्री प्रदान करने तथा पी०एच०डी०, डी०फिल, डी०लिट०, डी०एस०सी० से सम्बन्धित अनुसंधान की उन्नत सुविधायें प्रदान करना ;

(8) विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों में सकाय अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना ;

(9) सोसाइटी की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और कैरियर एकेडमी सेन्टर्स के प्रयोजनार्थ सदान और किसी प्रकार के उपहार प्राप्त करना तथा सोसाइटी और विन्यास की सम्पत्तियों सहित किसी चल, अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण धारण, प्रबन्ध, अनुरक्षण और निपटारा करना ;

(10) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों के लिये हाल, व्याख्यान कक्षों की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना और निवास स्थानों एवं छात्र/छात्रावासों को निश्चित करना ;

(11) आवास एवं छात्र/छात्रावासों का नियन्त्रण, पर्यवेक्षक और समस्त श्रेणी के कर्मचारियों एवं छात्रों के मध्य अनुशासन पर नियन्त्रण रखना तथा आचार संहिता सहित ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तें विनिर्दिष्ट करना ;

(12) शैक्षणिक, प्रशासनिक, प्रबन्धन एवं सहायक कर्मचारियों और अन्य आवश्यक पदों का सृजन ;

(13) अन्य विश्वविद्यालय से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये सहकारी या सहयोग करना, जिन्हे विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करे ;

(14) डी0ई0सी0 की पूर्वानुमति से दूरस्थ शिक्षा पद्धति और ऐसी रीति की व्यवस्था करना, जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा को आयोजित किया जा सके ;

(15) अध्यापकों पाठ लेखकों, मूल्यॉकको और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालायें, संगोष्ठियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना ;

(16) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र और कैरियर एकेडमी सेन्टर्स में विशिष्ट समितियों के माध्यम से एवं विद्या परिषद् के अनुमोदन से प्रवेश के लिए मानक निर्धारित करना ;

(17) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र और कैरियर एकेडमी सेन्टर्स में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उत्तराखण्ड राज्य के छात्रों के लिये विशेष व्यवस्था करना ;

(18) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसार करने के लिये यथा आवश्यक ऐसे अन्य सभी कार्य करना चाहें वे उपर्युक्त शक्तियों के प्रासंगिक हो या न हो ;

(19) उच्च, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के विकास एवं उत्थान हेतु इन्जीनियरिंग, आर्किटेक्चर, तकनीकी, कम्युनिकेशन, पर्यावरण, विधि एवं विधिक शिक्षा, प्रबन्धन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, लाइफ साइंसेज, कृषि विज्ञान, एप्लाइड साइंसेज, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमिनिटिज, आर्ट्स, कामर्स, मेडिसिन, डेन्टीस्ट्री, पैरा–मेडिकल, फार्मेसी, जर्नलिज्म, मॉस कम्यूनिकशन, नॉनो–टेक्नोलॉजी, मैरिन साइंसेज, पैट्रोलियम स्टडीज, सौर ऊर्जा, होटल मैनेजमेन्ट व हॉस्पिटेलिटी और व्यावसायिक शिक्षा अर्थात बी०एड०, एम०एड०, बी०पी०एड०, शोध व प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रम हेतु डिप्लोमा, डिग्री प्रदान करने तथा पी०एच०डी०, डी०फिल, डी०लिट०, डी०एस०सी० से सम्बन्धित अनुसंधान आदि के लिये पाठ्यक्रम आरम्भ करना ;

(20) विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियाँ, सोसाइटी की गतिविधियों से स्पष्टतः विलग होगी ;

(21) फिल्म कैसेट, टैप, वीडियो कैसेट, सी0डी0, वी0सी0डी0 और अन्य सॉफ्टवेयर इत्यादि सहित शैक्षिक सामग्री तैयार करने की व्यवस्था करना ;

(22) अन्य विश्वविद्यालय, संस्थाओं एवं उच्च शिक्षा केन्द्रों की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि (पूर्ण या आंशिक) को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि के समतुल्य मान्यता प्रदान करना और उनको दी गई मान्यता किसी भी समय समाप्त करना ;

(23) व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या उसके बिना विश्वविद्यालय के लिये धन जुटाना, संग्रह करना, स्वीकार करना और ऋण प्राप्त करना ;

(24) संविदा करना, उसका निष्पादन करना, उसमें परिवर्तन करना या उसे समाप्त करना ;

(25) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिये विजिटिंग प्राचार्य, विशेषज्ञ प्राचार्य, विशेषज्ञ या ऐसे व्यक्तियों को संविदा के आधार पर नियुक्त करना।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और उपधारा (1) व (2) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों को प्रोत्साहित करने तथा ऐसी प्रणालियों के शिक्षण, मूल्यांकन और शोध मानक निर्धारित करने के लिए वे सभी उपाय करना विश्वविद्यालय का कर्तव्य होगा, जो वह उचित समझे और इस कार्य के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसधान केन्द्रों और करियर

एकेडमिक सेण्टर्स को, चाहे उन्हें विशेषाधिकार स्वीकृत हुए हो अथवा नहीं अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान को अनुदानों के आवंटन एवं संवितरण की शक्ति सहित ऐसी शक्तियां प्राप्त होगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, जाति एवं लिंग की पहुँच होगी

10. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिये चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति या लिंग के हो, के प्रवेश के लिए खुला रहेगा :

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों के लिये विशेष प्राविधान करने का प्रतिबन्ध है ;

परन्तु यह और कि इस धारा के किसी बात के होते हुए भी यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय क्षेत्रीय केन्द्रो, कैरियर एकेडमिक सेन्टर्स द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम मे परिनियमो द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय प्रत्यायन

11. विश्वविद्यालय विभिन्न राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्थाओं से मान्यता प्राप्त करेगा।

अध्याय–3
विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

3. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :–

(क) कुलाध्यक्ष (विजिटर) ;

(ख) कुलाधिपति ;

(ग) कुलपति ;

(घ) प्रति–कुलपति (प्रो–वाइस चांसलर) ;

(ङ) संकायाध्यक्ष ;

(च) कुलसचिव ;

(छ) वित्त अधिकारी ; और

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें सांविधियों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाध्यक्ष (विजिटर)

13. (1) उत्तराखण्ड का राज्यपाल महोदय विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा।

(2) कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित हो, तो उपाधियां एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिये आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(3) कुलाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियां होगी ; अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के मामलो से सम्बन्धित किसी भी अभिलेख, पत्र या सूचना को मांगना,

(ख) कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर यदि कुलाध्यक्ष द्वारा उसका समाधान हो जाता है कि कोई आदेश, कार्यवृत्त या निर्णय चाहे विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय, अधिनियम, विनियम विधेयक अथवा नियमावली के अनुरूप नहीं है, तो वह ऐसे निदेश जारी कर सकते है जिन्हें वह विश्वविद्यालयके हित में उचित समझे, निर्देश दे सकेंगे और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी सम्बन्धितों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

(4) मानद उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

कुलाधिपति

14. (1) सोसाइटी के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति होंगे, जिनका कार्यकाल पॉच वर्ष की अवधि का होगा। तत्पश्चात् सोसाइटी कुलाध्यक्ष की पूर्व सहमति से कुलाधिपति का कार्यकाल आगामी पॉच वर्षों के लिये विस्तारित किया जा सकेगा अथवा सोसाइटी के सदस्यों में से ही नये कुलाधिपति को नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च अधिकारी होगा।

(3) कुलाधिपति, गवर्निंग बॉडी की बैठक का सचालन करेगा तथा कुलाध्यक्ष की अनुपस्थिति मे विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोहों की अध्यक्षता करेगा तथा डिग्री प्रदान करेगा।

(4) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी ; अर्थात् :—

(क) कोई भी सूचना या अभिलेख मांगने का अधिकार,

(ख) कुलपति की नियुक्ति का अधिकार,

(ग) कुलपति को पदच्युत करने का अधिकार,

(घ) ऐसी अन्य शक्तियां, जो इस विधेयक मे विहित की गयी हो।

कुलपति

15. (1) कुलाधिपति द्वारा उपधारा (2) के उपबन्धो के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल मे से तीन वर्ष की अवधि के लिये ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति मे निम्नलिखित व्यक्ति होंगे ; अर्थात् :—

(क) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य ;

(ख) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा मनोनीत तीन सदस्य, जिनमें से एक को व्यवस्थापक मण्डल द्वारा समिति के संयोजक के रूप मे नामित किया जायेगा।

(3) समिति योग्यता के आधार पर कुलपति के पद के योग्य तीन व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक योग्यताओ तथा अन्य विशिष्टताओ के संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को भेज देगी।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापो पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियो के विनिश्चयों को लागू करेगा।

(5) जहॉ अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही

करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए इस विधेयक द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी सशक्त अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या नियमावली द्वारा अधिकथित किये जायें।

(7) कुलाधिपति को सम्यक् जाँच के बाद कुलपति को हटाने का अधिकार प्राप्त है। कुलाधिपति जाँच के दौरान आरोपों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये, जैसा वह उचित समझें, कुलपति को निलम्बित कर सकेंगे।

प्रति–कुलपति (प्रो–वाइस चांसलर)

16. प्रति–कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जा सकेगी, जैसी कि परिनियमों में विहित की जायें और प्रति–कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

संकायाध्यक्ष

17. संकायाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जायेगी कि परिनियमों द्वारा वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

कुलसचिव

18. (1) कुलसचिव की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसे कि विहित की जाये।

(2) कुलसचिव, विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(3) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायें या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो।

(4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचनायें और दस्तावेज, जो उनके कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक हों, को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होगा।

वित्त अधिकारी 19. वित्त अधिकारी, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि विहित किये जाये।

अन्य अधिकारीगण 20. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे, जो विहित किये जाये।

अध्याय–4

उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों के लिए उपबन्ध

उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए उपबन्ध 21. (1) उत्तराखण्ड में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 40 प्रतिशत स्थान उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए उपबन्ध के लिये आरक्षित होंगे, यदि स्थायी निवासियों हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती है तो रिक्त सीटे अन्य राज्यों के योग्य छात्रों द्वारा भरी जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों, जो प्रदेश के स्थायी निवासी हो, को निर्धारित शिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

(3) प्रदेश के स्थायी निवासियों को, जो समूह 'ग' व 'घ' श्रेणी के पदो पर इन श्रेणियों में समस्त पदो पर नियुक्तियाँ की जायेगी।

(4) प्रदेश के स्थायी निवासियों को शैक्षणिक संवर्ग की रिक्तियों मे प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

(5) राज्य सरकार की प्रवृत्त/समय–समय पर संशोधित आरक्षण नीति का विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन किया जायगा।

अध्याय–5
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

22. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे ; अर्थात् :–

(क) व्यवस्थापक मण्डल,

(ख) प्रबन्धक मण्डल,

(ग) विद्या परिषद्,

(घ) वित्त समिति और

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें सांविधियों द्वारा विश्वविद्यालय के परिनियमों में प्राधिकारी घोषित किये जायेंगे।

व्यवस्थापक मण्डल व उसकी शक्तियां

23. (1) व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित अधिकारी होंगे :–

(क) कुलाधिपति	–	अध्यक्ष ;
(ख) कुलपति	–	सदस्य सचिव ;
(ग) कुलाध्यक्ष (विजिटर) द्वारा नामित शिक्षाविद्	–	एक सदस्य ;
(घ) राज्य सरकार द्वारा नामित	–	एक सदस्य ;
(ङ) सोसाइटी द्वारा नामित	–	पाँच सदस्य ;
(च) आमन्त्रित प्रख्यात शिक्षाविद्	–	तीन सदस्य।

(2) व्यवस्थापक मण्डल, विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासनिक संस्था होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी ; अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण ;

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का यदि वे ऐसे अध्यादेशों या परिनियमों या नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप न हो का पुनर्विलोकन ;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन ;

(घ) नई अथवा अतिरिक्त परिनियमों को बनाना या पूर्व में बने परिनियमों अथवा नियमावलियों का संशोधन या निरसन ;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक समापन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना ;

(च) राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन ; और

(छ) ऐसे निर्णय एवं उपाय करना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के प्रभावी ढंग से निष्पादन के लिए वाछनीय पाये गये हैं।

(3) व्यवस्थापक मण्डल की वर्ष में न्यूनतम दो बैठकें ऐसे समय और स्थान पर होंगी, जैसा कि कुलाधिपति उचित समझें।

प्रबन्ध मण्डल

24. (1) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(क) कुलपति,

(ख) रजिस्ट्रार,

(ग) सोसाइटी द्वारा नामित – पाँच सदस्य,

(घ) एक वर्ष की अवधि के लिये ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के – दो प्राध्यापक,

(ङ) कुलाधिपति द्वारा नामित – दो शिक्षाशास्त्री,

(च) कुलपति, प्रबन्ध मण्डल का सभापति एवं कुलसचिव इसके सचिव होंगे।

(2) प्रबन्ध मण्डल की शक्तियां एवं कृत्य वहीं होंगे, जो विहित किये जायें।

विद्या परिषद्

25. (1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे ; अर्थात् :–

(क) कुलपति – सभापति ;

(ख) कुल सचिव – सचिव ;

(ग) ऐसे अन्य सदस्य – जैसा परिनियमों में विहित किया जाय।

(2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय संस्था होगी, जो वित्तीय मामलों की देखभाल करेगी और इस विधेयक के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों में समन्वय स्थापित करेगी एवं उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

अन्य प्राधिकरण — 27. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे कि विहित किये जायें।

रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना — 28. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी।

अध्याय–6

परिनियम और नियमावली

परिनियम — 29. इस विधेयक के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये, विश्वविद्यालय तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में किसी विषय के लिये परिनियम और नियमावली द्वारा व्यवस्था की जा सकती है, जो निम्नवत् है :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य सम्पादन और ऐसी इकाइयों के गठन की प्रक्रिया, जो इस विधेयक में विनिर्दिष्ट नहीं की गई है ;

(ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का संचालन ;

(ग) कुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति की शर्तें तथा उनकी शक्तियां ;

(घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की भर्ती की रीति और सेवा शर्तें ;

(ङ) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के निराकरण की प्रक्रिया ;

(च) विभागों और संकायों का सृजन, समापन/उत्पादन और उसकी पुनर्संरचना ;

(छ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षकी संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति ;

(ज) मानद उपाधियों को प्रदान करने की प्रक्रिया ;

(ञ) निःशुल्कता और छात्रवृत्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में उपबन्ध ;

(ट) विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता की संख्या तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की, जिसमें प्रवेश क्षमता का आरक्षण की प्रक्रिया भी सम्मिलित है तथा उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों के लिये प्रवेश क्षमता के आरक्षण की प्रक्रिया ;

(ट) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क ;

(ठ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, फीस माफी, पदकों और पुरस्कारों की स्थापना ;

(ड) पदों का सृजन और समापन की प्रक्रिया ;

(ढ) अन्य मामले, जो विहित किये जायें।

परिनियम कैसे बनाये जायें

30. (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये गये प्रथम परिनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे, जो उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के परिनियमों की प्राप्ति के दिनांक के दो माह के अन्दर अपना अनुमोदन दे सकेगी।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में परिनियमों के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है, वहाँ यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने परिनियमों को अनुमोदित कर दिया है।

परिनियम संशोधन करने की शक्ति

31. व्यवस्थापक मण्डल, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

नियम

32. इस विधेयक के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, नियमों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिये उपबन्ध किये जा सकेंगे ; अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन और इस रूप में बने रहना ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विशिष्टताओं के लिये निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम ;

(ग) उपाधियां और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं को प्रदान करना ;

(घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तिया, अध्ययनवृत्तिया, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें ;

(ङ) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुशीमकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य ;

(च) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं में प्रवेश करने के लिये लिया जाने वाला शुल्क ;

(छ) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें ;

(ज) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखना ;

(झ) अन्य सभी विषय, जिनके लिये इस विधेयक के अधीन निर्मित नियमों या परिनियमों में प्राविधान किया जाये।

नियमावली कैसे बनायी जायेगी

33. (1) नियमावली व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनायी जायेंगी और इस प्रकार बनायी गई नियमावली राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जायेगी, जो कि नियमावली की प्राप्ति के दिनांक से 2 माह के अन्दर उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के साथ अपना अनुमोदन दे सकेगी।

(2) जहॉं राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में नियमावली के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई भी विनिश्चय करने में असमर्थ रहती है, वहॉं यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने नियमावली को अनुमोदित कर दिया है।

नियमावली को संशोधित करने की शक्ति

34. राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुये और प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन से विद्या परिषद् नये तथा अतिरिक्त नियम बना सकेगी या नियमावली को संशोधित या निरस्त कर सकेगी।

अध्याय–7
प्रकीर्ण

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

35. (1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।

(2) छात्रों या कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विश्वविद्यालय परिनियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार नियंत्रित होगी।

(3) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें प्रबन्ध मण्डल द्वारा नियुक्त एक सदस्य, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होंगे।

(4) ऐसे मामलों में अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(5) अधिकरण के कार्यों को विनियमित करने की प्रक्रिया इस विधेयक में किसी बात के होते हुये भी विहित की जाये।

अपील का अधिकार

36. विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, कैरियर एकेडमी सेन्टरों के प्रत्येक कर्मचारी को विश्वविद्यालय या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, कैरियर एकेडमी सेन्टर के किसी अधिकारी या प्राधिकारी, यथास्थिति विनिश्चय के विरूद्ध प्रबन्ध मण्डल को ऐसे समय के अन्दर, जो विहित किया जायें, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध मण्डल ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, पुष्टि उपान्तरित या परिवर्तित कर सकेगा।

भविष्य निधियां एवं बीमा

37. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिये, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुये जो विहित की जायें, ऐसे भविष्य निधि या ऐसी बीमा योजना की व्यवस्था करेगा, जैसा वह उचित समझे।

विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन के बारे में विवाद

38. यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के अधिकारी या अन्य निकाय का सदस्य के रूप में विधिवत् निर्वाचित या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो यह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

39. जब भी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को विधेयक या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई हो, वहां ऐसी समितियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी का कोई,

समस्त सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्तियों यदि कोई हो, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, सम्मिलित होंगे।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति — 40. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायगी, जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिये होगा, जिसके लिये वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है/भरती है, सदस्य बना रहता है।

सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण — 41. कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी ऐसे विषय के बारे में, जो इस विधेयक या तद्धीन बनाए गये परिनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुसार सद्भावनापूर्वक की गई है, या की जाने के लिये आशयित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध संस्थित नहीं होगी।

संक्रमणकालीन उपबन्ध — 42. इस विधेयक और तद्धीन बनाये गये परिनियमों के किन्हीं अन्य उपबन्धों के किसी बात के होते हुए भी :—

(क) प्रथम कुलपति एवं प्रति–कुलपति (प्रो–वाइस चांसलर), यदि कोई है, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि तक उस पर कार्य करेगा ;

(ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी, जो तीन वर्ष की अवधि तक उस पद पर कार्य करेंगे ;

(ग) प्रथम व्यवस्थापक मण्डल में तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए पद धारण करेगा ;

(घ) प्रथम प्रबन्धक मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद् का गठन, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा।

स्थायी विन्यास निधि — 43. विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के नाम से प्लेज्ड पाँच करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी के रूप में स्थापित की जायेगी, जिसकी अवधि पाँच वर्ष की होगी, उसके उपरान्त पुनः पाँच वर्ष के लिये नवीनीकरण कराया जाता रहेगा।

सामान्य निधि — 44. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक सामान्य निधि स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी ; अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले सभी शुल्क ;

(ख) किसी स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि ;

(ग) सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान ; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान।

(2) सामान्य निधि हेतु आशयित निधि का प्रयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्तक व्ययों की पूर्ति के लिये किया जायेगा।

विकास निधि 45. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक विकास निधि भी स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित निधियां जमा की जायेंगी ; अर्थात् :–

(क) विकास शुल्क, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाये ;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिये किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि ;

(ग) सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान ;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निर्दिष्ट न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान ; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।

(2) समय–समय पर विकास निधि में जमा की गयी निधियों का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण 46. धारा 43, 44 और 45 के अधीन स्थापित निधियों को व्यवस्थापक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अध्याधीन रहते हुये, विहित रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा।

वार्षिक प्रतिवेदन 47. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के निदेशों के अधीन तैयार किया जायेगा और उसे व्यवस्थापक मण्डल को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) व्यवस्थापक मण्डल, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और वह उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित कर सकता है।

(3) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा विधिवत् अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त हुये वित्त वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

लेखा व लेखा परीक्षा

48. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र प्रबन्धक मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की, जिनका संवितरण या भुगतान किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखे गये लेखों मे प्रविष्ट की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं की प्रतिवर्ष लेखा–परीक्षक द्वारा लेखा–परीक्षा की जायेगी, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउन्टेन्ट ऑफ इण्डिया (आई०सी०ए०आई०) के सदस्य हो।

(3) लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखाओं और तुलन–पत्र की एक प्रति, प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से काफी पहले व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखों, तुलन–पत्र और लेखा–परीक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन पर अपनी बैठक मे विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक मण्डल उन्हें उन पर अपनी अभ्युक्तियों के साथ प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

(5) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और लेखा–परीक्षा पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देश विश्वविद्यालय के लिये बाध्यकारी होंगे।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

49. विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से विधिवत् रखी गई किसी पूंजी की कोई प्रविष्टि, यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या पंजिका में प्रविष्ट होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप मे ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और संव्यवहार के

लिये साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा, जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई हो, तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार होगी।

विश्वविद्यालय का विघटन

48. (1) यदि सोसाइटी द्वारा विश्वविद्यालय के गठन और निगमन नियंत्रित करने वाली विधि के अनुसार उसके समापन का प्रस्ताव रखती हो तो उसे राज्य सरकार को कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा।

(2) विश्वविद्यालय की प्रबन्ध प्रणालियों में कुप्रबन्ध, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में विफल होना एवं आर्थिक कठिनाइयों की पहचान किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के प्रबन्ध व्यवस्था को निर्देश जारी करेगी, जिनका ऐसी समय सीमा के अधीन जैसी विहित की जाये, अनुपालन न होने पर विश्वविद्यालय के परिसमापन का निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।

(3) विश्वविद्यालय का परिसमापन ऐसी रीति से किया जायेगा, जो इस विषय में राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये :

परन्तु यह कि उसके लिये सोसाइटी को 'कारण बताओ नोटिस' के लिए समुचित अवसर प्रदान किये बगैर ऐसी कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की जायेगी।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय विधिज्ञ परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करके सोसाइटी द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन के प्रस्तावित दिनांक से और जब तक नियमित पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच, अपने पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(5) विश्वविद्यालय के विघटन पर सभी सम्पत्ति एवं दायित्व प्रायोजित संस्था (प्रोमोटिंग सोसाइटी) में निहित हो जाएगी।

विश्वविद्यालय के विघटन के समय विश्वविद्यालय के व्यय

51. (1) धारा 50 के अधीन विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिये होने वाले व्यय स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से पूरा किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियों, विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान व्यय की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है तो ऐसे व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों अथवा आस्तियों के निस्तारण द्वारा की जा सकती है।

कठिनाईयों का निराकरण

52. (1) यदि इस विधेयक के उपबन्धों को लागू करने मे कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचना या आदेश द्वारा, ऐसे प्राविधान कर सकती है, जो इस विधेयक के उपबन्धो से असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु यह कि उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस विधेयक के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नही दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र राज्य विधान सभा केसमक्ष रखा जायेगा।

निरसन और अपवाद

53. (1) उत्तरॉचल विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2012 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धो के अधीन की गई समझी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–53, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरॉचल विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरॉचल विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–52, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय विधेयक, 2012

{उत्तराखण्ड विधेयक सं0 वर्ष 2012}

तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उड्डयन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों की शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध कार्य से सम्बन्धित शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत "इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज" (सोसाईटी), देहरादून द्वारा प्रायोजित डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय, देहरादून नामक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं उसके निगमन के लिए :

विधेयक

भारत गणराज्य के तीसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 है।

(2) यह राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना जारी किये जाने की तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2. जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा कोई अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

(क) 'विद्या परिषद्' से विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् अभिप्रेत है ;

(ख) 'प्राधिकारी' से विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों अभिप्रेत है ;

(ग) 'व्यवस्थापक मण्डल' से विश्वविद्यालय का व्यवस्थापक मण्डल अभिप्रेत है ;

(घ) 'प्रबन्ध मण्डल' से विश्वविद्यालय का प्रबन्ध मण्डल अभिप्रेत है ;

(ङ) 'पाठ्यक्रम मण्डल' से विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम मण्डल अभिप्रेत है ;

(च) 'परीक्षा मण्डल' से विश्वविद्यालय की परीक्षा मण्डल अभिप्रेत है ;

(छ) 'कुलाधिपति', 'कुलपति', 'प्रतिकुलपति', 'कुल सचिव', 'परीक्षा नियंत्रक' एवं 'वित्त अधिकारी' से क्रमानुसार विश्वविद्यालय के 'कुलाधिपति', 'कुलपति', 'प्रतिकुलपति', 'कुल सचिव', 'परीक्षा नियंत्रक' एवं 'वित्त अधिकारी' अभिप्रेत हैं ;

(ज) 'परिसर' से विश्वविद्यालय के परिसर अभिप्रेत हैं ;

(झ) 'संघटक महाविद्यालय' से विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा प्रबन्धित किसी महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है ;

(ञ) 'कैरियर एकेडमी सेण्टर' से ऐसे केन्द्र अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, मान्य एवं अनुरक्षित हो, जिसका उपयोग दूरदृश्य प्रसारण प्राप्त करने, ई–मेल, इण्टरनेट, पारस्परिक संवाद, प्रशिक्षण, व्याख्यान, गोष्ठी एवं कार्यशाला आयोजित करने, विद्यार्थियों के लिए सलाह, परामर्श एवं अन्य सहायता के उद्देश्य से किया गया हो ;

(ट) परिसर के 'निदेशक' या संघटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में प्राचार्य/डीन से उस परिसर या संघटक महाविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है और जहां प्राचार्य/डीन नहीं है, उप प्राचार्य या तत्समय प्राचार्य/डीन के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है ;

(ठ) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' से राज्य के भीतर शिक्षा की वह पद्धति अभिप्रेत है, जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर दृश्य प्रसारण (टेलीकास्टिंग), इण्टरनेट पर ऑनलाईन, दूरसंचार की अन्य पारस्परिक विधियां, ई–मेल, इण्टरनेट, कम्प्यूटर, पारस्परिक संवाद, ई–लर्निंग, पत्राचार पाठ्यक्रम, गोष्ठी, सम्पर्क कार्यक्रम या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो ;

(ठ) 'जमा राशि' से विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से लिए गए ऐसी राशि अभिप्रेत है, जोकि वापसी योग्य है ;

(ढ) 'संकायाध्यक्ष' से विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ण) 'विभाग' से विश्वविद्यालय के विभाग (शैक्षिक इकाई) अभिप्रेत है, जिसमें एक या एक से अधिक विषयों मे अध्ययन व शोध कार्य किया जा रहा हो ;

(त) 'कर्मचारी' से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित है ;

(थ) 'वित्त समिति' से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है ;

(द) 'संकाय' से विश्वविद्यालय की संकाय अभिप्रेत है ;

(ध) 'शुल्क' से विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से लिये गए ऐसी राशि अभिप्रेत है जो कि शुल्क के तहत आती है एवं वापसी योग्य नहीं है ;

(न) 'सरकार' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है ;

(प) 'हाल' अथवा 'छात्रावास' से विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा मान्य छात्रों के आवास की इकाई अभिप्रेत है ;

(फ) 'इस्टीट्यूट ऑफ मैनजमेंट स्टडीज' से सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाईटी अभिप्रेत है, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 21, न्यू कैन्ट रोड, हाथीबड़कला, देहरादून–248001 मे अवस्थित है ;

(ब) 'प्रायोजित संस्था' (प्रमोटिंग सोसाइटी) से सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के तहत रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, "इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज', देहरादून उत्तराखण्ड अभिप्रेत है ;

(भ) 'विहित' से 'परिनियमो द्वारा विहित' अभिप्रेत है ;

(भ) 'स्थायी निवासी' से राज्य के ऐसे निवासी अभिप्रेत है, जिसके पास राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में मूल निवास/स्थायी निवास का वैध प्रमाण–पत्र हो ;

(म) 'क्षेत्रीय केन्द्र' से ऐसे केन्द्र अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किसी क्षेत्र मे स्थित अध्ययन केन्द्रो के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा ऐसे केन्द्र में अन्य प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से प्रबन्ध मण्डल द्वारा किया गया हो ;

(र) 'राज्य' से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है ;

(ल) 'परिनियम', 'नियम और अध्यादेश' से विश्वविद्यालय के 'परिनियम', 'नियम' और 'अध्यादेश' अभिप्रेत है ;

(व) 'अध्ययन केन्द्र' से विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे केन्द्र अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया हो ;

(श) 'अध्यापक' से आचार्य सह आचार्य, सहायक आचार्य/व्याख्याता एवं ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जिससे विश्वविद्यालय या इसके किसी परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय मे शिक्षा प्रदान करने, या शोध कार्य के संचालन लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डो के अनुरूप नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी परिसर का निदेशक या संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य/डीन भी आता है ;

(ष) 'यू0जी0सी0' से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है ;

(स) 'विश्वविद्यालय' से इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय अभिप्रेत है ;

(ह) 'निकाय' से विश्वविद्यालय का निकाय अभिप्रेत है ;

(क्ष) 'कुलाध्यक्ष' (विजिटर) से विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष अभिप्रेत है।

अध्याय—दो

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव

3. (1) प्रायोजित संस्था अर्थात् इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (सोसाइटी), देहरादून, को इस विधेयक के उपबन्धों के अनुसार 'डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय' स्थापित करने का अधिकार होगा।

(2) प्रायोजित संस्था द्वारा राज्य सरकार को विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव सहित एक आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निम्न विवरण प्रस्तुत किये गये :—

(क) प्रायोजित संस्था के पूर्ण विवरण सहित विश्वविद्यालय के उद्देश्य ;

(ख) विश्वविद्यालय की प्रास्थिति, विस्तार और भूमि की उपलब्धता ;

(ग) आगामी पाँच वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले शैक्षणिक एवं अनुसंधान कार्यक्रमों की प्रकृति तथा प्रकार ;

(घ) संकायों की प्रकृति, आरम्भ किये जाने वाले पाठ्यक्रम तथा शोध कार्य ;

(ङ) विश्वविद्यालय परिसर का विकास जैसे भवन, उपस्कर तथा संरचनात्मक मुख्य सुविधाएं ;

(च) आगामी पाँच वर्षों के लिए पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध परिव्यय ;

(छ) मदवार आवर्ती व्यय, वित्तीय स्रोत एवं प्रत्येक छात्र के लिए अनुमानित व्यय ;

(ज) संसाधन जुटाने की योजना तथा उसकी पूंजीगत लागत और उन्हें चुकाने के तरीके ;

(झ) आन्तरिक संसाधनों—विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क, परामर्श एवं विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों से प्रत्याशित राजस्व एवं अन्य प्रत्याशित आय द्वारा आन्तरिक निधियों के सृजन की योजना ;

(ञ) संस्था की लागत पर आने वाले व्यय, राज्य के मूल निवासी छात्रों के लिए शिक्षण शुल्कों में दी जाने वाली रियायतों या छूट की सीमा, निःशुल्कता और छात्रवृत्तियां तथा अप्रवासी भारतीयों एवं विदेशों से आने वाले विद्यार्थियों से विभिन्न दरों पर, यदि कोई हो, लिये जाने वाले शुल्कों के स्वरूप का ब्योरा ;

(ट) प्रायोजित संस्था में उपलब्ध सम्बन्धित विषयों में विशेषज्ञता एवं अनुभव की अवधि तथा वित्तीय संसाधन ;

(ठ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों की चयन पद्धति ; तथा

(ड) विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व ऐसी अन्य शर्तों की, जिनकी पूर्ति राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो, पूर्ति की प्रास्थिति।

विश्वविद्यालय की स्थापना

4\. (1) राज्य सरकार आवश्यक जाँच करने के उपरान्त संतुष्ट है कि प्रायोजित संस्था ने सभी शर्तों और आवश्यकताओं को पूर्ण कर लिया गया है और 'डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय' ज्ञात नाम से उत्तराखण्ड राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है।

(2) विश्वविद्यालय, 'डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय' के नाम से एक निगमित निकाय होगा और उसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा वह अपने नाम से वाद दायर कर सकेगा और उस पर वाद दायर किया जा सकेगा।

(3) (क) विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर देहरादून, उत्तराखण्ड में अवस्थित होगा तथा उसका अन्य परिसर अथवा क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र की स्थापना अन्य स्थानों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य सांविधानिक निकायों द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जायेगा। विश्वविद्यालय पाँच वर्ष की अवधि के बाद राज्य में, राज्य सरकार की पूर्वानुमति से अपना द्वितीय परिसर स्थापित कर सकेगा, परन्तु पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 फुट से ऊपर द्वितीय कैम्पस खोलने की कोई समय–सीमा नहीं होगी।

(ख) विश्वविद्यालय को अन्य विभाग/विषय प्रारम्भ करने के लिये, यदि अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता हो जैसे कि सांवैधानिक निकायों के मानकानुसार आवश्यकता हो, विश्वविद्यालय या तो मुख्य परिसर से सटा हुआ या अलग (सिंगल) परिसर देहरादून क्षेत्र मे ही स्थापित कर सकता है।

(4) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति, प्रति कुलपति, कुल सचिव एवं व्यवस्थापक मण्डल, प्रबन्ध मण्डल एवं विद्या परिषद् के सदस्य इस प्रकार स्थापित विश्वविद्यालय में तत्समय उक्त पदों पर कार्य करते हुये नियमित निकाय गठित कर सकेंगे और विश्वविद्यालय के नाम से वाद दायर कर सकेंगे एवं उन पर वाद चलाया जा सकता है।

(5) उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने पर विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अधिगृहीत, निर्मित, व्यवस्थित अथवा सृजित भूमि, चल एवं अचल सम्पत्तियां, प्रायोजित संस्था की सम्पत्तियों को छोड़कर, विश्वविद्यालय को अन्तरित एवं उसमे निहित हो जायेगी।

(6) विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध भूमि, भवन, विभिन्न विभागों/संकायों के संचालित समस्त पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित सर्वोच्च नियामक आयोग के मानकों के अनुसार होना आवश्यक होगा।

(7) विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर, परिसर व अध्ययन केन्द्र आदि में आधारभूत एवं अन्य सुविधाएं यू0जी0सी0 एवं शीर्ष वैधानिक नियामक संस्थाओं के मानकों के अनुरूप होगी।

विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना

5. विश्वविद्यालय स्वः वित्तपोषित होगा और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय, या निगम से किसी सहायता, अनुदान या किसी अन्य वित्तीय सहायता की न तो कोई मांग करेगा और न ही उसके लिए हकदार होगा। हालांकि विश्वविद्यालय ऐसे किसी भी अनुदान को प्राप्त करने का हकदार होगा, जो कि राज्य सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रितअन्य निकाय या निगमित द्वारा संचालित विशेष योजना के अन्तर्गत इस तरह के अनुदान की शर्तों के अधीन दिया जा रहा हो। इससे विश्वविद्यालय के स्वः वित्तपोषित स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना

6. राज्य के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र एवं कैरियर एकेडमी सेण्टर्स हो सकते है किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नही होगी। विश्वविद्यालय अन्य अनुसंधान संस्थान व अन्य विश्वविद्यालयों के साथ सामूहिक अनुसंधान कार्य एवं शिक्षण कार्य कर सकता है।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

7. जिन उद्देश्यो के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, वे निम्नवत् है :–

(क) तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उड्डयन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य विषयों एवं अन्य शाखाओं, जैसे की विश्वविद्यालय उचित समझे, मे अध्ययन, अध्यापन, परिक्षण एवं शोध कार्यों को प्रदान करना एवं व्यवस्था करना ;

(ख) तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उड्डयन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों आदि मे परिसर एवं संघटक महाविद्यालयों की स्थापना तथा सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री एवं पी0एच0डी0 डिग्री, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामकरण किया गयाहो को स्थापित करना एवं प्रदान करना, किन्तु विश्वविद्यालय को अपने उद्देश्यो को प्रोत्साहन हेतु ऐसे नये अन्य डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम प्रदान करने का अधिकार होगा ;

(ग) उपरोक्त (ख) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षण प्रदान करने के लिए अनवरत शिक्षा के अधीन राज्य में संघटक केन्द्र की स्थापना ;

(घ) परीक्षा केन्द्रो को स्थापित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय को डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र व अन्य शैक्षिक उपलब्धि, परीक्षाओ अथवा अन्य प्रणाली के आधार पर प्रदान करना ;

(च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं सम्बन्धित राज्य सरकार की सहमति से अन्य राज्यों मे परिसर की स्थापना करना ;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उड्डयन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान एवं नवीन परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना द्वारा अध्ययन गोष्ठियों, अधिवेशन, कार्यशिविर, शैक्षणिक कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रकाशन, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं समूह अध्ययन, इत्यादि करना ;

(ज) वाह्य अध्ययन, विस्तार कार्यक्रम एवं वाह्य क्षेत्रीय गतिविधियों द्वारा समाज के विकास में अपना योगदान देना ;

(झ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधान एवं नियमों के अन्तर्गत ऑफ-शोर कैम्पस की स्थापना करना ;

(ञ) जैसे कि आवश्यक हो, ऐसे सभी कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, प्रासंगिक एवं सहायक हो।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

8. (1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी ; अर्थात् :-

(क) तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उड्डयन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य विषयों एवं अन्य क्षेत्रों में अध्ययन, अध्यापन, परिक्षण एवं शोध कार्य, शिक्षण व्यवस्था करना तथा अनुसंधान एवं ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार का प्राविधान करना ;

(ख) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसी अन्य समस्त गतिविधियां सम्पादित करना, जो आवश्यक अथवा साध्य हो ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना तथा उन्हें उपाधियां या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ संस्थित और प्रदान करना जिन्होंने :-

(1) विश्वविद्यालय या इसके परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय या दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन क्षेत्रीय केन्द्रों, कैरियर केन्द्रों या कैरियर एकेडमी सेन्टरों में शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो ; अथवा

(2) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में, या किसी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन शोध कार्य किया हो।

(घ) परिनियमों / प्राविधानो में अभिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद् उपाधियों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना ;

(ङ) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां तथा पुरस्कार संस्थित एवं प्रदान करना ;

(च) ऐसी फीस, जमा, बिल, बीजक की मांग करना और प्राप्त करना तथा प्रभार संग्रह करना जो यथास्थिति, परिनियमो या नियमों द्वारा नियत किये जायें ;

(छ) ऐसे क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करना, अनुरक्षण करना एवं मान्यता प्रदान करना जैसे समय–समय पर विश्वविद्यालय के परिनियमो में निर्दिष्ट रीति द्वारा निर्धारित किया जाए ;

(ज) विद्यार्थियों और कर्मचारियो के लिए शिक्षा के अतिरिक्त पाठ्येत्तर अन्य गतिविधियो की व्यवस्था करना ;

(झ) विश्वविद्यालय अथवा इसके परिसर या संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों तथा कैरियर एकेडमी सेण्टरों में संकाय, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना ;

(ज) प्रायोजित संस्था की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय, इसके परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर ऐकेडमिक सेण्टर्स के प्रयोजनार्थ दान और किसी प्रकार के उपहार प्राप्त करना तथा न्यास और विन्यास की सम्पत्तियों सहित किसी चल, अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण करना, धारण करना, प्रबन्ध करना, अनुरक्षण करना और निपटारा करना ;

(ट) विश्वविद्यालय, इसके परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों के लिए हाल/छात्रावास स्थापना और उनका अनुरक्षण करना और निवास स्थानों को निश्चित करना ;

(ठ) आवास का नियंत्रण करना, पर्यवेक्षण करना और समस्त श्रेणी के कर्मचारियों एवं छात्रों के मध्य अनुशासन पर नियंत्रण रखना तथा आचार संहिता सहित ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्त विनिर्दिष्ट करना ;

(ड) शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं सहायक कर्मचारियों और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना ;

(ढ) भारत या विदेशों के संस्थानों, संगठनों, विश्वविद्यालयों, व्यक्ति विशेषों, उद्योगों एवं संस्थाओं के साथ ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य और सहयोग करना, जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करें ;

(ण) दूरस्थ शिक्षा पद्धति और ऐसी रीति की व्यवस्था करना जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा को आयोजित किया जा सके ;

(त) शिक्षकों, अध्यापकों, पाठ लेखकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाएँ, संगोष्ठियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना ;

(थ) विश्वविद्यालय, इसके परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सेण्टर्स में विशिष्ट समितियों के माध्यम से एवं विद्या परिषद् के अनुमोदन से प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना ;

(द) विश्वविद्यालय, इसके परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रो और कैरियर एकेडमिक सेण्टर्स मे किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी के लिए योग्यता के आधार पर विशेष व्यवस्था करना ;

(ध) विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उद्यमन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य विषयो में स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टर ऑफ फिलासफी, डॉक्टर ऑफ साइन्स की उपाधियों एवं शोध कार्य के लिए ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित करना जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व अन्य वैधानिक परिषदों के अन्तर्गत आते है, किन्तु अपने विषयों मे डिप्लोमा प्रमाण–पत्र आदि दिये जाने के सम्बन्ध में अपना पाठ्यक्रम आरम्भ करने का विश्वविद्यालय को अधिकार प्राप्त होगा ;

(न) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधिया, प्रायोजित संस्था की गतिविधियो से स्पष्टतया विलग होगी ;

(प) फिल्म कैसेट, टेप, वीडियो कैसेट, सी०डी०, डी०वी०डी० और अन्य साफ्टवेयर इत्यादि सहित शैक्षिक सामग्री तैयार करने की व्यवस्था करना ;

(फ) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओ एव उच्च शिक्षा केन्द्रों की परीक्षाओ अथवा अध्ययन की अवधि (पूर्ण अथवा आंशिक) को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि के समतुल्य मान्यता प्रदान करना और उनको दी गयी मान्यता को किसी भी समय समाप्त करना ;

(ब) व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन से विश्वविद्यालयों की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या उसके बिना विश्वविद्यालय के लिए धन जुटाना, संग्रह करना, स्वीकार करना और ऋण प्राप्त करना ;

(भ) संविदा करना, उसका निष्पादन करना, उसमें परिवर्तन करना या उसे समाप्त करना ;

(म) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक व सम्भव ऐसे सभी अन्य कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हों या न हों ;

(य) एक कानूनी इकाई के रूप में अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से किसी भी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण में अपने नाम से वाद लाना और वाद दायर करना।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी और उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों को प्रोत्साहित करने तथा ऐसी प्रणालियों के शिक्षण, मूल्यांकन और शोध मानक निर्धारित करने के लिए वे सभी उपाय करना विश्वविद्यालय का कर्तव्य होगा, जो वह उचित समझे और इस कार्य के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सेण्टर्स को चाहे उन्हें विशेषाधिकार स्वीकृत हुए हों अथवा नहीं अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान को अनुदानों के आवंटन एवं वितरण की शक्ति सहित ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, जाति एवं लिंग की पहुँच होगी

9. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए चाहे वे किसी वर्ग, जाति या लिंग के हों, के प्रवेश के लिए खुला रहेगा ;

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए विशेष प्राविधान करने का प्रतिबन्ध है ;

परन्तु यह और कि इस धारा के किसी बात के होते हुये भी यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सेण्टर्स द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में परिनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय प्रत्यायन

10. विश्वविद्यालय विभिन्न राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्थाओं से मान्यता प्राप्त करेगा।

अध्याय–तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :–

(क) कुलाध्यक्ष (विजिटर) ;

(ख) कुलाधिपति ;

(ग) कुलपति ;

(घ) प्रति–कुलपति ;

(ङ) कुल सचिव ;

(च) संकायाध्यक्ष ;

(छ) वित्त अधिकारी ; और

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें सांविधियों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाध्यक्ष (विजिटर)

12. (1) उत्तराखण्ड का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा।

(2) कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित हो, तो उपाधियों एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(3) कुलाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियाँ होगी ; अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली से सम्बन्धित किसी भी अभिलेख, पत्र या सूचना को मांगना ;

(ख) कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर, यदि वह संतुष्ट हों कि कोई आदेश, कार्यवृत्त या निर्णय, जो विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया हो, अध्यादेश, परिनियम अथवा नियमों के अनुरूप नहीं हैं तो वह ऐसे निर्देश जारी सकेंगे जिन्हें वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझें और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी सम्बन्धितों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

(4) मानद उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव पर कुलाध्यक्ष का अनुमोदन लिया जाना होगा।

कुलाधिपति

13\. (1) प्रायोजित संस्था अपने सदस्यों मे एक सदस्य या उनके द्वारा सर्वसम्मति से किसी अन्य को कुलाधिपति नियुक्त किया जा सकेगा ;

(2) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होगी, जो उसे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा प्रदान की जायेंगी।

कुलपति

14\. (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा उपधारा (2) के उपबन्धो के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियो के पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निबन्धनो और शर्तों पर जैसी कि परिनियमो द्वारा विहित की जाये, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) उप धारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :–

(क) कुलाधिपति ;

(ख) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव ;

(ग) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा नामित तीन सदस्य ;

(घ) प्रायोजित संस्था द्वारा नामित एक सदस्य जो संयोजक के रूप में नामित किया जायेगा।

(3) समिति, योग्यता के आधार पर कुलपति का पद के योग्य तीन व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक योग्यताओं तथा अन्य विशिष्टताओं के संक्षिप्त विवरण के साथ उसे व्यवस्थापक मण्डल को अग्रसारित करेगी।

(4) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को लागू करेगा।

(5) जहां अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी सशक्त अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(6) कुलपति, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या नियमावली द्वारा अभिकथित किये जायें।

(7) कुलाधिपति को सम्यक् जॉच के उपरान्त व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त, कुलपति को हटाने का अधिकार प्राप्त होगा। कुलाधिपति, जॉच के दौरान आरोपों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये, जैसा व उचित समझे, कुलपति को निलम्बित कर सकेगा।

प्रति–कुलपति

15\. प्रति–कुलपति की नियुक्ति, कुलपति द्वारा व्यवस्थापक मण्डल के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जा सकेगी, जैसी कि परिनियमों में विहित की जायें और प्रति–कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

कुलसचिव

16\. (1) कुलसचिव की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी जैसे कि विहित की जाए।

(2) कुलसचिव, विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदाएं करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(3) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें, या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हों।

(4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएँ और दस्तावेज, जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

संकायाध्यक्ष

17\. संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जायेगी कि परिनियमों द्वारा वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करें, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

वित्त अधिकारी

18\. वित्त अधिकारी, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो कि परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

अन्य अधिकारीगण

19\. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारीगणों की नियुक्ति की रीति, सेवा के नियम व शर्तें तथा शक्तियां व कर्त्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

अध्याय–चार
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी	20.	विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे अर्थात् :–

(क) व्यवस्थापक मण्डल ;

(ख) प्रबन्ध मण्डल ;

(ग) विद्या परिषद् ;

(घ) वित्त समिति ; और

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों में प्राधिकारी घोषित किया जाए।

व्यवस्थापक मण्डल व उसकी शक्तियां — 21. (1) व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित होंगे :–

(क) व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष व सह अध्यक्ष (यदि हो तो) को प्रायोजित संस्था के सदस्यों में से किसी सदस्य को नामित किया जाएगा।

(ख) कुलाधिपति – उपाध्यक्ष ;

(ग) कुलपति – सदस्य सचिव ;

(घ) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित – दो शिक्षाविद ;

(ङ) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव ;

(च) प्रायोजित संस्था द्वारा नामित – पाँच सदस्य ;

(छ) प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों के अधिकारियों में से प्रायोजित संस्था द्वारा नामित – दो सदस्य ;

(ज) प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नामित अधिकारियों में से प्रायोजित संस्था द्वारा नामित – दो सदस्य।

(2) व्यवस्थापक मण्डल, विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासनिक संस्था होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी ; अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण ;

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का, यदि वे ऐसे अधिनियम या परिनियमों या नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप न हो, का पुनर्विलोकन ;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन ;

(घ) नई अथवा अतिरिक्त परिनियमों को बनाना या पूर्व मे बने परिनियमो अथवा नियमावलियो का संशोधन या निरसन ;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक समापन के सम्बन्ध मे विनिश्चित करना ;

(च) राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन करना ;

(छ) ऐसे निर्णय एवं प्रयास करना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों, के प्रभावी ढंग से निष्पादन के लिए वाछनीय पाये गये है ;

(ज) विश्वविद्यालय के सांविधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना ; और

(झ) विश्वविद्यालय के सभी खातों को खोलना, बन्द करना, संचालित करना व प्रबन्धन करना।

(3) व्यवस्थापक मण्डल की वर्ष में न्यूनतम दो बैठकें ऐसे समय और स्थान पर होंगी, जैसा कि व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष उचित समझे।

प्रबन्ध मण्डल

22. (1) प्रबन्ध मण्डल मे निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) कुलपति – अध्यक्ष ;

(ख) प्रति–कुलपति (यदि है तो) ;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामित एक अधिकारी ;

(घ) प्रायोजित संस्था द्वारा नामित पाँच सदस्य ;

(ङ) कुलाधिपति द्वारा नामित चक्रिय आधार पर नामित दो प्राध्यापक ;

(च) कुलाधिपति द्वारा नामित चक्रिय आधार पर दो संकायाध्यक्ष ;

(छ) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव / सचिव ;

(ज) कुल सचिव गैर–सदस्य सचिव होगा।

(2) प्रबन्ध मण्डल की शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे, जैसा परिनियमों द्वारा विहित किया जाय।

प्रबन्ध मण्डल

23. (1) विद्या परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे ; अर्थात् :–

(क) कुलपति – अध्यक्ष ;

(ख) कुल सचिव – सचिव ;

(ग) ऐसे अन्य सदस्य, जैसा परिनियमो में विहित किया जाये।

(2) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों व परिनियमों के अन्तर्गत रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों मे समन्वय स्थापित करेगी और उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(3) विद्या परिषद् की शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमो द्वारा विहित किये जाए।

वित्त परिषद्

24. (1) वित्त समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे ; अर्थात् :–

(क) कुलपति – अध्यक्ष ;

(ख) वित्त अधिकारी – सचिव ;

(ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव / सचिव ;

(घ) ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियमो द्वारा विहित किये जाय।

(2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्त निकाय होगी, जो वित्तीय मामलों की देखभाल करेगी और इस विधेयक के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अध्याधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों में समन्वय स्थापित करेगी एवं उसका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(3) वित्त समिति की शक्तियाँ एवं कृत्य वही होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

अन्य प्राधिकरण 25. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना 26. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी।

अध्याय–पाँच

परिनियम और नियम

परिनियम 27. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में सभी या किसी विषय के लिए परिनियम और नियमावली द्वारा व्यवस्था की जा सकती है, जो निम्नवत् है :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य–सम्पादन और ऐसी इकाईयों के गठन की प्रक्रिया, जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई है ;

(ख) स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का संचालन ;

(ग) कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति के नियम व शर्तें तथा उनकी शक्तियाँ व कृत्य ;

(घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और सेवा शर्तें ;

(ङ) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवाद के निराकरण की प्रक्रिया ;

(च) विभागों और संकायों का सृजन, उत्सादन और उसकी पुनर्संरचना ;

(छ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति ;

(ज) मानद् उपाधियों को प्रदान करने की प्रक्रिया ;

(झ) निःशुल्कता और छात्रवृत्तिया प्रदान करना ;

(ञ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या तथा ऐसे पाठ्यक्रमों मे छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया, जिसमे उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था भी सम्मिलित है ;

(ट) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क ;

(ठ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियों, निःशुल्कता, पदक और पुरस्कार की संस्थित करना ;

(ड) पदों का सृजन और समापन करना ;

(ढ) विश्वविद्यालय के छात्रो / कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही ;

(ण) अन्य मामले, जो विहित किये जाएं ;

(त) कुलाधिपति की नियुक्ति उनकी शक्तियाँ एवं कृत्य ।

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

28. (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये गये प्रथम परिनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे, जो उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के परिनियमो की प्राप्ति के दिनांक के तीन माह के अन्दर अपना अनुमोदन दे सकेगी।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में परिनियमों के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करने मे असफल रहती है, वहाँ यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने परिनियमों को अनुमोदित कर दिया है।

परिनियमों में संशोधन करने की शक्ति

29. व्यवस्थापक मण्डल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

नियम

30. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए नियमों की व्यवस्था की जा सकेगी, जो निम्नवत् है ; अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन और इस रूप में बने रहना ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम ;

(ग) उपाधियां तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं को प्रदान करना ;

(घ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें ;

(ङ) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्त्तव्य ;

(च) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क ;

(छ) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें ;

(ज) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखने हेतु ;

(झ) छात्रों से विभिन्न विषयों के लिये शुल्क व जमा राशि लिया जाने हेतु ;

(ञ) अन्य सभी विषय, जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों या परिनियमों में प्राविधान किया जाए।

निगम कैसे बनाए जायेंगे ?

31. (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा नियम बनाए जाएंगे और इस प्रकार बनाए गए नियम राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे, जो कि नियमों की प्राप्ति के दिनांक से दो माह के अन्दर, उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के, अपना अनुमोदन दे सकेगी।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में नियमों के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करने में असमर्थ हो तो, यह यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने नियमों को अनुमोदित कर दिया है।

नियमों का संशोधित करने की शक्ति

32. व्यवस्थापक मण्डल, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नए या अतिरिक्त नियम बना सकेगा या नियमो का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

अध्याय–छः

प्रकीर्ण

उत्तराखण्ड के स्थाई निवासियों के लिए उपबन्ध

33. (1) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 40 प्रतिशत उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित की जायेंगी, यदि स्थायी निवासियों हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, तो रिक्त सीटें अन्य छात्रो द्वारा भरी जा सकती हैं।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में उपधारा (1) में वर्णित प्रवेशित विद्यार्थियों, जो उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी हों, को निर्धारित शिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

(3) प्रदेश के स्थायी निवासियों को, जो समूह "ग" व "घ" श्रेणी के पदों हेतु योग्यताधारियों की इन श्रेणियों में समस्त पदों पर नियुक्तियाँ की जायगी।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

34. (1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जाएगी, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।

(2) कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विश्वविद्यालय परिनियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार शासित होगी।

(3) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाले विवाद का समाधान, इस सम्बन्ध में बनाए गए परिनियम की प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाएगा।

(4) इस अधिनियम में विहित किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लोक सेवक नहीं समझा जायेगा और वह हमेशा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये, या अन्यथा, विश्वविद्यालय के निजी रोजगार के अधीन रहेगा।

अपील का अधिकार

35. विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रिय केन्द्र, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सेण्टर्स के प्रत्येक कर्मचारी को विश्वविद्यालय या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य, क्षेत्रिय केन्द्रो, अध्ययन केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सेण्टर्स के किसी अधिकारी या प्राधिकारी, यथास्थिति विनिश्चय के विरूद्ध प्रबन्ध मण्डल को, ऐसे समय के अन्दर, जो विहित किया जाये अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध मण्डल ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरूद्ध अपील की गई है पुष्टि, उपान्तरित या परिवर्तित कर सकेगा।

भविष्य निधि एवं पेंशन

36. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाये, ऐसी भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा जैसा वह उचित समझे।

विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन सम्बन्धी विवाद

37. यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में विधिवत् नामित या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

38. धारा 20 में उल्लिखित विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को समिति गठित करने की शक्ति होगी, जिसमें ऐसे सदस्य होंगे और जिनकी ऐसी शक्तियाँ होगी, जो ऐसा प्राधिकारी उचित समझें।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

39. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी, जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो,चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य, उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा, जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है/भरती है, सदस्य बना रहता।

सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही के प्रति संरक्षण

40. विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद या अन्य विधि कार्यवाही, किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जो अध्यादेशों या परिनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई है, या की जाने के लिए आशयित है, संस्थित नहीं होगी।

संक्रमणकालीन प्राविधान

41. इस अधिनियम व परिनियमों के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी :—

(क) प्रथम कुलपति एवं प्रथम प्रति—कुलपति (यदि कोई है), की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा व्यवस्थापक मण्डल के पूर्वानुमोदन से की जायेगी और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ;

(ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा व्यवस्थापक मण्डल के पूर्वानुमोदन से की जायेगी और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ;

(ग) प्रथम व्यवस्थापक मण्डल तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा ;

(घ) प्रथम प्रबन्ध मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद् का गठन, कुलाधिपति द्वारा व्यवस्थापक मण्डल के पूर्वानुमोदन से तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जाएगा।

स्थायी विन्यास निधि

42. विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के नाम से प्लेज्ड 5 करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारन्टी के रूप में स्थापित की जायेगी, जिसकी अवधि पाँच वर्ष की होगी, जिसका पुनः पाँच वर्ष के लिए नवीनीकरण कराया जायेगा।

सामान्य निधि

43. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक सामान्य निधि स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले सभी शुल्क ;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि ;

(ग) प्रायोजित संस्था द्वारा किये गये समस्त अंशदान ; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान / दान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवश्यक व्ययों के लिये किया जायेगा।

विकास निधि

44. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक विकास निधि भी स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित निधियां जमा की जायेंगी, अर्थात् :—

(क) विकास शुल्क, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाये ;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजन के लिये किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि ;

(ग) प्रायोजित संस्था द्वारा किये गये सभी अंशदान ;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान / दान ; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।

(2) समय–समय पर विकास निधि में जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के लिये किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण 45. धारा 42, 43 और 44 के अधीन स्थापित निधियों को, व्यवस्थापक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, विहित रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा।

वार्षिक प्रतिवेदन 46. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किया जायेगा और उसे व्यवस्थापक मण्डल को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा ;

(2) व्यवस्थापक मण्डल, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और वह उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित कर सकता है ;

(3) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा विधिवत् अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

लेखा व लेखा परीक्षा 47. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की, जिनका संवितरण या भुगतान किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखे गये लेखों में प्रविष्टि की जायेंगी।

(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा की प्रतिवर्ष लेखा–परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जायेगी, जो इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया (आई०सी०ए०आई०) के सदस्य हों।

(3) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखाओं और तुलन–पत्र की एक प्रति, प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की अनुवर्ती 31 दिसम्बर से काफी पहले व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखा, तुलन–पत्र और लेखा–परीक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन

पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक मण्डल उन पर अपनी सम्प्रेक्षण अभ्युक्तियों के साथ, प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

(6) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और लेखा–परीक्षा पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी होंगे।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की विधि

48. विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से विधिवत् रखी गयी किसी पूंजी की कोई प्रविष्टि, यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या पंजिका मे प्रविष्ट होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप मे ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और संव्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप मे उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा, जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई हो, तो वह साक्ष्य के रूप मे स्वीकार होगी।

विश्वविद्यालय का विघटन

49. (1) यदि प्रायोजित संस्था द्वारा डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय के गठन और निगमन नियंत्रित करने वाली विधि के अनुसार उसके समापन का प्रस्ताव रखती हो तो उसे राज्य सरकार को कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा।

(2) विश्वविद्यालय की प्रबन्ध प्रणालियों में कुप्रबन्धन, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में विफल होने एवं आर्थिक कठिनाईयों की पहचान किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के प्रबन्ध व्यवस्था को निर्देश जारी करेगी। जिनका ऐसी समय के अधीन, जैसे विहित की जाय, अनुपालन न होने पर विश्वविद्यालय के परिसमापन का निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार मे निहित होगा।

(3) विश्वविद्यालय का परिसमापन ऐसी रीति से किया जायेगा, जो इस विषय में राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये ;

परन्तु यह कि उसके लिए प्रायोजित संस्था को 'कारण बताओ नोटिस' के लिए समुचित अवसर प्रदान किये बिना ऐसी कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की जायेगी।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार सांविधिक परिषद् एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करके प्रायोजित संस्था द्वारा विश्वविद्यालय विघटन के प्रस्तावित दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(5) विश्वविद्यालय के विघटन पर सभी सम्पत्ति एवं दायित्व प्रायोजित संस्था में निहित हो जाएगी।

विश्वविद्यालय के विघटन के समय विश्वविद्यालय के व्यय

50. (1) धारा 49 के अधीन विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान, उसके प्रशासन के लिए होने वाला व्यय स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से पूरा किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियां, विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो ऐसे व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों के निस्तारण द्वारा की जा सकती है।

कठिनाईयों का निराकरण

51. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचना या आदेश द्वारा, ऐसे प्राविधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु यह कि उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना या आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और अपवाद

52. (1) डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2012 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–52, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

मद संख्या–18

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

पर्वतीय ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि पर्वतीय ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, केवल नाम का संशोधन होना है, इसमें पर्वतीय नाम की जगह पर उत्तराखण्ड नाम होना है, इसलिए इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि पर्वतीय ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

ग्राफिक ऐरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012

{उत्तराखण्ड विधेयक सं0 वर्ष 2012}

उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूपमें अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ	1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 है।
	(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
अधिनियम में संशोधन	2. उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में जहा–जहां शब्द "उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय" आये है, वहा–वहां वह शब्द "ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय" पढ़े जायेंगे।
अधिनियम के अंग्रेजी रूपान्तरण मे धारा 13 की उपधारा (1) का संशोधन	3. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) में आए शब्द "ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी (डीम्ड यूनिवर्सिटी)" के स्थान पर "ग्राफिक एरा एजूकेशनल सोसाइटी, देहरादून" पढ़े जायेंगे।
व्यावृत्ति	4. ऐसे संशोधन के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

मद संख्या–20

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि ग्राफिक ऐरा पर्वतीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि ग्राफिक ऐरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति स्वीकृत हुआ।)

मद संख्या–21

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यहाँ पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी है, माननीय नेता सदन है। राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय की बात आयी थी, हमने कोई नाम चेंज नही किया था, जो 6 बने हुए थे, वे ज्यों के त्यों बने रहे थे। (व्यवधान) जो नए खोले थे, वे जरूर हमने दूसरे नाम पर खोले थे। सोनिया गाँधी जी क्या है, राहुल गाँधी जी क्या हैं, सवाल यह नहीं है। किसी का नाम लेने से काम नहीं चलने वाला। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह से नाम परिवर्तन की परिपाटी इस प्रदेश मे न डालें। (व्यवधान) यह परिपाटी ठीक नहीं हैं।

(सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यो के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मदन जी, आप कोई संशोधन प्रस्ताव लाएंगे ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा संशोधन का प्रस्ताव नही रखा गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि प0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि प0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012

{उत्तराखण्ड विधेयक सं0 11 वर्ष 2012}

{भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित}

पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2011) में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ	1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2012 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
शीर्षक सहित "पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय" के स्थान पर "श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय" का पढ़ा जाना	2. पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2011), में शीर्षक सहित जहाँ–जहाँ शब्द "पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय" आये है, वहाँ–वहाँ यह शब्द "श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय" रख दिये जायेंगे।
व्यावृत्ति	3. ऐसे संशोधनों के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धो के अधीन की गयी समझी जायेगी।
निरसन एवं अपवाद	4. (1) पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012, इसके द्वारा निरसित किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मद संख्या–22

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि प० दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि प० दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

<u>शोर व्यवधान के मध्य</u>

नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री नवप्रभात, श्री दान सिंह भण्डारी, श्री हरीश धामी, श्री मदन कौशिक, श्री महावीर रांगड़, श्री राज कुमार ठुकराल, श्री बंशीधर भगत, श्री मालचन्द, श्री प्रेम सिंह, श्री पूरन सिंह फर्त्याल, श्री सहदेव पुण्डीर, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री राजेश शुक्ला एवं श्री सरवत करीम अंसारी की कुल 14 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री हरीश धामी की सूचना, जो कि विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला तथा मुनस्यारी के अनेक गाँवों में भारी वर्षा तथा भू–स्खलन की दैवीय आपदा से पेयजल स्रोतों, पैदल मार्गों, मोटर मार्गों तथा सम्पत्ति को हुये नुकसान के सम्बन्ध में है, को नियम 53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिये तथा माननीय सदस्य श्री नवप्रभात की सूचना जो कि जनपद देहरादून की तहसील विकास नगर के विकास खण्ड, विकास नगर की आपदा ग्रस्त होकर नष्ट हुई 18 बाढ़ सुरक्षा सिंचाई योजनाओं के पुनर्निर्माण सम्बन्धी सिंचाई विभाग के प्रस्ताव पर अविलम्ब स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में है, को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार कर रहा हूँ।

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिये।

(सदन की कार्यवाही 5 बजकर 11 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून
दिनाँक : 11 दिसम्बर, 2012

डी०पी० गैरोला,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

नत्थी 'क'

(देखिये स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या–1 का उत्तर पीछे प्रश्न सं0–61 पर)

डिपो का नाम	मार्ग का नाम	माह अगस्त 2012 में प्रतिदिन औसतन यात्रियों की संख्या	माह सितम्बर, 2012 में प्रतिदिन औसतन यात्रियो की संख्या	माह अक्टूबर, 2012 में प्रतिदिन औसतन यात्रियों की संख्या
1	2	3	4	5
पिथौरागढ	झूलाघाट–देहली	154	144	171
पिथौरागढ	पिथौरागढ–दिल्ली 1	101	91	119
पिथौरागढ	पिथौरागढ–दिल्ली 2	54	41	93
पिथौरागढ	पिथौरागढ–दिल्ली 3	109	81	126
पिथौरागढ	थल–पिथौरागढ–देहली	128	126	147
पिथौरागढ	पिथौरागढ–गंगोली–देहली	159	154	184
पिथौरागढ	धार0–टनकपुर–देहली	139	133	164
पिथौरागढ	मुन्स्यारी–दिल्ली	234	254	316
पिथौरागढ	धार0–से0रा0–देहली	189	180	219
पिथौरागढ	पिथौरागढ–हल्द्वानी–दिल्ली	150	145	160
पिथौरागढ	झूलाघाट–देहरादून	189	194	212
पिथौरागढ	पिथौरागढ–देहरादून प्रथम	149	154	185
पिथौरागढ	पिथौरागढ–देहरादून हाईटैक	67	60	71
पिथौरागढ	पिथौरागढ–देहरादून द्वितीय	148	140	163
पिथौरागढ	पिथौरागढ–हरिद्वार	263	259	247
पिथौरागढ	पिथौरागढ–बदायूँ	173	202	218
पिथौरागढ	पिथौरागढ–बरेली–1	127	149	163
पिथौरागढ	पिथौरागढ–2	69	119	165
पिथौरागढ	पिथौरागढ–3	100	136	167
पिथौरागढ	डीडीहाट–देहरादून	192	200	228
पिथौरागढ	पिथौरागढ–धारचूला (मेला)	0	40	48

1	2	3	4	5
पिथौरागढ़	टनकपुर–हरिद्वार	104	114	122
पिथौरागढ़	पिथौरागढ़–नैनीताल–हल्द्वानी	120	112	126
पिथौरागढ़	टनकपुर–दिल्ली	86	80	113
पिथौरागढ़	टनकपुर–बरेली	70	83	87
लोहाघाट	लोहाघाट–दिल्ली–1	105	110	127
लोहाघाट	लोहाघाट–दिल्ली–2	99	99	106
लोहाघाट	लोहाघाट–दिल्ली–3	86	69	106
लोहाघाट	लोहाघाट–दिल्ली	102	94	100
लोहाघाट	डीडीहाट–दिल्ली	93	145	160
लोहाघाट	लोहाघाट–देहरादून	114	150	138
लोहाघाट	लोहाघाट–देहरादून	126	109	154
लोहाघाट	लोहाघाट–देहरादून हाईटैक	141	133	145
लोहाघाट	लोहाघाट–ऋषिकेश	125	102	128
लोहाघाट	लोहाघाट–बरेली–1	93	158	202
लोहाघाट	लोहाघाट–बरेली–2	153	117	131
लोहाघाट	लोहाघाट–हल्द्वानी	51	83	128
लोहाघाट	लोहाघाट–चम्पावत–हल्द्वानी	78	94	49
लोहाघाट	लोहाघाट–टनकपुर–लोहाघाट	146	56	82
लोहाघाट	लोहाघाट–रूद्रपुर	46	95	139
लोहाघाट	चम्पावत–लोकल	21	119	31
लोहाघाट	धारचूला–दिल्ली	141	150	186
टनकपुर	धारचूला	91	85	98
टनकपुर	बासबगढ़	93	53	92
टनकपुर	बेरीनाग	107	104	112
टनकपुर	झूलाघाट	134	80	134
टनकपुर	रीठासाहिब	84	45	82
टनकपुर	नैनीताल–1	165	167	168
टनकपुर	नैनीताल–2	286	221	272
टनकपुर	अमृतसर	448	459	490

1	2	3	4	5
टनकपुर	लुधियाना	284	272	279
टनकपुर	शिमला	170	171	185
टनकपुर	चण्डीगढ़	419	361	331
टनकपुर	मनाली	93	304	249
टनकपुर	सहारनपुर	271	918	286
टनकपुर	हरिद्वार	919	871	949
टनकपुर	देहरादून दिन	997	360	1009
टनकपुर	देहरादून रात्रि	169	352	217
टनकपुर	आगरा	292	318	372
टनकपुर	कानपुर	326	337	361
टनकपुर	लखनऊ	317	328	335
टनकपुर	हल्द्वानी	789	815	875
टनकपुर	काशीपुर	277	286	344
टनकपुर	बरेली	1688	1744	2058
टनकपुर	दिल्ली रात्रि	905	935	957
टनकपुर	दिल्ली अप–डाउन	896	926	973
टनकपुर	जयपुर–दिल्ली	81	84	100
टनकपुर	गुड़गांव	108	112	102
टनकपुर	ग्वालियर	177	183	249
रानीखेत	गनाई–हल्द्वानी–दिल्ली	0	148	0
रानीखेत	रानीखेत–गनाई–दिल्ली	172	0	0
रानीखेत	रानीखेत–दिल्ली	92	75	0
रानीखेत	रानीखेत–दिल्ली	90	72	0
रानीखेत	मासी–रामनगर–दिल्ली	96	103	122
रानीखेत	गनाई–रामनगर–दिल्ली	125	139	130
रानीखेत	गनाई–रामनागर–देहली	80	94	134
रानीखेत	रानीखेत–हल्द्वानी–दिल्ली	0	65	152
रानीखेत	रानीखेत–दिल्ली	0	0	103

1	2	3	4	5
रानीखेत	रानीखेत–दिल्ली	0	0	81
रानीखेत	रानीखेत–दिल्ली	0	0	107
रानीखेत	रानीखेत–लखनऊ	143	115	150
रानीखेत	गोलूछीना–बरेली	185	207	183
रानीखेत	बिन्ता–बरेली	148	147	152
रानीखेत	रानीखेत–रामनगर–देहरादून	206	212	198
रानीखेत	सिमजगाँव–हल्द्वानी–नैनीताल	112	99	83
रानीखेत	हल्द्वानी–कर्णप्रयाग	131	107	152
रानीखेत	रानीखेत–गोपेश्वर	125	122	104
रानीखेत	रानीखेत–हल्द्वानी–देहरादून	147	152	183
रानीखेत	रानीखेत–बरेली	0	67	42
रानीखेत	गनाई–हल्द्वानी–रूद्रपुर	102	88	43
रानीखेत	रानीखेत–हल्द्वानी	43	19	40
अल्मोडा	अल्मोडा–दिल्ली (15.30)	71	81	71
अल्मोडा	अल्मोडा–दिल्ली (17.00)	60	38	58
अल्मोडा	बागेश्वर–दिल्ली (गरूड)	149	152	139
अल्मोडा	बागेश्वर–दिल्ली (पचार)	244	108	125
अल्मोडा	अल्मोडा–काफड1	94	86	84
अल्मोडा	अल्मोडा–टनकपुर	116	123	118
अल्मोडा	बागेश्वर–बरेली	185	179	196
अल्मोडा	अल्मोडा–दिल्ली 16.00	69	65	73
अल्मोडा	अल्मोडा–दिल्ली 6.30	182	166	155
अल्मोडा	अल्मोडा–देहरादून 6.00	290	224	244
अल्मोडा	अल्मोडा–देहरादून 16.00	60	99	107
अल्मोडा	अल्मोडा–देहरादून 18.00	93	96	97
अल्मोडा	अल्मोडा–देहरादून हाईटैक	56	50	57
अल्मोडा	अल्मोडा–हरिद्वार	226	219	239
अल्मोडा	अल्मोडा–लखनऊ	110	115	113
अल्मोडा	अल्मोडा–चण्डीगढ	145	128	146

1	2	3	4	5
भवाली	नैनीताल–मसूरी	269	285	312
भवाली	नैनीताल–बरेली	166	181	192
भवाली	सुराईखेत–दिल्ली	171	159	153
भवाली	मुनार–भराड़ी–दिल्ली	128	87	107
भवाली	नैनीताल–देहरादून (रामनगर)	265	264	300
भवाली	नैनीताल–दिल्ली	205	200	223
भवाली	नैनीताल–देहरादून (नाईट)	157	155	148
भवाली	नैनीताल–बरेली–II	152	187	196
भवाली	नैनीताल–घोराखाल	296	293	276
भवाली	नैनीताल–चुनौती	314	337	297
भवाली	नैनीताल–मुक्तेश्वर	291	241	223
भवाली	नैनीताल–दिल्ली वाया मंगोली	169	181	185
भवाली	नैनीताल–गोपेश्वर	121	86	160
भवाली	नैनीताल–सहारनपुर	306	307	378
भवाली	नैनीताल–आगरा	205	212	212
भवाली	नैनीताल–देहरादून हाइटैक	64	44	137
भवाली	नैनीताल–भीमताल–देहरादून	269	241	0
भवाली	नैनीताल–नौकुचियाताल	252	308	271
भवाली	नैनीताल–टनकपुर	303	280	294
रूद्रपुर	रूद्रपुर–दिल्ली–हल्द्वानी	1829	1760	1317
रूद्रपुर	रूद्रपुर–पटियाला–बनबसा	237	237	238
रूद्रपुर	रूद्रपुर–लुधियाना–बनबसा	276	271	243
रूद्रपुर	रूद्रपुर–हल्द्वानी–देहरादून	657	778	718
रूद्रपुर	रूद्रपुर–हरिद्वार–हल्द्वानी	166	132	190
रूद्रपुर	रूद्रपुर–कालागढ–हल्द्वानी	167	158	164
रूद्रपुर	रूद्रपुर–बदायूं	395	511	600
रूद्रपुर	रूद्रपुर–शक्तिफार्म–दिल्ली	214	212	225
रूद्रपुर	रूद्रपुर–टनकपुर–हल्द्वानी	612	630	917

1	2	3	4	5
रूद्रपुर	रूद्रपुर–हरिद्वार–रूद्रपुर	858	895	946
रूद्रपुर	रूद्रपुर–चण्डीगढ–बनबसा	220	285	231
रूद्रपुर	रूद्रपुर–आगरा	422	559	563
रूद्रपुर	रूद्रपुर–लालकुआँ–टनकपुर	123	0	116
रूद्रपुर	रूद्रपुर–लखनऊ	336	326	340
रूद्रपुर	रूद्रपुर–काशीपुर	664	694	768
रूद्रपुर	रूद्रपुर–नानकमत्ता–दिल्ली	164	142	171
रूद्रपुर	रूद्रपुर–रामपुर–टनकपुर	0	0	110
रूद्रपुर	रूद्रपुर–खटीमा–हल्द्वानी	138	0	0
रूद्रपुर	रूद्रपुर–मुरादाबाद–हल्द्वानी	139	0	139
हल्द्वानी	हल्द्वानी–नैनीताल	538	569	512
हल्द्वानी	हल्द्वानी–चुनौती	147	140	129
हल्द्वानी	हल्द्वानी–बेंबियाड	43	42	66
हल्द्वानी	हल्द्वानी–जौरासी	76	78	93
हल्द्वानी	हल्द्वानी–जंगलियागॉव	103	106	93
हल्द्वानी	हल्द्वानी–पिथौरागढ	79	78	80
हल्द्वानी	हल्द्वानी–दूनागिरि–कूकूछिना	85	93	98
हल्द्वानी	हल्द्वानी–टनकपुर	117	116	130
हल्द्वानी	हल्द्वानी–टनकपुर रात्रि	105	107	120
हल्द्वानी	हल्द्वानी–चोरगलियां–टनकपुर	90	95	103
हल्द्वानी	हल्द्वानी–दिल्ली	434	1553	1568
हल्द्वानी	हल्द्वानी–शामली	192	122	180
हल्द्वानी	हल्द्वानी–मुजफ्फरनगर–शामली	331	363	299
हल्द्वानी	नैनीताल–दिल्ली	213	202	114
हल्द्वानी	हल्द्वानी–धामपुर–दिल्ली	245	288	271
हल्द्वानी	हल्द्वानी–गुडगाँ	95	86	89
हल्द्वानी	हल्द्वानी–बल्लभगढ	151	135	141
हल्द्वानी	हल्द्वानी–बरेली	826	636	580

1	2	3	4	5
हल्द्वानी	हल्द्वानी–गोरखपुर	315	287	303
हल्द्वानी	हल्द्वानी–कानपुर	199	200	208
हल्द्वानी	हल्द्वानी–मेरठ	223	371	191
हल्द्वानी	हल्द्वानी–चण्डीगढ	261	273	289
हल्द्वानी	हल्द्वानी–चण्डीगढ नाईट	153	137	136
हल्द्वानी	हल्द्वानी–चण्डीगढ हाइटैक	67	67	68
हल्द्वानी	हल्द्वानी–जालन्धर	195	191	197
हल्द्वानी	हल्द्वानी–देहरादून	979	1027	1134
हल्द्वानी	हल्द्वानी–भोगपुर	188	60	116
हल्द्वानी	हल्द्वानी–पाँटा	409	255	285
हल्द्वानी	हल्द्वानी–हरिद्वार	119	126	129
हल्द्वानी	हल्द्वानी–कोटद्वार	155	152	161
हल्द्वानी	नैनीताल–बरेली	342	205	171
हल्द्वानी	हल्द्वानी–दिल्ली	0	0	31
काशीपुर	बाजपुर–चण्डीगढ	343	314	328
काशीपुर	रामनगर/काशीपुर–देहरादून	163	215	196
काशीपुर	काशीपुर–आगरा	418	267	259
काशीपुर	काशीपुर–रामपुर–रूद्रपुर	273	98	219
काशीपुर	काशीपुर–हरिद्वार	840	709	870
काशीपुर	काशीपुर–टनकपुर	477	428	553
काशीपुर	रामनगर–दिल्ली	1247	1080	967
काशीपुर	काशीपुर–मेरठ	152	165	147
काशीपुर	काशीपुर–रूद्रपुर	306	282	285
काशीपुर	रामनगर–बरेली	353	329	289
काशीपुर	काशीपुर–कालागढ–हल्द्वानी	145	178	285
काशीपुर	काशीपुर–लखनऊ	238	337	346
काशीपुर	रामनगर–जयपुर	225	222	232
रामनगर	रामनगर–देहरादून	307	319	327

1	2	3	4	5
रामनगर	रामनगर–चण्डीगढ़	135	116	137
रामनगर	रामनगर–बरेली	121	73	0
रामनगर	देघाट–दिल्ली	136	123	145
रामनगर	चौरासी–दिल्ली	137	125	164
रामनगर	क्यूरैला–दिल्ली	66	82	98
रामनगर	रामनगर–दिल्ली	900	754	814
रामनगर	सराइंखेत–दिल्ली	104	102	103
रामनगर	देघाट–देहरादून	272	309	319
रामनगर	रामनगर–हल्द्वानी–टनकपुर	0	169	180
रामनगर	कालागढ़– रामनगर–हल्द्वानी	0	145	0
रामनगर	रामनगर–कोटद्वार	257	190	181
रामनगर	रामनगर–कालागढ़	128	0	177
रामनगर	बैजरो–दिल्ली	154	156	160
काठगोदाम	काठगोदाम–नैनीताल–देहरादून ए०सी०	113	0	0
काठगोदाम	काठगोदाम–नैनीताल–देहरादून हाईटैक	0	83	102
काठगोदाम	काठगोदाम–नैनीताल–दिल्ली हाईटैक	0	95	152
काठगोदाम	काठगोदाम–नैनीताल–दिल्ली ए०सी०	72	0	0
काठगोदाम	काठगोदाम–कानपुर–फतेहपुर	107	148	187
काठगोदाम	काठगोदाम–लुधियाना	153	194	150
काठगोदाम	काठगोदाम–चण्डीगढ़	176	195	145
काठगोदाम	काठगोदाम–बरेली	403	343	348
काठगोदाम	काठगोदाम–आगरा हाईटैक	81	115	134
काठगोदाम	काठगोदाम–आगरा	187	186	166
काठगोदाम	धर्मधर–दिल्ली	105	152	130
काठगोदाम	देवाल–दिल्ली	116	166	132
काठगोदाम	बासबगड़–दिल्ली	126	157	114

1	2	3	4	5
काठगोदाम	काठगोदाम–जयपुर हाइटैक	79	105	155
काठगोदाम	काठगोदाम–जयपुर	222	193	185
काठगोदाम	काठगोदाम–देहरादून (अप/डाउन)	184	232	193
काठगोदाम	काठगोदाम–लखनऊ	102	196	0
काठगोदाम	काठगोदाम–दिल्ली अप/डाउन	525	329	292
काठगोदाम	काठगोदाम–टनकपुर	136	159	114
काठगोदाम	काठगोदाम–मुरादाबाद	316	293	349
काठगोदाम	काठगोदाम–नैनीताल–दिल्लीए०सी० (टाडा)	268	202	264
काठगोदाम	काठगोदाम–हल्द्वानी–नैनीताल	434	312	353
काठगोदाम	काठगोदाम–गुड़गाँव	162	156	176
काठगोदाम	काठगोदाम–गुड़गाँव ए०सी०	0	0	98
काठगोदाम	नैनीताल–काठगोदाम–लखनऊ हाईटैक	0	0	166
काठगोदाम	काठगोदाम–मथुरा	65	150	132
काठगोदाम	काठगोदाम–बाजपुर–दिल्ली	177	219	180
काठगोदाम	काठगोदाम–हिसार	0	189	0
काठगोदाम	काठगोदाम–नैनीताल–हिसार	0	0	175
काठगोदाम	काठगोदाम–चण्डीगढ़ वाया देहरादून	48	0	214
काठगोदाम	काठगोदाम–बरेली–नैनीताल	331	238	300
काठगोदाम	काठगोदाम–सिमलखेत	3	0	0
काठगोदाम	काठगोदाम–हल्द्वानी–दिल्ली वोल्वो	259	240	248
ग्रामीण	देहरादून–दिल्ली	2128	1042	1780
ग्रामीण	देहरादून–दिल्ली वाया झबरेड़ा	166	181	201
ग्रामीण	देहरादून–नोयडा	106	107	116
ग्रामीण	देहरादून–दिल्ली–गुड़गाँव	268	244	259
ग्रामीण	पौंटा–दिल्ली	396	397	380
ग्रामीण	कालसी–दिल्ली	365	449	370

1	2	3	4	5
ग्रामीण	देहरादून–सहारनपुर–दिल्ली	784	811	1126
ग्रामीण	देहरादून–ऋषिकेश–दिल्ली	35	21	47
ग्रामीण	प्रेमनगर–देहरादून–फरीदाबाद	124	113	128
ग्रामीण	देहरादून–हल्द्वानी	694	453	737
ग्रामीण	देहरादून–कोटद्वार	600	546	837
ग्रामीण	देहरादून–टनकपुर	332	320	389
ग्रामीण	देहरादून–कानपुर	219	136	219
ग्रामीण	देहरादून–लखनऊ	220	118	220
ग्रामीण	देहरादून–ऋषिकेश–पौंटा	81	76	81
ग्रामीण	देहरादून–शेरगढ–पौंटा	137	123	140
ग्रामीण	देहरादून–भोगपुर–हरिद्वार	30	29	104
ग्रामीण	देहरादून–लुधियाना	243	266	258
ग्रामीण	देहरादून–नाहन–चण्डीगढ	502	508	467
ग्रामीण	देहरादून–सहारनपुर–चण्डीगढ	239	216	233
ग्रामीण	देहरादून–पौंटा	18	42	17
ग्रामीण	देहरादून–रूडकी	105	142	105
ग्रामीण	देहरादून–सहारनपुर	532	2308	878
ग्रामीण	देहरादून–मुरादाबाद (अनु0)	146	1290	482
ग्रामीण	देहरादून–ऋषिकेश (अनु0)	29	229	162
ग्रामीण	देहरादून–हरिद्वार (अनु0)	281	294	290
ग्रामीण	देहरादून–बिजनौर	2	115	482
ग्रामीण	देहरादून–गाजियाबाद (अनु0)	1	65	0
रूडकी	रूडकी–देहरादून–दिल्ली–हरिद्वार	944	904	1084
रूडकी	रूडकी–ऋषिकेश–दिल्ली–हरिद्वार	1124	1032	1136
रूडकी	रूडकी–हरिद्वार–चण्डीगढ	378	361	399
रूडकी	रूडकी–मुजफ्फरनगर–रूडकी	193	191	288
रूडकी	रूडकी–देहरादून–रूडकी	806	718	764
रूडकी	देहरादून–ऋषिकेश–दिल्ली	181	190	250
रूडकी	रूडकी–हरिद्वार–सहारनपुर–हरिद्वार	161	154	165

1	2	3	4	5
रूड़की	रूड़की–पाँटा साहब	157	160	171
रूड़की	रूड़की–सहारनपुर–नैनीताल–रूड़की	321	314	388
रूड़की	रूड़की–देवबन्द–रूड़की	412	408	446
रूड़की	रूड़की–पुहाना–झबरेडा	44	44	63
रूड़की	रूड़की–देहरादून–झबरेडा–दिल्ली–हरिद्वार	254	251	262
रूड़की	रूड़की–डाडापट्टी–हरिद्वार–रूड़की	90	130	121
रूड़की	रूड़की–डाडापट्टी–छुटमलपुर–रूड़की	0	161	188
रूड़की	रूड़की–छुटमलपुर–रूड़की	234	0	0
रूड़की	रूड़की–भगवानपुर–सिकरोडा	87	59	76
रूड़की	रूड़की–मंगलौर–भलस्वागाज–सहारनपुर	0	11	13
रूड़की	रूड़की––नारसन–ऋषिकेश अनुबन्धित	84	134	113
कोटद्वार	कोटद्वार–दिल्ली	2714	2598	2556
कोटद्वार	कोटद्वार–गुडगाव	129	129	284
कोटद्वार	कोटद्वार–देहरादून	714	723	750
कोटद्वार	कोटद्वार–चण्डीगढ	151	150	150
कोटद्वार	कोटद्वार–कालागढ	443	453	192
कोटद्वार	कोटद्वार–त्रिपालीसैंण	104	137	172
कोटद्वार	कोटद्वार–जमेली	13	71	61
कोटद्वार	कोटद्वार–पौड़ी–दिल्ली–श्रीनगर	269	162	345
कोटद्वार	कोटद्वार–धुमाकोट	72	62	94
कोटद्वार	कोटद्वार–बीरोखाल–दिल्ली	129	174	184
कोटद्वार	कोटद्वार–फरीदाबाद	109	103	118
कोटद्वार	कोटद्वार–किल्बोखाल	38	47	50
कोटद्वार	कोटद्वार–जयपुर	223	230	210
कोटद्वार	कोटद्वार–अमृतसर	223	251	237
कोटद्वार	कोटद्वार–झण्डीचौड–हरिद्वार	60	46	58
कोटद्वार	कोटद्वार–बागेश्वर–कोटद्वार	65	56	0
कोटद्वार	नजीबाबाद–कोटद्वार–नजीबाबाद	71	46	46
बी	देहरादून–दिल्ली ए०सी०	542	396	440

1	2	3	4	5
बी	देहरादून–आगरा ए०सी०	32	34	54
बी	देहरादून–हल्द्वानी स्लीपर	94	90	84
बी	देहरादून–दिल्ली हाईटैक	37	41	118
बी	देहरादून–धर्मशाला हाईटैक	62	52	63
बी	देहरादून–चण्डीगढ़–ऋषिकेश–हाईटैक	82	88	82
बी	देहरादून–डिंगसिंग–दिल्ली	75	72	86
बी	देहरादून–गढ़ी–दिल्ली	78	68	121
बी	देहरादून–रायपुर–दिल्ली	81	68	83
बी	देहरादून–राजपुर–दिल्ली	83	69	106
बी	देहरादून–हाथीबड़कला–दिल्ली	69	68	76
बी	देहरादून–गुड़गांव हाईटैक	47	62	53
बी	देहरादून–फरीदाबाद हाईटैक	48	55	47
बी	देहरादून–नैनीताल हाईटैक	65	101	150
बी	देहरादून–मण्डल हाईटैक	35	42	59
बी	देहरादून–बागेश्वर हाईटैक	44	61	72
बी	मसूरी–दिल्ली हाईटैक	131	82	0
बी	देहरादून–पौड़ी हाईटैक	28	21	28
बी	देहरादून–दिल्ली वोल्वो	246	188	224
बी	देहरादून–दिल्ली–हरिद्वार–दिल्ली वोल्वो	182	175	198
बी	देहरादून–दिल्ली–ऋषिकेश–दिल्ली–देहरादून वोल्वो	291	301	318
बी	देहरादून–दिल्ली–गुड़गाव वोल्वो	65	61	56
बी	देहरादून–दिल्ली–फरीदाबाद वोल्वो	0	0	37
बी	देहरादून–कटरा वोल्वो	37	42	52
बी	देहरादून–जयपुर अनु० ए०सी० स्लीपर	75	55	46
बी	देहरादून–मसूरी–दिल्ली अनुबन्धित ए०सी०	0	0	114
बी	देहरादून–दिल्ली अनु० ए०सी०	57	51	85
ऋषिकेश	ऋषिकेश–पौंटा साहिब	116	130	135
ऋषिकेश	ऋषिकेश–कानपुर	242	272	288
ऋषिकेश	ऋषिकेश–दिल्ली	1549	1573	1673
ऋषिकेश	ऋषिकेश–दिल्ली हाईटैक	108	114	244

1	2	3	4	5
ऋषिकेश	ऋषिकेश–दिल्ली ए०सी०	202	210	77
ऋषिकेश	ऋषिकेश–कर्णप्रयाग	88	92	107
ऋषिकेश	ऋषिकेश–गोपेश्वर	110	117	128
ऋषिकेश	ऋषिकेश–श्रीनगर–दिल्ली	85	100	71
ऋषिकेश	ऋषिकेश–टिहरी–दिल्ली	75	80	85
ऋषिकेश	ऋषिकेश–हरिद्वार	76	80	12
ऋषिकेश	ऋषिकेश–नैनीताल	201	210	238
ऋषिकेश	ऋषिकेश–देहरादून	267	272	310
ऋषिकेश	ऋषिकेश–चण्डीगढ़–श्रीनगर	95	101	123
ऋषिकेश	ऋषिकेश–चण्डीगढ़–टिहरी	103	101	110
ऋषिकेश	ऋषिकेश–दिल्ली–घनसाली	104	111	111
ऋषिकेश	ऋषिकेश–दिल्ली–गुप्तकाशी	109	106	118
ऋषिकेश	ऋषिकेश–दिल्ली–उत्तरकाशी	106	118	118
ऋषिकेश	ऋषिकेश–रूपैडिया	145	140	228
ऋषिकेश	ऋषिकेश––टनकपुर	83	100	126
ऋषिकेश	ऋषिकेश–फरीदाबाद	101	132	115
ऋषिकेश	ऋषिकेश–सहारनपुर	272	297	353
ऋषिकेश	ऋषिकेश–अमृतसर	185	201	157
ऋषिकेश	ऋषिकेश–देहरादून (अनु०)	180	173	208
ऋषिकेश	ऋषिकेश–गुड़गाँव	100	104	104
ऋषिकेश	ऋषिकेश–आगरा	217	225	126
हिल	देहरादून–जोशीमठ	98	99	131
हिल	देहरादून–बीरोंखाल	104	104	198
हिल	देहरादून–द्वाराहाट	106	96	121
हिल	देहरादून–श्रीनगर	146	134	0
हिल	मसूरी–श्रीनगर	0	0	193
हिल	देहरादून–जाखनीधार	151	151	161
हिल	देहरादून–धुमाकोट	108	112	116

1	2	3	4	5
हिल	देहरादून–आराकोट	110	131	127
हिल	देहरादून–हनोल	53	109	75
हिल	देहरादून–लैंसीडाउन	108	105	121
हिल	देहरादून–खेडाखाल	84	51	58
हिल	देहरादून–त्रिपालीसैंण	86	98	109
हिल	देहरादून–ऊखीमठ	80	82	85
हिल	देहरादून–नैनीताल	307	0	0
हिल	देहरादून–हल्द्वानी	0	289	194
हिल	देहरादून–देवलकोट	102	112	135
हिल	देहरादून–बडकोट	171	197	214
हिल	कालसी–हरिद्वार	203	193	191
हिल	देहरादून–पुरोला	129	170	173
हिल	सहिया–हरिद्वार	184	147	177
हिल	देहरादून–मसूरी–उत्तरकाशी	110	67	77
हिल	देहरादून–राणाकोट	107	114	119
हिल	देहरादून–दिल्ली–कालसी	141	137	143
हिल	मसूरी–सहारनपुर	646	634	729
हिल	देहरादून–दिल्ली	151	176	285
हिल	मसूरी–दिल्ली	252	230	249
हिल	मसूरी–हरिद्वार	135	134	243
हिल	देहरादून–तिलवाडा	97	115	129
हिल	देहरादून–झण्डीपानी	221	229	105
हिल	देहरादून–मसूरी	742	802	905
हिल	देहरादून–बी0पुरम	83	100	106
हिल	सहस्त्रधारा–दिल्ली	103	98	129
हिल	देहरादून–मनोरी विकासनगर	71	95	110
हिल	देहरादून–ऋषिकेश–उत्तरकाशी	0	97	87

1	2	3	4	5
हिल	देहरादून–सत्यो–चम्बा	45	72	43
हिल	देहरादून–भटवाड़ी	0	0	137
हिल	देहरादून–रूड़की	77	0	0
हिल	हरिद्वार–पौंटा	259	173	194
हिल	देहरादून–कोटद्वार	720	965	577
हिल	देहरादून–सहारनपुर	1018	1153	1048
हरिद्वार	हरिद्वार–शिमला–रूपेडिया	448	450	311
हरिद्वार	हरिद्वार–भटवाड़ी	21	69	115
हरिद्वार	हरिद्वार–चण्डीगढ़–कोटद्वार	133	151	211
हरिद्वार	हरिद्वार–चण्डीगढ़–ऋषिकेश	118	147	275
हरिद्वार	हरिद्वार–कैथल–हरिद्वार	186	253	309
हरिद्वार	हरिद्वार–दिल्ली–ऋषिकेश	2930	3170	2898
हरिद्वार	हरिद्वार–जम्मू–हरिद्वार	145	140	287
हरिद्वार	हरिद्वार–रूपेडिया	198	280	275
हरिद्वार	हरिद्वार–पुष्कर	358	336	298
हरिद्वार	हरिद्वार–जयपुर	187	82	85
हरिद्वार	हरिद्वार–हल्द्वानी	686	341	725
हरिद्वार	हरिद्वार–दिल्ली–लक्सर	28	0	0
हरिद्वार	हरिद्वार–देहरादून	130	125	91
हरिद्वार	हरिद्वार–कोटद्वार–देहरादून	153	337	264
हरिद्वार	हरिद्वार–मुरादाबाद	158	186	115
हरिद्वार	हरिद्वार–जोशीमठ	41	69	83
हरिद्वार	हरिद्वार–चण्डीगढ़–हरिद्वार	150	139	203
हरिद्वार	हरिद्वार–गंगोत्री	0	35	118
हरिद्वार	हरिद्वार–सहारनपुर–हरिद्वार	124	183	160
हरिद्वार	हरिद्वार–लखनऊ–हरिद्वार	147	22	240
हरिद्वार	हरिद्वार–कानपुर–हरिद्वार	179	105	0
हरिद्वार	हरिद्वार–इटावा–हरिद्वार	179	105	0
हरिद्वार	हरिद्वार–दिल्ली डीलक्स	132	193	0

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 29 विधान सभा/646–08–01–2014–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।